नवम माला, खंड 13 अंक 5

शुक्रवार, 4 जनवरी, 1991
14 पौष, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

छठा सत्र

(नौवीं लोक सभा)

...MENT LI... AY
D.....52
Date.....16/6/91

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

(मूल्य : चार रुपये)

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रमाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

नवम माला, खण्ड 13, छठा सत्र, 1990-91/1912 (शक)

अंक 5, शुक्रवार, 4 जनवरी, 1991/ 14 पौष, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
केन्द्रीय मंत्री श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लोक सभा अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की कथित धमकी के बारे में	1—12
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	12—19
तारांकित प्रश्न संख्या : 122 और 123	12—19
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1	20—24
प्रश्नों के लिखित उत्तर	24—200
तारांकित प्रश्न संख्या : 121 और 124 से 140	24—39
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1390 से 1491, 1493 से 1509, 1512 से 1608 और 1610 से 1620	39—200
सभा पटल पर रखे गए पत्र	200—239
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	240
(एक) ग्यारहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	240
(दो) कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखा गया	240
प्राक्कलन समिति	240
चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	240
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	240
आठवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	240
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	241
तीसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	241

विषय	पृष्ठ
सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति	241—253
सातवां, आठवां, नौवां, दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	241
सभा का कार्य	253—260
भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	261
भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश द्वारा तत्काल विधान बनाने के कारण दर्शाने वाला विवरण	261
श्री दिग्विजय सिंह	261
लोक दायित्व बीमा विधेयक	262—275
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती मेनका गांधी	262
श्री वै० एस० राव	263
श्री गुमान मल लोढा	267
डा० बंगाली सिंह	269
श्री राधिका रंजन प्रमाणिक	269
श्री सूर्य नारायण यादव	271
श्री मित्रसेन यादव	271
श्री जी० एम० बनातवाला	272
श्री मोरेश्वर सावे	274
श्री पी० आर० कुमारमंगलम	274
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	275
ग्यारहवां प्रतिवेदन—स्वीकृत	275
किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उपायों के बारे में संकल्प वापस लिया गया	275—303
प्रो० एन० जी० रंगा	276
श्री सत्यनारायण जटिया	278
श्री एम० एस० पाल	281
श्री जनक राज गुप्त	282

विषय	पृष्ठ
श्री शोपत सिंह मक्कासर	284
श्री हेत राम	288
श्री उत्तम राठौड़	289
श्री प्यारे लाल खण्डेलवाल	291
श्री के० मानवेन्द्र सिंह	294
श्री देवी लाल	295
श्री दिलीप सिंह भूरिया	301
धार्मिक महत्व के स्थानों के बारे में संकल्प	303—307
श्री मित्रसेन यादव	303
श्री हरीश रावत	305

लोक सभा

शुक्रवार, 4 जनवरी, 1991/14 पौष, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

केन्द्रीय मन्त्री श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा लोक सभा अध्यक्ष को गिरफ्तार करने की कथित धमकी के बारे में

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : यह बहुत अनुशासित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कम अनुशासित हैं, आरिफ साहब । अभी तो प्रश्न-काल है न, राम धन जी जानते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : त्यागी जी, आप बैठ जाएं । मैंने राम धन जी को बुलाया है ।

श्री राम धन (लालगंज) : अध्यक्ष जी, मुझे यह निवेदन करना है कि सदन तनाव रहित वातावरण में ही चल सकता है और हमारे सदस्य इतने आन्दोलित और उद्वेलित हैं कि कोई दूसरी बात स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हैं । कल सेंट्रल हॉल में स्वामी जी ने घूम-घूम कर और धमकियां दी हैं । (व्यवधान) और उनके बगल में शंकरानन्द जी भी बैठे हुए हैं । (व्यवधान) बार-बार धमकियां दी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आप जैसे माननीय सदस्यों से और इस सदन से भी मैं यह आशा करता हूं कि जो तनाव रहित के बारे में आप कह रहे हैं, इस शब्द का आपको भी एन्श्योर करना चाहिए और सारे सदस्यों को भी एन्श्योर करना चाहिए । सेंट्रल हॉल में क्या बात हुई उसको यहां दोहराना ठीक नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कह सकता हूं···

(व्यवधान)

श्री राम धन : इन्होंने कहा था कि आपको गिरफ्तार कर लें । (व्यवधान) ये हमारी प्रतिष्ठा का सवाल है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप बैठ जाएं । मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं । मैं इनको इसलिए इजाजत दे रहा हूं क्योंकि तनाव रहित शब्द मुझे अच्छा लगा है ।

(व्यवधान)

श्री राम धन : इस हाउस में तनाव रहित वातावरण पैदा होना चाहिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मक्कासर जी, आपकी आवाज बहुत बुलन्द है, मुझे पता है, आप मेहरबानी करके बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है ।

अध्यक्ष महोदय : नो प्वाइंट आफ आर्डर । मैंने सिर्फ आपको समय दिया, श्री रामधन जी के शब्दों को लेकर आप लोगों से विनती करता हूं, स्पीकर आप लोगों से विनती करता है, मेहरबानी करके सदन को तनावरहित रखिए, इसमें इस तरफ के लोग भी सहायता करेंगे और आप भी सहायता करिए । इस सदन को तनावरहित रखने के लिए आप सब सहायता कीजिए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना साहब, आप जननेता हैं, सांसद हैं, मेहरबानी करके बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

श्री राम धन : अध्यक्ष महोदय, ताली एक हाथ से नहीं बजा करती ।

अध्यक्ष महोदय : दोनों हाथ से बजेगी ।

श्री राम धन : अध्यक्ष महोदय, दोनों हाथ से कैसे बजेगी । एक तरफ तो धमकियों पर धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि हम अध्यक्ष महोदय को हटाएंगे । **(व्यवधान)**

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ तो धमकियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस और हमारा बहुमत है, हम जैसा चाहेंगे, वैसे हाउस चलेगा । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आ बैठिए, मैंने आपकी बात सुन ली है । मैं इस बात को मानता हूं कि सदन तनावरहित होना चाहिए, सदन दो मिनट में तनावरहित हो जाएगा, लेकिन आप लोग मेहरबानी करके बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आरिफ साहब, मेहरबानी करके बैठ जाइए, मैं आप सब लोगों का कोआपरेशन चाहता हूं । जो भी बात आप कहेंगे मैं 12 बजे के बाद सुनंगा, फिलहाल नहीं । फिलहाल मेहरबानी करके बैठ जाइए । आप सब बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जैना साहब, आप सबका कोआपरेशन चाहिए, आप सब बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आरिफ साहब, आप भूतपूर्व मन्त्री हैं, सांसद हैं, अनुभवी हैं, जननेता हैं, मैं फिर आपसे कहूंगा कि जो शब्द राम धन जी ने कहे हैं कि संसद को तनावरहित करना चाहिए, उसके

लिए मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं, आप सबकी इस काम में सहायता चाहिए, ताकि संसद को हम तनावरहित रख सकें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुभाषिनी जी, मैंने कभी स्पीकर की कुर्सी से इतनी विनती नहीं की है, मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, आपका मेरे ऊपर विश्वास है, मै फिर आप लोगों से बड़े अदब से कहता हूं कि आप सब बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों को कैसे मना कर सकता हूं, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नो प्वाइंट आफ आर्डर, मि० जैना, बैठ जाइए। मैं फिर सब नेताओं से विनती करूंगा कि जो कुछ श्री राम धन जी ने कहा है, उनकी यह बात मैं मानता हूं कि संसद को तनावरहित करना चाहिए, लेकिन डिबेट-रहित नहीं करना चाहिए। आप बैठ जाइए। मैं फिलहाल स्वामी जी को बुलाऊंगा, मैं चाहता हूं कि कोई तनाव न रहे, मैं स्वामी जी को बुला रहा हूं। सदन को शालीन ढंग से चलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं फिर व्यक्तिगत रूप से, स्पीकर के नाते आप सबसे विनती करता हूं कि आप बैठ जाइए, मैं 12 बजे आपको सुनूंगा। फिलहाल हमको जो कर्त्तव्य निभाना है, वह कर्त्तव्य निभाने दीजिए।

[अनुवाद]

संसदीय लोकतन्त्र के हित में मुझे अपना कर्त्तव्य निभाने दीजिए। जी हां, डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम धन : अध्यक्ष महोदय, हम इस तरह से नहीं चलने देंगे, हमको इनका इस्तीफा चाहिए, यह नहीं हो सकता है। हम किसी की बात नहीं चलने देंगे, यह नहीं होने देंगे। बार-बार धमकियां दी जा रही हैं कि आपको निकालेंगे, इसलिए इस बारे में हमारा वन प्वाइंट प्रोग्राम है, जब तक सरकार श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी को नहीं निकालती है, तब तक हम कार्यवाही नहीं चलने देंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय मधु दण्डवते जी से कहूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि वे जनता दल के सदस्यों से अनुरोध करें कि वे सब अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं मधु दण्डवते जी से कहूंगा, सारे नेताओं से कहूंगा कि हमको सुचारू रूप से हाउस चलाने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री राम धन : अध्यक्ष जी, हम कह रहे हैं कि हाउस नहीं चलने देंगे, सरकार नहीं चलने देंगे ।

(व्यवधान)

यह सरकार नहीं चल सकती अगर इस प्रकार की धमकियां दी जाती रहीं । **(व्यवधान)**

श्री आरिफ मोहम्मद खान : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिए आपसे निवेदन किया था कि इससे पहले आप श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी को बुलाएं, मेरा निवेदन सुन लें । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन सकता हूं, लेकिन एक शर्त है कि उसके बाद आप हमें वचन दीजिए कि आपके सदस्य बैठ जाएंगे । मैं किसी दूसरे को नहीं सुनूंगा । मैं उसके बाद डा० स्वामी को बुलाऊंगा और आप ध्यान से उनकी बात सुनें ।

(व्यवधान)

श्री राम धन : हम डा० स्वामी को नहीं सुनेंगे । हम हाउस नहीं चलने देंगे । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : राम धन जी, यह बात ठीक नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राम धन : हम हाउस नहीं चलने देंगे । इसके लिए एक ही रास्ता है कि इनको बर्खास्त किया जाए । इनकी पार्टी के लोगों ने कहा है कि इनके खिलाफ हैं, फिर इस तरह की बातें नहीं हो सकती । इन्होंने बार-बार बयान दिए कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे और गिरफ्तार करने की धमकियां आज भी दे रहे हैं । टाइम्स ऑफ इण्डिया में निकला है । इन्होंने कहा है कि हिन्दुस्तान टाइम्स में जो खबर निकली है वह ठीक नहीं है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं ।

(व्यवधान)

श्री राम धन : दुर्गा दास जैसे महान् पत्रकार हुए हैं, उस अखबार की बात मैं आपको बता रहा हूं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : राम धन जी, मैं आपसे आशा करूंगा कि "तनावरहित" हाउस चलाने के लिए आप हमारी सहायता कीजिए ।

(व्यवधान)

श्री राम धन : हमारी एक ही डिमाण्ड है कि सुब्रह्मण्यम स्वामी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा या प्रधान मन्त्री उनको निकालते नहीं हैं तो सरकार का कोई भी बिजनेस इस हाउस में नहीं चल सकता । इसके समर्थन में मैं सारे के सारे नेताओं से निवेदन करूंगा कि जिस तरह की धमकियां डॉ०

स्वामी दे रहे हैं उस तरह की धमकियों के आगे हमें नहीं झुकना चाहिए। स्वस्थ परम्परा होनी चाहिए, यह हमारी आजादी की दूसरी लड़ाई है।

अध्यक्ष महोदय : राम धन जी, आपने जो कहा, मैंने सुन लिया।

(व्यवधान)

श्री राम धन : हम देश की आजादी के लिए लड़े हैं, हमने देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी है। हम स्पीकर को गुलाम नहीं बनने देंगे। यहां के स्पीकर को पूरी आजादी होगी। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे चाहे सुब्रह्मण्यम···**···, फिर भी हम लोकतन्त्र की हत्या नहीं करने देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेहरबानी करके बैठ जाएं, आप कंपयूजन करने के लिए खड़े मत होइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप केवल अपनी बात कह सकते है किन्तु व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, कल हमने इस मामले को उठाया था तथा एक दिन पहले भी हमने इस मामले को उठाया था। हम जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था। आपने कहा था "हां, मैं एक वक्तव्य दूंगा।" परन्तु अभी तक आपने केवल श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी को ही बुलाया है। उन्होंने इसका खण्डन किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप और भ्रम पैदा कर रहे हैं।

श्री श्रीकान्त जेना : मैं और भ्रम पैदा नहीं कर रहा हूं। मुझे अपनी बात कहने दें। परसों हिन्दुस्तान टाइम्स में जो खबर छपी थी वह ठीक नहीं है क्योंकि डा० स्वामी ने ऐसा नहीं कहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी को सुनने के बाद आप बोलेंगे, आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : मैं जानना चाहूंगा कि इस सभा को तथ्यों के बारे में जानकारी डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी से प्राप्त होगी अथवा अध्यक्ष से। सभी नेता आपसे मिले हैं तथा मामले पर चर्चा की

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

गई थी। यह सभा तथा मैं भी जानना चाहता हूं कि आपके कक्ष में उस दिन क्या बातचीत हुई थी तथा उन्होंने क्या कहा। सभा को उस सम्बन्ध में अब बताया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुन ली है। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

श्री श्रीकान्त जेना : आप हमें बताएं कि उन्होंने आपके कक्ष में आपसे क्या कहा था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चावड़ा साहब, आप बैठ जाएं। आप बड़े नेक आदमी हैं।

(व्यवधान)

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा (पाटण) : अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि तनाव कम होगा।

[अनुवाद]

संसदीय परम्परा के अनुसार क्या डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी अपना त्यागपत्र देंगे ?

[हिन्दी]

उसके बाद यह तनाव कम हो जायेगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी बोलेंगे।

श्री श्रीकान्त जेना : आप उन्हें किसलिए बुला रहे हैं ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जेना जी, मैंने आपकी बात सुन ली है। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री श्रीकान्त जेना : हम केवल यह जानना चाहते हैं कि आप डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी को क्यों बुला रहे हैं। क्या वह कोई वक्तव्य देंगे अथवा माफी मांगेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम को सुनने के पश्चात् आप प्रसन्न होंगे। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : राम धन जी, सदन की कुछ परम्पराएं होती हैं। उसका पालन करने का हमको कुछ अनुभव होना चाहिए···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कह रहा हूं कि कम से कम हमारी बात मान जाइए ।

श्री राम धन : यह देश की आजादी का सवाल है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देश की आजादी की खातिर मैं कह रहा हूं···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं ।

श्री राम धन : हम यह नहीं चाहते कि संसद में गुण्डा-गर्दी शुरू हो, हम इसके खिलाफ हैं । यह संसद तब तक नहीं चलेगी जब तक अपराधी न निकाला जाए और अपराधियों को गिरफ्तार न किया जाए ।···(**व्यवधान**) संसद के परिसर में आपका कानून चलता है ।···(**व्यवधान**)

यह फैसला हुआ था कि आपका बयान आना चाहिए । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : राम धन जी आपके पास आरिफ साहब बैठे हैं, उनकी बात मान लीजिए ।

श्री राम धन : आरिफ साहब हमारे कहने पर चलेंगे···(**व्यवधान**) डा० स्वामी को मन्त्रि-परिषद से बर्खास्त किया जाए । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी को सुनने के बाद आपको सन्तोष होगा । आप मेहरबानी करके बैठ जाएं ।

(**व्यवधान**)

श्री राम धन : आई० पी० सी० की धारा 504 के मुताबिक इन्होंने जो क्राइम किया है उसके अनुसार गिरफ्तार किया जाना चाहिए, यह जरूरी है । इसके अलावा दूसरा कोई समझौता नहीं होगा । ···(**व्यवधान**)···अध्यक्ष महोदय, जिस दिन संसद में हमने कहा था कि हमको जान से मार डालने की धमकियां दी गई हैं उस वक्त आपने उस मामले को रफा-दफा कर दिया था, हमने उस वक्त भी आपसे निवेदन किया था । तब भी हमारी जान को खतरा था और आज भी है । ऐसी स्थिति में आप इस मामले को भी रफा-दफा कर रहे हैं । आपको गिरफ्तार करने की बात कही है, उन्हीं लोगों ने कहा है जो अपने आपको लोकतन्त्र का सच्चा समर्थक कहते हैं । देश की आजादी के बाद जो लोकतन्त्र की हत्या हुई है, जो सुब्रह्मण्यम स्वामी···** (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं ।

श्री राम धन : ···** (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं ।···के बारे में जो कहा गया है वह रिकार्ड में नहीं जाएगा ।

(**व्यवधान**)

श्री राम धन : इस देश में अराजकता नहीं चल सकती । इसलिए हम यह चाहते हैं कि

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया ।

सुब्रह्मण्यम स्वामी को मन्त्रि-परिषद से बर्खास्त किया जाए, जब तक ऐसा नहीं किया जाएगा और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अन्तर्गत उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तब तक इस सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती। इसलिए यह जरूरी है कि आप सदन को तनावरहित बनाने के लिए सदन को स्थगित करें और सब लोग बात करें, उसके बाद सदन की कार्यवाही चल सकती है। हमारा विनम्र निवेदन है कि आप सदन को स्थगित करें और आपस में बैठकर बात करें ताकि सदन की कार्यवाही चल सके। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जार्ज साहब आप कहें, सदन को तनावरहित करने में मेरी सहायता करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, हम यह समझ रहे हैं कि आपकी तरफ से ऐसा सुझाव आया है कि मि० स्वामी कोई निवेदन करें और वह निवेदन चाहे जो हो, वह सुनने के बाद सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन निवेदन किस चीज के बारे में है? सबसे पहले अखबार में छपा कि क्या घटना आपके कमरे में घटी। उसको लेकर जो बातें सदन में उठीं, तब तक श्री स्वामी ने कोई भी चीज कहने की जरूरत नहीं समझी। आज तीन दिन हो गए हैं कोई भी सार्वजनिक तौर पर क्षमा याचना या अपनी गलती को कबूल करने वाली कोई बात इनकी तरफ से नहीं आई है। अगर कोई बात हुई तो दो किस्म की बातें आई हैं···

अध्यक्ष महोदय : जार्ज साहब, हाउस सर्वोपरि है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, अगर कोई भी सदस्य आपके कमरे में आकर गलत और अंट-शंट बात कहकर आ जाता है और अखबार उसको छापता है तो इस मामले को स्पष्ट करने का अधिकार हर सदस्य को है। उस सदन में आकर उसको स्पष्ट कर देना चाहिए। अब कोई ऐसी बात जो कही गयी है, उसमें हम दो चीजों को देख रहे हैं। एक तो यह है कि जो भी आपके कमरे में हुआ, वह मजा-मस्ती में हो गया। अगर मजाक में हुआ होता तो आपका भी फर्ज था कि सदन में कहते कि यह सब मजाक की बात थी। आपने पिछले दो दिनों से सदन में इस मुद्दे पर ऐसा कोई विश्लेषण नहीं किया, ऐसा कोई भी निवेदन नहीं किया कि जो कुछ भी आपके कमरे में हुआ, कोई हंसी-मजाक में हुई बात है।। दरअसल हम यह मानकर चल रहे हैं इस क्षण भी कि जो कुछ भी हुआ, वह गम्भीर हुआ था और ऐसी बातों को लेकर हुआ था कि जो मुद्दे आपके सामने फैसले के लिए आज पड़े हुए हैं। लेकिन हमारा इसमें दूसरा एक मुद्दा है और वह यह है कि श्री स्वामी इस सदन के सदस्य नहीं हैं, वे जनता दल (स) के सदस्य भी नहीं हैं तो अगर आपके कमरे में आ गए तो कानून मन्त्री की हैसियत से आपके सम्मने आए हों आपको कानून समझाने के लिए आए और जैसाकि अखबार में उनका कहना है कि वे आपको कानून को समझाने के लिए गए थे। अब अदालत के बारे में अखबारों में यह खबर कैसे छपी पहले दिन कि अदालत ने किसी प्रकार का स्टे दिया है। जहां तक मेरी जानकारी है, अदालत ने कोई स्टे नहीं दिया है। अदालत इस मामले में स्टे नहीं दे सकती है लेकिन यह बात छपकर आई है और पिछले 2-3 दिनों से हम लोग अखबारों में पढ़ रहे हैं जिससे कि सारा खेल अगर अखबारों के माध्यम से हम लोगों को सुनना और देखना हो तो वह यह है कि उनकी तरफ से अभी भी यह बातें कही जा रही हैं कि स्पीकर को ठीक करेंगे, सबको ठीक करेंगे। इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर प्लीज।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जब आज आप हम लोगों से कह रहे हैं कि ऐसा कोई निवेदन होगा जिस निवेदन से सब समाधान होगा तो किस मुद्दे पर उनका निवेदन है ?

अध्यक्ष महोदय : उनका निवेदन तो सुन लीजिए ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : तो घटना क्या घटी ? अगर इस बात के बारे में विवाद हुआ है कि घटना क्या घटी है तो इसके बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि घटना क्या घटी ? आज पिछले 2-3 दिन से सदन इतनी परेशानी में है और यह परेशानी सदन की गरिमा, अध्यक्ष के पद की गरिमा को लेकर परेशानी है तो फिर हमारे माननीय सदस्य श्री राम धन ने जो बात कही कि आप सदन को स्थगित करिए और सबसे पहले इस बात का यहां पर निर्णय कीजिए, नेताओं को बुलाकर कर दीजिए चाहे जिस ढंग से दीजिए कि दरसल हुआ क्या ? "क्या हुआ"—जब यह बात स्पष्ट हो जाएगी तो उसके बाद ही उनकी तरफ से अगर कोई निवेदन आता है या कोई माफी मांगने का कोई प्रस्ताव आता हो, कोई गलती कबूल करने वाली बात होती हो तो उसे कबूल करना, न करना यह सदन के लिए संभव होगा वरना आप बोलेंगे कि आप प्रसन्न हो जाएंगे और यहां पर फिर तनाव बढ़ता रहेगा। इसलिए अध्यक्ष जी, सवाल व्यक्तियों का नहीं, सवाल आपके पद का है और इस सदन की गरिमा का है। इसको मद्देनजर रखते हुए कोई निर्णय करना चाहिए । (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस पर और चर्चा न की जाए ।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल मलिक (अलीगढ़) : अध्यक्ष महोदय···

अध्यक्ष महोदय : मलिक साहब, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूं जब पुनरावृत्ति हो रही है ?

श्री सत्यपाल मलिक : रेगूलर आप कह दीजिएगा कि मैंने इर्रेलेवेंट बात की है लेकिन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है···

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न तो नहीं है लेकिन मैं आपका निवेदन सुनूंगा जरूर ।

श्री सत्यपाल मलिक : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो मामला इस समय है उसमें आपके और सदन के तमाम दलों के नेताओं के बीच में जो निर्णय हुआ है, उसके मुताबिक अगर स्वामी जी कोई बात कहते । मैं यह मान लेता हूं कि हम सब संतुष्ट हो जाते हैं, तब भी मैं एक नई जानकारी व्यवस्था के प्रश्न के जरिए आपको देना चाहता हूं । मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मेरा कहना यह है कि मामला खत्म नहीं होता । चूंकि अभी हाल ही में उन्होंने कानून मन्त्री के रूप में कह दिया कि जिन चीजों का निर्णय करने वाले हैं, वह अधिकार आपसे लिया जाने वाला है । उस सिलसिले में वे संशोधन लाने वाले हैं । संशोधन लाने की उनकी हैसियत नहीं है संविधान में (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप संसद की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जानकार आदमी हैं ।

(**व्यवधान**)

श्री सत्यपाल मलिक : लेकिन उन्होने एक नई कंट्रोवर्सी दो-तीन दिन में शुरू की है। इस सिलसिले में भी मैं आपकी व्यवस्था चाहूंगा। इस मामले में अपनी व्यवस्था दीजिए। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर पार्टी के नेताओं के साथ मेरे चेम्बर में कई बार चर्चा हुई थी। इस बारे में कार्यवाही करने के लिए सहमति दी गई है। मैं माननीय सदस्यों से डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी की बात सुनने की अपील करता हूं। मुझे आशा है उनके वक्तव्य से सभा सहमत होगी। अब डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी बोलेंगे।

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

अध्यक्ष महोदय : राम धन जी, मैं फिर आपसे और माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि इस क्षण जो बात मैं कह रहा हूं, हमारी उस बात को मानिए और उसी के अनुसार चलिए।

(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम, आप बोलिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां सभा की कार्यवाही चला रहा हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री राम धन जो मेरे मित्र और अनुभवी सांसद हैं, से फिर से अपील करूंगा वे अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राम धन, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री राम धन से अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करूंगा।

(**व्यवधान**)

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : महोदय, मैं अध्यक्ष के पद और माननीय रवि राय दोनों का बहुत सम्मान करता हूं। अध्यक्ष सभा के और राष्ट्र की गरिमा के प्रतीक हैं। पिछले सप्ताह अध्यक्ष के चेम्बर में जो चर्चा हुई है, उसके लिए मैं अध्यक्ष और समूची सभा से अपनी बिना शर्त माफी को स्वीकार करने का और इस मामले को समाप्त करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी ने सभा से बिना शर्त माफी मांगी है। संसदीय प्रणाली की परम्परा को देखते हुए, इस मामले को अब समाप्त समझा जाए। मैं सभी माननीय सदस्यों, विशेषतया पार्टी के नेताओं का आभारी हूं जिन्होंने अध्यक्ष पद की गरिमा के साथ इस मामले के समाधान में मेरी सहायता की है।

अब हमें सभा की कार्यवाही शुरू करने दीजिए।

अब प्रश्न काल शुरू होगा। श्री बी० देवराजन।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री ब्रह्मभट्ट से अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करूंगा। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों को अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध करूंगा। मैंने विपक्षी नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी को निवेदन करने की अनुमति दे दी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, इस मामले के बारे में जहां तक 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपी रिपोर्ट का सम्बन्ध है, डा० सुब्रह्मण्यम के द्वारा इस बारे में वक्तव्य देने के बाद, जो आपके कमरे मे विभिन्न पार्टी नेताओं के साथ हुई चर्चा के अनुरूप है, इस मामले को बन्द कर दिया गया है। मैं इस 'हिन्दुस्तान टाइम्स' प्रसंग को बिल्कुल भी उद्धृत नहीं करना चाहता। लेकिन, मेरा विचार है कि सरकार को इस सभा के एक बड़े वर्ग की भावनाओं पर ध्यान देना चाहिए।

श्री आर० मुथिया (पेरियाकुलम) : नहीं, बड़े वर्ग से अभिप्राय केवल आपकी पार्टी से है।

(व्यवधान)

श्री वसन्त साठे (वर्धा) : आपने केवल विपक्ष का हवाला दिया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने जब इस सभा के एक बड़े वर्ग शब्द का इस्तेमाल किया है, तो मैंने एक भी शब्द भड़काने वाला नहीं कहा है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ आपने कहा है, उससे वह आपसे सहमत हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैंने केवल यह कहा है कि इस सभा के एक बड़े वर्ग की भावनाएं इतनी तीव्र हैं कि उनके नेता भी···**(व्यवधान)** ठीक है, वास्तव में विपक्ष, आप विपक्ष में नहीं हैं।

मेरा केवल यह निवेदन है। इस प्रसंग को अब बन्द माना जाना चाहिए। लेकिन, सरकार को हमारी भावनाओं और विचारों को नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए। इन भावनाओं का सम्मान और आदर कैसे किया जा सकता है, यह सरकार का अपना दृष्टिकोण है। **(व्यवधान)**

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मैं केवल स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात 12 बजे के बाद सुन सकता हूं। अब मुझे प्रश्न काल शुरू करने दीजिए। मैंने केवल विपक्ष के नेता को अनुमति दी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : संसदीय इतिहास में यदि किसी सदस्य या मन्त्री से कोई गलती हो जाती है, तो जैसे ही वह क्षमा याचना करता है तो वह मामला हमेशा के लिए खत्म समझा जाता है। लेकिन, चालीस वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है और मुझे विश्वास है कि प्रत्येक सदस्य ने नोट किया होगा कि अध्यक्ष के अपील करने के बावजूद और पार्टी नेताओं द्वारा अपील करने पर भी इस सभा के विपक्ष के एक बड़े भाग के द्वारा इस मामले को समाप्त नहीं किया गया है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि सभा की सहमति से तथा पिछली सीटों पर बैठे सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों से यह मामला समाप्त हो गया है, सरकार को इस बात को नोट करना चाहिए और सुधारात्मक कदम उठाने चाहिएं। (**व्यवधान**)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मैं केवल एक मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। (**व्यवधान**)

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : हम विपक्षी नेता द्वारा कहे गए मुद्दे की प्रशंसा करेंगे यदि विपक्षी नेता भी उसी बात का अनुसरण करें क्योंकि समूची सभा की यह राय है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता देश में हो रहे दंगों के लिए जिम्मेदार थे। अतः, उन्हें भी त्यागपत्र देना चाहिए क्योंकि इस पर भी सभा एकमत थी। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब मुझे प्रश्न काल शुरू करना चाहिए कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए और मुझे सभा की कार्यवाही शुरू करने दीजिए।

(**व्यवधान**)

श्री सन्तोष मोहन देव : उन्हें त्यागपत्र देने दीजिए। समूची सभा ने कहा है कि उन्हें त्यागपत्र देना चाहिए।

श्री एम० जे० अकबर (किशनगंज) : हम श्री आडवाणी के विरुद्ध देश में साम्प्रदायिक भावनाएं फैलाने के लिए निन्दा प्रस्ताव चाहते हैं, जोकि चालीस वर्षों में पहले कभी नहीं हुआ। (**व्यवधान**)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, मैं कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया कोई मुद्दा नहीं। अब 12 बजे के बाद। श्री यमुना प्रसाद शास्त्री अपना प्रश्न रखेंगे।

———

11.40 म० पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में ओरिएंट पेपर मिल के कारण जल प्रदूषण

[हिन्दी]

*122. **श्री यमुना प्रसाद शास्त्री** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अमलाई में मैसर्स ओरिएंट पेपर मिल द्वारा सोन नदी में जहरीले अपशिष्ट बहाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नदी का पानी जहरीला हो गया है और इस नदी के किनारों से 20 मील दूर तक रहने वाले आदिवासियों एवं पशुओं के जीवन को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में अमलाई स्थित ओरिएंट पेपर मिल ने बहिस्राव शोधन संयंत्र लगा लिया है । शोधित बहिस्रावों में केमिकल आक्सीजन डिमांड (सी० ओ० डी०) की मात्रा निर्धारित सीमाओं से अधिक है । रंग और क्लोरीन-युक्त कार्बनिक मिश्रणों से भी प्रदूषण फैल रहा है । बहिस्राव में लिगनिन होने के कारण पेपर मिल से नीचे की ओर नदी के जल के रंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । कुछ गांवों में अवमृदा (सब-सॉयल) जल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । अमलाई से नीचे की ओर सोन नदी के किनारे बसे ग्रामीणों और पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में सरकार के पास कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है । लेकिन उद्योग-प्रभावित गांवों को नए कुएं खोदकर और ट्यूबवेल लगाकर तथा विद्यमान कुओं और तालाबों की मरम्मत करके पेयजल के वैकल्पिक स्रोत मुहैया कराए गए हैं ।

(ग) किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) सरकार ने 31 दिसम्बर, 1991 तक प्रदूषण के निवारण एवं नियन्त्रण के लिए संगठित कार्यवाही करने के लिए लुगदी और कागज उद्योग सहित अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए एक विशेष अभियान चलाया है ।

(2) सरकार ने लुगदी और कागज उद्योग को ऐसे क्षेत्रों में शामिल किया है, जिनके लिए रंग छुड़ाई सहित कम अपशिष्ट वाली स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित की जानी है ।

(3) उद्योग से विसर्जित किए जा रहे बहिस्रावों में कैमिकल आक्सीजन डिमांड की सान्द्रता को कम करने के लिए अपनी रसायन पुनर्प्राप्ति प्रणाली की क्षमता में सुधार करने के लिए कहा गया है । केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने भी यूनिट को निर्देश दिया है कि वह रिसाव को रोकने के लिए संयंत्र के भीतर ही नियन्त्रण के तरीकों के आधुनिकीकरण और बेहतर हाउस-कीपिंग की प्रक्रिया को अपनाए तथा मई, 1991 तक शोधित बहिस्रावों की गुणवत्ता में सुधार लाए ।

(4) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बतूरा, तियापिपर और बसरत घाट पर सोन नदी की नियमित मानिटरिंग कर रहा है ।

(5) राज्य बोर्ड ने जून, 1986 में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 और 44 के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई आरम्भ कर दी है और यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शहडोल की अदालत में लम्बित है ।

(6) लुगदी और कागज मिलों के बहिस्रावों के लिए मानक निर्धारित किए जा रहे हैं ।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर मन्त्री महोदया ने सभा पटल पर रखा

है, वह तो मुझे पढ़ने को नहीं मिला है, लेकिन मैं पूरक प्रश्न आपकी अनुमति से कर रहा हूं। श्रीमन्, शहडोल जिले में अमलाई में बिड़ला बंधुओं ने एक कागज का कारखाना लगाया है और बांस से वे कागज वहां पर बनाते हैं जिसमें प्रयुक्त जल को वे सोन नदी के पानी में बराबर डालते जा रहे हैं, जिससे उस नदी का सारा जल प्रदूषित हो गया है। महोदय, सोन नदी इस देश की बहुत बड़ी नदियों में से एक है जो पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है। इसके किनारे हजारों गांव बसे हैं जिनमें आदिवासियों की बस्ती है। पिछले 30 वर्षों से उस कारखाने का प्रदूषित जल सोन नदी में डाला जाता रहा है जिसके कारण, उस जल को पीकर अनेक पशु मर चुके हैं और यदि कोई बच्चा उस पानी को पीता है, तो वह मर जाता है। इसको रोकने के लिए म० प्र० सरकार ने एक कमेटी बनायी थी। उसने सुझाव दिया था कि उस दूषित पानी को सोन नदी में न छोड़ा जाए। उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि उस पानी को कई तालाब बनाकर उसमें एकत्रित किया जाए और जब बरसात हो, तब उसको सोन नदी में छोड़ा जाए ताकि वह बरसात के बाढ़ के साथ पानी एक दम बह जाए और वहां के लोगों को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन बिड़ला बंधुओं ने इस सुझाव को नहीं माना और लगातार वे उस प्रदूषित जल को सोन नदी में डालते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी, सवाल पूछिए, आपको दो प्रश्न करने हैं।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : जी हां, मैं सवाल ही पूछ रहा हूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो कमेटी बनायी उसका सुझाव उन्होंने नहीं माना और मध्य प्रदेश में जो भी कमेटी आदि बनायी जाती है, वह उनके प्रभाव में आ जाती है और सोन नदी के पानी का प्रदूषण नहीं रोक पाती है, तो मैं माननीय मन्त्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि इस नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए केन्द्रीय सरकार और आपके मन्त्रालय की ओर से कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सच है कि ओरिएंट पेपर मिल के कारण सोन नदी में बहुत अधिक प्रदूषण फैल गया है। शोधित बहिस्रावों में केमिकल आक्सीजन डिमांड की मात्रा निर्धारित सीमाओं से काफी अधिक है। यद्यपि ओरिएंट पेपर मिल ने बहिस्राव शोधन संयंत्र लगा लिया है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है और इससे सोन नदी के आसपास बसे गांवों में बहुत अधिक प्रदूषण फैल गया है। हमने इस उद्योग के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 और 44 के अन्तर्गत इसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आरम्भ कर दी है। यह मामला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शहडोल की अदालत में लम्बित है।

हमने पहली बार लुगदी और कागज उद्योग को ऐसे क्षेत्रों में शामिल किया है जिनके लिए रंग छुड़ाई सहित कम अपशिष्ट वाली स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित की जानी है। ओरिएंट पेपर मिल को इसमें सम्मिलित किया गया है। इस मामले में हमने ओरिएंट पेपर मिल सहित प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों को लुगदी और कागज की सफाई के लिए 31 दिसम्बर, 1991 तक का समय दिया है जो पर्याप्त है।

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : अभी जो पर्यावरण मन्त्री महोदया ने जवाब दिया है उससे मामला और अधिक उलझ गया है। उनका कहना यह है कि शहडोल के चीफ जुडिशियल मैजीस्ट्रेट के यहां

कोई केस पैन्डिंग है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने दिनों से यह केस पैन्डिंग है। अनेक वर्षों से यह बिरला अदालत की आड़ लेकर लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। चीफ जुडिशियल मैजीस्ट्रेट की अदालत में कितने दिनों से यह केस चल रहा है और उसका फैसला क्योंकि नहीं हुआ है इसलिए क्या मैं मन्त्री महोदया से उम्मीद करूं कि केवल चीफ जुडिशियल मैजीस्ट्रेट के मुकदमे पर ही निर्भर न रहते हुए सदन में कोई ऐसा कानून बनाएंगी जिससे बिरला बन्धुओं को बाध्य किया जा सके कि वे पौलूशन को दूर करें। यदि दूर न करें तो उनके खिलाफ समरी ट्रायल हो, समरी ट्रायल करके उनको जेल भेजा जा सके। क्या आप इस तरह का कोई कानून बनाने का विचार रखती हैं ?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : दुर्भाग्य से यह मामला 1986 से न्यायालय में लम्बित है। (**व्यवधान**) जब हम न्यायालयों में किसी उद्योग के विरुद्ध कार्यवाही शुरू करते हैं तो सामान्यतः यह कार्यवाही बहुत दिनों तक लटकी रहती है। अब हमने उनके लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी है और मई, 1991 तक वहिस्राव शोधन संयंत्र में सुधार की जाए। तब तक आपको मुझे क्षमा करना है।

[हिन्दी]

श्री राघवजी : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार सोन नदी में पौलूशन हो रहा है ठीक उसी प्रकार से मध्य प्रदेश की एक और महत्वपूर्ण नदी बेतवा है जहां पर मंडीदीप के कारखाने द्वारा भारी प्रदूषण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार के पास बेतवा नदी के प्रदूषण को दूर करने के लिए योजना भेजी है लेकिन केन्द्र सरकार धन के अभाव का बहाना बनाकर उसको पूरा नहीं कर रही है। मैं मन्त्री महोदया से जानना चाहूंगा कि क्या बेतवा नदी जो उदगम स्थान पर है, प्रदूषित हो रही है और पूरी बेतवा नदी बेकार हो गई है, उसका पानी पीने के लायक नहीं रहा है, केन्द्र धनराशि उपलब्ध करवाएगा जिससे बेतवा का प्रदूषण दूर हो सके ?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : मुझे किसी विशेष प्रस्ताव की जानकारी नहीं है। अनेक योजनाएं प्राप्त हुई हैं। इन योजनाओं का कार्यान्वयन धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। मुख्य प्रश्न यह है कि उद्योग इस ढंग से कार्य करें कि पर्यावरण प्रदूषित न हो। सरकार हमेशा धनराशि प्रदान नहीं करती रहेगी। हम सभी को बेतवा अथवा सोन तथा अन्य प्रदूषित नदियों को साफ करने का प्रयत्न करना चाहिए।

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, यह पर्यावरणीय समस्या है जो पूरे देश में फैली हुई है। कुछ उद्योग ऐसे हैं जो अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं और इनसे बहुत बड़ी मात्रा में जल प्रदूषण हो रहा है।

इस दृष्टि से मैं मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या वह पर्यावरण विशेषज्ञों के दल का गठन करेंगी जो पूरे देश का दौरा करे और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का पता लगाए तथा यह सुनिश्चित करें कि मानव जीवन संकट में न पड़े। (**व्यवधान**)

श्रीमती मेनका गांधी : हम ऐसा पहले ही कर चुके हैं। सरकार प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी एक

पत्र जारी कर रही है जो माननीय सदस्य द्वारा उठायी गयी मुख्य समस्याओं के बारे में है। इससे अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले क्षेत्रों का पता लग जाएगा तथा यह स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कार्यवाही की जानी चाहिए।

जहां तक ओरिएंट पेपर मिल का सम्बन्ध है, इस उद्योग की मुख्य समस्या यह है कि पानी में मिलने से पहले इसके लिगनिन को रोकने के लिए कोई व्यवहार्य प्रौद्योगिकी नहीं है। इसलिए जहां यह प्रौद्योगिकी उपलब्ध है वहां इसे अपनाया जाएगा। प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धी प्रस्तावित पत्र में इस बात को शामिल किया गया है।

श्री बालगोपाल मिश्र : अभी-अभी मन्त्री महोदया ने बताया है कि सरकार को 1986 से इस तथ्य की जानकारी है। जब सरकार को इस बात का 1986 से पता है तो मैं मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने 1986 से आज तक इस नदी के किनारे पर बसे हुए गांवों और शहरों को हुए नुकसान के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है। मैं जनता के विचार को उद्धृत कर रहा हूं, आम आदमी यह सोचता है कि देश का शासन बिरला बन्धु चला रहे हैं सरकार अथवा संसद नहीं। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। बिरला बन्धुओं को, ओरिएंट पेपर मिल द्वारा नदी में बढ़ाए जा रहे जहरीले अपशिष्ट पदार्थों से लोगों की जान लेने की अनुमति कब तक दी जाती रहेगी ?

श्रीमती मेनका गांधी : केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ने इस उद्योग को 31 मई, 1991 तक बहाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार करने का निर्देश दिया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुभाषिनी अली : अध्यक्ष जी, पर्यावरण मन्त्री महोदया सराहनीय काम कर रही हैं, प्रदूषण को दूर करने के लिए। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगी कि इस संसद का वातावरण जो प्रदूषित हो रहा है, उसको दूर करने के लिए माननीय मन्त्री महोदया क्या करने जा रही हैं..... (**व्यवधान**)...इस प्रदूषण को फैलाने वाले जो तत्व हैं जिन्हें यहां नहीं बैठना चाहिए था, बैठे हुए हैं, उनको हटाने के लिए माननीय मन्त्री महोदया क्या कर रही है ? स्वामी जी को यहां से हटाने के लिए माननीय मन्त्री जी क्या कर रही हैं ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई सवाल नहीं है।

मसालों का निर्यात

[अनुवाद]

*123. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम चार महीनों के दौरान मसालों के निर्यात में भारी कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो मसालों के निर्यात में आयी कमी के कारण विदेशी मुद्रा की आय कितनी कम हुई है; और

(ग) सरकार द्वारा मसालों के निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) चालू वित्त वर्ष के पहले चार महीनों के दौरान और पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान मसालों के निर्यात का तुलनात्मक ब्यौरा निम्नानुसार है :—

अप्रैल-जुलाई, 1989		अप्रैल-जुलाई, 1990		वृद्धि/गिरावट का प्रतिशत	
मात्रा मी० टन	मूल्य लाख रु०	मात्रा मी० टन	मूल्य लाख रु०	मात्रा मी० टन	मूल्य लाख रु०
28503	8680.57	32940	8286.19	+15.5	—4.6

यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष, 1990-91 के पहले चार महीनों के दौरान मसालों के निर्यात की मात्रा में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में वृद्धि हुई है । लेकिन, निर्यात से होने वाली आय में मामूली गिरावट आई है ।

(ग) मसालों का निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

1. मेलों में भाग लेना
2. छोटी इलायची के लिए हवाई माल अर्थसहायता, नकद मुआवजा सहायता, आई० ई० पी० आदि, जैसे निर्यात प्रोत्साहन
3. गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम
4. उत्पाद और बाजार विकास
5. क्रेता-विक्रेता बैठकें

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष जी, जो कागज सभा पटल पर रखे गए हैं, उसमें कोई खास सूचना मेरे प्रश्न के बारे में नहीं दी गयी है । उसमें कहा गया है कि निर्यात से होने वाली आय में मामूली गिरावट आई है । मेरे विचार में गए तीन सालों में स्पाइसिज का निर्यात बहुत कम हुआ है और विदेशों में भी इसकी कीमतें घट रही हैं । निर्यात कम होने की वजह से किसानों को भी नुकसान हो रहा है और देश को भी नुकसान हो रहा है । स्पाइसिज का निर्यात बढ़ाने के लिए आपके द्वारा कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं जिसमें एक कदम यह है ।

[अनुवाद]

निर्यात प्रोत्साहन जैसे विमान मालभाड़ा राज सहायता ।

[हिन्दी]

मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या वह इस क्षेत्र में इन्सेंटिव्स देने के बारे में दुबारा सोच-विचार कर रही है जिसके कारण इनका एक्सपोर्ट बढ़ सके। एक्सपोर्ट कम होने के कारण और उसकी कीमतें कम मिलने के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। अतः वह इसके बारे में सोच रही है या नहीं ?

[अनुवाद]

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, माननीय सदस्य का यह कथन सही नहीं है कि निर्यात में वास्तव में कमी हुई है। वास्तव में, अप्रैल-जुलाई, 1989 की अवधि की तुलना में अप्रैल-जुलाई 1990 की अवधि में मसालों के निर्यात में वास्तव में 15½ प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मसालों के मूल्यों में कमी हुई है और इससे निर्यात से प्राप्त होने वाली राशि में कमी आई है। लेकिन निर्यात की मात्रा में कमी नहीं हुई हैं। उन्होंने पूछा है कि मसालों के क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। हमने वास्तव में बहुत से कदम उठाए हैं। पहली बार, हमने मेलों में हिस्सा लेने और अपने मसालों के प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है और हम निर्यात प्रोत्साहन दे रहे हैं जिसका लिखित विवरण में उल्लेख किया गया है। हमने मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने वाले कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। ये मुख्य उपाय हैं जो हमने मसालों के निर्यात में वृद्धि के लिए किए हैं।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, यह बात ठीक है कि क्वांटिटी बढ़ रही है लेकिन इनकी कीमतें कम न हों इसको भी आपको देखना होगा। किसानों को इससे अधिक से अधिक फायदा यह आपको देखना होगा। अच्छे इन्सेटिव्ज मिलने पर ही इनका निर्यात करने के लिए कोई राजी होता है। दूसरा सवाल मैं यह पूछना चाहूंगा कि गल्फ क्राइसिज के कारण इनकी डिमांड कम होती जा रही है। इसकी वजह से भी इनकी कीमतें कम होने की सम्भावना बन जाती है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन कण्ट्रीज में अभी तक स्पाइसेज एक्सपोर्ट नहीं हुए हैं, उनमें सरकार मार्केट बनाने के लिए ज्यादा क्या कोशिश कर रही है ? दूसरा मैं यह पूछना चाहूंगा कि गल्फ क्राइसेस में इम्प्रूवमैंट भी हो रही है, पता नहीं है, लेकिन मैंने जान बूझकर पूछा कि इन्सेण्टिव्ज बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण हमको फारेन एक्सचेंज ज्यादा मिलेगा ?

[अनुवाद]

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरा मन्त्रालय केवल इलायची के लाभकारी मूल्य निर्धारित करता है और समस्या यह है कि हमारे घरेलू मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में पहले से ही काफी अधिक हैं। जिसके फलस्वरूप वास्तव में ऐसी स्थिति में इलायची का निर्यात करना बहुत कठिन है। इसके विपरीत देश में इलायची की तस्करी होती है।

अन्य मसालों के मूल्य कृषि मन्त्रालय निर्धारित करता है और मेरे विचार से सदस्य उस मंत्रालय से प्रश्न पूछें तो अच्छा होगा।

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन : महोदय, सूखी मिर्च भी एक मसाला है। तमिलनाडु

और आन्ध्र प्रदेश के किसान श्रीलंका में जातीय समस्या से काफी प्रभावित हुए हैं। सूखी मिर्च जो 986-87 में 2500 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक बेची जा रही थी अब 700 रुपए से 800 रु० प्रति क्विंटल बेची जा रही है। यह सब श्रीलंका में जातीय समस्या के कारण हुआ है। कोई खरीददार नहीं है क्या सरकार इस पर विचार करेगी और कोरिया जैसे अन्य देशों को इन मसालों को बेचने का प्रयास करेगी जिससे कि किसान जिन्हें पिछले दो वर्षों से काफी नुकसान हो रहा है को फायदा होगा।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : सदस्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैं निश्चय ही इस विषय में कार्यवाही करूंगा।

डा० बिप्लव दासगुप्त : मैंने देखा है कि विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी निरन्तर कम होती जा रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय यह दो प्रतिशत थी; अब यह आधा प्रतिशत से थोड़ा अधिक रह गयी है। यह एक गम्भीर मामला है क्योंकि सिंगापुर जैसे देश भारत से दुगनी मात्रा में निर्यात करते हैं। कोरिया और ताईवान जैसे देश भारत से चौगुनी मात्रा में निर्यात करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं माननीय मन्त्री से पूछ सकता हूं वे आधारभूत वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर रहे है। "टैरिफ और व्यापार का सामान्य करार" पर वार्ता के विफल होने के कारण, मैं जानना चाहूंगा कि वे अन्य पिछड़े, अर्ध-विकसित और विकासशील देशों के साथ सलाह करके यह सुनिश्चित करें कि आधारभूत वस्तुओं के मूल्य न गिरें और विकासशील देशों के साथ संधिवार्ताओं में सभी आधारभूत वस्तुओं के निर्माताओं द्वारा कार्यवाही की जाए।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : माननीय सदस्य के प्रश्न का क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मेरे मन्त्रालय ने अब कृषि निर्यात प्रभाग को सक्रिय बना दिया है। हमारे मन्त्रालय की सलाहकार समिति अगली बैठक में कृषि निर्यात पर गहराई से विचार करने जा रही है। "टैरिफ और व्यापार का सामान्य करार" सम्बन्धी वार्ता विफल नहीं हुई है जैसा माननीय सदस्य ने कहा है। हम थोड़े समय के लिए रुके थे और मुझे विश्वास है कि हम कुछ समझौते करने में सफल हो जायेंगे। और यदि वह समझौता सफल हो जाता है तो यूरोप और विकसित देशों में कृषि उत्पादों के मूल्य बढ़ जायेंगे और उससे हमें निर्यात को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, काली मिर्च और इलायची दो ऐसी मदें हैं जिससे काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। मैं माननीय मन्त्री के ध्यान में लाना चाहूंगा कि काली मिर्च के उत्पादकों की दशा बहुत खराब है। दो वर्ष पहले काली मिर्च लगभग 0 रुपए किलो बेची गई थी, अब मूल्य गिर कर लगभग 30 रुपए किलो और इससे भी कम से हो गए हैं। एक अन्य कठिनाई यह भी है। एक ऐसी बीमारी है जिससे काली मिर्च की फसल को भारी नुकसान हुआ है और इस बीमारी का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान नहीं किया गया है। इस बीमारी के कारण, विशेषतया केरल में काली मिर्च की फसल को काफी नुकसान हुआ है। काली मिर्च की फसल को इस बीमारी से बचाने के लिए और किसानों के लिए मूल्य को बढ़ाने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे?

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, यह सच है कि पिछले वर्ष अधिक उत्पादन के कारण कोचीन में काली मिर्च के मूल्य कम हो गए थे। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था, मेरे मन्त्रालय द्वारा काली मिर्च के मूल्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

12.01 मध्याह्न

अल्प सूचना प्रश्न

जी० ए० टी० टी० की उरुग्वे दौर की बातचीत

अ० सू० प्र० 1. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 दिसम्बर, 1990 के "पेट्रियट" में "जी० ए० टी० टी० फेल्योर विल हिट इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात का मूल्यांकन किया गया है कि चालू वर्ष में वास्तव में निर्यात-आय में कितनी कमी हुई है और वर्ष 1991-92 में कितनी कमी होने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उरुग्वे दौर की बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं का समापन दिनांक 3 से 7 दिसम्बर, 1990 को ब्रुसेल्स में होने वाली मंत्री स्तरीय बैठक के साथ होना था। इस बैठक में बातचीत के किसी भी मुद्दे पर कोई निश्चित प्रगति नहीं हो पायी क्योंकि विकसित देशों में कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में असहमति हो गयी। उरुग्वे दौर को थोड़े समय के लिए बढ़ा दिया गया है विकासशील देशों तथा भारत के बारे में लाभ तथा नुकसान की जानकारी उरुग्वे दौर के परिणाम अभी आनी है।

इस समय, उपलब्ध जानकारी के अनुसार, वर्ष 1990-91 (अप्रैल-अक्तूबर, 1990) के दौरान 17,726 करोड़ रुपए मूल्य का निर्यात हुआ है। चूंकि वर्ष की अन्तिम तिमाही में निर्यात में आम-तौर पर तेजी रही है, इसलिए, ऐसे समय में यह अनुमान लगाना कठिन है कि वर्ष 1990-91 के दौरान अन्तिम रूप से कितने मूल्य का निर्यात होगा। यदि चालू वर्ष के लिए रखे गए 36,000 करोड़ रुपए के निर्यात लक्ष्य की तुलना में कुछ कम निर्यात भी होता है तो इसके लिए जो कारण होंगे उनमें शामिल हैं—संयुक्त राज्य अमरीका में मन्दी, खाड़ी संकट का प्रभाव, कृषि वस्तुओं तथा खनिजों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव और विश्व-अर्थव्यवस्था में सामान्य गिरावट।

(घ) सरकार ने निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए हैं। ये हैं—निर्यातकों को लगभग अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर महत्वपूर्ण कच्चे माल तथा पूंजीगत सामान उपलब्ध कराना, निर्यातकों को वित्तीय तथा आर्थिक रियायतें देना ताकि वे अपने प्रतिस्पर्धियों की बराबरी कर सकें, व्यापार क्रिया-विधियों का सरलीकरण। सरकार आवश्यकता पड़ने पर निर्यात प्रयासों में मदद देने के लिए आगे कोई और उपाय करने में भी नहीं हिचकिचाएगी।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : माननीय मन्त्री जी, मुझे आपको यह बताना है कि इसका जो

फेल्योर हुआ और जिस समय ये मीटिंग चल रही थी तो वहां के किसानों ने भारी दंगा करके कहा कि ये सबसिडी, जो यू० एम० ए० और डेवलप देश चाहते हैं कि यह सबसिडी कट हो जाए। लेकिन उसके कारण डेवेलपिंग देशों को भारी कठिनाई हो जाएगी और किसानों को भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैं यह चाहूंगा कि एक-दो सज्जन ने कहा है कि इसमें 1650 डेलीगेट थे और सौ देशों ने इसमें हिस्सा लिया many delegates from the Third World countries complained that they were being ignored by the developed nations.

यानी कि अमीर और पूंजीपति देश हैं वे आर्थिक साम्राज्यवाद को यहां बनाना चाहते हैं, इस कारण से वे गरीब देश को गुलाम बनाना चाहते है। इसलिए सबसिडी कम करने के बावजूद, दूसरा 1991 में जो उनका एक मल्टी फायर एग्रीमेंट भी खत्म हो रहा है और जनरल एग्रीमेंट आन टेरिफ एण्ड ट्रेड की बात वहां पर चल रही थी तो उस समय मंत्री जी ने कहा कि ये अभी फेल्योर नहीं है। लेकिन उसकी बात थोड़ी आगे बढ़ रही है और फिर हम दोबारा इसके लिए मिलने वाले हैं। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि ये जो सबसिडी रेड्यूस करना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, जिस सबसिडी के कारण डेवेलपिंग देशों में ट्रेड न्यूटरलाइज हो जाते हैं। इस बारे में हिन्दुस्तान की क्या नीति रहेगी, जिसके कि कारण हिन्दुस्तान के किसान को विश्वास पैदा हो और देश का भी नुकसान न हो।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक एग्रीकल्चरल सबसिडी का इन्होंने अभी जिक्र किया, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सबसिडी का ही विवाद है और उसमें हमारा जो अनुमान है, हमारी केलकुलेशन के हिसाब से आज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए हमारा देश कोई सबसिडी नहीं दे रहा है। जिस तरीके से यह केलकुलेशन किया गया। सबसिडी यूरोपीय देश दे रहे हैं, अमरीका भी दे रहा है। अमरीका और ईईसी के बीच विवाद है, सबसिडी कम करने के बारे में विवाद है। ईईसी 30 परसेंट कम करने के लिए तैयार है, अमरीका का कहना है कि नहीं और कम करो, उसने 90 परसेंट तक कम करने के लिए आग्रह किया है, इस पर विवाद है। यदि सबसिडी कम करने के बारे में फैसला हो जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि कृषि उत्पादन का जो मूल्य है, वह यूरोपीय देशों में बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो हमें कम करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम तो अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए सबसिडी दे ही नहीं रहे हैं, इसलिए इसमें हमें फायदा होगा। इस फायदे को बढ़ाने के लिए हमारे मन्त्रालय की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल है, मैं जानना चाहूंगा कि मन्त्री जी ने कहा है कि सबसिडी हम नहीं दे रहे हैं, यह बात भी कहते हैं कि विदेश की कीमतें कम-ज्यादा होने के कारण हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बात भी अभी-अभी कही है, यह दाम हम तय नहीं करते हैं, कृषि मन्त्रालय तय करता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को विदेश भेजने के लिए, जब दोनों मन्त्रालयों में तालमेल नहीं है, अभी फसल के दाम आप तय नहीं करते है और विदेश भेजने के लिए आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जब दोनों में अन्तर होगा और किसान को नुकसान होने के कारण दाम बढ़ाने की जरूरत होगी, विदेश में देने के लिए, जैसे चावल की बात है, यहां के चावल के दाम में और विदेश के चावल के दाम मे आप सबसिडी दे रहे हैं, इसलिए बिल्कुल नहीं दे रहे है, यह बात ठीक नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि दाम में तालमेल रखने के लिए अगर सबसिडी न हो तो मुझे लगता है कि यह हिन्दुस्तान के लिए खतरा होगा। लेकिन आप विश्वास दिला रहे हैं कि सबसिडी कम करने से हिन्दुस्तान को फायदा होगा। लेकिन हिन्दुस्तान को फायदा होने के साथ-साथ किसान को भी

फायदा देने के लिए भी आप वचनबद्ध हैं। तो एक्सपोर्ट के कारण किसान के सामान की कीमत कम नहीं हो जाएगी, कृषि मन्त्रालय कीमतें कम नहीं करेगा और कीमतें कम करेगा तो कामर्स मिनिस्ट्री उसको कंपसेट करेगी, क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं ?

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक नुकसान और फायदे का सवाल है, इसमें यदि हम तैयार रहेंगे और उरूग्वे राऊंड आफ टाक्स में फैसला हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि एग्री-कल्चरल प्रासेस गुड्स का जो हम 450 करोड़ रुपए का हर साल एक्सपोर्ट करते हैं, वह एक्सपोर्ट 5 साल के अन्दर 5000 करोड़ तक पहुंच जाएगा।

अभी जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से तालमेल नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब उन्होंने सवाल पूछा तो मैंने उत्तर दिया कि इस मन्त्रालय की तरफ से मैं उस प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैंने कहा कि यह एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का सवाल है, मन्त्रालयों का तो आपस में तालमेल है। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय सभा को बताएं कि क्या यह सत्य नहीं है कि 'गैट' के माध्यम से कुछ विकसित देश किसी भी तरीके से विकासशील देशों पर दबाव डालने के लिए विभिन्न तरीके तथा पद्धतियां अख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमारे 'पेटेन्ट्स' कानून के प्रश्न से सम्बन्धित है।

मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इस प्रश्न पर दृढ़ निर्णय लिया है कि वे किसी दबाव के वशीभूत होकर अपने पेटेन्ट कानूनों में कोई परिवर्तन नहीं होने देंगे।

दूसरे निवेश तथा/बुद्धिजीवियों के सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों के प्रश्न पर ये विकसित देश काफी लम्बे अर्से से 'गैट' के माध्यम से हम पर दबाव डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अभी हाल ही की बातचीत में क्या इनमें से किसी एक भी मद पर चर्चा की गई थी तथा यदि चर्चा की गई है, तो अब क्या स्थिति है तथा क्या उन्होंने अब अन्तिम रूप से यह आवश्यक समझा है अथवा नहीं कि विकासशील देशों को अपने आम हितों की रक्षा के लिए एक होकर कुछ आम योजना बनानी चाहिए। इस मामले में क्या भारत सरकार अन्य विकासशील देशों से कोई पहल करेगी।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विकसित देशों ने संयुक्त रूप से यह प्रयास किए हैं कि अनेक पहलुओं पर विकासशील देश उनके दृष्टिकोण स्वीकार कर सकें। दुर्भाग्य से, जब मैं 'उरूग्वे' राउन्ड ऑफ टॉक्स हेतु ब्रूसल्स गया था, उस समय भूतपूर्व सरकार ने पहले ही यह वचन दिया था तथा वर्ष 1986 में भूतपूर्व प्रधान मन्त्री ने वाणिज्य मन्त्री की हैसियत से कई दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर किए थे जिसमें इस बात पर सहमति की गई थी कि हम अपनी सभी नीतियों की पुनरीक्षा करेंगे तथा यही वह मुद्दा था, जिस पर सर्वाधिक दबाव डाला गया था।

खैर, भारत के प्रतिनिधि के रूप में मैंने इस सम्मेलन में यह स्पष्ट कर दिया था कि पेटेन्ट कानून के प्रश्न पर चाहे हम बिलकुल अकेले ही क्यों न पड़ जाएं, परन्तु हम पेटेन्ट कानून में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए अपनी सहमति नहीं देंगे। सम्मेलन में यह भी उल्लेख किया गया था कि हमारे नए पेटेन्ट कानून वर्ष 1970 से प्रभावी हुए तथा संसद ने 1970 में ही इन्हें बनाया गया था। भारत में औषधि की कीमत विश्व में सर्वाधिक थी। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 1970 में इस

कानून के लागू किए जाने के पश्चात् भारत में औषधि की कीमत विश्व में सबसे कम है। अतएव, यह अत्यन्त स्पष्ट कर दिया गया था कि इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। खैर, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारा मूलभूत मतभेद विकसित देशों के साथ पेटेन्ट कानून पर तथा वह भी उत्पाद पेटेन्ट के प्रश्न पर है तथा वह भी फार्मास्युटिकल्स, रसायन तथा जैव प्रौद्योगिकी के मुद्दे पर। प्रोसेस पेटेन्टिंग, प्रतिलिपि अधिकार डिजाइन तथा कई अन्य क्षेत्रों में हमारा उनसे अधिक मतभेद नहीं है। अत केवल इन तीन उद्योगों में ही हमारा उनसे मूलभूत मतभेद है तथा इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा मैं इसे यहां पर पुनः दोहराना चाहूंगा। इस समय विकसित देशों से सम्बन्धित इस प्रश्न पर अन्तिम वार्ता का सम्बन्ध है, वाणिज्य मंत्रालय अपनी योजना को अन्तिम रूप देने के पश्चात्, तुरन्त ही उन ऐसे कुछ विकसित देशों की एक बैठक का आयोजन कर रहा है, जिनका हित भी इससे जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सभी विकसित देश इसी तरीके से सोचते हैं। वास्तव में उनमें से कई देश विकसित देशों के दृष्टिकोण से भी सहमत हो गए हैं। परन्तु दुर्भाग्य से पिछले ग्यारह महीनों के दौरान भारत ने किन्हीं भी अन्य विकसित देशों से परामर्श करने की पहल नहीं की है तथा एक आम हित वाली योजना नहीं बनाई है। सात दिन से मैं कार्यालय में हूं और पिछले एक महीने से मैं कुछ कार्य नहीं कर रहा हूं सिवाय कुछेक विकसित देशों से परामर्श कर रहा हूं तथा 'उरूग्वे' टॉक्स' के अन्तिम दौर में पहुंचने से पूर्व मैं अतिशीघ्र एक सम्मेलन आयोजित करने की कोशिश कर रहा हूं।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, गैट फेल्योर के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने जिक्र किया है कि भारत पर इसका असर नहीं पड़ेगा। अध्यक्ष जी, यह ठीक है कि यूरोपियन कन्ट्रीज हैं, वे सबसिडी कम करें या न करें उसका भारत पर असर नहीं पड़ता, परन्तु पेटेंट लॉ की बात है, सुपर 301 की बात है, अमेरिका का दबाव अभी खत्म नहीं हो रहा है। गैट के असफल हो जाने से यह नहीं मान लेना चाहिए कि अमेरिका इसके बाद दबाव नहीं डालेगा। अमेरिका का दबाव वैसे ही कायम है, उसका थ्रेट वैसे ही कायम है। उस थ्रेट का मुकाबला करने के लिए सरकार क्या कर रही है। हिन्दुस्तान के अपने पेटेंट लॉ के बारे में, या कैमिकल्स में, फर्टीलाइजर्स में, मैडिसीनस में दबाव के लिए आप क्या कर रहे हैं। अमेरिका इसके अलावा कई और शर्तें लगा रहा है कि हमें अपने इंश्योरेंस को प्राईवेट कर लें, बैंकिंग निजी क्षेत्र में कर दे, ऐसी चीजें अमेरिका हिन्दुस्तान के ऊपर थोपना चाहता है। उसकी थ्रेट के बारे में कैटेगिरीकली क्या मन्त्री जी यह कहने जा रहे हैं कि हिन्दुस्तान के किसी मामले में अमेरिका की किसी इन्टरफिरिएंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारे यहां के कानून हिन्दुस्तान के हिसाब से अपनाए जाएंगे ? अभी ब्राजील का जिक्र हुआ, उसने सरेंडर कर दिया, इसके अलावा और कई मुल्कों ने सरेंडर कर दिया, अमेरिका ब्लैक-मेलिंग कर रहा है, उस हालत में दुनिया के बाकी देश हैं, डिवेलेपिंग कन्ट्रीज हैं, उनको अपने साथ मिलाकर, ज्वाइंट-फ्रन्ट बनाकर अमेरिका के थ्रेट का मुकाबला किया जाए, उसके लिए हमारी सरकार क्या कर रही है ?

[अनुवाद]

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : सर्वप्रथम, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि 'गैट' असफल नहीं हुआ है। 'गैट' की इसमें काफी बड़ी भूमिका है। 'गैट' से सम्बन्धित कुछेक संशोधनों पर विचार करने के लिए 'यूरूगवे' बातचीत रुक गई है। अतः, ऐसा नहीं है कि "गैट" असफल रहा है। मैं उस गलतफहमी को दूर करना चाहूंगा। दूसरे, इसका श्रेय चन्द्रशेखर सरकार को जाता है कि

बिना किसी द्विपक्षीय वार्ता के अमरीका ने एकमत से यह निर्णय कर लिया है कि वह अपने 'सुपर 301' विधान को लागू करने पर जोर नहीं देगा। लगभग दो सप्ताह पूर्व यह घोषणा की गई थी कि अमरीका जिन-जिन देशों पर 'सुपर 301' लागू करने जा रहा है, भारत उनमें शामिल नहीं है तथा मामले पर पुनर्विचार करने से पूर्व वे 'युरूगवे' वार्ता के परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे तथा यह एक महान उपलब्धि है। तथा मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि इस सम्बन्ध में पर्याप्त रूप से बातचीत नहीं की गई है। परन्तु, यह हमारी दृढ़ता का ही परिणाम है। परन्तु जब हमारे देश के हितों का सवाल उठता है, उस मामले में हम किसी की भी तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे चाहे वह अमरीका हो अथवा सोवियत संघ।

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा : माननीय वाणिज्य मन्त्री ने कहा है कि भारत में औषधियों की कीमत विश्व के अन्य देशों की तुलना में कम है। परन्तु, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में औषधियों की कीमत कम होने का मुख्य कारण हमारे देश में मजूरी सस्ती है। क्या वह उससे सहमत हैं ?

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : वास्तव में मैंने ब्रूसल्स में इस ओर ध्यान दिलाया था कि यदि विकसित देश स्वतन्त्र पूंजीनिवेश पर जोर देते हैं जैसाकि माननीय श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अभी-अभी पूंजीनिवेश सम्बन्धी उपायों के बारे में जिक्र किया है, तब उन्हें मजदूरों को बेरोकटोक आने-जाने की अनुमति देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए जिसके लिए वे तैयार नहीं हैं। हमारे कुशल मजदूर न केवल सस्ती मजदूरी देने पर भी उपलब्ध हो जाते हैं बल्कि, उनका काम भी सर्वोत्तम है तथा यदि इसकी अनुमति दी जाए तब उस स्थिति में हम न केवल अपने देश में बल्कि, विश्वभर में सस्ती औषधियां दे सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राज्य निर्वाचन अधिकारियों का सम्मेलन

[अनुवाद]

*121. **श्री बी० देवराजन :**
श्री मनोरंजन सुर :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने हाल ही में नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें जिन विषयों पर विचार किया गया और जो निर्णय लिए गए उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सम्मेलन में सभी भावी चुनावों में इलेक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग करने, सभी मतदाताओं को बहुउद्देशीय पहचान-पत्र जारी करने और वर्ष 1990-91 में देश में चुनाव-क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने की सिफारिश की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कितना धन खर्च होने का अनुमान है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य निर्वाचन आफिसरों के सम्मेलन में जिन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और जो विनिश्चय किए गए उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है;

(ग) बैठक में इस बारे में आम सहमति थी कि भावी निर्वाचनों में इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का प्रयोग किया जाए। तथापि, देश में मतदाताओं को बहुउद्देशीय पहचानपत्र जारी करने के बारे में कोई विनिश्चय नहीं किया गया था। वर्ष 1990-91 के दौरान देश में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के प्रश्न पर उक्त सम्मेलन में विचार-विमर्श नहीं किया गया।

(घ) ऐसा अनुमान है कि देश के सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कुल मिलाकर छह लाख इलैक्ट्रानिक मशीनों की आवश्यकता होगी। निर्वाचन आयोग ने पचहत्तर करोड़ रुपए की लागत की डेढ़ लाख मशीनें प्राप्त कर ली हैं और शेष साढ़े चार लाख मशीनों के लिए दो सौ पच्चीस करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है।

विवरण

वे विवाद्यक जिन पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन आफिसरों के नई दिल्ली में 6 और 7 दिसम्बर, 1990 को हुए सम्मेलन में विचार-विमर्श किया गया

क्रम सं०	सम्मेलन में चर्चा किए गए विवाद्यक	किए गए विनिश्चय
1	2	3
1.	निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण	सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों (असम को छोड़कर) के लिए निर्वाचक नामावलियों के 1-1-91 को अर्हता की तारीख मान कर संक्षिप्त पुनरीक्षण का आदेश दिया गया।
2.	मतदान केन्द्र स्थापित किया जाना शिकायत उपांतरण	एक बार अनुमोदित किए जाने के पश्चात् मतदान केन्द्र स्थापित किए जाने के लिए सूची में यथासाध्य परिवर्तन से बचा जाना चाहिए।
3.	रिटर्निंग आफिसरों और सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति	अन्तिम क्षणों में रिटर्निंग आफिसरों और सहायक रिटर्निंग आफिसरों के परिवर्तन से बचा जाना चाहिए।
4.	उप निर्वाचन	निर्वाचन नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन हो

1	2	3
		जाने के पश्चात् सभी लम्बित उप निर्वाचन कराए जा सकते हैं ।
5.	इलेक्ट्रानिक मतदान मशीन	इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का भावी निर्वाचनों में प्रयोग किया जाना चाहिए ।
6.	बहु उद्देश्यीय पहचान पत्र	कोई निर्णय नहीं किया गया ।
7.	मतदाताओं को प्रशिक्षित करना	मतदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक गहन कार्यक्रम आरम्भ करना चाहिए ।
8.	निर्वाचन से सम्बन्धित आफिसरों का प्रशिक्षण	चर्चा नहीं हुई ।
9.	ऐसे कर्मचारियों को प्रतिकर जिनकी निर्वाचन ड्यूटी पर मृत्यु होती या क्षतिग्रस्त होते हैं ।	निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाने वाले प्रतिकर, का अन्य अभिकरणों द्वारा संदत्त अतिरिक्त प्रतिकर के समान होना ।
10.	प्ररूपों और हेण्डबुकों का मुद्रण	अप्रैल, 1991 के अन्त तक प्ररूपों का मुद्रण पूरा किया जाना ।
11.	मुख्यालयों और जिला निर्वाचन कार्यालयों में स्थित कार्यालयों का निरीक्षण	चर्चा नहीं हुई ।
12.	मुख्य निर्वाचन आफिसरों द्वारा रिपोर्ट देर से प्रस्तुत करना	लम्बित रिपोर्टों का आयोग को भेजे जाने के प्रश्न पर सभी मुख्य निर्वाचन आफिसर सम्बद्ध जिला निर्वाचन आफिसरों से चर्चा करेंगे ।

न्यायालयों के कार्य-घण्टों में वृद्धि

[हिन्दी]

*124. **श्री सन्तोख कुमार गंगवार** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए न्यायालयों के कार्य-घण्टों में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या न्यायालयों में अत्याधुनिक कम्प्यूटर की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव भी विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) और (ख) जी, नहीं। उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में कार्य-घण्टों का विनियमन स्वयं ये न्यायालय करते हैं। अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य-घण्टों का विनियमन सम्बन्धित उच्च न्यायालय करता है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे उच्च न्यायालयों से परामर्श करके, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए न्यायालयों में कम्प्यूटर और अन्य आधुनिक इलेक्ट्रानिक उपस्कर लगाने की साध्यता की संवीक्षा करें। मूल रूप से यह ऐसा विषय है जिसका विनिश्चय राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों को करना है।

भारत सरकार, उच्चतम न्यायालय में कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी प्रारम्भ करने के विषय में सिद्धांत रूप से सहमत है। उच्चतम न्यायालय को नेशनल इनफारमेटिक सेन्टर द्वारा तीन सुपर ए० टी० 386 कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। उच्चतम न्यायालय में आगे कम्प्यूटरीकरण के सम्बन्ध में विनिश्चय स्वयं उच्चतम न्यायालय को करना है।

रुग्ण एकक पुनः चालू करना

[अनुवाद]

*125. **श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थाएं रुग्ण एककों को पुनः चालू करने में अपनी जिम्मेवारी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार संतोषजनक ढग से निभा रही हैं;

(ख) क्या सरकार को स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर के विरुद्ध कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उसने रुग्ण एकक चालू करने के सम्बन्ध में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किया; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां। अधिकांश रूप से।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

नासिक रोड और फैजाबाद के बीच मार्ग में स्टॉम्प पेपरों का खोया जाना

*126. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष नासिक रोड और फैजाबाद स्टेशनों के बीच मार्ग में करीब 19 लाख रुपए के स्टाम्प पेपर गुम हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई ऐसी घटनाओं की संख्या समेत तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे स्टाम्प पेपरों की ढुलाई के लिए विशेष सुरक्षा प्रबन्ध किए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भविष्य में स्टाम्प पेपरों की चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान फैजाबाद के समाहर्ता (कलेक्टर) द्वारा गैर-अदालती टिकटों की कमी के दो मामले सूचित किए गए थे। अप्रैल, 1990 में बताया गया गैर-अदालती टिकटों की कमी का पहला मामला 18.54 लाख रुपए के अंकित मूल्य से सम्बन्धित था। दूसरा मामला जून, 1990 की एक रिपोर्ट के सम्बन्ध में था, जिसमें समाहर्ता ने एक बन्द पेटी में 750 रुपए मूल्य वर्ग की 10,000 शीटों के स्थान पर लकड़ी और कागज के टुकड़े, प्राप्त किए जिसमें 75 लाख रुपए का नुकसान शामिल है जो भेजी गई टिकटों का अंकित मूल्य था।

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से सूचित की गई ऐसी घटनाओं की कुल संख्या उन्हत्तर है।

(ग) और (घ) टिकटों की पूर्ति और वितरण पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड के केन्द्रीय टिकट डिपु से पूर्ति की शब्दावली "एफ० ओ० आर० नासिक रोड" है। प्रेषणाओं की बुकिंग तक का दायित्व भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, केन्द्रीय टिकट डिपु, नासिक रोड, का होता। केन्द्रीय टिकट डिपु से प्रेषणाओं को रेल द्वारा भेजने के लिए बुकिंग के लिए नासिक रोड रेलवे स्टेशन भेजा जाता है जिसकी सुरक्षा के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रणालय के सुरक्षा कर्मचारी होते हैं। उसके पश्चात्, सारी जिम्मेदारी मांग पत्र देने वाले की होती है।

(ङ) इस मामले में प्रत्येक राज्य में एक या दो केन्द्रों पर टिकटों को स्वीकार करने के लिए राज्य सरकारों को लिखा गया है। ताकि वैगनों द्वारा टिकटों का संभरण सुचारू रूप से हो सके और सम्बन्धित राज्य सरकारों के कर्मचारियों और पुलिस द्वारा इनकी सुरक्षा की जा सके।

निर्यात-गृहों को पारेषण के जहाज में लदान-पूर्व निरीक्षण से छूट

*127. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान कुछ निर्यात-गृहों को पारेषण के जहाज में लदान-पूर्व निरीक्षण से छूट दी गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) यह छूट दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप घटिया सामान का निर्यात होने लगा है जिससे देश की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट व्यापार घरानों, व्यापार घरानों तथा निर्यात घरानों को इंजीनियरी

उत्पादों और फुटवियर तथा फुटवियर संघटकों के लदान-पूर्व अनिवार्य निरीक्षण सीमा से मुक्त रखा गया है। ऐसा इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि उन्होंने विदेशी बाजारों में अपनी साख जमा ली है। दिनांक 6-10-1990 और 19-10-1990 की अधिसूचनाएं विवरण-1 और विवरण-2 के रूप में संलग्न हैं।

(ग) और (घ) ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है।

विवरण-1

भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप खंड-(ii)
तारीख 06 अक्तूबर, 1990 में प्रकाशित

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख : 06-10-90

अधिसूचना

का०आ० 763(अ) निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 16-ए की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह निर्देश देती है कि उसके द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार व्यापार सदनों, व्यापार सदनों और निर्यात सदनों के द्वारा निर्यात किए जा रहे अभियांत्रिक उत्पादों पर उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (डी), इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू नहीं होगी।

ह०/-
(एस० के० सूद)
संयुक्त सचिव,

(फाइल सं० 6(16)/90-ई०आई०एण्ड ई०पी०)

विवरण-2

भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उप खंड-(ii)
तारीख 19 अक्तूबर, 1990 में प्रकाशित

भारत सरकार

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख : 19-10-90

अधिसूचना

का०आ० 805(अ) निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963

का 22) की धारा 16-ए की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह निर्देश देती है कि उसके द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार व्यापार सदनों, व्यापार सदनों और निर्यात सदनों के द्वारा निर्यात किए जा रहे जूते तथा जूतों के संघटकों पर उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (डी), इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से लागू नहीं होगी ।

ह०/-
(एस० के० सूद)
सयुक्त सचिव,

(फाइल सं० 6(18)/90-ई०आई० एण्ड ई०पी०)

निजी वाहनों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध

*128. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली और अन्य नगरों को प्रदूषण से मुक्त रखने तथा पेट्रोल और डीजल की बचत के लिए निजी वाहनों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

संसद और राज्य विधान मंडलों में निर्धनों के लिए सीटों का आरक्षण

*129. **श्री वी० कृष्ण राव** :
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संसद और राज्य विधान मंडलों में कुछ प्रतिशत सीटें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों के लिए आरक्षित करने का विचार है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में संविधान में संशोधन करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) इस समय, सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बड़े औद्योगिक गृहों के निर्यात वायदे

[हिन्दी]

*130. **श्री हर्षवर्धन** . क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बड़े औद्योगिक गृह अपने निर्यात वायदों को पूरा नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश के दस बड़े औद्योगिक गृहों ने अपने निर्यात वायदों का कितना प्रतिशत निर्यात किया ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से (ग) जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं हो पाई है । इसे एकत्र किया जा रहा है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

वन्यजीवों का अनधिकृत शिकार रोकना

[अनुवाद]

*131. **श्री लोकेन्द्र सिंह :**
श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, केरल और तमिलनाडु राज्यों मे हाथियों, गैंडों, बाघों, तेंदूओं का शिकार अनधिकृत रूप से किए जाने के कारण कितने मूल्य की चन्दन की लकड़ी, खालें और हाथीदांत का नुकसान होने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार कर्नाटक और आस-पास के राज्यों में कुख्यात गिरोहों के हाथों वन्यजीवों का बड़े पैमाने पर अनधिकृत शिकार किए जाने तथा वन/पुलिस कर्मियों के मारे जाने के समाचारों की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस गिरोह की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) चर्म और हाथीदांत का व्यापार निषिद्ध है इसलिए इनका कोई निश्चित वाणिज्यिक मूल्य मालूम न होने के कारण पशुओं के गैर-कानूनी शिकार की वजह से होने वाली हानि का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है ।

चन्दन की लकड़ी की चोरी के कारण होने वाली क्षति के मूल्य के बारे में सूचना राज्यों से इकट्ठी की जा रही है और जैसे ही यह सूचना प्राप्त हो जाएगी सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

(ख) कर्नाटक राज्य में एक कुख्यात गिरोह द्वारा गैर-कानूनी रूप से शिकार किए जाने और वन कार्मिकों की हत्या करने के कुछ मामलों की रिपोर्टें सरकार को प्राप्त हुई हैं । आस-पास के क्षेत्रों से इस प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) पिछले तीन वर्षों में पशुओं को मारने के लिए किए गए गैर-कानूनी शिकार की रिपोट इस प्रकार हैं :—

वर्ष	हाथी	बाघ	चीता
1987-88	15	1	5
1988-89	12	1	5
1989-90	18	1	5

कर्नाटक में पिछले तीन वर्षों में निम्नलिखित वन कार्मिकों की हत्या की गई :

1. 1987 में एक रेंज वन अधिकारी;

2. 1988 में एक फारेस्ट गार्ड और एक चौकीदार (बाचर) तथा

3. 1989 में एक फारेस्ट गार्ड और एक चौकीदार (वाचर)।

(घ) कर्नाटक और तमिलनाडु के वनों में एक गिरोह कार्य कर रहा बताया जाता है, जो पशुओं का गैर-कानूनी शिकार करने तथा चन्दन की लकड़ी को गैर-कानूनी रूप से गिराने और उसकी तस्करी करने में लगा है।

(1) 1990-91 में कर्नाकट और तमिलनाडु राज्य सरकारों को गैर-कानूनी शिकार के विरुद्ध उपाय करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय सहायता दी, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

कर्नाटक	45.50 लाख रुपए
तमिलनाडु	47.24 लाख रुपए

(2) तीन दक्षिणी राज्यों में गैर-कानूनी शिकार के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के लिए अन्तर-राज्य समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। चन्दन की लकड़ी की चोरी के नियन्त्रित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए एक साझा कृत्यक बल बनाया गया है। इन गतिविधियों के समन्वय के लिए भारत सरकार ने दक्षिणी राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों की एक समिति भी बनाई है।

(3) गैर-कानूनी शिकार और वृक्षों की अवैध कटाई की समस्या के नियन्त्रण के लिए कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा अपने वन विभाग में एक विशेष पुलिस कक्ष स्थापित किया गया है।

(4) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के तहत 1986 से भारतीय हाथी दांत का व्यापार बन्द कर दिया गया है।

(5) वन्य वनस्पति जात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में कन्वैंशन (साइटस) के तहत अफ्रीकी हाथी दांत का आयात-निर्यात निषिद्ध है। भारत उप कन्वैंशन में एक पार्टी है।

(6) चन्दन की लकड़ी की चोरी और तस्करी के कार्य में लगे एक कुख्यात गिरोह के 32 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 60 मीटरिक टन चन्दन की लकड़ी जब्त कर ली गई है।

बड़ी निगमित संस्थाओं द्वारा ऋण की धनराशि का मुनाफाखोरी के प्रयोजनार्थ उपयोग

*132. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 नवम्बर के इकानोमिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जो बड़ी निगमित संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋण की धनराशि को मुनाफाखोरी के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाए जाने के सम्बन्ध में है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक, मांग मुद्रा बाजार में किसी भी अत्यधिक घट-बढ़ पर नियन्त्रण रखने के लिए, स्थिति को देखते हुए, समय-समय पर उपाय करता है और उन्हें स्थिरता प्रदान करता है। बैंक, ग्राहकों की आवश्यकता पर आधारित अपेक्षाओं का मूल्यांकन करने के पश्चात्, उन्हें नकद ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं। पार्टियों, बैंकों से अपनी नकद ऋण सुविधाओं से निकासी नहीं कर सकतीं और बैंकों की राशि को मांग-मुद्रा बाजार में उधार नहीं दे सकतीं।

(ग) जब कभी किसी भी प्रकार के उल्लंघन ध्यान में आते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

परियोजना निर्यात

*133. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का परियोजना निर्यात के सम्बन्ध में एक संयुक्त कार्य दल गठित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व में अब जितना परियोजना-निर्यात होता है, उसमें भारत का भाग कितना है; और

(घ) परियोजना निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) और (ख) भारतीय परियोजना निर्यात की बोलियों के क्लियरेन्स के लिए एक्सिम बैंक का एक कार्य दल पहले से ही है, जिसमें एक्सिम बैंक सहित वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्यात ऋण गारंटी निगम, व्यावसायिक बैंकर्स के प्रतिनिधि, केन्द्र बिन्दु के रूप में शामिल हैं।

(ग) विश्व परियोजना निर्यात बाजार में भारत का हिस्सा 1% से भी कम है।

(घ) द्विपक्षीय व्यापार समझौता, प्रक्रिया, प्रति व्यापार व्यवस्था, विश्वव्यापी निविदाओं के प्रति सहयोगी दृष्टिकोण आदि अपनाकर परियोजना निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा, बहुपक्षीय अभिकरणों द्वारा वित्तपोषित विदेशी परियोजनाओं का पता लगाने और उनकी मानीटरिंग करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक उच्चस्तरीय परियोजना संवर्धन समिति गठित की गई है।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्राप्त सहायता

*134. **श्री भजमैन बेहेरा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत वर्ष 1989-90 और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न प्रदाता देशों द्वारा देशवार भारत को किन-किन क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं; और

(ख) इसी अवधि के दौरान तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किन-किन क्षेत्रों से व्यक्तियों का चयन किया गया था और उनकी ट्रेडवार संख्या कितनी-कितनी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रदाता देशों द्वारा वर्ष 1989-90 और चालू वर्ष में भारत को जिन क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण सविधाएं उपलब्ध कराई हैं वे ये हैं :—कृषि, उद्योग, आधारभूत ढांचे सम्बन्धी क्षेत्र (जिसमें विद्युत, कोयला, रेलवे, पत्तन, सड़कें और सड़क यातायात तथा संचार शामिल है), प्राकृतिक ससाधन (पर्यावरण और जल संसाधनों सहित), ग्रामीण विकास शहरी विकास, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और जनसंख्या।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत प्रदाता देशों जिन्होंने इस अवधि के दौरान भारत को तकनीकी प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान की हैं वे ये हैं : यूनाइटेड किंगडम, जापान, आस्ट्रेलिया और सिंगापुर। ऐसे क्षेत्र जिनमें, इनमें से प्रत्येक देश ने भारत को प्रशिक्षण के स्थान प्रदान किए हैं और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण सूचित की गई है।

(ख) अपनाई जा रही प्रथा के अनुसार, किसी विशेष तकनीकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए सामान्यतः उन व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो कि केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों, केन्द्रीय/राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सम्बन्धित क्षेत्रों में अथवा क्षेत्र में सम्बन्धित प्रदाता देश द्वारा सहायता-प्राप्त परियोजना में कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार विवरण में दिए गए विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोजित प्रशिक्षार्थियों का ब्यौरा प्रशिक्षार्थियों के क्षेत्र/व्यवसाय-वार वितरण को भी दर्शाता है।

विवरण

वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कोलम्बो योजना के अन्तर्गत विदेशों द्वारा भारत को उपलब्ध कराई गई तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाएं

क्षेत्र का नाम	यू० के०*		जापान*		आस्ट्रेलिया*		सिंगापुर*	
	1989-90	1990-91	1989-90	1990-91	1989-90	1990-91	1989-90	1990-91
1. कृषि	61	44	12	7	—	5	—	—
2 उद्योग	197	160	10	11	—	—	—	—
3. प्राकृतिक संसाधन	119	80	2	—	—	—	—	—
4. ग्रामीण विकास	27	27	—	—	—	—	—	—
5. आधारभूत ढांचा	300	154	16	13	—	—	—	2
6. विज्ञान और प्रौद्योगिकी	43	21	3	5	—	—	—	—
7. स्वास्थ्य	59	69	9	7	—	—	3	—
8. शहरी विकास	82	46	2	1	—	—	—	—
9. शिक्षा	66	41	—	1	—	—	—	—
10. जनसंख्या	7	5	—	—	—	—	—	—
11. अन्य	45	33	15	20	3	—	—	—

*टिप्पणी :—1990-91 के आंकड़े 30 नवम्बर, 1990 तक के हैं।

चैक बुक जारी करने के लिए लिया जाने वाला अधिभार

*135. **श्री वामनराव महाडीक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ये निर्देश जारी किए हैं कि अपने ग्राहकों को जारी की गई चैक बुकों के लिए प्रति पन्ना 1 रुपया प्रभार लिया जाए;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ग्राहकों की कठिनाईयों को देखते हुए सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पहली जुलाई, 1990 से अपने सेवा प्रभारों में संशोधन किया है। संशोधित प्रभारों के अन्तर्गत चार महानगरीय शहरों अर्थात् नई दिल्ली, मुम्बई, मद्रास और कलकत्ता में चैक बुक जारी करते समय एक रुपया प्रति पन्ना (लीफ) प्रभार वसूल किया जाता है। अलबत्ता, यह प्रभार अलग-अलग व्यक्तियों के बचत बैंक खातों पर वसूल नहीं किया जाता है।

2. बैंकों ने अपने परिचालनों की लागत में हुई वृद्धि के कारण अपने सेवा प्रभारों में वृद्धि की है। हालांकि प्रभारों को उचित स्तर पर रखने के सभी प्रयास किए गए हैं, लेकिन जब सेवाओं की लागत में वृद्धि होती है तब ऐसे प्रभारों में समायोजन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता।

स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋण

[हिन्दी]

*136. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋण का अनेक मामलों में उस प्रतोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया जिसके लिए ये ऋण दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) से (ग) वाणिज्यिक बैंक शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना, शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी माइक्रो उद्यम योजना (स्कीम फार अरबन माइक्रो इन्टरप्राइज) जैसी स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पता लगाए गए हितग्राहिकारियों को ऋण प्रदान करते हैं। इन योजनाओं की आंकड़ा सूचना प्रणाली से उन मामलों से सम्बन्धित सूचना प्राप्त नहीं होती है जिनमें ऋणों का दुरुपयोग किया गया हो। कुल मिलाकर दिए गए प्रयोजन के लिए इन योजनाओं के अन्तर्गत ऋणों का हितग्राहिकारियों द्वारा उपयोग किया जाता है। फिर भी समय-समय पर ऋणों के दुरुपयोग करने के कुछ मामले बैंकों की जानकारी में आते हैं और ऐसे मामलों को निपटाने के लिए बैंकों द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

इराक के साथ व्यापार

[अनुवाद]

*137. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी संकट के कारण इराक के साथ भारत के व्यापार में रुकावट पैदा हुई है;

(ख) यदि हां, तो खाड़ी संकट के कारण प्रभावित हुई प्रमुख परियोजनाओं और कम्पनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रभावित कम्पनियों की प्रतिपूर्ति करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) जी, हां।

(ख) खाड़ी क्षेत्र में मौजूदा स्थिति के परिणामस्वरूप इराक में मैसर्स जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सोमदत्त बिल्डर्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड, एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड आदि द्वारा निष्पादित किए जा रहे छः निर्माण कार्य, एक टर्नकी और तीन परामर्श-दात्री परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। इराक को इंजीनियरी माल, चाय, मसाले और रसायन आदि जैसी मदों के निर्यात भी प्रभावित हुए हैं।

(ग) चूंकि भारतीय कम्पनियों और इराकी ग्राहकों के बीच संविदाकृत ये परियोजनाएं वाणिज्यिक परियोजनाएं हैं इसलिए अगर मुआवजा दावे का प्रश्न उठता है तब उसे संविदाओं की शर्तों के अनुसार दोनों संविदाकारी पक्षों के बीच तय करना पड़ेगा।

म्यांमार घुसपैठियों द्वारा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में लकड़ी की अवैध कटाई

*138. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी अण्डमान में म्यांमार घुसपैठिये वहां की मूल्यवान पादुक और अन्य इमारती लकड़ी की अवैध कटाई नावों का निर्माण करने के लिए करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) उत्तरी अण्डमान में नाव बनाने के लिए अवैध रूप से काटी गई पादुक तथा अन्य इमारती लकड़ियों का प्रयोग करने के लिए बर्मा के घुसपैठियों के बारे में कोई मामला दर्ज नहीं कराया गया है। अण्डमान व निकोबार प्रशासन द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित निवारक उपाय किए गए हैं :—

1. पुलिस तटरक्षक बल और नौसेना समूची तटरेखा में विदेशी घुसपैठियों पर कड़ी नजर रख रही है।

2. वन अधिकारी पुलिस की सहायता कर रहे हैं तथा नाजुक क्षेत्रों और संकरी खाड़ियों में पुलिस की सहायता से गश्त तेज कर दी गई है।

3. किसी विदेशी नागरिक को सन्देहास्पद हालत में पाए जाने पर सूचना देने के लिए तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सचेत कर दिया गया है।

बैंक ऋणों को बट्टे खाते डालना

[हिन्दी]

*139. **डा० चिन्ता मोहन :**
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 दिसम्बर, 1990 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में "प्रोब सॉट इनटू बैंक लोन राइट ऑफ्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऋण की राशि बट्टे खाते डालने के सम्बन्ध में कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने प्रत्येक वर्ष बट्टे खाते डाले जाने वाली ऋण की राशि में उत्तरोत्तर कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) चूंकि बैंक ऋण देने वाली संस्थाएं हैं, अतः कुछ अग्रिमों के अशोध्य हो जाने और उसके परिणामस्वरूप सम्बन्धित बैंकों को हानि होने का खतरा इस प्रणाली में बना रहता है। बैंक अपनी देय रकमों की वसूली प्रतिभूतियों की बिक्री से होने वाली उगाही, गारन्टियों की मांग द्वारा बीमा कवचों से वसूल होने वाली रकमों द्वारा तथा सम्बन्धित पार्टियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करवाने आदि जैसी कार्रवाई के जरिए करते हैं। किसी भी ऋण को बट्टे खाते डाले जाने का निर्णय बैंक के पास उपलब्ध कानूनी तथा अन्य उपायों की गुंजाइश समाप्त होने के पश्चात् ही किया जाता है।

सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों को अपने ऋण मूल्यांकन तंत्र को सशक्त बनाने और दिए गए अग्रिमों पर प्रभावी पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखने पर बल देते रहे हैं। बैंकों से कड़ा समय अनुशासन लागू करने का भी अनुरोध किया गया है जिससे अनियमित और रुग्ण खातों का पता चल सके और अशोध्य ऋणों में कमी लाने के प्रभावी उपाय किए जा सकें। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋणों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से, बैंकों से उनके अग्रिमों को, अग्रिमों के स्वास्थ्य के अनुसार एक नियत समय में पृथक श्रेणी में वर्गीकृत करने की प्रणाली स्थापित करने का अनुरोध किया है।

दिल्ली में परिवार न्यायालयों की स्थापना का वकीलों द्वारा विरोध

[अनुवाद]

*140. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में वकीलों के विरोध को ध्यान में रखते हुए परिवार न्यायालय स्थापित करने सम्बन्धी अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक महिला संगठन काफी लम्बे समय से परिवार न्यायालयों की स्थापना की मांग कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के विलम्ब अथवा निर्णय को बदलने का उनकी तरफ से विरोध किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) और (ख) यह विनिश्चय किया गया है कि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करने के विषय पर पुनर्विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) इस बारे में महिला संगठनों से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित पुनर्विचार में सभी सुसंगत पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा।

लाल फीताशाही के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

1390. **श्री शान्ताराम पोटदुखे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 दिसम्बर, 1990 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" नई दिल्ली में "रेड टेप कॉजेज 1600 करोड़ फारेक्स लॉस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने और देश को हो रही इस भारी हानि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोतम भाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समाचार में यह आरोप लगाया गया है कि कोटा, बबराला तथा शाहजहांपुर स्थित तीन गैस आधारित परियोजनाओं के कार्य निष्पादन में विलम्ब परियोजना कार्यान्वयन के अत्यावश्यक क्षेत्र में सरकार की विफलता के कारण हुआ है। यह सही नहीं है क्योंकि ये परियोजनाएं विभिन्न कारणों की वजह से देर से शुरू हुई जिनके लिए केवल सरकार ही उत्तरदायी नहीं है।

समाचार पत्र रिपोर्ट में इन तीनों परियोजनाओं को स्वदेशी निर्मित माल की सप्लाई के सम्बन्ध में माने गए निर्यात का दर्जा दिए जाने का भी उल्लेख है। प्रवृत्त आयात नीति के अनुसार उपर्युक्त परियोजनाएं माने गए निर्यात दर्जे के भीतर नहीं आती हैं।

कर्नाटक में निर्यातोन्मुख इकाइयां

1391. **श्री श्रीकांतदत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कुछ 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयां स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालयों को इस सम्बन्ध में गैर-सरकारी क्षेत्र तथा कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोतम दास पटेल) : (क) से (ग) कर्नाटक में 100% निर्यात अभिमुख एकक स्थापित करने के लिए 13 प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के पास विचाराधीन हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। इन मामलों पर शीघ्र अन्तिम निर्णय लेने हेतु उठाए गए कदमों को भी दर्शाया गया है।

उन 100% निर्यात अभिमुख एकक प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है जिन पर पहले से ही निर्णय ले लिया गया है और कार्यान्वीन हैं।

विवरण-1

कर्नाटक में 100% ई० ओ० यू० स्थापित करने के लिए विचाराधीन प्रस्ताव

क्रम सं०	एकक का नाम	विनिर्माताओं की मद	स्थान	स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स कामथ पैकेजिंग प्रा० लि०	पीपी/पीई/पेपर सैंडविच्छ वैगज	बंगलौर	ये अनुमोदन बोर्ड के सामने रखे गए जिसने यह महसूस किया कि प्रत्येक मामले में आगे ब्यौरे प्राप्त होने पर शीघ्र अन्तिम निर्णय लिया जा सकता है।
2.	मैसर्स आई० टी० सी० लि० कलकत्ता	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	बंगलौर	
3.	मैसर्स हैप्पी ग्रेनाइट्स (आई) प्रा० लि०	ग्रेनाइट स्लैब और टाइलस	मंगलौर	ये प्रस्ताव स्वीकृति बोर्ड के सामने रखे गए लेकिन पूरी जानकारी और सम्बन्धित एजेंसियों की ठोस सिफारिशों के अभाव में इन्हें स्थगित करना पड़ा और अब बोर्ड की अगली बैठकों में इन पर विचार किया जाएगा।
4.	मैसर्स इटल शूज	चमड़े के जते	कोलार	
5.	मैसर्स अपोलो ग्रेनाइट्स (आई)	ग्रेनाइट स्लैब और टाइलस	बंगलौर	
6.	मैसर्स शोनाए ग्रेनाइट्स प्रा० लि०	ग्रेनाइट स्लैब	बंगलौर	
7.	मैसर्स किंगस्टन क्रिसटल्स लि०	ग्रेनाइट स्लैब और टाइलस	टमकुर	इन पर अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में विचार होना है।
8.	मैसर्स चिरमिथ प्रिसिसियन	घड़ी के पेंच	दक्षिण कन्नड़	
9.	मैसर्स कालिशवारा ग्रेनाइट्स प्रा० लि०	ग्रेनाइट स्लैब और टाइलस	चित्रदुर्ग	—यथोक्त—

1	2	3	4	5
10.	मैसर्स नोवा ग्रेनाइट्स (इंडिया)	ग्रेनाइट स्लैब और टाइलस	बंगलौर	इन पर अनुमोदन बोर्ड की अगली बैठक में
11.	मैसर्स डिस्को स्टोन इंडिया (प्रा०) लि०	ग्रेनाइट स्लैब और टाइलस	बंगलौर	विचार होना है।
12.	मैसर्स हबीब ग्रनाइट प्रोसेसिंग	परिष्कृत ग्रेनाइट स्लैब	मांडया	—यथोक्त—
13.	मैसर्स डायनामिक ट्रांसमिशनज	बुशिज	बंगलौर	—यथोक्त—

विवरण-2

वह प्रस्ताव जिन पर अनुमोदन बोर्ड ने निर्णय दे दिए हैं और उन्हें लागू किया जा रहा है

क्रम सं०	आवेदक का नाम	स्थान	विनिर्माण की मद
1	2	3	4
1.	श्री के० एस० नायडु, बंगलौर	मडूर	ग्रेनाइट
2.	मैसर्स येनेपोया मिनरल्स एण्ड ग्रेनाइड्स (प्रा०) लि०	एस० कनारा	ग्रेनाइट
3.	अनामक टैक्नालाजीज प्रा० लि०	बंगलौर	परिधान उत्पादन प्रणाली
4.	मि० एच० जे० एस० स्टोन्स, बंगलौर	बंगलौर	ग्रेनाइट
5.	मै० हबीब ग्रेनाइटस प्रोसेसिंग प्रा० लि०	बंगलौर	ग्रेनाइट स्लैब
6.	मै० मैव इम्पैक्स प्रा० लि० बंगलौर	मालूर	ग्रेनाइट
7.	मै० सुविधा होल्डिंग प्रा० लि०	कोलार	ग्रेनाइट

1	2	3	4
8.	मै० सलीम सलेम डालोराइट्स, नई दिल्ली	तुमकुर	ग्रेनाइट
9.	मै० जी० एस० ए० ग्रेनाइट एक्सपोर्ट	हसन	ग्रेनाइट
10.	श्री एन० सी० सेतिया	कर्नाटक	ग्रेनाइट
11.	मैसर्स ग्लिटलेक ग्रेनाइट्स लि०	बंतवाला	ग्रेनाइट
12.	मैसर्स चोला ग्रेनाइट्स एक्सपोर्टस लि०	बंगलौर	ग्रेनाइट
13.	मैसर्स ग्लिटको ग्रेनाइट्स लि० कलकत्ता	कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र	ग्रेनाइट
14.	मैसर्स ग्रैपको ग्रेनाइट्स लि० कर्नाटक	कर्नाटक	ग्रेनाइट
15.	मैसर्स चामुन्डी प्लास्टो साक्स (प्रा०) लिमिटेड	मैसूर सिटी	एच० डी० पी० ई० से बुने हुए बोरे
16.	मैसर्स कोठारी इंडस्ट्रियल कं० लि० मद्रास	कर्नाटक	एकपारागस
17.	मैसर्स कर्नाटक स्टेट इंड० इन्वेस्टमेंट एण्ड डिवलपमेंट कापो० लि० बंगलौर	बंगलौर	इंटीग्रेटिड सर्किटस
18.	मि० विनय एल० देशपांडे	बंगलौर	कम्प्यूटर प्रणाली का डिजाइन तथा विकास

चावल का निर्यात

1392. **श्री के० एस० राव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बासमती चावल का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन किस्मों का तथा गत तीन वर्षों से किन देशों को बासमती चावल का निर्यात किया गया; और

(ग) इससे वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोतम दास पटेल) : (क) और (ख) बासमती चावल का तीन ग्रेडों अर्थात् स्पेशल ग्रेड, "ए" ग्रेड और "बी" ग्रेड में निर्यात किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बासमती चावल का निर्यात मुख्यतः मध्य पूर्व में सऊदी अरब, कुवैत, यमन अरब गणराज्य, बहरीन तथा ओमान को पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन, नीदरलैण्ड्स, फ्रांस तथा उत्तरी अमरीका में संयुक्त राज्य अमेरिका को किया गया।

(ग) बासमती चावल के निर्यात से निम्नानुसार आय हुई :—

	(करोड़ रु०)
1987-88	339.98
1988-89	333.53
1989-90 (अन०)	412.06

स्रोत : कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय में हिन्दी को प्रोत्साहन

[हिन्दी]

1393. **श्री यादवेन्द्र दत्त** :
श्री नाथू सिंह :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सभी करार फार्मों, निविदा फार्मों और संविदा फार्मों को द्विभाषी (हिन्दी तथा अंग्रेजी) रूप में छापा जाना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में कितनी संविदाएं कार्यान्वित की गई हैं; और

(ग) राजभाषा अधिनियम का समुचित रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोतम दास पटेल) : (क) जी, हां। ये सभी

फार्म हिन्दी और अंग्रेजी में मुद्रित करवा लिए गए हैं।

(ख) पिछले 3 वित्तीय वर्षों में 2368 ठेके हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में जारी किए गए।

(ग) पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, भारत सरकार का केन्द्रीय क्रय संगठन है जिसका मुख्य कार्य ठेके देकर विभिन्न मांगकर्ताओं द्वारा अपेक्षित सामान की खरीद करना है।

अगस्त, 1990 में यह अनुदेश जारी किए गए कि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय में क्रय स्कंध के 93 अनुभागों में से 46 अनुभागों में अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में ठेके जारी किए जाएं। पहले यह कार्य 13 अनुभागों में हो रहा था। इस स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के उचित कार्यान्वयन के लिए इन्हें और अधिक बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं।

सभी सामान्य आदेशों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक अथवा अन्य रिपोर्टों तथा प्रेस विज्ञप्तियों को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में जारी किया जा रहा है। महानिदेशक (पूर्ति तथा निपटान) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति कार्य कर रही है। हिन्दी के प्रयोग को और अधिक बढ़ाने के लिए एक उप-समिति गठित की गई है जिसमें क्रय स्कंध के तीन क्रय अधिकारी हैं। इस उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उप-समिति की सिफारिशों पर विचार किया गया है तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

कम्पनियों का निर्यात लक्ष्य

[अनुवाद]

1394. **श्री इरा अन्बारासु** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निगम तथा कम्पनियां निर्यात बाध्यता के अन्तर्गत निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सके हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने दोषी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ग) देश में शीर्षस्थ 50 निर्यातक संगठनों का ब्यौरा क्या है, इनमें से प्रत्येक संगठन द्वारा किन मदों का निर्यात किया जाता है तथा गत दो वर्षों के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों से एकत्र की जा रही है और उसके प्राप्त होने पर उसे सदन पटल पर रख दिया जाएगा।

अनिवासी भारतीय बाण्ड जारी करके धनराशि जुटाना

1395. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने नर्मदा परियोजना के लिए 1800 करोड़ रुपए जुटाने हेतु अनिवासी भारतीय बाण्ड जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के पास यह योजना कब भेजी गयी थी;

(ग) इसे स्वीकृति देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन सभी योजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) गुजरात सरकार ने अनिवासी भारतीय बाण्ड निर्गम के माध्यम से नर्मदा परियोजना के लिए वित्त जुटाने की अनुमति मांगी है। भारत सरकार ने अन्तर्राज्यीय विवज्ञा तथा लाभ वाली राष्ट्रीय महत्व की वृहत्त परियोजनाओं के लिए वित्त जुटाने के वास्ते अनिवासी भारतीयों को भारत एकता बन्ध पत्र ("इण्डिया यूनिट बाण्ड") जारी करने के बारे में, सिद्धान्त रूप में, सहमति दे दी है।

राजस्थान में खनिजों का दोहन

[हिन्दी]

1396. **श्री कैलाश मेघवाल** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में पाए जाने वाले प्रमुख और अन्य खनिज भण्डारों के नाम क्या हैं और उनके दोहन हेतु जारी किए गए पट्टों का खनिज-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान को गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख और अन्य खनिजों से रायल्टी की पृथक-पृथक कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) उन प्रमुख और अन्य खनिजों के नाम क्या हैं और जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं परन्तु उनका भरपूर दोहन नहीं किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों के दोहन हेतु सहयोग करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत

[अनुवाद]

1397. **श्री रामेश्वर प्रसाद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत अपनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और यह सिद्धांत किस क्षेत्र में लागू किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

बोकारो इस्पात संयंत्र में बिक्री योग्य इस्पात की उत्पादन लागत

1398. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र में बिक्री योग्य इस्पात की उत्पादन लागत कितनी है और उत्पादन लागत का आकलन करते समय किन-किन मदों को शामिल किया जाता है तथा इसमें प्रत्येक मद की प्रतिशतता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या मितव्ययता वाले क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि बोकारो इस्पात संयत्र में अधिकांश उपकरण बेकार पड़े हैं जिससे लागत में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो गत 10 वर्षों, 5 वर्षों, 2 वर्षों और एक वर्ष से अधिक समय से बेकार पड़ी भण्डारण सामग्री और उपकरणों का मूल्य सहित ब्यौरा क्या है, और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इस्पात संयंत्र के सभी सह-उत्पादों को उपयोग में लाया जा रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) अनेक कारक हैं, जैसे :—

(1) कच्ची सामग्री (लगभग 29.4%)

(2) वेतन तथा मजदूरी (लगभग 13%)

(3) बिजली तथा ईंधन (लगभग 8.4%)

(4) भण्डार तथा कल पुर्जे (लगभग 21%)

(5) मरम्मत और अनुरक्षण तथा अन्य कार्य (लगभग 9.5%)

(6) मूल्य ह्रास (लगभग 12%)

(7) ब्याज (लगभग 6.5)

जिनसे कुल उत्पादन लागत की रचना की जाती है। कुल उत्पादन लागत का निर्धारण करते समय इन कारकों की लागतें समय-समय पर घटती-बढ़ती रहती हैं।

(ख) "सेल" ने लागत नियंत्रण/कटौती तथा प्रभावी मितव्ययिता के निम्नलिखित क्षेत्रों/उपायों का पता लगा लिया है :

(i) बिक्रेय इस्पात का वर्धित उत्पादन तथा उन्नत उत्पादकता;

(ii) उत्पाद-मिश्र में विविधता;

(iii) ऊर्जा का निम्नतम उपभोग;

(iv) अपशिष्ट तथा गौण उत्पादन की बेहतर प्राप्ति;

(v) बेहतर उपलब्धता हेतु संयंत्र तथा उपस्करों का उन्नत अनुरक्षण;

(vi) निजी विद्युत उत्पादन का इष्टमीकरण;

(vii) प्रचुर मात्रा में तथा उपयुक्त क्वालिटी के आदानों का सुनिश्चिय;

(viii) सभी स्तरों में लागत संचेतना का अंतर्निवेशन;

(ix) प्रशासनिक खर्चों पर नियंत्रण;

(x) अनुसंधान एवं विकास के प्रबल प्रयास; और

(xi) आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन।

(ग) वित्तीय वर्ष 1989-90 के अन्त में बोकारो इस्पात कारखाने (खानें भी शामिल हैं) में प्रचालनात्मक भण्डार तथा कल पुर्जे के लिए 423 करोड़ रुपए का अन्त अधिशेष रहा। बेकार पड़ी सम्पत्ति-सूची का मूल्य निम्नानुसार है :—

अवधि	मूल्य
एक वर्ष से अधिक के लिए बेकार पड़ी	100.46 करोड़ रुपए
इनमें से	
कुछ मदें जो 2 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बेकार रही	64.85 करोड़ रुपए
कुछ मदें जो 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बेकार रही	27.71 करोड़ रुपए
कुछ मदें जो 10 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बेकार रही	7.41 करोड़ रुपए

ये जोखिम बीमा मदों में शामिल नहीं की जाती है।

बेकार पड़ी मदों के प्रमुख भाग में आयातित कल पुर्जे हैं जिनका लीड टाइम लगभग दो वर्ष है और जो संयंत्र में इस्तेमाल के लिए टेलर-मेड के रूप में हैं। इन कल पुर्जों को किसी तोड़-फोड़ से निपटने के लिए स्टाक में रखना होगा ताकि उत्पादन में भारी क्षति होने से बचा जा सके।

बेकार पड़ी/अचल सम्पत्ति सूची को कम करने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए सम्पत्ति-सूची स्तर की आवधिक समीक्षा;

(2) नये क्रय आर्डरों के प्रस्तुतीकरण के पूर्व सम्पत्ति सूची दृष्टिकोण से सम्पूर्ण संवीक्षा;

(3) सामग्री खरीद आवश्यकता सम्बन्धी पहलू के लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुमति;

(4) ऑयल तथा लुब्रिकेंट की स्पाट सप्लाई के लिए मैसर्स इण्डियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा चालू वित्त वर्ष में कंज्यूमर ओपेरेटिव डिपो हाल ही खोला गया है; और

(5) चालू वित्त वर्ष के दौरान फालतू मदों का निपटान।

(घ) और (ङ) बोकारो इस्पात कारखाने में कोयले के कार्बनीकरण से उत्पन्न सभी संभाव्य उपोत्पादों को संसाधित किया जा रहा है। धातुमल इस्पात कारखाने का एक अन्य उपोत्पाद है जिसकी पुनर्प्राप्ति तथा खरीद की जा रही है। वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 (नवम्बर, 1990 तक) के दौरान उत्पादन इत्यादि के सम्बन्ध में ब्यौरा संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है।

विवरण

उपोत्पादों का उत्पादन

उत्पाद	इकाई	वास्तविक 1989-90	वास्तविक (अप्रैल-नवम्बर, 90) 1990-91
1. कोक ओवन उपोत्पाद :			
क्रूड टार	टन	86758	58908
अमोनियम सल्फेट	टन	27230	17023
सल्फ्यूरिक एसिड	टन	33204	18907
टार डिस्टिल्ड	टन	45385	44476
एच० पी० नेप्थालीन	टन	1302	1547
एक्ट्रा हाई पिच	टन	2945	1940
कुल पिच	टन	29461	28289
साफ्ट पिच	टन	1260	1080
पिच क्रेसोल मिक्स	टन	35391	36281
डीहाइड्रेटेड टार	टन	972	342
मोल्ड कीटिंग वर्निश	टन	380	280
क्रूड बेंजोले	के० एल०	7284	9526
एन० जी० बेन्जीन	के० एल०	6101	6255
एन० जी० टोलीन	के० एल०	675	531
स्टिल बाटम आयल	के० एल०	381	670
वाश आयल	के० एल०	325	1147
2. ग्रैनुलेटेड स्लैग	टन	305474	121639

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं के माध्यम से पेंशन का भुगतान

1399. श्री राम नरेश सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को ऐसे आदेश जारी किए थे कि केन्द्रीय सरकार के पेंशनरों, जो इसकी शाखाओं से पेंशन लेते हैं, की पेंशन उनके खातों में समय पर जमा कर दी जाए, ताकि ये पेंशनर अपनी पेंशन अगले महीने के पहले कार्य दिवस पर प्राप्त कर सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजधानी में भारतीय स्टेट बैंक की कुछ शाखायें, विशेषकर बाह्य क्षेत्रों में इस पेंशन का महीने के अन्तिम कार्य दिवस पर यह बहाना करके कि उनके केन्द्रीय कार्यालय से कम्प्यूटरीकृत मासिक पेंशन विवरण प्राप्त नहीं हुआ है, उनके खातों में जमा नहीं करते हैं, जिस कारण उनके अगले महीने की पहले कार्य दिवस पर पेंशन नहीं मिलती है जिससे उन्हें असुविधा होती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार सिविल पेंशनभोगियों की पेंशन के भुगतान सम्बन्धी योजना के पैरा 12.10 में यह व्यवस्था है कि मार्च के महीने को छोड़कर शेष महीनों की पेंशन सम्बन्धित महीने के अन्तिम कार्य दिवस को क्रेडिट कर दी जाती है जबकि मार्च के महीने की पेंशन पहली अप्रैल को अथवा उसके अगले कार्य दिवस को क्रेडिट कर दी जाती है।

(ग) और (घ) भारतीय स्टेट बैंक, दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय ने सूचित किया है कि दिल्ली में उनकी सभी शाखाएं महीने के अन्तिम कार्य दिवस को पेंशनभोगियों की मासिक पेंशन उनके खाते में जमा कर रही हैं। केन्द्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय, वित्त मत्रालय, व्यय विभाग, नई दिल्ली में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

बेरोजगार युवकों को ऋण

1400. **श्री बालगोपाल मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित कौन-कौन-सी वित्तीय संस्थाएं बेरोजगार युवकों को अपना निजी व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण देती हैं;

(ख) ऋण देने के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है; और

(ग) किसी प्रयोजन के लिए न्यूनतम और अधिकतम कितना ऋण दिया जाता है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार मुहैया कराने की योजना के अन्तर्गत सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा प्रायोजित आवेदनों पर औद्योगिक क्षेत्र के लिए 35,000/- रुपए सेवा क्षेत्र के लिए 25,000/- रुपए और व्यावसायिक क्षेत्र के लिए 15,000/- रुपए तक के मिश्रित ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत पात्र व्यक्तियों को अपना आवेदन जिला उद्योग केन्द्रों को देना होता है जो उन आवेदनों की जांच करते हैं और योजना के अन्तर्गत ऋण उपलब्ध कराए जाने

के वास्ते उन्हें बैंकों को सौंप देते हैं। प्रस्तावों को तकनीकी रूप से सार्थक और आर्थिक रूप से सक्षम पाने के बाद ही बैंक उन्हें ऋण मंजूर करते हैं।

कॉफी का उत्पादन

1401. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन स्थानों पर कॉफी का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार कॉफी के उत्पादन में वृद्धि करने और उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य अदा कर उनकी सहायता करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोतम दास पटेल) : (क) कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में काफी व्यापक रूप से उपजाई जाती है।

(ख) जी, हां। सरकार उत्पादकता में सुधार लाकर काफी का उत्पादन बढ़ाने के उपाय कर रही है।

काफी उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमत दिलाने के लिए बोर्ड पहले से ही ऐसी विपणन कार्य-नीति अपना रहा है कि उत्पादित सारी काफी निपटान के लिए बोर्ड के पास जाती है। इस पद्धति से काफी को बाजार के उतार-चढ़ावों से बचाया जाता है।

प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए मानकों का निर्धारण

1402. **श्री कुसुम कृष्णमूर्ति** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वायु, जल और ध्वनि, प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए कोई मानक निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यावरण सम्बन्धी विषयों के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए औद्योगिक प्रतिष्ठानों, स्वयंसेवी एजेन्सियों और स्वायत्त निकायों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत निम्नलिखित मानक अधि-सूचित किए हैं :—

(1) **उत्सर्जन मानक**

1. सीमेंट
2. पत्थर पिसाई
3. उर्वरक

4. अल्यूमीनियम
5. कैलसियम कारबाइड
6. कारबोन ब्लैक
7. तांबा, सीसा और जस्ता पिघलना
8. नाइट्रिक एसिड
9. सल्फ्यूरिक एसिड
10. लोहा और इस्पात (समन्वित)
11. ताप विद्युत
12. ऐसबेस्टोस
13. क्लोर अलकली (कौस्टिक सोडा)
14. बड़े लुगदी और कागज
15. पुनर्तापीय (रीजरबेरेटरी) भट्टियां
16. फाउण्ड्रियां
17. छोटे बायलर
18. तेल शोधन
19. मोटर वाहन

(2) **बहिस्राव मानक**

1. कौस्टिक सोडा
2. मानव द्वारा तैयार रेशे (सिंथेटिक)
3. चीनी
4. ताप विद्युत
5. सूती कपड़ा उद्योग (कम्पोजिट और प्रसंस्करण)
6. तेल शोधन
7. कम्पोजिट ऊनी मिलें
8. रंगाई और रंगाई माध्यम
9. एलैक्ट्रोप्लैटिंग
10. कोक ओवन
11. सिंथेटिक रबर
12. छोटे कागज और लुगदी
13. फरमेंटेशन

14. उर्वरक

15. चर्मशोधन कारखाने

16. प्राकृतिक रबर

17. समन्वित लौह और इस्पात

18. पेट्रो-रसायन (मूल और आध्यार्त्मिक)

19. फार्मेस्यूटिकल्स उत्पादन और निर्माण

20. कीटनाशक निर्माण और उत्पादन

21. पेंट (अपशिष्ट जल उत्सर्जन)

22. अकार्बनिक रसायन (अपशिष्ट जल विसर्जन)

23. सोना चांदी शोधन (अपशिष्ट जल विसर्जन)

24. रंग और रंगाई (अपशिष्ट जल विसर्जन)

25. बहिस्रावों के विसर्जन के लिए सामान्य मानक ।

(3) शोर के लिए मानक

1. परिवेशी शोर मानक

2. मोटर गाड़ियां (निर्माण अवस्था में)

3. घरेलू उपकरण और निर्माण औजार (निर्माण अवस्था में)

(ग) और (घ) सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियान चलाया है । इसमें विभिन्न क्षेत्रों के पर्यावरणीय मामलों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित विभिन्न गतिविधियां चलाई गई । सरकार संस्थाओं को पर्यावरणीय विषयों पर लक्षित वर्गों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय सहायता भी देती है । केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों द्वारा प्रशिक्षण नियन्त्रण शिविर लगाए जाते हैं जिनमें उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जाता है और उनमें इस बारे में जागरुकता पैदा की जाती है।

काला धन

[हिन्दी]

1403. **श्री राम लाल राही : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कुछ लोग सरकार को काले धन के बारे में जानकारी देते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय राज्यवार ऐसे कितने मामलों की जांच की जा रही है और कब से;

(ग) तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ मामलों की पिछले दस वर्षों या इससे भी अधिक समय जांच की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो राज्यवार, ऐसे मामलों की संख्या कितनी है और इस सम्बन्ध में देरी के क्या कारण हैं; और

(च) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(क) से (ङ) तथाकथित कर-अपवंचन के बारे में सूचना लिखित रूप में वित्त मन्त्रालय में और इसके साथ ही साथ आयकर विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त होती है। व्यक्तिगत रूप से मुखबिर भी विविध आयकर प्राधिकारियों को तथाकथित कर-अपवंचन के बारे में सूचना देते हैं। बड़ी संख्या में इस प्रकार की जो शिकायतें प्राप्त होती हैं, उनकी जांच-पड़ताल की जाती है तथा ऐसे मामलों में आवश्यक पूछ-ताछ की जाती है, जिनमें प्राप्त सूचना के आधार पर पूछ-ताछ किया जाना अपेक्षित हो। पूछताछ के परिणामों का उपयोग कर-निर्धारण अधिकारियों द्वारा संगत कर-निर्धारण की उन कार्यवाहियों में किया जाता है, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 153 के उपबन्धों के अधीन निर्धारित समय के भीतर मुकम्मल की जाती हैं।

जिन मामलों में पूछ-ताछ की जा रही हो, उनकी संख्या के बारे में तथा जितने समय से वे मामले विचाराधीन पड़े हुए हों, उस अवधि के बारे में राज्य-वार आंकड़े प्रस्तुत करना व्यावहारिक नहीं होता है क्योंकि उन्हें समूचे भारत में आयकर विभाग के सभी अधिकारियों के संगत रिकार्डों में से एकत्रित किया जाना होगा।

(च) इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण सम्बन्धी प्रक्रिया

[अनुवाद]

1404. **श्री ए० विजयराघवन** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण सम्बन्धी वर्तमान मानदण्डों व प्रक्रियाओं को बदलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) और (ख) सरकार ने, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उच्च न्यायालय केन्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग स्थापित करने के सम्बन्ध में तारीख 18-5-90 को लोक सभा में संविधान (सड़सठवां संशोधन) विधेयक, 1990 पुरःस्थापित किया है।

थाणे-बेलापुर ज़ोन, मुम्बई में प्रदूषण

1405. **श्री बलवन्त मनवर** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को औद्योगिक एककों द्वारा प्रदूषण फैलाने के बारे में मुम्बई के समीप थाणे-बेलापुर जोन के निवासियों से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो एकक-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने तथा उक्त क्षेत्र से वायु प्रदूषण दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। थाणे बेलापुर क्षेत्र में 27 प्रमुख औद्योगिक इकाइयों की शिनाख्त की गई है। ये इकाइयां इस प्रकार हैं—द इंडिया एल्युमिनियम लि०, मकन्द, प्रिसिशन फास्टनर्स, पोयशा, फिलिप्स, भारत बिजली, सीमैन; पोलियोलेफिन इंडिया लि०, नेशनल आर्गेनिक कैमिकल इंडस्ट्रीज लि०, स्टैंडर्ड अल्कली, यूनाइटेड कार्बन, यूनीक, भारत पुलवरिसिंग मिल्स, सेयर्ले, एच० आई० सी० ओ०, सविता, इण्डोफर्मा, एसके-फाइन, पोलियोलेफिन इण्डिया लि०, —आर० सी० ओ०, लुबरीजोल, फिजर, यूनियन कार्बाइड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम टैंक, हरडिलिया, लण्दन पिल्सनर, बी० ए० एस० एफ०, आटोमोबाइल प्रोडक्ट लि०।

इनमें से कुछ के बारे में इस मन्त्रालय को विशेष शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें स्टैंडर्ड अल्कली में क्लोरीन गैस का रिसना तथा नेशनल आर्गेनिक कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि० की इकाई के प्रस्तावित विस्तार के परिणामस्वरूप होने वाला प्रदूषण शामिल है।

(ग) मानक अधिसूचित किए गए हैं तथा प्रमुख वायु प्रदूषक इकाइयों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर मानकों का पालन करने के लिए निदेश दिए गए हैं। नेशनल आर्गेनिक कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि० के विस्तार कार्यक्रम की इस समय समीक्षा की जा रही है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा उद्योगों को दिया गया ऋण

1406. **श्री के० सी० त्यागी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उद्योगों को कुल कितनी धनराशि का ऋण दिया गया;

(ख) अप्रैल, 1990 की स्थिति के अनुसार इन उद्योगों पर ऋणों की कुल बकाया राशि कितनी थी; और

(ग) इन उद्योगों से देयों को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) गत 3 वर्षों के दौरान अखिल भारतीय वित्तीय संस्थायें नामतः भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा स्वीकृत तथा संवितरित सहायता इस प्रकार है :—

(अवधि अप्रैल-मार्च) (रुपए करोड़ में)

वर्ष	स्वीकृतियां	संवितरण
1987-88	7099.70	5044.88
1988-89	10920.22	6836.66
1989-90	13401.08	7569.99

(ख) मार्च, 1990 के अन्त में इन वित्तीय संस्थाओं के नाम बकाया राशि :—

संस्थान का नाम	बकाया राशि (रुपए करोड़ों में)
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	7890.80
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	4516.78
भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम	5074.97

(ग) चूककर्ता खाते वाली इकाइयों की क्षेत्रवार आवधिक समीक्षा की जाती है और बकाया रकमों की प्राप्ति के लिए सभी स्तरों पर जोरदार कार्रवाई की जाती है। संस्थाएं भी प्रत्येक मामले के आधार पर बकाया की स्थिति की समीक्षा करती हैं तथा बकाया राशि की वसूली के लिए उपयुक्त कार्रवाई करती हैं। जहां तक उन इकाइयों का सम्बन्ध है जो दीर्घावधिक समस्याओं का सामना कर रही हैं, उन सभी सहभागी संस्थाओं/सम्बन्धित बैंकों को, जिन्होंने इनका वित्त पोषण किया है, एकत्र करने के प्रयास किए जाते हैं ताकि एक सम्पन्न पुनर्वास/पुनर्जीवन पैकेज तैयार किया जा सके : अन्तिम उपाय के रूप में बकाया की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।

उन इकाइयों के बारे में जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, औद्योगिक वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड उनके पुनर्वास/परिसमापन के लिए निवारक, सुधारात्मक और उपचारात्मक तरीकों पर विचार करता है एवं संस्थान सभी सम्भव सहायता प्रदान करते हैं।

राजस्थान में सामाजिक वानिकी परियोजना

1407. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान के लिए 39.19 करोड़ रुपए की एक सामाजिक वानिकी परियोजना मंजूर की गई थी;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए विश्व बैंक और यूनाइटेड स्टेट एजेन्सी फॉर इन्डस्ट्रियल डिवलपमेंट (यू० एस० ए० आई० डी०) द्वारा कोई सहायता दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ङ) वर्तमान समय में कार्यान्वयनाधीन ऐसी अन्य परियोजनायें कौन-कौन सी हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) राजस्थान में विश्व बैंक और यूसेड (यू० एस० ए० आई० डी०) द्वारा सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी प्रायोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। प्रारम्भ में इस प्रायोजना को वर्ष 1985-86 से 3-12-1993 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था, तथापि इस प्रायोजना की 31-3-1993 तक अवधि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रायोजना के वास्तविक और वित्तीय ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

प्रायोजना लागत	39,19
मूल्यांकन के स्तर पर सहायता की राशि	25,20 मिलियन अमेरिकी डालर
सितम्बर, 1990 तक वास्तविक व्यय	32,78 करोड़ रुपए
वास्तविक लक्ष्य	1,20,800 हैक्टेयर
सितम्बर, 1990 तक उपलब्धि	79,461 हैक्टेयर

(ङ) राजस्थान में कार्यान्वित की जाने वाली अन्य विदेशी सहायता प्राप्त प्रायोजना, इन्दिरा गांधी नगर क्षेत्र (स्थिति-II) की वनीकरण और चरागाह विकास प्रायोजना है। प्रायोजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्र 61,400 हेक्टेयर है। जैपनीज ओवरसीज इकोनामिक को-आपरेशन फण्ड (ओ० ई० सी० एफ०) के साथ प्रायोजना के समझौते पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाने हैं।

पंजाब में पेयजल प्रदूषण

1408. **बाबा सुच्चा सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में पेयजल के प्रदूषण के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त शिकायतों के समुचित समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां। सरहिन्द नहर में प्रदूषण के बारे में शिकायतें मिली हैं जिससे पीने का पानी भी उपलब्ध होता है। यह प्रदूषण मैसर्स श्रेयंस पेपर मिल्स लि०, मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० तथा भटिण्डा नगर निगम द्वारा अस्थाई तौर पर कूड़ा-करकट/नालियों का पानी छोड़े जाने के कारण होता है।

(ख) मैसर्स श्रेयंस पेपर मिल्स लि० से कहा गया है कि वह अप्रैल, 1990 तक अपने बहिस्रावों को सरहिन्द नहर से दूसरी तरफ मोड़कर भूमि में प्रयोग में लाएं। चूंकि उद्योग इसका अनुपालन करने में असफल रहा, इसलिए 26 जुलाई, 1990 को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत उद्योग को बन्द करने के निदेश जारी किए गए। उद्योग ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। इस मामले की सुनवाई 28 जनवरी, 1991 को होगी। मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०, भटिण्डा ने उपयुक्त बहिस्राव शोधन संयंत्र लगा लिया है और वह निर्धारित मानकों को पूरा कर रहा है।

नगर निगम, भटिण्डा ने 30 जून, 1990 और 1 जुलाई, 1990 को कूड़ा-करकट/नालियों का पानी उस समय सरहिन्द नहर में छोड़ा जब भटिण्डा नगर के निचले क्षेत्र भारी वर्षा के कारण 3 से 4 फुट तक पानी में डूबे हुए थे। जमा हुए पानी को 2 जुलाई, 1990 को पम्प के द्वारा नहर में डाला गया और ग्रामीण जल आपूर्ति स्कीमों के लिए नहर से कच्चा पानी लेना 2 जुलाई, 1990 से 5 जुलाई, 1990 तक बन्द रहा।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के फार्म हिन्दी में मुद्रित करना

[हिन्दी]

1409. **कुमारी उमा भारती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अधिकांश फार्म अंग्रजी भाषा में ही छापे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो केवल अंग्रेजी में कितने फार्म भरने पड़ते हैं;

(ग) विभिन्न योजनाओं के फार्म हिन्दी में भरने की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय यूनिट ट्रस्ट से प्राप्त सूचना के अनुसार, उनके अधिकांश फार्म इस समय प्रचालनात्मक कारणों वश अंग्रेजी में हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यूनिट-धारकों तथा लाभांशों आदि के समय पर भुगतान से सम्बन्धित आंकड़ों का कार्य कम्प्यूटरों की सहायता से किया जाना होता है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट से कहा गया है कि जितना व्यवहार्य हो सके उतने ही अधिक से अधिक फार्म हिन्दी में शुरू करें।

निर्यात निरीक्षण एजेंसी

[अनुवाद]

1410. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तः प्रक्रिया गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणाली के कार्यान्वयन के फलस्वरूप निर्यात निरीक्षण एजेंसी में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो गई है;

(ख) क्या निर्यात निरीक्षण एजेन्सी के अन्तर्गत कोई विस्तार तथा विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो निर्यात निरीक्षण एजेंसी का कर्मचारियों का समुचित उपयोग करने के लिए एवं एजेंसी की कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) यदि अनिवार्य लदान-पूर्व निरीक्षण क्रियाकलापों के क्षेत्र में निर्यात निरीक्षण अभिकरण के कर्मचारी आवश्यकता से अधिक पाए गए तो ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग जहां तक सम्भव हो सकेगा व्यापार और उद्योग को तकनीकी सहायता और परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने में किया जाएगा, ताकि विनिर्माताओं और निर्यातकों में गुणवत्ता के प्रति अधिक जागरूकता पैदा की जा सके और साथ ही उन्हें भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता उन्नत बनाने में समर्थ बनाया जा सके।

आयकर के मामले

1411. **श्री जनकराज गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिकारियों द्वारा वर्ष 1989-90 और वर्ष 1990-91 के दौरान क्षेत्रवार कितने मामलों में ब्यौरा/जानकारी मांगी गयी है;

(ख) विस्तृत जानकारी के मामले निर्धारित करने के लिए विभाग द्वारा क्या मानदण्ड रखे गए हैं; और

(ग) इसका क्या औचित्य है और सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि अधिकारियों को दिए गए अत्यधिक अधिकारों का दुरुपयोग उत्पीड़न के लिए न हो ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। इन आंकड़ों को एकत्र करने में लगने वाला समय तथा श्रम प्राप्तव्य परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) सरकार द्वारा समय-समय पर मानदण्ड तैयार किए जाते हैं, जिनमें से कुछेक मानदण्डों को इसके साथ संलग्न विवरण में दिया गया है। ये मानदण्ड मात्र दृष्टान्तस्वरूप के हैं और न कि व्यापक स्वरूप के।

(ग) मानदण्ड के लिए मूलाधार यह है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि मामलों को चुने जाने में तथ्यपरकता है तथा कर-निर्धारण अधिकारियों ने कर-निर्धारितियों को परेशान करने हेतु अपनी शक्ति का कोई दुरुपयोग नहीं किया है। इस हेतु, उक्त चयन कर-निर्धारण अधिकारी द्वारा उसके पर्यवेक्षी प्राधिकारी की अनुमति के प्राप्त होने के पश्चात् ही किया जाता है।

विवरण

मामलों के चयन हेतु मानदण्ड

1. न्यून सकल लाभ/सकल लाभ/कुल व्यापार में कमी।
2. मामले की पिछली कार्यवाही में प्रतिकूल मुद्दे, जिनमें वे तथ्य-परक मुद्दे भी शामिल हैं, जिन पर कर-निर्धारिती अथवा विभाग पूर्ववर्ती वर्षों में अपील/सन्दर्भ में रहा हो।
3. विशिष्ट बाहरी सूचना, अर्थात्
   (क) शिकायतें
   (ख) स्तानीय पूछ-ताछ
   (ग) धारा 133-क के अधीन सर्वेक्षण अथवा एसे मामले, जो सर्वेक्षण हेतु अनुकूल हों।
4. लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट ने गुणवत्ता का होना, जिसमें धारा 44-क ख के अधीन अनिवार्य कर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट भी शामिल है।
5. लेखा वर्ष में असामान्य लाभ कमाने वाले उद्योग/व्यापार।
6. वस्तुपरक अननुमत्य घटौतियों के दावे, अथवा ऐसी छूटों के दावे, जिन्हें धारा 143(1)(क) के अधीन अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, अथवा छूट-प्राप्त आय के दावे (उदाहरणार्थ, कृषिजन्य आय में असामान्य वृद्धि)।
7. बड़े पैमाने पर पूंजी-निवेश अथवा परिसम्पत्तियों में वृद्धि अथवा कर्ज-देनदारियों में वृद्धि (उदाहरणार्थ, नकद क्रेडिट, सम्पत्ति में पूंजी-निवेश आदि)।
8. एक ही समूह से सम्बन्धित मामलों में विस्तार।
9. घरेलू-खर्चों के लिए न्यून निकासी।
10. विवरणियों को दायर करने में अत्यधिक विलम्ब।
11. बकाया कर-निर्धारण, जिनमें अब तक की गई जांच-पड़ताल से यह पता चलता हो कि उनमें आय-गोपन की सम्भावना है।
12. जांच-शाखा द्वारा संवीक्षा हेतु संस्तुत किए गए मामले।

अफीम का उत्पादन

[हिन्दी]

1412. **श्री मित्रसेन यादव : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अफीम की खेती का क्षेत्र और इसका उत्पादन बढ़ाने का है ताकि विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सके; और

(ख) देश में इस समय कुल कितने क्षेत्र में अफीम की खेती और कुल कितना उत्पादन होता है, उत्पादन के कितने प्रतिशत भाग का निर्यात होता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) सरकार का अफीम की खेती का क्षेत्र बढ़ाने का विचार नहीं है क्योंकि भारतीय अफीम को वैकल्पिक कच्ची सामग्री, अर्थात पोस्त की भूसी के सांद्रण से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप अन्य बातों के साथ-साथ, अफीम के निर्यात में कमी हुई है और अफीम के भंडार में वृद्धि हुई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान अफीम की खेती के कुल क्षेत्र, और उसके कुल उत्पादन, निर्यात किए गए कुल उत्पादन की प्रतिशतता और इसके निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

फसल वर्ष	लाइसेंसशुदा कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	90° सी० पर कुल उत्पादन (मीट्रिक टन)	निर्यात किए गए उत्पादन का प्रतिशत	अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि (करोड़ रुपयों में)
1987-88	22749	580	80.34	19.01
1988-89	15248	490	51.63	14.65
1989-90	14606	413	114.66	23.45
		(अनन्तिम)		(अनन्तिम)

निर्यात किए गए उत्पादन की प्रतिशतता के उपर्युक्त आंकड़ों में वस्तु विनिमय के आधार पर, अर्थात, कोडीन फास्फेट के बदले अफीम का निर्यात करने के आधार पर की गई बिक्री को हिसाब में नहीं लिया गया है। वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के लिए वस्तु विनिमय के आधार पर की गई बिक्री के रूप में निर्यात की मात्रा क्रमशः शून्य, 57.25 मीट्रिक टन और 54.00 मीट्रिक टन है।

आयकर जैसी विभिन्न एजेंसियों को संदिग्ध लेनदेन की खबरें देना

[अनुवाद]

1413. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयकर जैसी विभिन्न एजेंसियों तथा प्रवर्तन प्राधिकारियों को संदिग्ध लेनदेन की खबरें दिए जाने के संबंध में खुफिया संगठनों के लिए मार्गनिर्देश जारी किए जाने की वांछनीयता पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कोई अन्य कदम उठाए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) आयकर विभाग तथा प्रवर्तन निदेशालय, आयकर अधिनियम तथा विदेशी मुद्रा विनियमन के अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत जांच के लिए पंजीकृत विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में बैंकों से सूचना का पता लगाते हैं और प्राप्त करते हैं। बैंकों को इन मामलों में कोई विशेष मार्गनिर्देश जारी करना अपेक्षित नहीं है।

बैंकों में परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आयु-सीमा

1414. **श्री केशरी लाल** : क्या **वित्त मन्त्री** 18 मई, 1990 और 31 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या क्रमश: 9530 और 3781 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने साकारी क्षेत्र के बैंकों में परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आयु-सीमा बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी है जैसा कि सिविल परीक्षा के लिए किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक और इसके सहायक बैंकों में परिवीक्षाधीन अधिकारियों की नियुक्ति हेतु परीक्षा में बैठने के अवसर तीन से बढ़ाकर चार कर दिए हैं जैसाकि सिविल सेवा परीक्षा के मामले में किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) बैंकों में भर्ती प्रणाली सिविल सेवाओं की भर्ती प्रणाली से अलग और भिन्न है। अत: यह आवश्यक नहीं है कि दोनों प्रणालियां बिल्कुल एक समान हों।

कुट्टानाडु के किसानों को दिए गए ऋणों को माफ करना

1415. **श्री पलाई के० एम० मंथ्यू** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को आश्वासन दिया था कि केन्द्रीय सरकार धान के खेतों को बाढ़ से बचाने के लिए बांध के निर्माण हेतु कुट्टानाडु के किसानों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिए गए 9.95 करोड़ रुपए के ऋण को माफ करने की मांग पर विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस ऋण को कब तक माफ किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) केरल भू-विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कुट्टनाडु भू-विकास परियोजना के अन्तर्गत किसानों द्वारा लिए गए ऋण की माफी के लिए केरल राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत केवल सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सरकारी समितियों द्वारा सीधे व्यक्तियों को दिए गए ऋण ही शामिल हैं। केरल भू-विकास निगम जैसी संस्थाओं/निगमों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से दिए गए ऋण इस योजना के अन्तर्गत नहीं आते।

आयात स्थानापन्नता नीति

1416. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घरेलू विकास द्वारा आयात स्थानापन्नता की नीति किस वर्ष से प्रारम्भ की गई है;

(ख) किन-किन इस्पात संयंत्रों में यह नीति अपनाई गई है;

(ग) क्या यह नीति राउरकेला इस्पात संयंत्र में अपनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) और (ख) यद्यपि इस्पात कारखानों द्वारा आयात प्रतिस्थापन पर सर्वदा बल दिया जाता रहा है। वर्ष 1972-74 के दौरान इस उद्देश्य के लिए एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया था। ये कक्ष भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, इस्को इस्पात कारखानों तथा अलाय स्टील्स प्लांट, दुर्गापुर में कार्य कर रहे हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) राउरकेला इस्पात कारखाने में 4269 मदों का, जिनमें मुख्य रूप से कलपुर्जे, उपभोग्य तथा संघटक शामिल हैं, आयात प्रतिस्थापन हेतु पता लगाया गया है। कक्ष ने 3319 मदों की स्वदेशी सप्लाई सुनिश्चित करने में सफलता हासिल की है।

एम० एम० टी० सी० द्वारा जे० एम० टी० से समझौता

1417. **श्री माणिक साम्याल :**
श्री के० राममूर्ति :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 सितम्बर, 1990 के "फाइनेंशल एक्सप्रेस" में एम० एम०टी०सी० आउट आफ कोर्ट सेटलमेंट विद जे० एम० टी० सून" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस समाचार में मुख्यतः न्यायालय के बाहर समझौता, शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया (एस० सी० आई०) के जहाजों को जब्त/कुर्क करने और कथित कार्य के लिए उत्तरदायी एम०एम०टी०सी० के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का उल्लेख है। हालांकि मुद्दइयों को न्यायालय के बाहर समझौता करने की पेशकश की गई थी, परन्तु भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एम०एम०टी०सी०) ने यह पेशकश स्वीकार नहीं की है, क्योंकि एम०एम०टी०सी० इस मामले में संयुक्त राज्य के मामले में बचाव की कार्रवाई कर रहा है। एस०सी०आई० के जहाजों को जब्त/कुर्क करने के संबंध में मुद्दइयों ने दिनांक 3 दिसंबर, 1990 को न्यायालय में एक औपचारिक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया है कि एस०सी०आई० के विरुद्ध दावा जारी रखने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। एम०एम०टी०सी० के कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि इस मामले में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

सोने की शुद्धता

1418. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सामान्यतया 22 कैरेट सोने के आभूषण खरीदना पसंद करते हैं;

(ख) यदि हां तो क्या ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जाने-माने डीलर भी शुद्धता के निर्धारित मानक का पालन नहीं करते हैं जबकि वे ग्राहकों से 22 कैरेट के हिसाब से कीमत वसूल करते हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए सोने के आभूषणों की शुद्धता का मानक 22 कैरेट निर्धारित करने पर विचार करेगी; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम 1968 की धारा 30 को, जो आभूषण पर शुद्धता की मोहर लगाने के लिए थी, अब निरस्त कर दिया गया है। दिनांक 6 जून, 1990 से स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम 1968 निरस्त किया गया है, निरस्त अधिनियम के अन्तर्गत कोई शिकायत नहीं की जा सकती।

(ग) सरकार के समक्ष ऐसा कोई सुझाव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए, प्रश्न ही नहीं उठता।

रुग्ण एककः

1419. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्ण एककों के कार्यकरण और अर्थक्षमता के अध्ययन के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) ने भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम को संचालक एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन रुग्ण एककों को उनकी अर्थक्षमता के अध्ययन के लिए चयन किया गया है; और

(ग) देश में रुग्ण एककों के कार्यकरण की समीक्षा करने और उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने कई अन्य परिचालन एजेंसियों के साथ-साथ भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम को भी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत एक परिचालन एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया है। इस अधिनियम में, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को, उसके पास भेजी गयी अथवा दर्ज करवायी गयी किसी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी के संबंध में, किसी भी परिचालन एजेन्सी से, उसके कार्यकरण की जांच करने अथवा पुनरुद्धार योजना तैयार करने की अपेक्षा करने का अधिकार दिया गया है। तत्पश्चात, औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड से, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 में दी गयी शर्तों के अनुसार, कम्पनी का परिसमापन करने अथवा उसे पुनरुज्जीवित करने अथवा उसका पुनरुद्धार करने के संबंध में उपयुक्त निर्णय लेने की उम्मीद की जाती है। 30 नवम्बर, 1990 तक औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम को 85 मामलों में परिचालन एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया है। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड एक न्यायिक कल्प निकाय के रूप में काम करता है और नियुक्त की गयी परिचालन एजेन्सियां अपनी-अपनी पुनरुद्धार योजनाएं इस बोर्ड को प्रस्तुत करती हैं और सरकार उन रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के मामले में हस्तक्षेप करती है, जो औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के विचाराधीन होते हैं और जिनके मामले में बोर्ड सरकार द्वारा विशिष्ट निर्णय लिए जाने की मांग करता है।

सिंडिकेट बैंक के कर्मचारियों के आवासों के निर्माण में कथित अनियमितताएं

1420. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नई मुम्बई स्थित वासी में कर्मचारियों के आवासों के निर्माण में सिंडिकेट बैंक के अधिकारियों द्वारा दी गई कथित अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है;

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के अन्तर्गत मुख्य तकनीकी निरीक्षक के संगठन ने अपनी

प्रारंभिक जांच में नई मुम्बई स्थित वासी में सिंडिकेट बैंक के कर्मचारी आवासों के निर्माण की गुणवत्ता को असंतोषजनक पाया। मुख्य तकनीकी निरीक्षक ने बैंक से कहा है कि वह आवश्यक उपचारात्मक उपायों के लिए विशेषज्ञों से संपर्क करें। मुख्य तकनीकी निरीक्षक ने अपनी गहन निरीक्षण रिपोर्ट पर बैंक से टिप्पणियां भी मांगी हैं।

मध्य प्रदेश में दिए गए ऋण

[हिन्दी]

1421. **श्री राघवजी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वर्ष 1985-86 से वर्ष 1989-90 के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना और अन्यग्रामीण योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष-वार कितनी धनराशि के ऋण दिए गए हैं;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार इन योजनाओं के अन्तर्गत दिए गए ऋणों की कितने प्रतिशत वसूली हुई है;

(ग) 31 मार्च, 1990 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त अवधि के दौरान दिए गए कुल ऋणों में से कुल कितनी धनराशि देय है;

(घ) क्या सरकार ने इन ऋणों के उचित उपयोग के लिए कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उपमन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) 1985-86 से 1989-90 के दौरान मध्य प्रदेश में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) के कार्यान्वयन से संबंधित सूचना नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपए)

अवधि	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	उपयोग की गई सब्सिडी	संवितरित ऋण
1985-86	249591	36.89	71.00
1986-87	363582	55.16	116.42
1987-88	404·58	78.71	126.57
1988-89	420983	82.62	135.38
·989-90	325995	66.61	93.49

योजना के अन्तर्गत आंकड़ा सूचना प्रणाली प्रश्न के भाग (ख) और (ग) में पूछे गए अनुसार सूचना नहीं देती है।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास विभाग कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति को कारगर बनाने और सुधारने के लिए अक्तूबर, 1985 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन करता रहा है। मध्य प्रदेश राज्य के संबंध में जनवरी, 1989 से सितम्बर 1989 की अवधि के लिए अद्यतन सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :—

1. कार्यक्रम के अन्तर्गत 92 प्रतिशत हिताधिकारियों का चयन अपेक्षानुसार ग्राम सभा द्वारा किया गया था।

2. सहायता प्राप्त 83 प्रतिशत हिताधिकारियों का कहना था कि दी गई परिसंपतियां अच्छी किस्म की थीं।

3. सहायता प्राप्त 95 प्रतिशत हिताधिकारियों का कहना था कि प्रदान की गई सहायता पर्याप्त थी।

4. सहायता प्राप्त परिवारों के मात्र 5.54 प्रतिशत जो साधनहीन और अत्यधिक निर्धन समूहों से संबद्ध है, ने गरीबी की रेखा को पार किया है जबकि ऐसे हिताधिकारियों के लिए राष्ट्रीय औसत 16 प्रतिशत निर्धारित किया गया था।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए किसी व्यक्ति, राज्य सरकार/एजेंसी द्वारा तैयार की गई योजनाओं के लिए बैंक ऋण प्रदान करने के अपने सामान्य क्रियाकलापों के अन्तर्गत वित्तपोषण करते हैं। दिसम्बर 1988 के अन्त तक (अद्यतन उपलब्ध) मध्य प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि, कमजोर वर्गों और प्राथमिक क्षेत्रों को क्रमशः 809.12 करोड़ रुपये, 4 8.28 करोड़ रुपये और 1817 करोड़ रुपये के कुल अग्रिम दिए गए थे।

मध्य प्रदेश में खान मजदूर

1422. **श्री कंकर मुंजारे** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के विभिन्न खानों में असंगठित मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन मजदूरों की नियुक्ति विभागीय तौर पर अथवा ठेकेदारों के माध्यम से की गई है; और

(ग) उनकी नियुक्ति कितनी अवधि के लिए की गई है और उन्हें स्थाई आधार पर नियुक्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बसवराज पाटिल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मंहगाई भत्ते के नगद भुगतान पर प्रतिबन्ध

1423. **श्री एम० एस० पाल** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को वर्ष 1991-92 और तत्पश्चात देय मंहगाई भत्ते का नगद भुगतान पर रोक लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार 1-7-1990 से तथा उससे आगे देय होने वाली मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्तों का भुगतान 3500 रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नकद नहीं किया जाना है बल्कि इसके बजाए उनके अपने-अपने भविष्य निधि खातों में जमा किया जाना है। फिलहाल उपर्युक्त अनुदेशों में कोई तबदीली करने का विचार नहीं है।

गंगा और यमुना में प्रदूषण का स्तर

[अनुवाद]

1424. **श्री शंकर सिंह वघेला :**
डा० ए० के० पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गंगा और यमुना में विभिन्न स्थानों के कितने नमूने लिए गए;

(ख) इनमें किन-किन प्रदूषण तत्वों का पता लगाया गया और वे किस मात्रा तक मानव उपयोग के लिए खतरनाक नहीं हैं;

(ग) संबंधित कार्यकारी योजना पर अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है;

(घ) ऐसी अन्य नदियों के क्या नाम हैं जिनके नमूनों की भी जांच की गई और उनके लिए भी कोई कार्यकारी योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गंगा से लभगग 3700 नमूने तथा यमुना से लगभग 335 नमूने इकट्ठे किए गए हैं।

(ख) प्रदूषण फैलाने वाले जिन प्रमुख तत्वों का पता लगाया गया है। उनमें बायो-केमिकल ऑक्सीजन डिमांड तथा कुल कॉलिफार्म आते हैं। पेय जल में उनकी सुरक्षित सीमा इस प्रकार होनी चाहिए :

प्रदूषक	लाभदायक उपयोग	सुरक्षित सीमा
बायो-केमिकल आक्सीजन डिमांड	पारम्परिक शोधन के बिना पानी पीने में	2 मि० ग्रा०/एल० से कम
कॉलिफार्म	—वही—	50/100 मिली० से कम
बायो-केमिकल आक्सीजन डिमांड	पारम्परिक शोधन के बाद पानी पीने में	3 मि० ग्रा०/एल० से कम
कॉलिफार्म	—वही—	5000/100 मि० ली० से कम

(ग) गंगा कार्य योजना पर 192 करोड़ रुपये का खर्च किया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गंगा और यमुना की निगरानी के लिए कुल 73.14 लाख रुपये खर्च किए गए।

(घ) जिन अन्य नदियों के नमूने एकत्र दिए गए हैं, वे हैं—ब्रह्मपुत्र, सिंधु, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, सुवर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पिन्नार, कावेरी, वैतरणी, पेरियार, चलियार, उल्हास, पम्बा, ताम्बीरापरणी, घाघर, कालदा, मुवट्टुपुझा, कर्मना, कुण्डलिका, कोलक, दमनगंगा, अचनकली, मीनाची और मणिमाला।

कृष्णा, कावेरी तथा नर्मदा के लिए कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं और इन्हें निधियों की उपलब्धता और गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभव के आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा नर्मदा के लिए एक कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है।

(ङ) औद्योगिक तथा घरेलू बहिस्राव के शोधन की स्कीमें भी इन योजनाओं में शामिल हैं।

किसानों के ऋणों पर चक्रवृद्धि ब्याज

[हिन्दी]

1425. **श्री हरगोबिन्द सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिए गए ऋणों पर चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही अथवा छमाही लिया जाता है;

(ख) क्या ऐसी वसूली नियमों के अन्तर्गत अनुमत्य है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार बैंकों को नियमानुसार चक्रवृद्धि ब्याज लेने और नियमों का उल्लंघन करके यदि किसानों से अधिक ब्याज लिया गया है, तो उसे वापस करने का निदेश देगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को, कृषि अग्रिमों पर लिए जाने वाले ब्याज के संबंध में निम्नलिखित हिदायतें जारी की हैं।

(1) कृषि अग्रिमों, चाहे वे अल्पकालीन अथवा सावधि ऋण हों, उनकी वापसी अदायगी का कार्यक्रम इस तरह निर्धारित किया जाना चाहिए कि वह उस समय के अनुरूप हो जब किसान ने अपना उत्पाद बेच दिया हो और उसके पास रकम हो ऋण की किस्तों की अदायगी के समय ही, ब्याज के भुगतान पर जोर दिया जाना चाहिए।

(2) चालू देय रकमों पर लगने वाले ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बनाया जाना चाहिए।

(3) जब फसल ऋण अथवा सावधि ऋणों की किस्तें अतिदेय हो जाती हैं, बैंक मूलधन में बकाया ब्याज जोड़ सकते हैं और ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज में बदल सकते हैं। तथापि किसी खाते के नाम लिखा गया कुल ब्याज, छोटे तथा सीमांत किसानों को दिए गए अल्पकालीन ऋणों के मामले में मूलधन की रकम से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

(4) जिन मामलों में चूक वास्तविक कारणों से होती है, उनमें बैंकों को ऋण की अवधि बढ़ा देनी चाहिए अथवा सावधि ऋणों के तहत, किस्तों का पुनर्निर्धारण करना

चाहिए। जब एक बार ऐसी राहत दे दी जाती है तो उस सूरत में अतिदेय रकमें चालू देय रकमें बन जाती हैं और बैंकों को ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बनाना चाहिए।

(5) उपर्युक्त के अनुसार, वाणिज्यिक बैंक, ऋण खाते पर तिमाही और उससे लम्बे अन्तरालों पर ब्याज लगा सकते हैं।

(ग) बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 21 और 35-क के अन्तर्गत प्रदत्त की गयी शक्तियों के आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक अग्रिमों पर ली जाने वाली ब्याज दरों के बारे में निर्देश जारी करता है और बैंक के लिए इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। अगर भारतीय रिजर्व बैंकों के ध्यान में कोई मामला लाया जाता है, तो उसे संबंधित बैंकों के साथ उठाया जाता है और अगर यह प्रकट हो जाता है कि बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों में निर्धारित ब्याज दरों से अधिक ब्याज लगाया है, तो उस सूरत में बैंक को, ज्यादा लगाये गये ब्याज की रकम ऋणकर्ता को वापस करने के लिए कहा जाता है।

भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक

[अनुवाद]

1426. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक द्वारा लघु औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए क्या मान दण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक द्वारा केरल में 30 सितम्बर, 1990 तक लघु औद्योगिक इकाइयां को कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक की अब तक कितनी शाखाएं खुली हैं और ये शाखाएं कहां-कहां खोली गई हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विग्विजय सिंह) : (क) लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा निर्धारित मानदण्ड अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग हैं। लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए कुछ प्रमुख योजनाओं के संबंध में ऐसे मानदण्ड नीचे दिए गए हैं :—

1. पुनर्वित्त योजना

(i) **ऋण इक्विटी अनुपात** : 3 : 1

(ii) **प्रवर्तकों का अंशदान** : परियोजना लागत के 10% से 22.5% तक जो एकक के स्थान और ऋणकर्ता की श्रेणी पर निर्भर करता है।

(iii) **वापसी अदायगी अवधि** : लचीली। यह आंतरिक निधियों के सृजन की राशि से वापसी की क्षमता के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(iv) **ब्याज दर** : दो स्तरीय प्रणाली का ब्याज ढांचा, जिसके अन्तर्गत पहला स्तर कार्यान्वयन अवधि या 2 वर्षों के दौरान लागू होगा, इनमें से जो भी कम हो।

2. बीज पूंजी सहायता

(i) **ऋण इक्विटी अनुपात**— 2 : 1

(ii) **प्रवर्तकों का अंशदान** : जैसे कि पुनर्वित्त योजना पर लागू है।

(iii) **वापसी अदायगी की अवधि** : 5 वर्ष की आरंभिक अधिस्थगन अवधि के साथ एकक की वापसी अदायगी क्षमता पर निर्भर। वापसी अदायगी की अवधि राज्य वित्तीय निगम/राज्य औद्योगिक विकास निगम से लिए सावधि ऋण की अवधि से अधिक नहीं होगी।

(iv) **ब्याज दर** : कुछ नहीं। केवल 1% वार्षिक दर से देय सेवा प्रभार।

3. विशिष्टतः प्राप्त विपणन एजेंसियों को प्रत्यक्ष सहायता देने की योजना

(i) **ऋण इक्विटी अनुपात**—2 : 1

(ii) **प्रवर्तकों का अंशदान**—25%

(iii) **वापसी अदायगी अवधि** : 10 वर्ष (2 वर्ष की प्रारंभिक अधिस्थगन अवधि सहित)

(iv) **ब्याज दर** : 15% वार्षिक।

4. बिल पुनर्भुनाई योजना

(i) **अग्रिम/तुरन्त अदायगी** : 10%

(ii) **रियायती दरें** : 6 महीने और अधिक की समाप्त न हुई अवधि के बिलों/प्रोनोटों के लिए एक समान दरें।

	पुनर्भुनाई (प्रतिशत वार्षिक)	भुनाई (प्रतिशत वार्षिक)
सामान्य*	10.25	1.50
एस०ई०बी०/एस०आर०टी०सी०	10.50	1.25
अंगूरी शराब/ब्रीवरी/माल्ट	12.50	3.50

*एस० आर० टी० ओ० पर भी लागू होगा।

5. बिलों की प्रत्यक्ष भुनाई

(i) **भुनाई की दर**—(क) 6 महीने से 60 महीने की समाप्त न हुई अवधि—11.0%

(ख) 6 महीने से 60 महीने से अधिक लेकिन 84 महीनों तक की समाप्त न हुई अवधि—10.5%

(ii) **तुरन्त अदायगी**—अन्तरण के मूल्य का 10%।

(ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने दिनांक 2 अप्रैल, 1990 से अपना कार्य करना शुरू किया। अप्रैल-सितम्बर 1990 के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने केरल में लघु उद्योग क्षेत्र को अपनी पुनर्वित्त योजना और बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत क्रमश: 37.80 करोड़ रुपए और 37.83 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की तथा संवितरित की।

(ग) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का प्रधान कार्यालय लखनऊ में है और निम्नलिखित दूसरे केन्द्रों में इसके 26 कार्यालय हैं :—

1. अगरतल्ला	2. अहमदाबाद
3. आईजवाल	4. बंगलूर
5. भोपाल	6. भुवनेश्वर
7. बम्बई	8. कलकत्ता
9. चंडीगढ़	10. कोचीन
11. दिमापुर	12. गंगतोक
13. गुवाहाटी	14. हैदराबाद
15. इम्फाल	16. इटानगर
17. जयपुर	18. जम्मू
19. कानपुर	20. मद्रास
21. नई दिल्ली	22. पटना
23. पणजी	24. पांडिचेरी
25. शिलांग	26. शिमला

कॉफी का मूल्य

1427. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी के मूल्य स्थिर हैं;

(ख) क्या 1990 के अन्तिम त्रैमास अर्थात् सितम्बर-नवम्बर, 1990 की अवधि के दौरान कॉफी का निर्यात बढ़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) कॉफी के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिरता और उतार-चढ़ाव बना हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सिक्कों का उत्पादन

1428. **श्री राम नाईक :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने बम्बई, हैदराबाद और कलकत्ता स्थित तीन टकसालों से वर्ष-वार कुल कितने सिक्कों के उत्पादन की मांग भेजी थी और उक्त अवधि के दौरान वस्तुतः कितना उत्पादन किया गया और बैंक को उसमें से कितने सिक्के प्राप्त हुए;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस अवधि के दौरान सिक्कों की कमी है;

(ग) क्या इन तीनों टकसालों के वर्ष 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के प्रोफार्मा लेखे तैयार हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके लिए निर्धारित समयबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद में स्थित तीन टकसालों के अतिरिक्त, जुलाई, 1988 में नोएडा में भी एक चौथी टकसाल स्थापित की गई थी। चारों टकसालों के बारे मे अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

(आंकड़े दस लाख अदद में)

वर्ष	भारतीय रिजर्व बैंक की मांग	चार टकसालों द्वारा वार्षिक उत्पादन	भारतीय रिजर्व बैंक को वास्तविक पूर्ति
1987-88	3475	2945	3210
1988-89	3665	3183	3402
1989-90	2800	2834	2520

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सिक्कों की कोई कमी नहीं थी। भारतीय रिजर्व बैंक की वास्तविक आवश्यकताओं की, जो मांग की गई मात्रा से कम थी, पूर्णतः पूर्ति की गई थी।

(ग) और (घ) तीन टकसालों के सम्बन्ध में प्रोफार्मा लेखों से संबंधित स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष	हैदराबाद	कलकत्ता	बम्बई
1986-87	पूरे कर दिए गए।	पूरे कर दिए गए।	अप्रैल, 91 तक पूरे होंगे।
1987-88	पूरे कर दिए गए।	पूरे कर दिए गए।	अक्तूबर 91 तक पूरे होंगे।
1988-89	मार्च, 91 तक पूरे होंगे।	मार्च, 91 तक पूरे होंगे	अक्तूबर, 91 तक पूरे होंगे।

नवम्बर, 1984 के दंगा पीड़ितों से बैंक ऋणों की वसूली

1429. **श्री निर्मल कांति चटर्जी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को दिल्ली में नवम्बर, 1984 के दंगा पीड़ितों से कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सिविल न्यायालयों के माध्यम से एक-मुश्त बैंक ऋणों की वसूली करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) नवम्बर, 1984 के दंगों से प्रभावित बैंकों के ऋणकर्ताओं से सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक को उन्हें पेश आने वाली कठिनाइयों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे नवम्बर, 1984 के सभी दंगा पीड़ित ऋणकर्ताओं को स्वीकृत ऋण सुविधाओं को गुण-दोषों के आधार पर समीक्षा करें और उन्हें उचित राहत प्रदान करें। शिकायतों/अभ्यावेदनों पर संबंधित बैंकों द्वारा उपचारी कार्रवाई के लिए विचार किया जाता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के प्रकाश में मामलों की समीक्षा की जाती है।

निर्यात गृह प्रमाणपत्रों का नवीकरण

1430. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987, 1988, 1989 और 1990 की 31 मार्च को समाप्त हुए पिछले निर्यात गृह प्रमाणपत्रों के नवीकरण हेतु वर्ष 1989-90 के दौरान अलग-अलग कितने-कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कितने निर्यात गृह प्रमाणमत्रों का नवीकरण किया गया;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने मामले अस्वीकार किए गए; और

(घ) दिनांक 31 दिसम्बर 1990 को कितने मामले लम्बित पड़े थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जिन मामलों के सम्बन्ध में प्रमाणपत्र निम्नलिखित तारीखों को समाप्त हो गए हैं, उनके नवीकरण के लिए वर्ष 89-90 के दौरान प्राप्त हुए कुल आवेदनपत्रों का ब्यौरा :—

31-3-87	9
31-3-88	10
31-3-89	191
31-3-90	2

(ख)

1989-90	1990-91
191	93

(ग) 1989-90 1990-91

93 31

(घ) 88

राउरकेला इस्पात संयंत्र में भर्ती

1431. **श्री डी० अमात :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राउरकेला इस्पात संयंत्र में सीधे, रोजगार कार्यालयों के माध्यम से और ठेकेदारों द्वारा कितने श्रेणीवार श्रमिक भर्ती किए गए;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान श्रेणीवार कितने व्यक्ति सेवा से हटाए गए; और

(ग) करुणा मूलक आधार पर श्रेणीवार कितने श्रमिकों को रोजगार दिया गया ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा भर्ती किए गए गैर-कार्यपालकों की संख्या के साथ-साथ उसी अवधि के दौरान नौकरी से हटाए गए व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	ग्रुप	ग्रुप भर्ती किए गए गैर-कार्यपालक कार्मिक की संख्या			नौकरी से हटाए गए व्यक्तियों की संख्या
		विज्ञापन द्वारा	रोजगार कार्यालय द्वारा	करुणामूलक आधार पर	
1988	बी	1	शून्य	शून्य	2
	सी	15	266	165	95
	कुल	16	266	165	97
1989	बी	1	शून्य	शून्य	शून्य
	सी	1	173	43	37
	कुल	2	173	43	37
1990	बी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सी	शून्य	383	203	2
	कुल	शून्य	383	203	2

चूंकि ठेकेदार नियोक्त होते हैं, इसलिए ठेका श्रमिकों के सम्बन्ध में राउरकेला इस्पात संयंत्र ब्यौरे नहीं रखता है।

ओवरड्राफ्टों की मंजूरी

1432. **श्री चित्त महाता :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से ओवरड्राफ्टों को मंजूरी प्रदान करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सरकार को राज्य सरकारों से राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में उनकी हकदारियों को करों में उनके हिस्से को तथा अनुदानों आदि को अग्रिम रूप से रिलीज करने के लिए समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं ताकि वे भारतीय रिजर्व बैंक के पास अपने ओवरड्राफ्टों को क्लिअर कर सकें। चालू वर्ष में अब तक विभिन्न अवसरों पर 14 राज्यों को लगातार 7 कार्य दिवसों को निर्धारित सीमा के भीतर उनके ओवरड्राफ्टों को क्लिअर करने के लिए अग्रिम रूप में रिलीज दी गई हैं।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों के लेखाओं की लेखा परीक्षा

1433. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के माध्यम से राष्ट्रीयकृत बैंकों के लेखाओं की समुचित लेखा परीक्षा कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

चम्पारन के लिए विश्व बैंक की सहायता

1434. **श्री धर्मेश प्रसाद वर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम और पूर्व चम्पारन जिलों के विकास के लिए बिहार को विश्व बैंक ने कोई सहायता दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए शुरू की जाने वाली परियोजनाओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

1435. **श्री जगपाल सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों ने भारत में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कुल कितना-कितना पूंजी निवेश किया है;

(ख) अनिवासी भारतीयों को क्या-क्या रियायतें दी गई हैं;

(ग) क्या इनको दी गई रियायतों से अनुकूल प्रभाव हुआ है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में अपनी नीति में परिवर्तन करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) से (घ) : प्रत्यक्ष निवेश पोर्टफोलियो निवेश, बैंक निक्षेपों तथा गैर-प्रत्यावर्तनीय बंध-पत्रों सहित अनेक आकर्षक योजनाओं का प्रतिपादन किया गया है । वे भारत में विभिन्न प्रकार की आय के लिए विशेष कर-व्यवहार के पात्र भी होते हैं । प्रक्रिया को सुकर बनाने और अनिवासी भारतीयों के क्षोभ को दूर करने के लिए समय-समय पर इन योजनाओं और प्रोत्साहनों की समीक्षा की जाती है ।

विवरण

अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेश

(धनराशि करोड़ रुपए में)

	31-3-87	31-3-88	31-3-89	31-3-90
1	2	3	4	5
I. प्रत्यावर्तन आधार पर प्रत्यक्ष निवेश (अनुमोदित प्रस्ताव)				
(i) 40% स्कीम	829.31	989.33	1186.22	1373.49
(ii) 74% स्कीम	54.55	72.53	83.17	92.07
II. गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर प्रत्यक्ष निवेश	138.38	202.30	254.16	302.68
III. पोर्टफोलियो निवेश (शेयरों/ ऋण-पत्रों की वास्तविक खरीद)				
(i) प्रत्यावर्तन	53.03	64.32	70.99	73.20

1	2	3	4	5
(ii) बिना-प्रत्यावर्तन	0.95	1.91	1.75	2.63
IV. भारतीय कम्पनियों में निक्षेप	26.10	26.29	27.43	27.43
बैंक-निक्षेप (एन० आर० ई०/ एफ० सी० एन० आर० खातों में बकाया शेष)	7847.31	10170.74	13971.00	17831.00

टिप्पणी :—आंकड़े संचयी हैं ।

त्रिवेन्द्रम में स्टाक एक्सचेंज

1436. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम में एक स्टाक एक्सचेंज की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यह स्टाक एक्सचेंज कब तक चालू हो जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) त्रिवेन्द्रम में एक स्टाक एक्सचेंज की स्थापना के लिए सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

(ख) और (ग) नए एक्सचेंजों की स्थापना के लिए सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा एक अध्ययन दल हाल ही में गठित किया गया है । अध्ययन दल की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, सरकार रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर लिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए नए स्टाक एक्सचेंजों की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार करेगी ।

नए उद्यमियों को रियायतें

1437. **श्री के० सी० कुप्पुस्वामी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये उद्यमियों को निर्यात और आयात सम्बन्धी शुल्क में 25 प्रतिशत रियायत दिये जाने की अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के सभी उद्यमियों को यह सुविधा समान रूप से नहीं दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) नए उद्यमियों को गुणावगुण के आधार पर यह सुविधा दी जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दी अनुवादकों का वेतनमान

1438. **डा० भगवानदास राठौर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथे वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि हिन्दी अनुवादकों का वेतनमान केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में सहायकों के वेतनमान के बराबर होना चाहिए;

(ख) क्या सहायकों के वेतनमान के बराबर लाने के लिए अनुवादकों के वेतनमान में संशोधन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं; और

(घ) अनुवादकों को कौन सा वेतनमान और किस तारीख से दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) हालांकि चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग ने यह शर्त नहीं रखी थी कि हिंदी अनुवादकों का वेतनमान केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में सहायकों के बराबर होना चाहिए फिर भी आयोग ने सहायकों के पद के लिए जिस वेतनमान की सिफारिश की थी हिन्दी अनुवादकों के लिए भी उसी वेतनमान अर्थात 1400—2600 रु० की सिफारिश की थी। वेतन आयोग ने वरिष्ठ हिंदी अनुवादकों के लिए 1640—2900 रु० के वेतनमान की सिफारिश की थी।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सहायकों के वेतनमान को विसंगति दूर करने के लिए संशोधित किया गया था। चूंकि हिन्दी अनुवादकों के वेतनमान में ऐसी कोई विसंगति नहीं है इसलिए उनके वेतनमान में और संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों तथा वरिष्ठ हिंदी अनुवादकों के लिए निर्धारित संशोधन वेतनमान 1-1-86 से दिए गए थे।

मारुति डीलरों से सावधि जमा रसीदों का पकड़ा जाना

1439. **श्री राम सागर (सैदपुर)** :
श्री पी० आर० कुमारमंगलम :
श्री नन्दलाल मोणा :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आयकर अधिकारियों ने चालू वर्ष के दौरान मारुति डीलरों से बड़ी संख्या में विभिन्न नामों की सावधि जमा की रसीदें पकड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा हाल में पकड़ी गयी सावधि जमा रसीदों का, डीलर-वार, ब्यौरा क्या है;

(ग) सावधि जमा रसीद जारी करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(घ) कितनी सावधि जमा रसीदें अब तक जारी की गई हैं;

(ङ) क्या सावधि जमा रसीदों के मालिकों को जब्ती के बारे में सूचित किया गया है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या बड़ी संख्या में जाली नामों की सावधि जमा रसीदें भी जारी की गई हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या बैंक पास बुक इत्यादि प्रस्तुत करने के मामले में आयकर अधिकारियों द्वारा वास्तविक सावधि जमा रसीद धारकों को परेशान किए जाने के उदाहरण सरकार की निगाह में आए हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) आयकर अधिनियम की धारा 132 के अधीन दिल्ली मे सात मारुति डीलरों के परिसरों की तलाशियां ली गयीं तथा आयकर अधिनियम की धारा 132(3) के अधीन ऐसे विविध व्यक्तियों के नाम की सावधि जमा रसीदों को रोक लिया गया, जिन्होंने मारुति वाहनों को बुक करवाया था। जिन व्यक्तियों के नाम में उक्त सावधि जमा रसीदें धारित हैं, उन व्यक्तियों की पहचान करने तथा पूंजी-निवेश के स्रोत का पता लगाने से संबंधित जांच-पड़ताल किए जाने के पश्चात वास्तविक व्यक्तियों की सावधि जमा रसीदों को छोड़ दिया गया। दिनांक 31 दिसंबर, 1990 तक रोकी गई, छोड़ी गई तथा अभिगृहीत की गई सावधि जमा रसीदों का डीलर-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र० सं०	डीलर का नाम	धारा 132(3) के अधीन रोकी गई सावधि जमा रसीदों की संख्या	सावधि जमा रसीदों की संख्या, जिनमें रोके जाने विषयक आदेश हटा लिया गया	धारा 132(1) के अधीन अभिगृहीत की गई सावधि जमा रसीदों की संख्या
	मैसर्स			
1.	विकास मोटर्स (प्रा०) लि०	2616	1829	122
2.	अगनाल ट्रेडर्स (प्रा०) लि०	2725	1758	53
3.	क्लासिक मोटर्स (प्रा०) लि०	2130	1352	93
4.	काम्पिटेंट आटोमोबाइल्स (प्रा०) लि०	2333	1503	—
5.	गंगा आटोमोबाइल्स (प्रा०) लि०	3774	1962	—
6.	साया आटोमोबाइल्स (प्रा०) लि०	1314	774	50
6.	सिकंद एंड कं० (प्रा०) लि०	2514	1393	—

(ङ) सावधि जमा रसीदों के मालिकों को उनकी सावधि जमा रसीदों को रोके जाने के बारे में सूचित कर दिया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) सावधि जमा रसीदों के वास्तविक धारकों को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया गया है। चूंकि एक बड़ी संख्या में सावधि जमा रसीदों को रोका गया है, इसलिए उनके सत्यापन के बारे में कुछ समय लगा है। जैसे ही सत्यापन का कार्य मुकम्मल हो जाएगा, वास्तविक सावधि जमा रसीदों को छोड़ दिया जाएगा।

धौली गंगा परियोजना के साथ-साथ ट्रांसमीशन लाइन बिछाना

[हिन्दी[

1440. **श्री हरीश रावत** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने धौली गंगा परियोजना के साथ-साथ एक ट्रांसमीशन लाइन बिछाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, नहीं। धौलीगंगा पन विद्युत परियोजना के लिए 400 किलोवाट ट्रांसमीशन लाइन बिछाने के संबंध में प्रस्ताव सितम्बर, 1990 में प्राप्त हुआ था। चूंकि यह प्रस्ताव अधूरा था और उसमें अनिवार्य ब्यौरे नहीं दिए गए थे, इसलिए उसे 12-2-90 को राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया। इस मामले पर राज्य सरकार से पूरी सूचना प्राप्त हो जाने पर ही विचार किया जा सकता है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा उड़ीसा में पूंजी-निवेश

[अनुवाद]

1441. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश को, विशेष रूप से उड़ीसा में, प्रोत्साहन देने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है अथवा तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

समुद्री खाद्य का निर्यात

1442. **श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री खाद्य उद्योग के कुछ अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा उन तरीकों और साधनों का अध्ययन करने के लिए की थी जिनसे वहां समुद्री खाद्य बेचा जा सके;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय किन-किन देशों को भारत से समुद्री खाद्य उत्पादों का कितना-कितना निर्यात किया जा रहा है;

(घ) समुद्री उत्पाद के किन-किन प्रमुख मदों का निर्यात हो रहा है; और

(ङ) समुद्री खाद्य को पैक करने, उसे जहाज से भेजने और उसके बारे में विज्ञापन देने के लिए नई प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) मध्यम और उच्च स्तर के पन्द्रह अधिकारियों ने, जिनमें से पांच समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से और शेष समुद्री खाद्य व्यापार से थे, किंग्सबर्ग कालेज, ब्रूकलिन, संयुक्त राज्य अमरीका में 12 सप्ताह के उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था ।

(ख) कार्यक्रम में भाग लेने गए अधिकारी कार्यक्रम के समापन के पश्चात अभी ही भारत लौटे हैं । ये अधिकारी यथासमय रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे देंगे ।

(ग) निम्नलिखित तालिका अपेक्षित जानकारी को दर्शाती है :

(मी० टन में)

देश	1988-89	1989-90
1	2	3
जापान	30742	35811
संयुक्त राज्य अमरीका	13802	13531
इंग्लैंड	7695	6883
स्पेन	11039	10808
सिंगापुर	9480	6329
फ्रांस	5529	4768
यूनान	3190	3302
नीदरलैंड	2624	1200
इटली	3881	4116

1	2	3
संयुक्त अरब अमीरात	1290	997
कुवैत	1001	1458
श्रीलंका	2737	3603
बेल्जियम	1353	1270
अन्य	9782	5701
कुल	110843	99777

(घ) भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख समुद्री खाद्य मदें हैं :

फ्रोजन श्रिम्प, फ्रोजन लोबस्टर टेल्स, फ्रोजन कटलफिश, फैश/फ्रोजन फिश, फ्रोजन एक्वीड, सूखी मछलियां, शार्क फिन्स/फिस मांस तथा अन्य विधि किस्में ।

(ङ) सरकार समुद्री उत्पाद की कुछ मदों को नकद मुआवजा सहायता की अनुमति देती है, ताकि उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगी बनाया जा सके । जो उत्पादक प्रायोगिक विपणन के लिए नमूने वायुयान द्वारा भेजते हैं, उन्हें एमपीडा प्रति वर्ष प्रति निर्यातक को अधिकतम 5000 रु० भाड़े पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति करता है ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के नई दिल्ली स्थित शाखा बिक्री कार्यालय द्वारा इस्पात सामग्री का वितरण

1443. **श्री बी० एन० रेड्डी :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के नई दिल्ली स्थित शाखा बिक्री कार्यालय द्वारा वितरण परिपत्र, जोकि प्रत्येक व्यवसायी की बुकिंग क्षमता अधिकतम 200 मीट्रिक टन प्रति सैक्शन पर सीमित करता है, की अवहेलना करते हुए एक विशेष कारखाने के लिए अप्रैल से जून, 1990 तक की तिमाही के लिए ट्रेड बुकिंग से 6500 मीट्रिक टन की चादरें बुक की थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त ट्रेड बुकिंग के लिए कम्प्यूटर सारांश निकाला गया था, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या "स्लो मूविंग सेक्शन" को बाद में "फास्ट मूविंग सेक्शन" में बदला गया, यदि हां, तो कौन-कौन से सेक्शन व मात्राएं 6500 मीट्रिक टन बुकिंग पर कौन से सेक्शन तथा कितने मात्रा में बदले गए और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) और (ख) अप्रैल-जून, 1990 की तिमाही के दौरान कुछ सेक्शनों/क्वालिटी की प्लेटों की अनुमानित उपलब्धता सेल के पात्र उप-

भोक्ताओं की प्रमाणित मांग की अपेक्षा अधिक थी। पूर्ववर्ती प्रमाणित आर्डरों की संपूर्ण प्रत्याशित उपलब्धता को पूरा करने को ध्यान में रखते हुए "सेल" द्वारा, मैसर्स खंडेलवाल आयरन स्टोर सहित सभी इच्छुक उपभोक्ताओं से मांग पंजीकरण स्वीकृत किए गए थे। अप्रैल-जून, 1990 की तिमाही के लिए मैसर्स खंडेलवाल आयरन स्टोर के संबंध में विभिन्न मोटाई की चादरों के लिए सेल के शाखा विक्रय कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा बुक किए गए आर्डरों की कुल मात्रा लगभग 6500 मीट्रिक टन है।

"सेल" का प्रश्न में यथा संदर्भित, कोई वितरण परिपत्र नहीं है।

(ग) विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा शाखा विक्रय कार्यालय, "सेल", नई दिल्ली में पंजीकृत कराई गई लोहे तथा इस्पात की मांगों का कम्प्यूटर के माध्यम से संक्षेपण किया जाता है, यदि उनका तिथि समाप्त होने के पूर्व अर्थात आगामी तिमाही की शुरुआत के 60 दिन पूर्व मांग पंजीकरण कराया गया हो। तिथि समाप्ति के पश्चात् किए गए मांग पंजीकरणों का संक्षेपण हाथ से तैयार किया जाता है। प्रश्नगत प्लेटों के लिए मांग पंजीकरण को सामान्य तिथि की समाप्ति के पश्चात भी सेल द्वारा खुला रखा गया था, अतएव उसका संक्षेपण हाथ से तैयार किया गया था।

(घ) जी, नहीं।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा निविदायें आमन्त्रित करने तथा खोलने में तथाकथित अनियमिततायें

[हिन्दी]

1444. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा जी० आई० पाइप की खरीद के लिए निविदाएं आमन्त्रित करने तथा इन्हें खोलने में बरती गई तथाकथिक कुछ अनियमितताओं की बातें सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

बैंक क्लर्कों के चयन की प्रक्रिया

[अनुवाद]

1445. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लिपिक संवर्ग में नियुक्ति हेतु बैंकिंग सेवा आयोग लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक छह उम्मीदवारों में से अन्तिम रूप से एक उम्मीदवार का चयन करता है;

(ख) क्या इस प्रक्रिया के फलस्वरूप लिखित परीक्षा में कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों का साक्षात्कार के कारण अंतिम रूप से चयन कर लिया जाता है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रथा को समाप्त करने और बल लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार योग्यता सूची के अनुसार लिपिक संवर्ग में नियुक्ति करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लिपिकीय संवर्ग में भर्ती के लिए अभ्यर्थियों का अन्तिम रूप से चयन, अभ्यर्थी द्वारा लिखित एवं साक्षात्कार दोनों में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता है। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से साधारणतया 3 गुना होती है। साक्षात्कार के लिए कोई न्यूनतम अर्हता अंक नहीं हैं। तथापि, जो अभ्यर्थी साक्षात्कार में उच्च अंक प्राप्त करता है, वह अन्तिम योग्यता क्रम सूची में ऊपर जा सकता है। ऐसी भर्तियों के लिए साक्षात्कार को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान में स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋण

[हिन्दी]

1446. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अब तक कितने युवाओं को ऋण दिया गया है;

(ख) किन-किन बैंकों ने उक्त ऋण दिया है और प्रत्येक बैंक द्वारा कितना ऋण दिया गया है;

(ग) अब तक इन ऋणों में से कितने प्रतिशत धनराशि वसूल की जा चुकी है; और

(घ) क्या ऋणों की वसूली न होने का कोई प्रभाव भविष्य में इस योजना के लाभार्थियों पर पड़ेगा और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना और शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में हिताधिकारियों की संख्या और विभिन्न बैंकों द्वारा संवितरित राशि संलग्न विवरण में दी है।

(ग) बैंक आफ बड़ौदा, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस० एल० बी० सी०) ने सूचित किया है कि इन योजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान में ऋणों की वसूली प्रतिशतता वर्ष 1988-89 के लिए 15% से 25% तक अलग-अलग रही।

(घ) बैंकों को हिताधिकारियों से ऋणों की वसूली करना अपेक्षित होता है और चूककर्ताओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने सहित ऐसी कार्रवाई करनी होती है जिसे उपयुक्त समझा जाता है। ऋण राशियों का संवितरण करने वाले बैंक, जो इन योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, मंजूरियों, संवितरणों और वसूलियों से सम्बन्धित स्थिति की बारीकी से निगरानी करते हैं।

विवरण

शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना और शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में हिताधिकारियों की संख्या और विभिन्न बैंकों द्वारा संवितरित राशि

(रुपए करोड़ में)

बैंक का नाम	एस०ई०ई०यू०वाई		एस०ई०पी०यू०पी०	
	हिताधिकारियों की संख्या	संवितरित राशि	हिताधिकारियों की संख्या	संवितरित राशि
भारतीय स्टेट बैंक	4514	8.32	5901	2.28
स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	17291	31.67	27791	1049
इलाहाबाद बैंक	610	1.11	888	0.34
आंध्रा बैंक	43	0·90	27	0.07
बैंक आफ बड़ौदा	7256	9.78	8595	3.20
बैंक आफ इण्डिया	1114	2.16	1538	0.62
केनरा बैंक	182	0.36	942	0.41
सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	3120	7.44	3336	1.36
इण्डियन बैंक	181	0.40	459	0.19
न्यू बैंक आफ इण्डिया	1670	2.67	1615	0.69
ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	446	0.90	1771	0.68
पंजाब नेशनल बैंक	3343	5.62	6429	2.44
सिंडीकेट बैंक	30	0.06	76	0.02
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	896	1.88	1145	0.01
यूको बैंक	3626	7.28	3907	1.00
बैंक आफ राजस्थान लि०	4486	6.75	लागू नहीं है	
यूनाइटेड बैंक आफ इण्डिया	31	0.06	76	0.02
अन्य	186	0.39	—	—
कुल	49024	86.94	64488	24.81

स्रोत : बैंक आफ बड़ौदा, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को बैंकों से ऋण दिवा जाना

1447. **श्री थानसिंह जाटव : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के बेरोजगार व्यक्तियों को दिए जा रहे ऋणों के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति गठित करने तथा बैंकों के कामकाज की निगरानी करने का भी है;

(घ) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों के सफाई कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए निम्न ब्याज दर ऋण देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) स्वरोजगार कार्यक्रम सहित विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऋण सहायता प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऋणकर्ताओं सहित विभिन्न श्रेणियों के ऋणकर्ताओं से सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों को शिकायतें प्राप्त होती हैं जब भी ये शिकायतें प्राप्त होती हैं तब उपचारात्मक कार्रवाई के लिए सम्बद्ध बैंकों द्वारा उनकी जांच की जाती है।

(ग) ऐसी योजनाओं की प्रगति और बैंकिंग सम्बन्धी अन्य सामान्य मामलों पर जिला परामर्श-दात्री समिति की बैठकों में विचार-विमर्श किया जाता है। इन योजनाओं के कार्यान्वयन से सम्बन्धित शिकायतों की जांच करने के लिए अलग से किसी समिति के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) वाणिज्यिक बैंक अपने कार्यक्रमों के साथ-साथ केन्द्रीय और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को ऋण दे रहे हैं। अनुसूचित जातियों के सदस्यों सहित पात्र ऋणकर्ताओं को विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत 4% वार्षिक की ब्याज दर पर 6500 रुपए तक के अग्रिम उपलब्ध हैं।

रुग्ण इकाइयों को वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

1448. **श्री अमल दत्त यादव :**
डा० सुधीर राय :
श्री माणिक साल्याल :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रुग्ण इकाइयों को और अधिक वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(ग) किन-किन रुग्ण एककों को सहायता दी जाएगी ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

कम मूल्य के बीजक बनाकर आयात करना

1449. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हांगकांग, सिंगापुर और ग्रेट-ब्रिटेन से बम्बई और कलकत्ता पत्तनों के माध्यम से कम मूल्य के बीजक बनाकर चीन में बने 'बाल-बियरिंग' का भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कम मूल्य के ऐसे बीजक बनाकर किए जाने वाले आयात को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सरकार चीनी बियरिंगों के आयात के मामले में कम-मूल्यांकन की समस्या से अवगत है । ये आयात सामान्यतया सिंगापुर और हांगकांग के व्यापारियों द्वारा किए जाते हैं । मध्य-पूर्व/यू० के० के व्यापारियों से ऐसे बियरिंगों की सप्लाई कम है ।

(ग) सरकार ने बियरिंगों के मामले में सीमा शुल्क ढांचे को संशोधित कर दिया है और कम मूल्यांकन की आशंका वाले बियरिंगों के मामले में शुल्क की दरों के एक बड़े भाग को मात्रानुसार लगाया जाता है । उन मामलों में जहां व्यापारियों से प्राप्त बीजकों को शुल्क निर्धारण के लिए प्रस्तुत किया जाता है, सीमा शुल्क प्राधिकारी विनिर्माता का बीजक/मूल्य सूची प्रस्तुत करने की भी मांग करते हैं ।

प्रत्यक्ष कर के सम्बन्ध में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण

[हिन्दी]

1450. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रत्यक्ष कर के सम्बन्ध में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त न्यायाधिकरण कब तक गठित कर दिया जाएगा तथा इसके क्षेत्राधिकार का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर न्यायाधिकरण के गठन के मामले पर कार्यवाही चल रही है और इसे अन्तिम रूप देने में कुछ और समय लगेगा। जब इस न्यायाधिकरण का गठन हो जाएगा तब वह प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित कार्य को उच्च न्यायालयों से अपने हाथ में ले लेगा।

साख-पत्र आरम्भ करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश

[अनुवाद]

1451. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान का आयात करने के लिए बैंकों द्वारा साख-पत्र आरम्भ करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल में जारी किए गये दिशा निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप जीवन रक्षक बल्क औषधियों के निर्माण के लिए इन्टरमीडिएट्स के आयात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) वर्तमान भुगतान संतुलन स्थिति को देखते हुए विदेशी मुद्रा के संरक्षण के एक उपाय के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक ने आयात के वित्त पोषण के मामले में बैंकों को निम्नलिखित मार्गनिर्देश जारी किए हैं :—

(I) पूंजीगत सामग्री का आयात

बैंकों को परामर्श दिया गया है कि वे इस प्रयोजन के लिए रुपया सावधि ऋण प्रदान न करें और निर्यातकों को अपने आयातों को वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से आयात करने के लिए सम्पर्क करने को कहें जिनके पास विदेशी मुद्रा ऋण शृंखला उपलब्ध होती है। बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि जहां वित्तीय संस्थाओं के पास उपलब्ध ऋण शृंखला के अनुसार आयात नहीं किया जा सकता वहां वे ऐसे आयातों का वित्त पोषण कर सकते हैं। यह उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि हमारे मुक्त विनिमय संसाधनों पर दबाव न पड़े।

(II) पूंजीगत सामान के अतिरिक्त आयात

पूंजीगत सामान के अलावा सभी आयातों के लिए साख-पत्र खोलते समय कम से कम 50 प्रतिशत का नकद मार्जन निर्धारित किया गया है। निर्यातों तथा कोर क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले आयातों की कुछेक श्रेणियों को उपर्युक्त मार्जन अपेक्षाओं में छूट दी गई है।

जीवनरक्षक औषधियों तथा उपस्करों के आयात पर 50 प्रतिशत का न्यूनतम नकद मार्जन लागू नहीं है। अतः इन पर न्यूनतम नकद मार्जन के प्रतिबन्ध से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

अरण्डी के तेल का मूल्य

1452. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार हालैंड को भारी मात्रा में अरण्डी के तेल की बिक्री कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अरण्डी के तेल के मूल्य में भारी गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो तेल का उचित मूल्य सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) हालैंड स्थित रोटरडम वनस्पति तेलों का प्रमुख व्यापारिक केन्द्र है। भाड़ा दरों को कम करने के लिए अरण्डी का तेल भारी मात्रा में भेजा जाता है। सभी निर्यात रोटरडम के माध्यम से नहीं किए जाते हैं। कीमत स्तर विश्वव्यापी मांग और पूर्ति की स्थिति द्वारा शासित होती है। हाल में कीमत में गिरावट भारत तथा ब्राजील में उच्चतम उत्पादन स्तर की वजह से आई है।

मारुति डीलरों के परिसरों पर छापे

1453. **श्री कल्पनाथ राय :**
श्री बालगोपाल मिश्र :
श्री डी० एम० पुट्टे गौड़ा :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर विभाग द्वारा हाल ही में दिल्ली और देश के अन्य भागों में मारुति डीलरों के परिसरों पर छापे मारे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) छापों के क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) आयकर अधिनियम की धारा 132 के अंतर्गत दिल्ली में मारुति वाहनों के 7 व्यापारियों की तथा लुधियाना में एक व्यापारी के परिसर की तलाशियां ली गई थीं। अपराध-आरोपणीय दस्तावेजों के अभिग्रहण के अतिरिक्त, 42.06 लाख रु० की परिसम्पत्तियां भी पकड़ी गई थीं। 19061 सावधि जमा रसीदें पाई गईं जिन्हें आयकर अधिनियम की धारा 132(3) के अन्तर्गत रोक लिया गया। जांच-पड़ताल के पश्चात् 11398 सावधि जमा रसीदें छोड़ दी गई हैं तथा 458 सावधि जमा रसीदों को दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 तक रोके रखा गया।

पकड़े गए दस्तावेजों की संवीक्षा तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अनुवर्ती कार्यवाही की गई है।

वाहन भत्ते में संशोधन

1454. **श्री रवि नाराक्षण पाणि** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में पेट्रोल के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि को देखते हुए आयकर निरीक्षकों जैसे अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वाहन भत्ते में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वर्तमान कठिन वित्तीय स्थिति तथा व्यय में अत्याधिक किफायत बरतने की आवश्यकता को देखते हुए इस अवस्था में यह उपयुक्त नहीं समझा जाता है कि वाहन भत्ता बढ़ाने के लिए इसमें कोई संशोधन किया जाए ।

बजट घाटे को कम करने के लिए मितव्ययिता/कार्यक्रम

[हिन्दी]

1455. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट घाटे को कम करने की दृष्टि से सरकारी खर्च में कटौती करने हेतु 7-सूत्री मितव्ययिता कार्यक्रम आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां । 30 नवम्बर, 1990 के अनुदेशों की एक प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है ।

(ख) इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ टेलीफोनों, गैसोलीन, बिजली, यात्रा, सभी प्रकार के मनोरंजनों तथा नए वाहनों की खरीद आदि पर व्यय में कमी करने के अनुदेश शामिल हैं । चूंकि व्यय की ऐसी मदों को केन्द्रीय रूप में संकलित नहीं किया जाता है इसलिए इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा बता पाना सम्भव नहीं है ।

विवरण

अति तत्काल

संख्या 7 (44)-संस्था (समन्वय)/90

भारत सरकार

वित्त मन्त्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर, 1990

कार्यालय ज्ञापन

विषय :—व्यय में मितव्ययिता ।

बजटीय घाटे को नियंत्रित करने के लिए तत्काल से प्रभावी करने हेतु निम्नलिखित उपाय करने का निर्णय लिया गया है :—

(क) विदेशी प्रतिनिधि मंडलों/विशिष्ट विदेशी अतिथियों को दिए जाने वाले एक मध्याह्न भोज अथवा रात्रि भोज को छोड़कर सरकारी खर्च पर मध्याह्न भोजों, रात्रि भोजों और जलपान आदि सहित सभी प्रकार के अतिथ्य सत्कार पर रोक लगा दी जाए ।

(ख) बैठकों, सम्मेलनों आदि का आयोजन होटलों में करने की प्रवृति को तुरन्त बन्द कर दिया जाए ।

(ग) मुख्यालयों में आयोजित की जाने वाली बैठकों और सम्मेलनों का आयोजन सदा इस ढंग से किया जाए जिससे कि इन सम्मेलनों में भाग लेने और यात्राओं पर होने वाला व्यय कम से कम हो ।

(घ) टेलीफोन व्यय को सितम्बर से नवम्बर, 90 की अवधि में हुए औसत व्यय की तुलना में 10% तक घटाया जाए ।

(ङ) सभी कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों की बिजली की खपत के व्यय को पिछले वर्ष के संगत महीने के दौरान हुई बिजली की खपत की तुलना में 10% तक कम किया जाए । सभी प्रकार की दिखावटी और सजावटी रोशनी बन्द कर दी जाए ।

(च) पेट्रोल और डीजल आदि की खपत में 20% की कटौती करने के संबंध में इस मन्त्रालय के दिनांक 27 जून, 1990, 22 अगस्त, 1990 और 24 अगस्त, 1990 के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ-3(3)-संस्था II(क)/90 में निहित अनुदेशों को सख्ती से लागू किया जाए ।

(छ) 31-3-91 तक नए वाहनों की खरीद नहीं की जाएगी ।

2. सभी मंत्रालय/विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी और सांविधिक निकायों में इन मितव्ययिता उपायों का पालन किया जाए ।

3. ये अनुदेश वित्त मंत्री के अनुमोदन से जारी किए गए हैं ।

(पी० जी० लेले)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।

प्रतिलिपि सभी वित्तीय सलाहकारों को (नाम से) ।

बिहार में विद्युत संयंत्रों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपाय

1456. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में किन-किन विद्युत संयंत्रों ने वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रत करने हेतु पर्याप्त उपाय नहीं किए हैं;

(ख) इस संबंध में पर्याप्त उपाय करने हेतु इन विद्युत संयंत्रों को क्या निर्देश जारी किए गए हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के प्रति विद्युत संयंत्रों की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) बिहार में जो एकक वायु और जल प्रदूषण के बारे में निर्धारित मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं वे इस प्रकार हैं :—

पत्रातु
बरौनी
चन्द्रपुरा
बोकारो

इन इकाइयों को एक समय सीमा के भीतर मानकों का अनुपालन करने के संबंध में निदेश जारी कर दिए गए हैं। इन सभी इकाइयों ने इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों में नियुक्तियां

[अनुवाद]

1457. **श्री के० डी० सुल्तानपुरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडलों में नियुक्त किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन व्यक्तियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समुदायों के व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन मंडलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के व्यक्तियों को नियुक्त करने में क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं ?

वित्त मन्मालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक मण्डल में वर्ष 1990 के दौरान किसी भी गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति नहीं की गयी है। तथापि 1989 में नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गैर-सरकारी निदेशकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) योजना 1970/1980 में दी गई प्रक्रिया और मानदण्डों के अनुसार भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी सहित गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करती है।

विवरण

क्रम संख्या	बैंक का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के गैर-सरकारी निदेशक का नाम
1.	बैंक आफ इण्डिया	श्री शमशेर सिंह डूलो
2.	बैंक आफ बड़ौदा	श्री बहुरा एक्का
3.	यूको बैंक	श्री आर० टी० राम्बाई
4.	केनरा बैंक	श्री ओमप्रकाश शंकरानन्द कनागली
5.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	श्रीमती मालाज्मा
6.	इलाहाबाद बैंक	श्री एम० नारायणप्पा
7.	बैंक आफ महाराष्ट्र	श्री मदन वर्मा
8.	आंध्रा बैंक	श्री राजकुमार नागरथ
9.	कारपोरेशन बैंक	श्री राजगुरु दयाराम तुलसीराम
10.	न्यू बैंक आफ इण्डिया	सुश्री शैलजा कुमारी
11.	ओरियंटन बैंक आफ कामर्स	श्रीमती करतार देवी
12.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	श्रीमती संतोष चौधरी

बैंक आफ इण्डिया के अधिकारियों को आवास सुविधायें

1458. **श्री शिकिहो सेमा : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बैंक आफ इंडिया के कर्मचारियों और अधिकारियों को आवास जैसी बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जबकि भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक और पंजाब नेशनल बैंक आदि के कर्मचारियों और अधिकारियों को यह सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों और अधिकारियों को आवास सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि उसके द्वारा अपनायी जा रही नीति के अनुसार, बैंक द्वारा दिल्ली में स्थानांतरित किये गए शाखा प्रबन्धकों और अधिकारियों को उनकी पात्रता के अनुसार रिहायशी मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं बशर्ते कि दिल्ली में उनका अपना मकान न हो। स्टाफ के सदस्यों के लिए बैंक की एक आवास ऋण योजना है और अधिकारी कर्मचारियों, अर्थात अधिकारियों, लिपिकों और अधीनस्थ स्टाफ द्वारा इस योजना से लाभ उठाया जा रहा है।

कोंकण वृक्षों की निर्यात क्षमता

1459. **प्रो० राम गणेश कापसे :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पश्चिमी तट पर उगने वाले गासीनिका इंडिका (कोंकण वृक्ष) के फलों से निर्मित उत्पादों की निर्यात क्षमता कितनी है;

(ख) क्या कोंकण बीज से निर्मित मक्खन की जापान और यूरोपीय देशों में भारती मांग है; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में और किन देशों को इसका निर्यात किया गया इससे कितनी विदेश मुद्रा प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) मसाला बोर्ड ने अब तक इस उत्पाद की निर्यात संभावना का अनुमान नहीं लगाया है।

(ख) इस उत्पाद के लिए अलग से आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) भारत से कोंकण का निर्यात नगण्य है। पिछले दो वर्षों के दौरान भारत से इस मद के निर्यात को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(मात्रा : मी० टन में, मूल्य 000 रु० में)

क्षेत्र/देश	198 -89		1989-90	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5
अमरीकन क्षेत्र				
कनाडा	0.04	0.57	0.59	2.85
यू० एस० ए०	0	0	1.46	25.50
कुल	0.04	0.57	2.05	28.35
ई० ई० सी०				
इंग्लैंड	0	0	0.60	5.27
पूर्वी एशिया				
जापान	0	0	0	0
पश्चिमी एशिया				
बहरीन	0	0	0	0

1	2	3	4	5
कुवैत	0	0	0	0
ओमान	0	0	0.04	1.46
सउदी अरब	0	0	1.00	30.64
संयुक्त अरब अमीरात	0	0	3.26	64.50
कुल क्षेत्र	0	0	4.30	96.60
अफ्रीकी क्षेत्र				
मोजाम्बीक	0	0	0.10	1.23
कुल योग	0.04	0.57	7.05	131.45

किशमिश का आयात

[हिन्दी]

1460. **श्री हरिशंकर महाले** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किशमिश के आयात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे किसानों पर विपरीत प्रभाव पड़े हैं;

(ग) क्या सरकार का इसके आयात पर प्रतिबन्ध लगाने और इसके निर्यात को प्रोत्साहन देने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से (ङ) जी, नहीं। सूखे मेवों के व्यापारियों को सूखे मेवों के आयात के लिए जारी लाइसेंसों पर तथा अखरोट-खुबानी की गिरी के निर्यातकों को जारी पुनः पूर्ति लाइसेंसों पर सीमित मात्रा में सूखे मेवों का आयात करने की अनुमति है। सभी अनुज्ञेय स्थानों को किशमिश (सूखे अंगूरों) के निर्यात की अनुमति बिना किसी नियंत्रण के दी जाती है।

पंजाब में बैंक डकैतियां

[अनुवाद]

1461. **श्री डी० एम० पुट्टे गौडा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में बैंक डकैतियों की संख्या में चिंताजनक रूप से वृद्धि हुई है;

(ख) पिछले छः महीनों के दौरान पंजाब में हुई बैंक डकैतियों की संख्या कितनी है; प्रत्येक

डकैती में लूटी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है, कितने अपराधी पकड़े गए और यदि उनसे कोई धन-राशि मिली तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का राज्य प्रशासनों से मंत्रणा करके राज्य में बैंकों की सुरक्षा के लिए नये मार्गनिर्देश अपनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) पंजाब में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में बैंक डकैतियों की संख्या वर्ष 1989 की 23 घटनाओं की तुलना में वर्ष 1990 (सितम्बर तक) की अवधि में बढ़कर 68 हो गई है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पंजाब राज्य में 1 अप्रैल, 1990 से 30 सितम्बर, 1990 (छः महीने) की अवधि के दौरान लूटों/डकैतियों की 48 घटनाएं हुई हैं जिनमें 1 करोड़ 30 लाख (लगभग) की राशि अंतर्ग्रस्त है। 48 लूटों/डकैतियों में से प्रत्येक में लूटी हुई राशि से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार न तो कोई व्यक्ति पकड़ा गया है और न ही इन मामलों में कोई धनराशि बरामद हुई है।

(ग) और (घ) राज्य में बैंक की शाखाओं में सुरक्षा उपायों को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए गए हैं। 19-11-90 की राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में सरकारी क्षेत्र के बैंकों और पंजाब सरकार ने संयुक्त रूप से कुछ उपायों के प्रस्ताव रखे हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ लंबी अवधि के लिए पुलिस कर्मियों द्वारा संवेदनशील शाखाओं की निगरानी, पर्याप्त सुरक्षा में नकदी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, राज्य सरकार के पुलिस विभाग द्वारा सशस्त्र रक्षकों को ट्रेनिंग, बैंक सुरक्षा कर्मियों के लिए उचित और पर्याप्त शस्त्र प्रदान करना शामिल है।

विवरण

पंजाब राज्य में 1-4-1990 से 30-9-1990 की अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में डकैतियां/लूटपाट

क्रम सं०	बैंक तथा शाखा का नाम	घटना की तारीख	अन्तर्ग्रस्त रकम (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	भारतीय स्टेट बैंक, समघ भाई शाखा	20-6-90	3.67
2.	तदैव, धोतियन शाखा	3-7-90	0.66
3.	तदैव, जेयूवाल शाखा	27-8-90	0.99
4.	स्टेट बैंक आफ पटियाला, किशनपुर शाखा	1-8-90	0.74
5.	तदैव, कत्रोन शाखा	28-8-90	3.00
6.	इलाहाबाद बैंक, खांट शाखा	5-9-90	1.33

1	2	3	4
7.	बैंक आफ बड़ौदा, प्रताप नगर शाखा	27-6-90	7.87
8.	इण्डियन बैंक, नूरपुर शाखा	29-8-90	1.40
9.	इण्डियन ओवरसीज बैंक, ए० जी० सुधार बाजार शाखा	17-9-90	2.22
10.	न्यू बैंक आफ इण्डिया, मेरी बचियन शाखा	7-9-90	0.60
11.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, लोपो शाखा	4-5-90	3.60
12.	तदैव लालपुर शाखा	10-5-90	0.22
13.	तदैव मियांपुर शाखा	18-9-90	0.87
14.	पंजाब नेशनल बैंक, दाबुरजी शाखा	11-4-90	0.27
15.	तदैव, दुधिका शाखा	24-5-90	3.93
16.	तदैव, फतेहाबाद शाखा	11-4-90	2.03
17.	तदैव, मेवाड़ मंडी शाखा	8-5-90	4.50
18.	तदैव, वैरोक शाखा	7-5-90	0.89
19.	तदैव, छोटनपुर शाखा	26-6-90	0.57
20.	तदैव, डाबरजी तारा शाखा	31-8-90	0.43
21.	तदैव, बटाला रोड शाखा	5-9-90	10.00
22.	तदैव, वडाला विराम शाखा	6-9-90	0.07
23.	तदैव, मॉडल टाऊन शाखा, अमृतसर	11-9-90	5.00
24.	तदैव, चाबुल शाखा	8-9-90	0.50
25.	पंजाब एंड सिंध बैंक, हरचोवाल शाखा	22-6-90	0.32
26.	तदैव, जसपाल बंगर शाखा	2-5-90	3.37
27.	तदैव, कैरोन शाखा	23-6-90	0.68
28.	तदैव, मितर गंज शाखा	13-6-90	2.55
29.	तदैव, रोशनपुर शाखा	23-4-90	0.62
30.	तदैव, उघनवाल शाखा	16-6-90	0.41
31.	तदैव, बरपाल शाखा	28-5-90	1.34
32.	तदैव, रेलवे रोड शाखा	18-7-90	9.40

1	2	3	4
33.	पंजाब एंड सिंध बैंक, भगतवाला गेट शाखा	18-7-90	2·80
34.	तदैव, मातेवाल शाखा	27-7-90	0.13
35.	तदैव, दयालपुर शाखा	27-7-90	शून्य
36.	तदैव, मॉडल टाउन शाखा, लुधियाना	27-8-90	11.20
37.	तदैव, राऊतपुर कलान शाखा	18-8-90	0.21
38.	तदैव, शाम नगर	18-8-90	0.80
39.	तदैव, शारोन शाखा	27-8-90	0.47
40.	तदैव, मनोचाल शाखा	24-8-90	0.17
41.	तदैव, पुरैन शाखा	12-9-90	0.52
42.	तदैव, नसार्क सरचूर शाखा	28-9-90	0.20
43.	तदैव, चरिक शाखा	24-9-90	0.72
44.	सिंडीकेट बैंक, अमृतसर शाखा	24-9-90	2.73
45.	यूको बैंक, जलालाबाद शाखा	16-4-90	0.23
46.	तदैव, जलालाबाद शाखा	21-5-90	0.44
47.	तदैव, आलमगीर शाखा	30-8-90	4.78
48.	तदैव, रसूलपुर शाखा	30-9-90	0.82

(आंकड़े अनन्तिम)

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा यात्रियों को परेशान किया जाना

1462. **श्री नन्दलाल मीणा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14-20 अक्तूबर, 1990 की "संडे" पत्रिका "सेसपूल्स" शीर्षक से छपी रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस वर्ष के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा यात्रियों को परेशान किए जाने की घटनाओं की जानकारी प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही गई है;

(ङ) क्या उपरोक्त अवधि के दौरान आयकर प्राधिकारियों द्वारा निस्सहाय लोगों को परेशान किए जाने की घटनाओं का भी पता लगा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात के मूल्य

1463. **श्री वसंत साठे** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस्पात के मूल्यों में और वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात के मूल्यों में किए गए संशोधनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ इस्पात उत्पादों की किसी समय सप्लाई कम होती है तथा वे बाजार में ऊंचे प्रीमियम पर बिकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) मुख्य उत्पादकों अर्थात् स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि०, "टिस्को" तथा विशाखपट्टनम द्वारा उत्पादित कुछ मदों के मूल्यों को स्वयं मुख्य उत्पादकों द्वारा संयुक्त संयंत्र समिति की सहमति से निश्चित किया जाता है। संयुक्त संयंत्र समिति का इस्पात के मूल्यों में वृद्धि करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) विगत तीन वर्षों से संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा लागू किए गए इस्पात के आधार मूल्यों में संशोधन के ब्यौरे सहित उनके कारण नीचे दिए गए हैं :—

1-3-1988	उत्पाद शुल्क में वृद्धि को निष्प्रभावित करना।
1-4-1988	रेल भाड़े में बढ़ोतरी को निष्प्रभावित करना।
13-10-1988	केवल एच० आर० क्वायलों/शीटों/स्केल्प पर अधिशेष आयात पूल, निधि (बी० आई० पी० एफ०) शुल्क को पूरा करना।
22-12-1988	केवल कच्चे लोहे पर बी० आई० पी० एफ० शुल्क का पूरा करना।
8-1-1989	आदान लागतों में वृद्धि को अंशतः पूरा करने के लिए आम मूल्य वृद्धि तथा इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट एसिसटेन्ट फंड (ई०जी०ई०ए०एफ०) शुल्क में बढ़ोतरी को पूरा करना।
1-3-1989	उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी को निष्प्रभावित करना।
2-6-1989	रेल भाड़े में बढ़ोतरी को निष्प्रभावित करना।
20-3-1990	उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी को निष्प्रभावित करना।

20-9-1990 आदान लागतों में वृद्धि को पूरा करना तथा इ०जी०इ०ए०एफ० शुल्क को बढ़ाना ।

(ग) मुख्य उत्पादकों द्वारा अधिकांश रेक भारों में इस्पात का संचालन किया जाता है और कभी-कभी कुछ स्थानों पर विशिष्ट मदों की कमी हो जाती है। खुले बाजार मूल्य, उन गौण उत्पादकों द्वारा उत्पादित लोहे और इस्पात क से है जो अपना मूल्य स्वयं निश्चित करते हैं।

(घ) मुख्य उत्पादकों की पंजीकृत मांगों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर इस्पात की विभिन्न श्रेणियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यथा संभव प्रयास किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा की समग्र उपलब्धता के अन्तर्गत इस कमी को पूरा करने के लिए नीति के अनुसार आयात करने की भी अनुमति दी जाती है।

रुग्ण लघु उद्योग इकाइयां

1464. **श्री जी० एस० बासवराज :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों की संख्या कितनी है;

(ख) इन इकाइयों पर बैंक ऋणों की कितनी बकाया देनदारी है;

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या "एस्सोचैम" ने लघु उद्योग क्षेत्र में विशेषकर रुग्णता को हटाने के लिए बोर्ड फॉर इन्डस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रीकंस्ट्रक्शन के समान एक निकाय की स्थापना का सुझाव दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर '988 के अन्त की स्थिति के अनुसार लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्ण एककों की संख्या 2,4(,573 थी और उन पर 2141.00 करोड़ रुपये के बैंक ऋण बकाया थे।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने क्रमशः वाणिज्यिक बैंकों तथा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाओं को लघु उद्योग के रुग्ण एककों की पहचान, उनकी संभाव्य अर्थक्षमता का आंकलन करने और उनका पुनरुद्धार करने के लिए राहत और सहायता के स्वरूप और सीमा के बारे में विस्तृत मार्ग निर्देश जारी किए हैं।

(घ) और (ङ) केवल लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णएा से निपटने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समान एक निकाय स्थापित करने के लिए एसोसिएटिड चैम्बर आफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

संयुक्त अरब अमीरात में निर्यातोन्मुख उद्योग

1465. **श्री बनवारीलाल पुरोहित :** क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात ने भारत को वहां के मुक्त व्यापार क्षेत्रों में निर्यातोन्मुख लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात में निर्यातोन्मुख उद्योग स्थापित करने का कोई निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसा करने से निर्यात में कितनी वृद्धि होगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक के संबंध में अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात से उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल भारत आया था उसकी भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ के साथ बैठक हुई थी। विचार विमर्श के दौरान संयुक्त अरब अमीरात प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों ने भारतीय व्यापारियों को संयुक्त अरब अमीरात के मुक्त व्यापार क्षेत्रों में लघु और मध्यम दर्जे की निर्यातोन्मुख इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। प्रतिनिधिमण्डल द्वारा जो सम्भावित क्षेत्र अभिज्ञात किए गए वे हैं दूरसंचार, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक्स और विविध उपभोक्ता मदें। संयुक्त अरब अमीरात या अन्य देशों में इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियों से जब कभी भी कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो सरकार उस पर गुणावगुण के आधार पर विचार करती है।

(घ) भारतीय कंपनियों द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के मुक्त व्यापार क्षेत्रों में इकाइयां स्थापत करने से भारतीय कंपनियों को निर्यात बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामले

[हिन्दी]

1466. **प्रो० रासा सिंह रावत :**
श्री राम सागर (सैदपुर) :

क्या **विधि और न्याय मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने-कितने मामले निपटाए गए; और

(ख) सरकार द्वारा विचाराधीन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) विवरण संलग्न है; और

(ख) न्यायाधीशों की संख्या में समय-समय पर वृद्धि की गई है। मामलों के निपटारे की गति में वृद्धि लाने के लिए प्रक्रियात्मक सुधार और परिवर्तन किए गए हैं। विभिन्न न्यायालय, उपयुक्त उपाय कर रहे हैं जैसे कि, समान विधि के प्रश्न वाले मामलों को एक ग्रुप में रखना, शीघ्र निपटारे की अपेक्षा करने वाले मामलों को पूर्विकता देना, विशेष न्यायपीठें आदि स्थापित करना। बकाया मामला विषयक समिति (मलिमथ समिति) जिसने उच्च न्यायालय में बकाया मामलों की समस्या का अध्ययन किया था, की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट विभिन्न सिफारिशें, सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों, जैसे कि राज्य सरकार, केन्द्रीय मन्त्रालय और सभी उच्च न्यायालयों को भेज दी गई हैं।

उच्चतम न्यायालय में न्यायपीठें इस प्रकार गठित की जा रही हैं कि वे अधिक समय तक कार्य कर सकें और कार्य को इस प्रकार आबंटित किया जाये कि एक जैसे मामले एक ही न्यायपीठ के समक्ष रखे जाएं।

विवरण

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा निपटाए गए मामले

न्यायालय का नाम	निम्न वर्षों के दौरान निपटाए गए मामले		
	1987	1988	1989
1	2	3	4
उच्चतम न्यायालय	46132	44252	48118
उच्च न्यायालय			
1. इलाहाबाद	55897	60356	51258
2. आंध्र प्रदेश	105586	98675	92846
3. मुम्बई	47969	64749	53188
4. कलकत्ता	41355	37468	44672
5. दिल्ली	38167	30169	37089
6. गुवाहाटी	6995	7246	9642
7. गुजरात	18015	20235	19403
8. हिमाचल प्रदेश	27087	23327	10915*
9. जम्मू-कश्मीर	14228	17915	15689
10. कर्नाटक	33131	41468	31949
11. केरल	67015	70223	104595
12. मध्य प्रदेश	42961	42397	47003
13. मद्रास	85606	64352	99743
14. उड़ीसा	14180	15878	28364
15. पटना	32528	37421	43408
16. पंजाब और हरियाणा	47834	56327	69555

1	2	3	4
17. राजस्थान	25491	26626	11546*
18. सिक्किम	162	96	81
उच्च न्यायालयों में निपटाए गए कुल मामले	700407	714928	770946

* तारीख 30-6-89 को समाप्त होने वालेआधे वर्ष की अवधि को उपदर्शित करता है।

जम्मू और कश्मीर में प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का उल्लंघन

[अनुवाद]

1467. **श्री प्यारे लाल हान्डू :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जम्मू ने राज्य में अनेक उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण कानूनों का किए जा रहे उल्लंघन का पता लगाने के लिए विभिन्न उद्योगों का कितनी बार निरीक्षण किया; और

(ख) यदि कोई कार्रवाई की गयी है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) प्रदूषण उद्योगों का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जा रहा है।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० और मैसर्स भीलवाड़ा टैक्सटाइल्स लि० नामक दो प्रमुख इकाइयों ने बहिस्राव शोधन संयंत्र लगा लिए हैं। बोर्ड ने ऐसी चार मद्यनिर्माणशालाओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है, जिन्होंने बहिस्राव शोधन सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं।

किसानों के ऋण माफ करना

[हिन्दी]

1468. **श्री हरि केवल प्रसाद :**
श्री राघवजी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को वर्ष 1990 के आरम्भ के नौ महीनों के दौरान किसानों के ऋण माफ किए जाने के कारण कितना व्यय वहन करना पड़ेगा;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने किसानों को लाभ पहुंचा है;

(ग) कितने किसानों के ऋण अभी माफ किए जाने शेष हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार को और कितना अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ेगा ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) छोटे, सीमांतिक और भूमिहीन किसानों तथा कारीगरों द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामोण बैंकों से लिए गए ऋणों के सम्बन्ध में उन्हें ऋण राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 तैयार की है। राज्य सरकारों ने भी सहकारी बैंकों के लिए केन्द्रीय सरकार के पैटर्न पर ऋण राहत योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। हिताधिकारियों का पता लगाने और उन्हें राहत प्रदान करने की प्रक्रिया अधिकांश राज्यों में चल रही है। दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और सरकारी क्षेत्र के बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के अन्तर्गत 277.71 लाख हिताधिकारियों का पता लगाया गया है जो ऋण राहत के पात्र हैं। इनमें से 202.58 लाख हिताधिकारियों को 5369.20 करोड़ रुपए की ऋण राहत पहले ही प्रदान की जा चुकी है। केंद्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ऋण राहत की पूरी जिम्मेदारी वहन करेगी और सहकारी समितियों के मामले में केन्द्रीय सरकार ऋण राहत का 50 प्रतिशत वहन करेगी तथा बाकी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, तदनुसार, अब तक दी गयी 5369.20 करोड़ रुपए की राहत में से केन्द्रीय सरकार 3942.35 करोड़ रुपये वहन करेगी। चूंकि हिताधिकारियों का पता लगाने और राहत प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए योजनाओं के पूरी तरह कार्यान्वित किए जाने तक भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय को बताना संभव नहीं होगा।

बैंक आफ इण्डिया में पदोन्नति

[अनुवाद]

1469. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ इंडिया में जूनियर मैनेजमेंट से मिडिल मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट स्केल-II से मिडिल मैनेजमेंट स्केल-III में अधिकारियों को पदोन्नति के लिए वरिष्ठता को कोई महत्व नहीं दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों में असंतोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान वरिष्ठता के आधार पर जूनियर मैनेजमेंट से मिडिल मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट स्केल-II से मिडिल मैनेजमेंट स्केल-III में कितने अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस पद्धति को बन्द करने के क्या कारण हैं और इसे कब से बन्द किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि आवश्यक विचार के पश्चात् उसने अपने अधिकारी संवर्ग के अन्दर से ही वरीयता के माध्यम से पदोन्नति को 1 अप्रैल, 1990 से त्याग दिया है। बैंक आफ इंडिया मे 1 अप्रैल, 1990 तक विद्यमान वरियता के अनुसार पिछली तीन पदोन्नति प्रक्रियाओं में पदोन्नति के लिए चयनित अधिकारियों की संख्या इस प्रकार थी :—

तारीख से प्रभावित पदोन्नतियां	स्केल-I से स्केल-II	स्केल-II से स्केल-III
1-1-1987	210	113
1-1-1988	270	125
1-4-1990	शून्य	शून्य

न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों संबंधी समिति की सिफारिशें

1470. **श्री राम सजीवन : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायालयों में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या की समस्या की जांच करने के लिए नियुक्त तीन सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष तथा इसकी सिफारिशें क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से (ग) समिति की रिपोर्ट सरकार को सितम्बर, 1990 में प्राप्त हुई थी। ये सिफारिशें राज्य सरकारों, उच्च न्यायालयों, कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों और स्वयं न्यायपालिका से सम्बन्धित हैं। इन सिफारिशों के अंतर्गत, न्यायपालिका की अधिकारिता और प्रक्रिया में उपांतरण/सुधार, विशिष्ट प्रकार के मामलों में कार्यवाही करने के लिए अधिकरण/आयोग जैसे विशेषज्ञ निकायों की स्थापना उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों की संख्या नियत करना और उन पर नियुक्ति करना, अधीनस्थ न्यायपालिका में और अधिक पद सृजित करना और न्यायालयों में कार्यालय उपस्कर के आधुनिकीकरण संबंधी अन्य अनेक साधारण सिफारिशें तथा न्यायपालिका के लिए और अधिक धन का आबंटन करना और न्यायालयों के दैनिक कार्यकरण में सुधार करना आदि जैसे विभिन्न विषय हैं। ये सिफारिशें सभी संबद्ध राज्य सरकारों, केन्द्रीय मन्त्रालयों और उच्च न्यायालयों को भेज दी गई हैं।

बंगलौर में काफी बोर्ड की बिक्री केन्द्र

1471. **श्री एस० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में काफी बोर्ड के कितने बिक्री केन्द्र (सेल डिपो) हैं;

(ख) क्या इन बिक्री केन्द्रों पर अधिकांश समय काफी के बीज उपलब्ध नहीं रहते हैं; और

(ग) यदि हां, तो देश में उपर्युक्त केन्द्रों तथा अन्य बिक्री केन्द्रों पर काफी के बीजों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) काफी बोर्ड के बंगलौर में पांच काफी डिपो, दो भारत काफी गृह तथा दो मोबाइल (चलते फिरते) काफी वैनें हैं।

(ख) और (ग) इन काफी डिपो में काफी के बीज अधिकांश समय उपलब्ध रहते हैं। काफी बोर्ड के विपणन विभाग ने संवर्धनात्मक बिक्री के लिए बोर्ड के डिपो के माध्यम से जनवरी से दिसम्बर,

1990 की अवधि के दौरान कुल 3000 मी० टन काफी न्यूनतम रिलीज कीमत पर आबंटित की है। इसमें से 2129 मी० टन काफी उपलब्ध कराई गई। बोर्ड को डिपो में काफी की खुदरा कीमत स्थानीय बाजार दरों से अत्यधिक कम थी। परिणामस्वरूप इन डिपों पर असली तथा नकली दोनों तरह के ग्राहकों से काफी की मांग बढ़ गई। इसका परिणाम यह हुआ कि इन डिपो में काफी का स्टाक अपेक्षित समय से पूर्व ही समाप्त हो गया। संसाधन गृहों से डिपों को समय से काफी न पहुंचने में डीजल की कमी के कारण भी दिक्कत आई। फिर भी, काफी की लगातार बिक्री बनाये रखने के लिए इसकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किए जाते हैं।

जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशें

1472. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी :**
श्री प्यारे लाल खंडेलवाल :

क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) जसवंत आयोग द्वारा उच्च न्यायालयों की नई न्यायपीठें स्थापित करने एवं विभिन्न राज्यों में इनके स्थानों के बारे में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा ये सिफारिशें सरकार को कब भेजी गईं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों की टिप्पणियों के लिए इन सिफारिशों को उनके पास भेजा था;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों की टिप्पणियां मिल गई हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

वाणिज्य मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) तारीख 30-4-85 को केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में जसवंत सिंह आयोग ने, इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायपीठें क्रमशः आगरा, रायपुर और मदुरै में स्थापित करने की सिफारिश की थी ; आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें उनके मुख्य स्थान से दूरस्थ स्थानों पर स्थापित करने के सामान्य प्रश्न पर और इस सम्बन्ध में अनुसरित किए जाने वाले सिद्धांतों और मानदण्डों के सम्बन्ध में सिफारिश की थी।

(ख) इलाहाबाद, मध्य प्रदेश और मद्रास उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों की स्थापना के लिए आयोग की विशिष्ट सिफारिशें, क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु सरकारों को अक्तूबर, 1986 में भेज दी गई थी और उनसे अनुरोध किया गया था कि वे अपने-अपने विचार और टिप्पणी संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके, प्रस्तुत करे। उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें स्थापित करने के साधारण प्रश्न पर आयोग की रिपोर्ट अक्तूबर, 1986 में कर्नाटक सरकार को इस अनुरोध के साथ भेज दी गई थी कि वह, आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, हुबली-धारवाड़ में कर्नाटक उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के बारे में अपने पूर्ववर्ती प्रस्ताव पर अपने विचार और टिप्पणी प्रस्तुत करे। साधारण प्रश्न से संबंधित रिपोर्ट, तारीख 11-9-87 को सभी राज्यों को, उनकी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए, भेज दी गई थी।

(ग) उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक सरकारों से, उनके निश्चित विचार, विशिष्ट/पूर्ण प्रस्ताव, प्राप्त नहीं हुए हैं।

(घ) संबंधित राज्य सरकारों से विशिष्ट/पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त किए बिना केन्द्रीय सरकार कोई विनिश्चय नहीं कर सकती।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का आदिवासियों पर प्रभाव

[हिन्दी]

1473. **श्री चन्दूभाई देशमुख** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कारण बड़ी संख्या में आदिवासियों को कठिनाइयों का समाना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार का इस अधिनियम में संशोधन करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कब और इसमें किस तरह के संशोधन किए जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं। देश में बड़े पैमाने पर वृक्षों की कटाई की जा रही थी और अधिक वृक्ष न काटे जाएं, इसके लिए 25 अक्तूबर, 1980 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू किया गया। अधिनियम के अनुसार, आरक्षित वनों को अनारक्षित करने तथा वन भूमि को वनेत्तर प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने के बारे में केन्द्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक बना दिया गया।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का मारा जाना

[अनुवाद]

1474. **श्री मान्धाता सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 के पूर्वार्ध में उत्तर प्रदेश में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गढ़वाल में अनेक हाथी मारे गए हैं;

(ख) क्या देश में कानून का उल्लंघन करके हाथीदांत की गैरकानूनी बिक्री भी की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

"एसकेप" और "सार्क" देशों के साथ आयात और निर्यात

1475. **श्री ए० के० ए० अब्दुल समद :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान वर्षवार विभिन्न देशों द्वारा एस डी आर में किए गए निर्यात, आयात और कुल व्यापार में भारत द्वारा कितने मूल्य का आयात, निर्यात और कुल व्यापार किया गया;

(ख) "एसकेप" क्षेत्र द्वारा प्रतिवर्ष किए गए कुल व्यापार की तुलना में भारत द्वारा किए गए ऐसे व्यापार का अनुपात और मूल्य क्या है;

(ग) "सार्क" उप क्षेत्र द्वारा प्रतिवर्ष किए गए ऐसे कुल व्यापार की तुलना में भारत द्वारा किए गए ऐसे व्यापार का अनुपात और मूल्य क्या है; और

(घ) वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान भारत द्वारा किए गए कुल निर्यात/आयात और कुल व्यापार में से पाकिस्तान, बंगलादेश तथा श्रीलंका के साथ कितने प्रतिशत ऐसा व्यापार किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शान्ति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) भारत का विदेश व्यापार सामान्य मुद्रा क्षेत्र में देशों के साथ परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में किया जाता है और जिन देशों के साथ रुपया व्यापार के लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते हैं उनके साथ व्यपार गैर-परिवर्तनीय भारतीय रुपये में किया जाता है। भारत का कोई भी व्यापार एस०डी०आर० में नहीं किया जाता है। एस०डी०आर० अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष का केवल विशेष आहरण अधिकार है और केवल बुक कीपिंग प्रविष्टि के रूप में है।

(घ) वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान पाकिस्तान, बंगलादेश और श्रीलंका के साथ हुए भारत के निर्यात, आयात और कुल व्यापार की प्रतिशतता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

देश	1987-88			1988-89			1989-90 (अ)		
	निर्यात	आयात	कुल व्या०	निर्यात	आयात	कुल व्या०	निर्यात	आयात	कुल व्या०
बंगलादेश	1.19	0.07	0.53	1.29	0.05	0.56	1.65	0.06	0.76
पाकिस्तान	0·12	0.13	0·12	0.18	0.26	0.22	0.19	0.15	0.17
श्रीलंका	0.66	0.05	0.30	0.72	0.10	0.36	0.35	0.07	0.19

(अ) अनन्तिम

स्रोत : डी जी सी आई एंड एस, कलकत्ता

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

[हिन्दी]

1476. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्लादिता से जापान को लौह अयस्क का निर्यात करने के संबंध में कोई जांच कराई गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बीच जांच पूरी हो गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरे होने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

ब्रिटेन और यूरोप में भारतीय बैंकों का अध्ययन

[अनुवाद]

1477. **श्री नरसिंहराव सूर्यवंशी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा बैंक के मैनेजर (अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग) ने ब्रिटेन और यूरोप में कार्यरत भारतीय बैंकों का गहन अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो विदेश में स्थित बैंकों के बारे में मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) बैंक आफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि उसके अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग के प्रबन्धक, भारतीय बैंकर्स संस्थान द्वारा उन्हें प्रदान की गई लार्ड अलडिंग्टन बैंकिंग अनुसंधान अधि-छात्रवृत्ति के अंतर्गत यूनाइटेड किंग्डम और यूरोप में कार्यरत भारतीय बैंकों के लिए बदलते नियामक वातावरण (चेंजिंग रेगुलेट्री एंवायरन्मेंट) पर एक अध्ययन कर रहे हैं । इस अध्ययन के निष्कर्ष मई 1991 में उनके भारत लौटकर अपनी रिपोर्ट पेश करने पर मालूम होंगे ।

कृषि ऋणों की माफी देना

1478. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि ऋणों में माफी देकर किसानों को और अधिक छूट देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

मुक्त पत्तनों की स्थापना

1479. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मुक्त पत्तन स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने दिनांक 24 दिसम्बर, 1990 को एक सलाहकार समिति का गठन किया है जो देश में एक मुक्त पत्तन स्थापित किए जाने की वांछनीयता व्यवहार्यता की जांच करेगी और उसके लिए उपयुक्त स्थान के लिए सिफारिश करेगी ।

राजस्थान में भूमिगत जल का प्रदूषण

480. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान में भूमिगत जल के अत्यधिक प्रदूषण की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान में भूमिगत जल प्रदूषण पर किए गए विभिन्न अध्ययनों के अनुसार प्रदूषण की मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) उस राज्य में जल को शुद्ध करने और भूमिगत जल को और प्रदूषित होने से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय पर्यावरणीय इन्जीनियरी अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार उदयपुर जिले के बिछरी क्षेत्र के दो गांवों में कुओं का पानी गहरे भूरे रंग का है । इसकी प्रगाढ़ता प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरियों से कुओं की दूरी के अनुरूप बदलती है । पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र द्वारा संचालित अध्ययन के अनुसार बिछरी के जल भंडारों में अत्यधिक घुलेय और विषैले बहिस्राव शामिल हो गए हैं और इससे वहां का पानी सभी प्रयोजनों के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त हो गया है । केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित अध्ययनों से पता चलता है कि पश्चिमी राजस्थान में पाली और बालोत्रा में भूमिगत जल रंगाई उद्योगों के बहिस्रावों से प्रदूषित हो गया है ।

(ग) बिछरी क्षेत्र में एच एसिड का निर्माण करने वाले उद्योगों को बन्द कर दिया गया है और प्रभावित गावों को मुआवजा देने के लिए उच्चतम न्यायालय में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है । पाली और बालोत्रा स्थित उद्योगों को एक समयबद्ध कार्यक्रम में बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के निदेश दिए गए हैं । जीव वैज्ञानिक आक्सीकरण और समिश्रण से भूमिगत जल में धीरे-धीरे सुधार होगा ।

भारत में सोवियत संघ को परियोजनाओं के लिए सोवियत संघ से ऋण

1481. **श्री प्रताप सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने गत तीन वर्षों के दौरान भारत में सोवियत परियोजनाओं के लिए उदार शर्तों पर ऋण देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भारत में परियोजनाओं के लिए सोवियत संघ की सरकार से ऋणों के संबंध में, केलेण्डर वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए :—

	करार की तारीख	ऋण की राशि	परियोजना की नाम
(i)	20-11-88	40 करोड़ रूबल (911.42 कोड़ रु०)	विंध्याचल तापीय विद्युत परियोजना चरण-II (2×500 मेगावाट)
(ii)	20-11-88	320 करोड़ रूबल (7291.36 करोड़ रु०)	कुडानकुलम में परमाणु विद्युत परियोजना (2×1000 मेगावाट)
(iii)	12-9-89	22 करोड़ रूबल (501.28 करोड़ रु०)	विंध्याचल-बीना-नागदा विद्युत सम्प्रेषण प्रणाणी परियोजना
	और		
(iv)	12-9-89	77 करोड़ रूबल (175.43 करोड़ रु०)	मंगलूर (2×210 मेगावाट) कायमकुलम (2×210 मेगावाट) और माईथान (4×210 मेगावाट) तापीय विद्युत परियोजनाएं

(विनिमय दर : 1 रूबल = 22.7855 रुपए)

गया, बिहार में प्रदूषण निरोधक उपाय

[हिन्दी]

1482. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया अपने ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक महत्व की दृष्टि से देश तथा विदेशों के पर्यटकों के लिए एक बड़े आकर्षण का स्थान है;

(ख) क्या प्रदूषण अधिक होने के कारण इस नगर का जनजीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार फल्गु नदी और इससे जुड़े हुए तालाबों की सफाई करने तथा आसपास की पहाड़ियों में वृक्षारोपण आदि शुरू करने जैसे प्रदूषण निरोधक उपाय करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) केन्द्र सरकार को फाल्गू नदी के प्रदूषण के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

इण्डिया सीमेंट्स, मद्रास की प्रबन्ध व्यवस्था

[अनुवाद]

1483. **श्री आर० मुथिया : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया सीमेंट्स, मद्रास में जिसे, वित्तीय संस्थाओं ने कुप्रबन्ध और धनराशि के दुरुपयोग किए जाने के कारण उसके संस्थापकों से अपने स्वामित्व में ले लिया था, अब पुनः उन्हीं व्यक्तियों को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वित्तीय संस्थाओं की शेयर धारिता की वर्तमान स्थिति और इस कम्पनी के प्रबन्ध में भागेदारी की स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि इंडिया सीमेंट, मद्रास का प्रबन्धन 1946 से 1979 तक 33 वर्षों से निजी प्रवर्तकों के हाथ में था। तथापि, दो प्रवर्तकों के समूहों के बीच गंभीर मतभेदों के परिणामस्वरूप बोर्ड के सिफारिश पर एक प्रवर्तक को संयुक्त प्रबन्ध निदेशक के पद से हटा दिया गया था। दूसरे प्रवर्तक ने 31-12-79 को प्रबन्ध निदेशक के रूप में अपनी पदावधि की समाप्ति पर पुनः नियुक्ति नहीं मांगी थी। संस्थाओं ने बोर्ड में उनके प्रतिनिधित्व को तब एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया और कम्पनी का प्रबन्धन संस्थाओं द्वारा नियुक्त एक प्रबन्धन समिति द्वारा किया गया था। तदुपरांत कम्पनी का व्यावसायिक रूप से प्रबन्धन हुआ था। जब पिछले प्रबन्ध निदेशक की अवधि समाप्त होने को थी तो संस्थाओं की दोनों प्रवर्तक समूहों से संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित एक अनुरोध प्राप्त किया जिसमें बताया गया कि उन्होंने अपने मतभेदों को सुलझा लिया था। और वे प्रबन्धन में पुनः भाग लेना चाहते हैं। दोनों समूहों ने यह भी बताया कि उन्होंने कम्पनी में अपनी शेयर धारिता को बढ़ा दिया था और वे अपने लगे धन में बढ़ोत्तरी करने के लिए और अधिक फण्ड लगाने के लिए सहमत हैं।

इस तथ्य पर विचार करते हुए कि प्रवर्तक अपने विवाद को सुलझा चुके थे और उन्होंने कंपनी में अपनी धारिता को बढ़ा लिया है, संस्थाओं ने बोर्ड में उनके पुनः प्रवेश का विरोध नहीं किया था। संस्थाओं के समक्ष एक अन्य कारण यह था कि कंपनी एक बृहत आधुनिकीकरण कार्यक्रम को अपने हाथ में ले चुकी थी और उसके प्रतिदिन के कार्यों में ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रबन्धन किया जाना अपेक्षित था जो कंपनी में वित्तीय वचनबद्धता रखते हों।

25 अक्तूबर, 1990 की स्थिति के अनुसार, वित्तीय संस्थाओं की शेयरधारिता और कंपनी के प्रबन्धन प्रवर्तकों का स्वरूप निम्न प्रकार से हैं :—

(रुपये लाखों में)

	शेयरों की संख्या	धनराशि	चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिशत
1. वित्तीय संस्थाएं	2,44,003	244.00	49.80
2. प्रबन्धन प्रवर्तक	6,24,589	62.46	12.75

नारियल तेल का आयात

1484. **प्रो० के० वी० थामस :**
श्री ए० विजय राघवन :
श्री पी० ए० एन्टनी :

क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नारियल तेल का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में नारियल तेल आयात करने का विचार है; और

(ग) नारियल तेल का आयात करने की स्थिति में नारियल उत्पादकों के हितों की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने ऐसा विनिश्चिय किया है कि नारियल तेल का सीमित मात्रा में आयात किया जाय।

(ग) इस सीमित मात्रा के आयात तथा वितरण की इस प्रकार व्यवस्था की जाएगी कि नारियल उपजकर्ताओं के हितों पर बुरा असर न पड़े।

गुजरात की लघु सिंचाई योजनाएं

1485. **श्री जी० के० शेखड़ा :** क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात की कौन-कौन सी लघु सिंचाई योजनाएं पर्यावरणीय दृष्टि से केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं;

(ख) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने सभी योजनाओं को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) लघु सिंचाई स्कीमों के लिए पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी देना आवश्यक नहीं होता है। तथापि वन, (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी के लिए गुजरात सरकार से लघु सिंचाई स्कीम के पांच

प्रस्ताव प्राप्त हुए, इन प्रस्तावों को अभी मंजूरी दी जानी है। स्कीमों के नाम और उनकी वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राज्य सरकार से पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर ही स्कीमों पर विचार किया जा सकता है।

विवरण

क्रम सं०	जिला	क्षेत्र (हे० में)	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	बनासकांठा	26.35	कपासिया गांव में लघु सिंचाई परियोजना	राज्य सरकार से 5-12-90 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गए हैं। उत्तर की प्रतीक्षा है।
2.	बनासकंठा	7.28	कानपुरा गांव में लघु सिंचाई स्कीम	राज्य सरकार से 4-12-90 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गए हैं। उत्तर की प्रतीक्षा है।
3.	बनासकंठा	12.00	तलाती गांव में लघु सिंचाई स्कीम	मामले पर आगे कार्रवाई की जा रही है।
4.	बनासकंठा	6.85	खुंनिया गांव में लघु सिंचाई स्कीम	राज्य सरकार से 27-12-90 को आवश्यक ब्यौरे मांगे गए।
5.	पंचमहल	0.2125	गुजा सुनाल गांव में लघु सिंचाई टैंक कैनाल	कार्यवाही चल रही है।

गोवा में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

1486. **प्रो० गोपाल राव मायकर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के गोवा राज्य में कर्मचारी ख-दो आदि श्रेणी के शहरों में मिलने वाले मकान किराए भत्ते के बराबर के भुगतान हेतु आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गोवा के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अन्य मांगें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) गोवा राज्य की केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समन्वय समिति से मई 1990 में प्राप्त ज्ञापन में मुख्यत: "ख-2" श्रेणी नगर की दरों पर मकान किराया भत्ते की मंजूरी के बारे में कहा गया है।

(ग) विद्यमान मानदंडों के अनुसार "ख-2" श्रेणी नगरों में लागू मकान किराया भत्ता की दरों पर मकान किराया भत्ता की मंजूरी के प्रयोजन के लिए "ख-2" श्रेणी में वर्गीकरण करने के लिए

किसी नगर के नगर पालिका क्षेत्र में 4 लाख से अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है। चूंकि यह मानदंड गोवा राज्य का कोई भी नगर पूरा नहीं करता इसलिए इस मांग को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है।

करों की वसूली में अदालत के स्थगन आदेश

1487. **श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले हुए हैं जिसमें उच्च न्यायालयों, उच्चतम न्यायालय और विभिन्न न्यायाधिकरणों ने आयकर/केन्द्रीय उत्पाद, शुल्क-सीमा और केन्द्रीय आयकर के निर्धारितियों से शुल्क/बकाया शुल्क की राशि वसूल करने से सरकार को रोकने के लिए स्थगन आदेश दिए हैं;

(ख) स्थगन आदेश कितने समय से प्रभावी चले आ रहे हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितने रुपये के ब्याज का नुकसान हुआ; और

(घ) सरकार ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

स्व-रोजगार कार्यों के लिए दिए गए ऋण

1488. **श्री धर्मन्ना मोन्ड्म्या सादुल** : **क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्पादनकारी स्व-रोजगार कार्यों के लिए वरीयता के आधार पर व्यक्तियों को दिए जाने वाले ऋणों की योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश के दूरस्थ क्षेत्रों में योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं या उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) वाणिज्यिक बैंक, शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना, शहरी गरीबों के स्व-रोजगार कायक्रम और स्कीम फार अर्बन माइक्रो एन्टरप्राइसेज आदि जैसी विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत पता लगाए गए हिताधिकारियों को ऋण देते हैं।

शिक्षित बेरोजगार युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत, उन शिक्षित बेरोजगार युवकों को, जिन्होंने मैट्रिक अथवा उससे उच्च शिक्षा प्राप्त की हो और 18-35 वर्ष के आयु-समूह में आते हों और जिनकी पारिवारिक आमदनी 10,000 रुपए वार्षिक से अधिक न हो, औद्योगिक कार्यों के लिए 35,000 रुपए, सेवा कार्यों के लिए 25,000 रुपए और कारोबार सम्बन्धी धन्धों के लिए 15,000 रुपए के ऋण दिए जाते हैं। केन्द्र सरकार, परियोजना की लागत के 25% के हिसाब से सब्सिडी देती है। यह योजना, 1987 की जनगणना के अनुसार, दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों को को छोड़कर, पूरे भारत में लागू की गई है।

शहरी गरीबों के स्वरोजगार के अन्तर्गत, उन हिताधिकारियों को 5,000 रुपये की सहायता

प्रदान की जाती है जिनकी पारिवारिक आय 7,200 रुपये वार्षिक से अधिक नहीं है। केन्द्र सरकार द्वारा ऋण की रकम के 25% के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है। यह कार्यक्रम, 1981 की जनगणना के अनुसार, 10,000 तथा उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी, महानगरीय, शहरी तथा अर्ध-शहरी केन्द्रों तथा सम्भावित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत न लाए गए केन्द्रों पर लागू होता है।

एस० यू० एम० ई० के तरह, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला हिताधिकारियों को 15,000 रुपये तथा अन्यों के सम्बन्ध में 12,000 रुपये की सहायता दी जाती है और परियोजना की लागत के 25% के हिसाब से सब्सिडी दी जाती है बशर्ते कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला हिताधिकारियों को दी जाने वाली अधिकतम सब्सिडी 5,000 रुपये और अन्यों के सम्बन्ध में 4,000 रुपये हो। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार, महानगरीय क्षेत्रों, शहरों और 10,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले कस्बों और ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगार शहरी गरीबों जिनकी पारिवारिक आय 7,200 रुपये से अनधिक हैं, और जिनमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू नहीं किया गया है, उन्हें इस योजना में शामिल किया गया है।

कार्यान्वयन एजेंसियां, इन योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए, स्थानीय समाचारपत्रों और अन्य प्रचार माध्यमों में इनका उचित रूप से प्रचार करती हैं। विकास सम्बन्धी अनेक योजनाओं में हुई प्रगति तथा उनमें बैंकों की सहभागिता के बारे में, इस प्रयोजन के लिए बनाये गये अनेक जिला स्तरीय समन्वय मंचों में चर्चा की जाती है तथा उनकी समीक्षा की जाती है।

अमरीकी तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को चीनी का निर्यात

1489. **प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों तथा अमरीका को वर्ष 1988-89 और 1989-90 के दौरान कितने टन चीनी का निर्यात किया गया तथा वर्ष 1990-91 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : विचाराधीन वर्षों के दौरान ई० ई० सी० देशों और संयुक्त राज्य अमरीका को चीनी के निर्यात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(मात्रा एम० टन में)

वर्ष	ई० ई० सी०	संयुक्त राज्य अमरीका
1988-89	10,000	6,780
1989-90	10,000	7,843
1990-91*	10,000	15,000 (अनुमानित)

* (ई० ई० सी० और अमरीका को लदान के लिए क्रमशः दिनांक 30-6-1991 और 20-9-1991 नियुक्त)

स्रोत : भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड (एस० टी० सी०)

बैंकों में अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों का स्थानांतरण

1490. **श्री मोरेश्वर साबे : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के बैंक कर्मचारियों को अपेक्षाकृत सुरक्षित जोनों में स्थानांतरित करने के सम्बन्ध में एक परिपत्र जारी किया है;

(ख) ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो इस घाटी से स्थानांतरित होना चाहते हैं; और

(ग) इनमें से सुरक्षित जोनों में स्थानांतरित कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने बैंकों को उनके अल्पसंख्यक समुदायों से सम्बन्धित कर्मचारियों के बारे में ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं । तथापि, बैंकों को परामर्श दिया गया है कि काश्मीर घाटी में तैनात कुछेक कर्मचारियों द्वारा कठिनाइयों का सामना करने की स्थिति को देखते हुए, एक अस्थाई उपाय के रूप में, बैंक उन कर्मचारियों को विवेक सम्मत तरीके से स्थानांतरित करने पर विचार कर सकते हैं, और ऐसा करते समय वे कार्य की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए तथा शाखाओं के कार्य को गम्भीर रूप से प्रभावित किए बिना, उनके अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरण अनुरोधों पर विचार कर सकते हैं । चूंकि बैंक कर्मचारियों की एक क्षेत्र/शाखा से दूसरे क्षेत्र/शाखा में स्थानांतरण/तैनाती एक सतत प्रक्रिया है, अतः इस प्रकार के स्थानांतरणों के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं ।

आर्थिक अपराधी

[हिन्दी]

1491. **श्री गंगा चरण लोधी : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पहले बीस औद्योगिक गृहों से सम्बन्धित आर्थिक अपराधों का ब्यौरा क्या है तथा गत दो वर्षों से अब तक उन पर लगाये गए आरोपों का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामला कितनी धनराशि से सम्बन्धित है; और

(ख) क्या सरकार का विचार आर्थिक अपराधों के मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु विशेष अदालतें स्थापित करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) कई राज्यों में आर्थिक अपराधों से सम्बन्धित मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु विशेष अदालतें पहले से ही कार्य कर रही हैं ।

पराम्बिकुलम, वायनाड और थेक्काडि (केरल) में वन्य जीव अभ्यारण्य

[अनुवाद]

1493. **श्री के० मुरलीधरण : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाथी परियोजना के तहत केरल के पराम्बिकुलम, वायनाड और थेक्काडि में वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना के लिए कितने हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत करने का विचार है; और

(ख) सरकार ने वहां से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) पराम्बिकुलम, वायनाड और थेक्काडि केरल के अधिसूचित वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। "हाथी परियोजना" के तहत इन अभ्यारण्यों के अन्तर्गत भूमि के अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पुणे, महाराष्ट्र में सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं में धोखाधड़ी

1494. **श्री बाबूभाई मेघजी शाह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ औद्योगिक घरानों/उद्योगपतियों द्वारा पुणे, महाराष्ट्र में सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की शाखाओं में धोखाधड़ी की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और धोखाधड़ी के प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(ग) धोखाधड़ी के मामलों में लिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना हेतु पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी देने में भेदभाव

1495. **श्री विद्याधर गोखले** : क्या **पर्यावरण और वन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की औद्योगिक परियोजना को आरम्भिक औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करते समय केन्द्रीय सरकार से पर्यावरण सम्बन्धी मंजूरी लेना आवश्यक है;

(ख) क्या यह शर्त निजी क्षेत्र के लिए लागू नहीं होती है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या सुधारात्मक कदम उठा रही है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) जी, हां। 20 करोड़ रुपए और इससे अधिक की लागत वाली केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की सभी परियोजनाओं के मामले में सार्वजनिक पूंजीनिवेश बोर्ड द्वारा पूंजीनिवेश के बारे में निर्णय लेने से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति लेनी होती है। अब तक, प्राइवेट क्षेत्र की केवल उन्हीं परियोजनाओं पर विचार किया जाता है, जिनके लिए या तो वन भूमि को वनेतर प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है अथवा जिनके विरुद्ध आम लोगों से शिकायतें प्राप्त होती हैं। पर्यावरणीय स्वीकृति को

सांविधिक अपेक्षा बनाने का प्रस्ताव जैसे ही पारित होगा, सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्र की सभी परियोजनाएं इस व्यवस्था के तहत आ जाएंगी ।

वस्त्र मेला

1496. **डा० सी० सिलवेरा :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 21 दिसम्बर, 1990 से वस्त्र मेला आयोजित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मेले के आयोजन का क्या उद्देश्य है;

(ग) क्या इस मेले के दौरान भारतीय वस्त्रों के लिए कोई निर्यात आर्डर प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है ?

(ङ) क्या ऐसे मेलों को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए भविष्य की कोई योजना तैयार की गई है; और

(च) इस मेले में भाग लेने वालों के लिए चयन का क्या मापदंड रखा गया है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, हां ।

(ख) हथकरघा, खादी, ऊनी निटवियर और वस्त्रों से सम्बन्धित एक प्रदर्शनी टेक्स-इण्डिया प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 21 दिसम्बर, 1990 से 6 जनवरी, तक लगाई जा रही है । प्रदर्शनी के उद्देश्य, देश में उपलब्ध विविध किस्म के भारतीय वस्त्रों की क्वालिटी और कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता के प्रति जागरूकता पैदा करना तथा वस्त्रों के विनिर्माओं को उनके उत्पादों को बेचने के लिए सक्षम बनाना है ।

(ग) यह एक घरेलू मेला है । टी०एफ०ए०आई० से प्राप्त सूचना के अनुसार मेले में भाग लेने वालों से किए गए किसी सीधे निर्यात का पता नहीं चलता है ।

(घ) और (ङ) टी०एफ०ए०आई० ने भविष्य में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े वस्त्र मेले के आयोजन का कार्यक्रम बनाया है ।

(च) टेक्स-इण्डिया प्रदर्शनी में भागीदारी, सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्रों में विनिर्मित होने वाले सभी किस्म के वस्त्रों और विनिर्मित उत्पादों के विनिर्माओं, डीलरों और व्यापारियों के लिए खुली है । भागीदारी पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर स्वीकार की जाएगी ।

कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना का कार्यान्वयन

1497. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और गामीण विकास बैंक के अधिकारियों द्वारा कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना के कार्यान्वयन पर पूर्ण निगरानी रखी गयी है;

(ख) क्या उन्होंने इस योजना के कार्यान्वयन में कोई कमी पाई है;

(ग) यदि हां, तो यह कमियां किस प्रकार की हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन पर राज्यवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक योजना के उचित कार्यान्वयन की जांच करने के लिए टेस्ट चैक करता रहा है । कुछ मामलों में निम्नलिखित प्रकार की कमियों का पता चला है :—

(i) योजना के अन्तर्गत अपात्र ऋणकर्ताओं को शामिल किया गया है ।

(ii) ब्याज का उचित रूप से हिसाब नहीं लगाया गया है ।

(iii) योजना के अन्तर्गत अपात्र प्रयोजनों को शामिल किया गया है ।

(iv) उन ऋण किश्तों को भी जो दिनांक 2 अक्तूबर, 1989 को अतिदेय हो गयी थी, योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया था ।

जहां कहीं कमियां पाई गयीं, उन्हें दूर करने के लिए-संबद्ध संस्थाओं की जानकारी में उन्हें लाया गया ।

(घ) कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना को कार्यान्वित करने के लिए अनुदानों के रूप में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार के हिस्से के अग्रिमों की राज्य-वार कुल राशि संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

पहली जनवरी, 1991 की स्थिति के अनुसार कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सहकारी समितियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदान किए गए अग्रिमों का ब्यौरा

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य	नाबार्ड द्वारा दी गई राशि	
		एस सी बी	एस एल डी बी
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	31.33	22.67
2.	असम	—	—
3.	बिहार	31·00	28.50
4.	गोवा	0.50	—

1	2	3	4
5.	गुजरात	59.00	5.00
6.	हरियाणा	27.67	7.67
7.	हिमाचल प्रदेश	1.00	0.33
8.	जम्मू एण्ड कश्मीर	—	—
9.	कर्नाटक	27.00	4.33
10.	केरल	23.33	5.00
11.	मध्य प्रदेश	72.50	10·26
12.	महाराष्ट्र	114.50	24.00
13.	मणिपुर	—	—
14.	मेघालय	—	—
15.	नागालैण्ड	—	—
16.	उड़ीसा	39.66	5.00
17.	पंजाब	50.00	3.00
18.	राजस्थान	43.00	7.33
19.	तमिलनाडु	50.50	25.50
20.	त्रिपुरा	—	—
21.	उत्तर प्रदेश	58.50	19.00
22.	पश्चिम बंगाल	19.00	3.00
23.	पांडिचेरी	—	—
24.	मिजोरम	—	—
25.	चण्डीगढ़	—	—
26.	दिल्ली	—	—
	कुल	648.49	170.59

एस सी बी — राज्य सहकारी बैंक

एस एल डी बी — राज्य भूमि विकास बैंक

भारत बिजनेस इन्टरनेशनल लिमिटेड पर खर्च की गई धनराशि

1498. **श्री मोहनभाई संजीभाई डेलकर** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत बिजनेस इन्टरनेशनल लिमिटेड पर इसकी स्थापना से समापन तक कितनी धनराशि खर्च की गई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : भारत बिजनेस इन्टरनेशनल लि० की स्थापना से दिनांक 30 नवम्बर, 1990 तक की अवधि के दौरान उस पर कुल 1.60 करोड़ रुपये का व्यय हुआ ।

तमिलनाडु के लिए विश्व बैंक की सहायता

1499. **श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु को किसी कस्बे के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा कोई सहायता दी दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो विकसित किये जाने वाले कस्बों के नाम क्या हैं और प्रत्येक कस्बे के लिए कितना धन निश्चित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए 3002 लाख डालर के समकक्ष राशि के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ उधार के सम्बन्ध में 16-9-80 को विकास उधार करार निष्पन्न किया गया था । इस परियोजना में मद्रास, कोयम्बटूर, मदुरै, तिरूचिरापल्ली, सालेम, तिरूनेलवेली, इरोद, टूटिकोरिन, वैलोर और तिरूपुर के दस शहरी समूह शामिल हैं । अलग-अलग शहरों के लिए कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया है ।

पंजाब में वनों का कटाव

1500. **श्री कमल चौधरी** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में गत तीन वर्षों के दौरान कितने वन कटे हैं;

(ख) क्या इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

प्याज के बीज का निर्यात

1501. **श्री चंद्रेश पटेल** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्याज के बीज के निर्यात की अनुमति देने का है ताकि किसानों को अपने उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्याज के बीज के निर्यात के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

ताजा सब्जियों, फलों और मेवों का निर्यात

1502. **श्री के० एस० राव** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ताजा सब्जियों, फलों और मेवों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात की गई ताजा सब्जियों, फलों और मेवों के नाम क्या हैं, और इनका निर्यात किन-किन देशों को किया जा रहा है; और

(ग) वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान इन मदों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्याज, भिंडी, लाल मिर्च, करेला जैसी ताजी सब्जियों और सेम, बैंगन, अरबी आदि जैसी विविध सब्जियों, आम, अंगूर, तरबूज, निम्बूवशीय फल तथा सेब जैसे ताजे फलों और मेवों में अखरोट गिरी का निर्यात किया जा रहा है। जिन प्रमुख देशों को इनका निर्यात किया गया और उनके निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं।

विवरण

	अर्जित विदेशी मुद्रा (रु०/लाख)			प्रमुख देश जिनको निर्यात किए गए
	1987-88	1988-89 (अन०)	1989-90 (अन०)	
1. ताजी सब्जियां				
(क) प्याज	4344	6881	8455	सिंगापुर, मलेशिया, बंगला देश, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, श्रीलंका
(ख) अन्य सब्जियां	1649	2632	2909	संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीतन, कतर
2. ताजे फल	4352	3695	4193	सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, ब्रिटेन
3. अखरोट गिरी	1135	1555	1508	ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैण्ड

स्रोत :—नैफेड, नई दिल्ली, ए पी डा, नई दिल्ली

तम्बाकू उत्पादकों को सुविधायें

[हिन्दी]

1503. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तम्बाकू बोर्ड ने गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों से तम्बाकू उत्पादकों के लाभ के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि तम्बाकू उत्पाद को उनके उत्पादन का मूल्य व्यापारियों से ठीक समय पर आसानी से मिल जाए;

(ग) यदि हां, तो क्या व्यापारियों ने इस बारे में आपत्ति की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने ऐसे क्या कदम उठाए हैं जिनसे व्यापारियों द्वारा उन्हें भुगतान आसानी से किया जाने लगे ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शांति लाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ङ) संभवतः इसका संदर्भ तम्बाकू बोर्ड द्वारा शुरू किए गए उन प्रयासों से है जिसमें राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत दिलाने के लिए बीड़ी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामी शुरू करें। व्यापारियों को इस संबंध में कुछ आपत्तियां हैं। ये आपत्तियां मुख्यतः बैंकिंग प्रणाली से ऋण की उपलब्धता से सम्बन्धित हैं। सरकार ने इस मामले पर भारतीय रिजर्व बैंक से बात की है। रिजर्व बैंक ने ऐसा संकेत दिया है कि व्यापार की ऋण अपेक्षाओं को पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। गैर-वर्जीनिया तम्बाकू को तम्बाकू बोर्ड के कार्य क्षेत्र में लाने के लिए एक विधेयक संसद में पहले ही पेश किया जा चुका है और इस मामले पर आगे की कार्रवाई विधेयक पास हो जाने के बाद की जाएगी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा ब्रुशों की खरीद

[अनुवाद]

1504. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के इस्पात संयंत्र गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों से विभिन्न प्रकार के औद्योगिक एवं पैन्ट ब्रुशों की खरीद कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन ब्रुशों को सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक यूनिटों से खरीदने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन-पटल रख दी जाएगी।

गंगा सफाई योजना सहायता का तथाकथित दुरूपयोग

1505. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैंड सरकार ने कानपुर में गंगा सफाई योजना के लिए 100 करोड़ रुपये दिए थे;

(ख) क्या कानपुर के प्राधिकारियों द्वारा उक्त विदेशी सहायता का तथाकथित दुरूपयोग एवं इसका अन्यत्र प्रयोग किए जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य एवं ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) नीदरलैंड सरकार ने कानपुर में गंगा कार्य योजना के कार्यों के लिए केवल 30.50 करोड़ रुपए (1 डी० एफ० एल०=10 रु० वर्तमान विनिमय दर पर) दिए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे लोहे के कारखाने स्थापित करना

1506. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**
श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो गैर सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में कच्चे लोहे के कितने कारखाने स्थापित करने का विचार है;

(ग) विभिन्न राज्यों से इस सम्बन्ध में कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) इन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कच्चे लोहे को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है बशर्ते इसमें कुछ स्थान संबंधी प्रतिबन्ध है। अतएव उद्यमियों को कच्ची सामग्री की उपलब्धता बाजार आदि की समीपता को ध्यान में रखकर विनिर्माण के लिए स्थान का चयन करने की स्वतन्त्रता है। इस्पात विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार उद्यमी आंध्र प्रदेश (5), मध्य प्रदेश (4), महाराष्ट्र (3), पश्चिम बंगाल (2), कर्नाटक (1) तथा उड़ीसा (1) राज्य में इकाइयों की स्थापना करने की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं। उन्हें प्रौद्योगिकी के आयात, कच्ची सामग्री की सहलग्नता, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के क्षेत्रों में आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हेरोइन का पकड़ा जाना

1507. **श्री बालगोपाल मिश्र : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नवम्बर, 1990 में करोड़ों रुपए की हेरोइन पकड़ी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने दिनांक 26-11-1990 को दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति को रोक कर उसके कब्जे से 4 कि०ग्रा० हेरोइन और 6 कि०ग्रा० अफीम पकड़ी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और विधि के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

कुवैती मुद्रा की विनिमय दर

1508. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कुवैत से वापस आए भारतीयों को 25 रुपए प्रति दीनार देकर कितनी कुवैती मुद्रा एकत्रित की;

(ख) क्या सरकार को 25 रुपए की दर बढ़ान के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 19 दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार कुवैत से वापिस आने वाले भारतीयों से प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा 9,763,071.12 कुवैती दीनारों का विनिमय कुवैती दीनार 1 = .25 रुपया की दर पर 24.41 करोड़ रुपयों में किया गया, यह दर फोरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन आफ इण्डिया द्वारा तय की गयी थी।

(ख) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव वित्त मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है।

केरल उच्च न्यायालय में अपराधिक अपीलें

1509. **श्री पी० सी० थामस** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल उच्च न्यायालय में कितने अपराधिक मामलों की अपीलें लम्बित पड़ी हैं;

(ख) सर्वाधिक अवधि से लम्बित पड़े पहले दस मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लम्बित पड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

उच्चतम न्यायालय में लम्बित अपराधिक अपीलें

1510. **श्री पी० सी० थामस** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपराधिक मामलों में कितने व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया जिनकी अपीलें उच्चतम न्यायालय में तीन वर्षा से अधिक समय से लम्बित हैं;

(ख) ऐसे प्रथम दस मामलों का ब्यौरा क्या है जो उच्चतम न्यायालय में सुनवाई की प्रतीक्षा में हैं; और

(ग) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से ग) जानकारी एकत्र जी जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

बैंकों द्वारा "क्रेडिट कार्ड" कारोबार

1512. **श्री शान्ताराम पोटदुखे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "क्रेडिट कार्ड" जारी करने वाले राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या इस कारोबार से अशोध्य ऋण राशि में वृद्धि हो रही है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस "क्रेडिट कार्ड" कारोबार की उपयोगिता और लाभ-कारिता के बारे में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वाणिज्यिक बैंकों के इस कारोबार पर निगरानी रखने वाली अन्य एजेंसी के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित बैंकों ने स्वयं की या दूसरी संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से ऋण कार्ड (क्रेडिट कार्ड) शुरू किए हैं :—

1. बैंक आफ बड़ौदा
2. बैंक आफ इण्डिया
3. आन्ध्रा बैंक
4. विजया बैंक
5. सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया

6. भारतीय स्टेट बैंक

7. केनरा बैंक

8. सिंडिकेट बैंक

9. कार्पोरेशन बैंक

10. इलाहाबाद बैंक

11. यूनियन बैंक आफ इण्डिया

12. द वैश्य बैंक लि०

13. सिटी बैंक

14. ए० एन० जेड० ग्रिंडलेज बैंक

क्रेडिट कार्ड कारबार एक ऐसा कार्य है जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अन्तर्गत बैंकों के लिए स्वीकार्य है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे सूचित किया है कि उसने सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि यदि कोई बैंक घरेलू क्रेडिट कार्ड कारबार में प्रवेश करने का इच्छुक है तो उस बैंक के लिए यह बेहतर होगा यदि वह उस बैंक के साथ तालमेल स्थापित कर जिसने पहले से ही क्रेडिट कार्ड शुरू किए हुए हैं और बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक की विशिष्ट अनुमति प्राप्त करें। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे क्रेडिट कार्ड जारी करने में चयनात्मक हों और क्रेडिट कार्ड धारकों से देय राशियों की शीघ्र वसूली और अन्तरणों का हिसाब करने तथा समाधान करने के लिए उपयुक्त तन्त्र स्थापित करें। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे अर्ध-वार्षिक आधार पर विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट तैयार करें जिसमें क्रेडिट कार्ड प्रणाली के परिचालनों से सम्बन्धित ब्यौरा हो और उसे बैंकों के निदेशक बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करें। भारतीय रिजर्व बैंक के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि क्रेडिट कार्ड कारबार से अशोध्य ऋणों में वृद्धि हो रही है। फिर भी, सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने जिन्होंने क्रेडिट कार्ड कारबार शुरू किए हैं, बताया है कि इस कारबार से उनके पास अशोध्य ऋण नहीं हैं।

वित्तीय संस्थाओं तथा पारस्परिक निधि द्वारा शेयरों की खरीद-बिक्री

1513. **श्री शान्ताराम पोटवुखे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शेयरों की खरीद बिक्री के सम्बन्ध में वित्तीय संस्थाओं तथा पारस्परिक निधि के बीच कोई सांठ-गांठ है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में पारस्परिक निधि पर सरकार द्वारा किस प्रकार का नियन्त्रण रखा गया है अथवा रखा जा रहा है; और

(ग) पारस्परिक निधि का स्टाक एक्सचेंज के कार्यकलापों पर क्या प्रभाव पड़ता है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) वित्तीय संस्थाएं और पारस्परिक निधियां अपने वाणिज्यिक निर्णयों के आधार पर शेयरों की खरीद और बिक्री के बारे में निर्णय लेती है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पारस्परिक निधियां निवेशकों को व्यावसायिक निवेश प्रबन्ध सेवाएं प्रदान करती हैं और इससे वे स्टाक बाजार प्रचालनों में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने योग्य बन गए हैं।

अखिल भारतीय संस्थाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

1514. **श्री शान्ताराम पोटदुखे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीनों अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजी निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने 10 लाख डालर के समुचित ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ वार्ता शुरू की है या करने का प्रस्ताव है;

(ख) उक्त प्रत्येक संस्था को इस ऋण की राशि में से कितनी धनराशि मिलेगी और इस ऋण का उपयोग किस प्रकार करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या कुछ वित्तीय संस्थाएं भी अधिक धन जुटाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार में प्रवेश करना चाहती हैं;

(घ) यदि हां, तो कितना धन जुटाने की सम्भावना है और इन सभी ऋणों का विदेशी मुद्रा संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) इन ऋणों के माध्यम से ये संस्थाएं किस सीमा तक उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होंगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम विश्व बैंक से उधार लेने की एक सामान्य शृंखला की सम्भावना का पता लगा रहे हैं जिसका उपयोग अनुमोदित औद्योगिक परियोजनाओं के संघटकों के आयात का वित्तपोषण करने के लिए किया जा सके।

(ग) से (ङ) वित्तीय संस्थाएं, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी जरूरतों का वित्तपोषण करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से ऋण जुटाती रही हैं। इनके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। जुटाए गए संसाधनों की राशि, बाजार की स्थितियों और ब्याज दर, परिपक्वता की अवधि, आदि, जैसी उधार की शर्तों पर निर्भर करेगी। इस प्रकार जुटाए गए संसाधनों का उपयोग इन संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

चमड़े के उत्पादों का निर्यात

1515. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी की नयी सरकार ने भारत के चमड़े के उन उत्पादों के आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया; जिनमें पेन्टा क्लोरो फेनल की मात्रा 5 मि० ग्रा०/कि० ग्रा० से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध के परिणामस्वरूप चमड़ा उद्योग के पास अवरुद्ध भण्डार का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जर्मन संघीय गणराज्य (एफ० आर० जी०) की तत्कालीन सरकार ने 22-12-89 को एक आदेश जारी किया था जिसमें विशेष वितरण के तहत निर्धारित उन सभी उत्पादों के आयात पर दिनांक 23-3-90 से प्रतिबन्ध लगाया गया था जिनमें हानिकर पदार्थ अधिनियम के तहत 5 मि० ग्रा०/कि० ग्रा० से अधिक पेन्टाक्लोरोफिनोल (पी० सी० पी०) होता है। प्रतिबन्ध अभी भी लागू है।

(ख) अब तक व्यापार द्वारा ही प्रतिबन्ध की सूचना दिए जाने के कारण पश्चिम जर्मनी में चमड़े का माल भेजने में कोई रुकावट नहीं है।

सीमाशुल्क विभाग द्वारा जब्त किए गए माल की सूचना देने वालों को पुरस्कार

1516. **श्री बलवन्त मणवर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किए गए माल की सूचना देने वाले को उपयुक्त पुरस्कार दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रक्रिया क्या है;

(ग) क्या गुजरात के अनेक अधिकारियों ने केन्द्रीय सरकार को उन्हें अपर्याप्त पुरस्कार दिए जाने के बारे में अभ्यावेदन दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) उन व्यक्तियों को, जिनके द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर निषिद्ध माल का अभिग्रहण किया जाता है, अभिगृहीत माल के अनुमानित बाजार मूल्य की राशि का 20 प्रतिशत तक वित्तीय पुरस्कार दिए जाने की एक योजना है। तथापि, यह पुरस्कार पूर्णतः अनुग्रहपूर्वक अदायगी के रूप में होता है और इसके लिए साधिकार दावा नहीं किया जा सकता है। किसी विशिष्ट मामले में प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार की राशि पर एक पुरस्कार समिति द्वारा विचार करने के बाद ही मंजूरी दी जाती है, और जो सूचना की विशिष्टता और यथार्थता, उठाए गए जोखिम और परेशानी, मुखबिर द्वारा दी गई सहायता की सीमा और स्वरूप तथा इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखती है कि क्या तस्करी में ग्रस्त व्यक्तियों या उनके सहयोगियों आदि के बारे में सूचना में कुछ सुराग दिया गया है। स्वीकृत पुरस्कार की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान माल के अभिग्रहण के तत्काल बाद अग्रिम राशि के रूप में किया जा सकता है और शेष रकम का भुगतान मामले में सभी कार्यवाहियां पूरी हो जाने के बाद करना पड़ता है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

काफी प्रौद्योगिकी संस्थान

1517. **श्री बलवन्त मणवर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार फसलोत्तर मूल्य की समस्याओं के समाधान हेतु काफी प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) क्या वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को समय पर पूरा करने के लिए काफी अधिनियम, 1942 में संशोधन करने का भी विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र, काफी बोर्ड, भारत सरकार तथा काफी से सम्बन्धित उद्योगों को मिलाकर संयुक्त उद्यम के रूप से उन्नत काफी प्रौद्योगिकी के लिए एक केन्द्र स्थापित करने का विचार रखा गया है।

(ख) कॉफी अधिनियम, 1942 में संशोधन करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बीछावी, राजस्थान में प्रदूषण

1518. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान में उदयपुर के आस-पास बीछड़ी और अन्य गांवों में भारी औद्योगिक प्रदूषण के सम्बन्ध में कोई शिकायतें मिली है;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम शिकायत कब प्राप्त हुई; और

(ग) दोषी एककों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। राजस्थान में उदयपुर जिले के बीठड़ी क्षेत्र के ग्रामों में प्रदूषण के सम्बन्ध में अन्तिम शिकायत 2-10-90 को प्राप्त हुई थी।

(ग) प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों ने एच-एसिड का निर्माण करना बन्द कर दिया है। इन उद्योगों से हुए प्रदूषण के कारण प्रभावित गांवों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के बारे में एक मामला सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है।

पशु पर अत्याचार

1519. **श्री महेन्द्र सिंह मेवाड़** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशुओं के प्रति अत्याचार पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा नियम एवं विनियम क्या हैं;

(ख) क्या इन नियमों और विनियमों का सर्कस आयोजकों और फिल्म यूनिटों द्वारा दृढ़ता से पालन किया जाता है;

(ग) यदि सरकार को वर्तमान कानूनों के उल्लंघन के किन्हीं मामलों का पता लगा है तो उसका ब्यौरा क्या है और इस मामले पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) प्राधिकारियों द्वारा कितनी बार और किस प्रकार की निगरानी की जा रही है; और

(ङ) इस प्रकार के उल्लंघन की जिम्मेवारी किस विभाग पर है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) "जीवजन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960" की धारा 11 और 12 में जीवजन्तुओं के प्रति क्रूरता से सम्बन्धित उन गतिविधियों का उल्लेख किया गया है, जो अधिनियम के तहत दण्डनीय है। इस सम्बन्ध में विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत नियम भी अधिसूचित किए गए हैं।

(ख) अधिनियम और नियमों के उल्लंघन के मामले समय-समय पर सरकार के ध्यान में आते रहते हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में जांच के अधिकार पुलिस अधिकारियों और जीवजन्तुओं के प्रति क्रूरता निवारण सोसाइटियों के निरीक्षकों को दिए गए हैं, जो समय-समय पर सर्कसों और फिल्म यूनिटों की जांच करते हैं।

निर्यात निरीक्षण एजेंसियों के लिए आंतरिक कार्य अध्ययन एकक

1520. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात निरीक्षण एजेंसियों के लिए हाल में एक आंतरिक कार्य अध्ययन एकक स्थापित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसने अध्ययन कार्य पूरा करके अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इसमें क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को मंजूर कर लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (घ) मंत्रालय में आन्तरिक कार्य अध्ययन एकक पहले से है जो वाणिज्य मंत्रालय के नियन्त्रणाधीन संगठनों/कार्यालयों का अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार है। आई० डब्ल्यू० एस० यू० ने मद्रास और कोचीन में स्थित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों के कार्यालयों का अध्ययन किया था और उसकी सिफारिशें प्राप्त होनी हैं।

जम्मू में वनों की कटाई

1521. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू में गत तीन वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए जापान की सहायता

1522. **श्री बालगोपाल मिश्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सहायता देने पर सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में भारत और जापान के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भारत और जापान सरकारों के बीच वर्ष 1990-91 के लिए 60 करोड़ येन की अनुदान सहायता के वास्ते 4-10-1990 को पत्रों का आदान-प्रदान किया गया था । इस अनुदान का मुख्यतः डी० ए० पी० उर्वरक के आयात के लिए उपयोग करने का प्रस्ताव है।

कच्चे माल का आयात

1523. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तेल के संकट को देखते हुए कुछ कच्चे मालों के आयात में कटौती करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में किए जा रहे उत्पादन पर इसका किस हद तक प्रभाव होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) हाल में आटोमोबाइल, इलैक्ट्रानिक मदों और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के विनिर्माण में लगे वास्तविक प्रयोक्ताओं की आयात हकदारी पर 15% कटौती की गई है ।

(ग) उत्पादन-मात्रा पर इसका कोई गम्भीर प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि उद्योग आर० ई० पी०/अतिरिक्त लाइसेन्सों पर आयात की वैकल्पिक सुविधा हमेशा प्राप्त कर सकता है ।

गोवा में समान आचार संहिता लागू करने पर आपत्ति

1524. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में केवल गोवा राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां समान आचार संहिता लागू है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को अभी तक किसी से गोवा में समान आचार संहिता लागू करने पर आपत्ति प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चीनी का निर्यात

1525. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कितनी मात्रा में चीनी निर्यात करने का विचार है;

(ख) विभिन्न चीनी उत्पादक राज्यों का इसमें इस निर्यात के लिए कितनी चीनी उपलब्ध की जाएगी;

(ग) क्या प्रेषित माल के तयशुदा चीनी का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य उत्पादन लागत में बहुत ही कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय चीनी मिलों को राजसहायता देकर उनकी प्रति पूर्ति करने का है; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान चीनी का कितना उत्पादन होने का अनुमान है और चीनी के निर्यात का किस सीमा तक स्वदेशीय उपभोक्ताओं के हितों को चीनी के मूल्यों के मामले में कितना प्रभावित करेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) सरकार ने एस० टी० सी० से कहा है कि वह सीधे ही अथवा चीनी उद्योग के साथ मिलकर चालू वर्ष के दौरान 2 लाख एम० टी० चीनी निर्यात करे ।

(ख) राज्यवार आबंटन नहीं किया गया है ।

(ग) चीनी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें भारतीय चीनी की एफ० ओ० बी० लागत की अपेक्षा सामान्यतः कम रहती है ।

(घ) चीनी के निर्यात, उन निर्यातकों को छोड़कर जोकि सं० रा० अमरीका तथा ई० ई० सी० के ऊंची कीमत वाले अधिमानी कोटे के आधार पर किए जाते हैं, सरकार से समुचित नकद मुआवजा सहायता के लिए पात्र है ।

(ङ) वर्तमान प्राक्कलनों में चालू वर्ष के लिए चीनी उत्पादन लगभग 110 लाख एम० टी० रखा गया है । 2 लाख मी० टन चीनी के निर्यात से कीमत के रूप में घरेलू उपभोक्ताओं के हितों पर सम्भवतः कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा खाद्यान्न का निर्यात

1526. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री जी० एस० वासवराज :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से खाद्यान्नों का निर्यात करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने इस कार्य को करने के लिए प्राइवेट कांट्रेक्टर्स की नियुक्ति के लिए निविदाएं आमन्त्रित की हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) सरकार ने ए० टी० सी०/एम० एम० टी० सी० के विभिन्न मदों के निर्यात-अनुभव को देखते हुए दोनों संगठनों से कहा है कि वे 10 लाख मी० टन गेहूं और 5 लाख मी० टन गैर-बासमती चावल निर्यात करें।

(ग) जी, हां।

खाड़ी से वापस लौटे व्यक्तियों से सीमा-शुल्क और आयकर

1527. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खाड़ी से वापस लौटे व्यक्तियों को दी गयी सीमा शुल्क और आयकर रियायतों के बारे में सरकार की नीति क्या ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : उन मोटर कारों के आयात पर सीमा शुल्क से छूट दी गयी है जो ईराक/कुवैत से वापस आए प्रवासी भारतीयों द्वारा अटारी, अमृतसर, भू-सीमा शुल्क केन्द्र के माध्यम से भारत में लाई गयी हैं। समुद्र के माध्यम से खाड़ी से वापस लौटे प्रवासी भारतीयों द्वारा आयातित कारों को छूट प्रदान किए बिना अस्थाई आयात करने की सुविधा दी गयी है।

खाड़ी से वापस आए प्रवासी भारतीयों को आवास परिवर्तन नियमों/सामान नियमों के अन्तर्गत कोई विशेष रियायतें नहीं दी गयी हैं।

खाड़ी से लौटे प्रवासी भारतीयों को अभी तक आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कोई रियायत नहीं दी गयी है।

पश्चिम एशिया को निर्यात सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए आकस्मिक योजना

1528. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम एशिया में पैदा हुए संकट से प्रभावित भारतीय निर्यात की समस्याओं को हल करने के लिए कोई आकस्मिक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित आकस्मिक योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस योजना को कब लागू किया जाएगा; और

(घ) निर्यातकों को इससे कहां तक लाभ होगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (घ) इराक और कुवैत में चल रही स्थिति के परिणामस्वरूप खाड़ी क्षेत्र के निर्यातकों की समस्याएं हल करने के उद्देश्य से वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गयी अनेक समस्याओं पर निर्णय लिए।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा कुवैत और इराक के साथ व्यापार सम्बन्धी आर्थिक रोक से हुआ घाटा पूरा करने के लिए परम्परागत और गैर-परम्परागत दोनों मदों के निर्यात बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में भारतीय मिशनों से कहा गया है कि वे उन मदों/माल का पता लगाएं जिनकी मांग बहुत अधिक है और जिनके द्वारा मौजूदा स्थिति में काफी निर्यात बढ़ाया जा सकता है। मिशनों से प्राप्त जानकारी निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों के जरिए उन निर्यातकों को दे दी गयी है, जिनसे अलग में यह कह दिया गया था कि इराक और कुवैत पर आर्थिक रोक से हुए निर्यात घाटे को पूरा करने के लिए अन्य क्षेत्रों को अपने निर्यात बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाएं।

नई दिल्ली स्थित भारतीय इस्पात प्राधिकरण की बिक्री शाखा कार्यालय द्वारा इस्पात पदार्थों का वितरण

1529. **श्री बी० एन० रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित भारतीय इस्पात प्राधिकरण की बिक्री शाखा कार्यालय के कार्यकरण पर आन्तरिक समिति और व्यावसायिक लेखा परीक्षक की विपरीत टिप्पणी के बावजूद नियमित वाणिज्यिक उत्पादन के लिए 16500 मी० टन कच्चे माल की मांग के आधार पर विभिन्न वितरण योजनाओं के तहत बुकिंग पुनः की है;

(ख) क्या डी० जी० टी० डी० अधिकारियों ने किसी एकक को ब्रेक इक्विपमेंट के 9000 सेटों की लाइसेंस क्षमता जारी की है;

(ग) क्या उपर्युक्त लाइसेंसशुदा मात्रा के विनिर्माण के लिए, डी०जी०टी०डी० ने, स्टली सेक्सन की 1980 मी० टन और कच्चे लोहे की 3420 मीटरी टन की उनकी कच्ची सामग्री की मांग की जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो अतिरिक्त इस्पात के आबंटन के कारण और औचित्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० (सेल) अपने शाखा बिक्रय कार्यालय सहित संयुक्त संयंत्र समिति के वितरण-मार्ग दर्शनों के अनुरूप विभिन्न उपभोक्ताओं को लोहे और इस्पात का वितरण करता है।

मैसर्स ग्रेशम एण्ड कम्पनी जो डी० जी० टी० डी० की इकाई है, उन उपभोक्ताओं में से एक है जिसे शाखा बिक्रय कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।

डी० जी० टी० डी० इकाइयों को जारी क्षमता/पंजीयन प्रमाण-पत्रों में सामान्यतया तैयार माल की मात्रा का ही उल्लेख होता है, न कि उसके लिए आवश्यक कच्ची सामग्री का। अतः कच्चे माल की सप्लाई के बारे में चार्टर्ड इन्जीनियर्स प्रमाण-पत्रों पर निर्भर करना पड़ता है। संयुक्त संयंत्र समिति के

वितरण-मार्गदर्शनों में चार्टर्ड इन्जीनियर प्रमाण-पत्रों के आधार पर डी० जी० टी० डी० इकाइयों को सप्लाई करने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं है। कार्य पद्धति के अनुसार आवेदक को इस आशय का एक घोषणा-पत्र देना पड़ता है कि मांगी गयी कुल मात्रा उनकी लाइसेंस/पंजीकृत क्षमता से अधिक नहीं है।

(ख) मैसर्स ब्रेशम एण्ड कम्पनी, दिल्ली को रेलवे ब्रेक उपकरणों के 9000 सेट का विनिर्माण करने के लिए डी० जी० टी० डी० द्वारा पंजीयन की मंजूरी दी गयी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निर्धन लोगों को कानूनी सहायता

1530. **श्री बी० देवराजन :**
श्री चान सिंह जाटव :
श्री परसराम भारद्वाज :
श्री हरीश पाल :
श्री मंगाराज मलिक :

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारें वित्तीय कठिनाइयों के कारण महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य निर्धन एवं सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को कानूनी सहायता उपलब्ध नहीं करा पाई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो गत वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ दी गई राशि का ब्यौरा क्या है तथा राज्य सरकारों द्वारा, राज्य-वार, इसका कितना उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वे निर्धन लोगों को कानूनी सहायता प्रदान कर सकें ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) जी, नहीं। ऐसे किसी उदाहरण की जानकारी राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों ने, जिनका वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, केन्द्रीय सरकार को नहीं दी है।

(ख) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों को, उनके अनुरोध पर, वित्तीय सहायता देते समय, विधिक साक्षरता बढ़ाने, परा विधिकों के प्रशिक्षण, लोक अदालतें आयोजित करने जैसे विनिर्दिष्ट विधिक सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए उनके क्रियाकलाप की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) एक विवरण, जिसमें वित्तीय वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान दिए गए सहायता अनुदान तथा राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा उपयोग की गई रकम के सम्बन्ध में जानकारी दी गई है, संलग्न है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

संघीय सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान उपलब्ध की गई वित्तीय सहायता और राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की गई मात्रा राज्यवार

राज्य	अनुदान पाने वाली संस्था का नाम	1987-88	
		उपलब्ध की गई वित्तीय सहायता (लाख में)	उपयोग की गई मात्रा
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	(i) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	1.50	पूर्णत:
	(ii) जिला और सेशन न्यायाधीश विशाखापतनम	0.05	पूर्णत:
	(iii) जिला न्यायाधीश, कर्नूल	—	—
	(iv) जिला न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सहायता समिति, नालगोंडा	—	—
2. असम	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	1.00	पूर्णत:
3. गुजरात	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	—	—
4. हरियाणा	राज्य स्तर विधिक सेवा और सलाह समिति	0.38	37,2000 रु० का उपयोग किया गया और 800 रु० अतिशेष लौटाया गया।

1	2	3	4
5. कर्नाटक	(i) विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	1.00	पूर्णतः
	(ii) जिला और सेशन न्यायाधीश, बेलगांव, कर्नाटक	—	—
6. मध्य प्रदेश	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	1.00	पूर्णतः
7. महाराष्ट्र	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	0.45	पूर्णतः
8. मणिपुर	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	—	—
9. उड़ीसा	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	1.40	पूर्णतः
10. पंजाब	गृह और न्याय विभाग, पंजाब सरकार	0.50	अनुदान का उपयोग नहीं किया गया था अतः अनुदान की समग्र रकम वापस कर दी गई।
11. राजस्थान	(i) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	—	—
	(ii) जिला विधिक सहायता समिति, चित्तौड़गढ़	—	—
	(iii) जिला और सेशन न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सहायता समिति, बांसवाड़ा	—	—
12. तमिलनाडु	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	2.00	पूर्णतः
13. उत्तर प्रदेश	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	—	—
14. अन्दमान और निकोबार द्वीप	संघराज्य क्षेत्र प्रशासन	—	—
15. पांडिचेरी	विधि और श्रम विभाग, पांडिचेरी सरकार	0.50	पूर्णतः

1988-89		1989-90	
उपलब्ध की गई वित्तीय सहायता (लाख में)	उपयोग की गई मात्रा	उपलब्ध की गई वित्तीय सहायता (लाख में)	उपयोग की गई मात्रा
5	6	7	8
—	—	0.53	लेखा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ ।
—	—	—	—
0.05	पूर्णतः	—	—
—	—	0.10	लेखा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ ।
1.00	66,525 रु० का उपयोग किया गया और अतिशेष को 1989-90 के लिए अग्रनीत किए जाने की अनुज्ञा दी गई ।	1.00	भागतः उपयोग किया गया । खर्च न किया गया 47,084 रु० के अतिशेष को, 1990-91 के लिए अग्रनीत किए जाने की अनुज्ञा दी गई ।
0.93	पूर्णतः	1.00	पूर्णतः
0.02	पूर्णतः	1.15	65,000 रु० के अनुदान में से समिति ने 61,736 रु० का उपयोग किया और 3.264 रु० का अतिशेष वापस कर दिया । 50,000 रु० के अन्य अनुदान का भागतः उपयोग किया गया किन्तु लेखा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ ।

5	6	7	8
1.00	पूर्णतः	2.00	पूर्णतः
—	—	0.10	लेखा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
—	—	1.00	पूर्णतः
1.45	इसमें एक लाख रुपए और पैंतालीस हजार रुपए के दो सहायता अनुदान सम्मिलित हैं एक लाख रुपए के अनुदान का भागतः उपयोग कर लिया गया है और अनुपयोजित भाग वर्ष 1989-90 के लिए अग्रनीत करने की अनुज्ञा मिल गई है। पैंतालीस हजार रुपए के दूसरे अनुदान में से 23,069 रुपए का बोर्ड ने उपयोग कर लिया है और शेष 21,931 रुपए की राशि वापस कर दी गई है।	—	—
0.25	21,000 रुपए का उपयोग कर लिया गया है और शेष 4,000 रुपए वापस कर दिए गए हैं।	—	—
1.40	पूर्णतः	2.50	लेखा अभी प्राप्त नहीं हुआ।
—	—	—	—
1.00	लेखा अभी प्राप्त नहीं हुआ।	—	—
0.05	पूर्णतः	—	—
—	—	1.00	लेखा अभी प्राप्त नहीं हुआ।
2.00	पूर्णतः	3.65	पूर्णतः

5	6	7	8
—	—	1.00	66,891 रुपए का उपयोग किया गया और शेष 33,109 रुपए वर्ष 1990-91 के लिए अग्रनीत किए जाने की अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई।
—	—	0.50	लेखा अभी प्राप्त नहीं हुआ।
—	—	—	—

काफी का निर्यात लक्ष्य

1531. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान काफी निर्यात के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या इस निर्यात लक्ष्य को प्राप्त किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) वर्ष 1990-91 के लिए काफी के निर्यात का लक्ष्य 400 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

(ख) जी, नहीं। मौजूदा निर्यात को देखते हुए इसकी कोई संभावना नहीं है।

(ग) और (घ) वर्ष 1990-91 में विपणन के लिए उपलब्ध वर्ष 1989-90 की 117,800 मी० टन की फसल वर्ष 1989-90 में विपणन के लिए उपलब्ध वर्ष 1988-89 की 215,000 मी० टन फसल से काफी कम है। उपर्युक्त के अतिरिक्त जुलाई, 1989 में अन्तर्राष्ट्रीय काफी कोटा के स्थगन के बाद काफी की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें बहुत गिर जाने से वर्ष 1990-91 में काफी से प्राप्त कुल निर्यात आय पर प्रभाव पड़ेगा।

सोने की बिक्री

[हिन्दी]

1532. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का अपने सोने के भण्डार की बिक्री करने सम्बन्धी कोई योजना बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) ये सवाल पैदा ही नहीं होता।

खैर लकड़ी की तस्करी

1533. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में नेपाल से भारत में खैर लकड़ी की तस्करी करने के मामले आए हैं;

(ख) क्या इस तस्करी से भारत के खैर लकड़ी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या ऐसी तस्करी रोकने हेतु कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) प्राप्त रिपोर्टों से खैर लकड़ी की बड़े पैमाने पर नेपाल से तस्करी द्वारा भारत में लाए जाने का इस समय कोई संकेत नहीं मिलता है। सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने एक मामले में 1990 में लगभग 24,000 रुपए के मूल्य की खैर की लकड़ी पकड़ी है। सीमा शुल्क प्राधिकारी देश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार से खैर लकड़ी सहित सभी प्रकार के निषिद्ध माल की तस्करी के प्रति चौकस रहते हैं। तस्करी की रोकथाम करने और उसका पता लगाने के कार्य में जुटी सभी सम्बन्धित एजेंसियों के बीच निकट से तालमेल रखा जा रहा है।

मसालों के निर्यात पर खाड़ी संकट का प्रभाव

1534. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष में कितने मूल्य के मसालों का निर्यात करने का विचार है;

(ख) क्या इनके निर्यात पर खाड़ी संकट का प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मसाला बाजार में भारत के निर्यात का कितना हिस्सा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) चालू वर्ष के लिए 300 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1988-99 के दौरान भारत से किए गए मसालों के निर्यात के आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय मसाला व्यापार में भारत का अनुमानित हिस्सा मात्रा की दृष्टि से 25 प्रतिशत और मूल्य की दृष्टि से 14 प्रतिशत है।

एच० एम० टी० लिमिटेड परिसर पर छापे

1535. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के कार्यालय और कारखानों पर सीमा-शुल्क अधिकारियों ने हाल ही में छापा मारा था;

(ख) यदि हां, तो इस छापे में तस्करी द्वारा लाई गई घड़ियों और उनके पुर्जे आदि बरामद हुए; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) आसूचना रिपोर्ट प्राप्त होते ही, बंगलौर समाहर्तालय के सीमा-शुल्क अधिकारियों ने 26, 27, 30 और 31 अक्तूबर तथा 29 नवम्बर, 1990 को मैसर्स एच० एम० टी० लि० की बंगलौर में और उसके आस-पास स्थित विभिन्न यूनिटों के फैक्टरी/कार्यालय/गोदाम के परिसरों की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान, लगभग 1,09,21,210 रुपए के मूल्य के विदेश में निर्मित हाथ की घड़ियों के ऐसे

पुर्जों और संघटकों को, जिनका बंगलौर, बम्बई और नवसारी (गुजरात) स्थित विभिन्न पार्टियों द्वारा आयात किया गया था और जिन्हें सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत जारी किए गए नियमों और अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए मैसर्स एच० एम० टी० लि० को कथित रूप से बेचा गया था और कुछेक दस्तावेजों का पकड़ा गया था।

(ग) जांच कार्य चल रहा है और उन व्यक्तियों/फर्मों के विरुद्ध सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी जिन्हें सीमा-शुल्क कानून का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाया जाएगा।

अरावली पर्वतमालाओं में भू-क्षरण

1536. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री 23 सितम्बर, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4184 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरावली पर्वतमालाओं में भू-क्षरण के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी एकत्रित कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है और यह जानकारी कब तक उपलब्ध की जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) 11 जल विभाजकों के सम्बन्ध में छोटे जल विभाजक आधार पर तलछट बनने के आंकड़े एकत्रित कर लिए गए हैं। इन आंकड़ों को कृषि और ग्रामीण विकास मन्त्रालय की तकनीकी शृंखला सं० : 2/एच और एस/1985 में प्रकाशित किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों को दिए गए ऋण

1537. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1990 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न राज्यों को दी गई ऋण राशियों का राज्य-वार, ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान को जीवन बीमा निगम द्वारा बहुत कम ऋण-राशि दी गई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस असमानता को दूर करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 31-3-90 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध राज्यवार पूर्ण ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

विवरण

31 मार्च 1990 तक योजना और गैर-योजना क्षेत्रों में समाजोन्मुखी योजनाओं के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा संवितरित ऋण

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजना क्षेत्र	गैर-योजना क्षेत्र
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	280.38	102.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—
3.	असम	67.31	6.15
4.	बिहार	176.82	57.00
5.	चण्डीगढ़	3.07	0.25
6.	दिल्ली	12.65	36.60
7.	गोआ	5.87	5.70
8.	गुजरात	398.69	315.60
9.	हरियाणा	242.42	49.75
10.	हिमाचल प्रदेश	30.89	2.00
11.	जम्मू तथा कश्मीर	40.97	8.50
12.	कर्नाटक	339.45	37.90
13.	केरल	298.48	107.00
14.	मध्य प्रदेश	262.25	65.40
15.	महाराष्ट्र	529.89	296.38
16.	मणिपुर	7.12	1.25
17.	मेघालय	53.49	0.75
18.	मिजोरम	0.74	—
19.	नागालैंड	13.69	—
20.	उड़ीसा	216.84	22.80
21.	पंजाब	220.15	60.50
22.	पांडिचेरी	—	0.25
23.	राजस्थान	292.89	29.74

1 2	3	4
24. सिक्किम	1.54	—
25. तमिलनाडु	470.03	193.07
26. त्रिपुरा	16.98	—
27. उत्तर प्रदेश	763.40	40.55
28. पश्चिमी बंगाल	304.63	45.10
29. एन० ई० सी० (एन० ई० ई० पी० सी० बी०)	151.00	—
30. एच० डी० एफ० सी०	74.00	—

टिप्पणी :—1. योजना क्षेत्र में सामाजिक आवास योजनाएं, राज्य बिजली बोर्ड, राज्य सड़क परिवहन निगम और जल आपूर्ति/मल व्ययन योजनाओं (सीवरेज स्कीमों) के लिए ऋण शामिल हैं।

2. गैर-योजना क्षेत्र में शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों और सहकारी औद्योगिक समितियों के लिए ऋण शामिल हैं।

फूलों, सब्जियों और ताजे फलों का निर्यात

[अनुवाद]

1538. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फूलों, सब्जियों और ताजे फलों के निर्यात के लिए अच्छा बाजार उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो भारत द्वारा इस दिशा में अधिक प्रगति न कर पाने के क्या कारण हैं; और

(ग) फूलों, सब्जियों और ताजे फलों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए क्या आधारभूत सुविधाएं और वित्तीय सुविधाएं दी जा रही हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिभाई पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) जी, हां। फूलों, सब्जियों और ताजे फलों के निर्यात के लिए अच्छा बाजार है। वर्ष 1985-86 के आंकड़ों की तुलना में वर्ष 1989-90 में सूखे फूलों सहित फूलों के निर्यात में लगभग 202 प्रतिशत, प्याज के निर्यात में 189.6 प्रतिशत और अन्य सब्जियों तथा ताजे फलों के निर्यात में क्रमशः 59.6 प्रतिशत तथा 37.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उच्च मालभाड़ा दरें और कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने वाली उच्च उत्पादन लागत जैसे कुछ अवरोधों के कारण यूरोप जैसी गैर-परम्परागत बाजारों को समुचित मात्रा में माल भेजना संभव न हो सका। फूलों, सब्जियों और ताजे फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार वायुमार्ग द्वारा निर्यात पर 2 प्रतिशत की दर से नकद मुआवजा सहायता, 10 प्रतिशत की दर से आयात पुनः पूर्ति जैसे प्रोत्साहन दे रही है। इसके अतिरिक्त, पैकेजिंग विकास, निर्यात संवर्धन और बाजार विकास, विशेषीकृत परिवहन की खरीद आदि के लिए कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा कुछ योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा रुग्ण इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए सहायता

[हिन्दी]

1539. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़े, मध्यम श्रेणी के और लघु उद्योगों की रुग्ण इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए कोई योजना बनाई गई है और क्या इस बारे में बैंकों को आदेश जारी कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्थान के कोटा और नीम का थाना क्षेत्रों के कितने उद्योगों के मामले स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर में लम्बित पड़े हैं; और

(घ) ये कब से लम्बित पड़े हैं और इनके लम्बित पड़े रहने के इकाई-वार कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने बड़े, मध्यम तथा लघु रुग्ण उद्योगों के विषय में क्रमशः वाणिज्यिक बैंकों तथा सभी अखिल भारतीय एवं राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों को विस्तृत मार्गनिर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 भी अधिनियमित किया है ताकि रुग्ण तथा सम्भाव्य रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों का समय पर पता लगाया जा सके और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा निवारक सुधार के लिए, उपचारात्मक तथा अन्य उपायों पर तुरन्त विचार किया जा सके जो ऐसी कम्पनियों के बारे में किया जाना अपेक्षित है तथा इस प्रकार के विचारित उपायों को शीघ्र प्रभावी बनाया जा सके एवं इनसे सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक मामलों के लिए तत्काल कार्रवाई की जा सके।

(ग) और (घ) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ने सूचित किया है कि तुलन-पत्र, स्टाक विवरण आदि जैसे कुछेक प्राथमिक सामग्री के अभाव में नीम के थाना की एक लघु उद्योग इकाई के एक मामले में एक योजना को अन्तिम रूप दिया जाना लम्बित पड़ा है। बैंक मामले को शीघ्र ही अन्तिम रूप देने का प्रयास कर रहा है।

मध्य प्रदेश में बहुमूल्य रत्नों का दोहन

[अनुवाद]

1540. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के देवगढ़ क्षेत्र में बहुमूल्य रत्नों की खानें हैं;

(ख) क्या अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा इन खानों का दोहन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार का इस क्षेत्र में नियमित खनन कार्य शुरू करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) जी, हां। रायपुर जिले के देवभोग क्षेत्र में ग्रेनाइट, एलेक्सेन्ड्राइट तथा हीरे जैसे अर्द्ध-कीमती और कीमती पत्थरों के भण्डार मिले हैं।

(ख) इन अर्द्ध-कीमती व कीमती पत्थरों के अनधिकृत विदोहन के कुछ मामले मध्य प्रदेश शासन के ध्यान में आए हैं।

(ग) राज्य शासन ने इस क्षेत्र में रत्न पत्थरों के अनधिकृत विदोहन की रोकथाम के लिए, सशस्त्र गार्ड तथा पुलिस कर्मचारी तैनात किए हैं। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में रत्न पत्थरों के अवैध खनन की रोकथाम के लिए वन, खनन तथा राजस्व से सम्बन्धित अधिकारी भी निगरानी रखते हैं। अवैध खनन रोकने के लिए राज्य शासन अन्य निवारक उपाय लागू करने पर भी विचार कर रहा है।

(घ) जी, हां। राज्य शासन क्षेत्र में रत्नों का खनन अपने हाथ में लेने पर भी विचार कर रहा है। साथ ही, पूर्वेक्षण लाइसेंस अनुदान हेतु 11 निजी पार्टियों से आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई स्टाक एक्सचेंज में व्यापार

1541. **डा० दौलतराव सोनूजी अहेर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं/म्यूचल फण्ड को बम्बई स्टाक एक्सचेंज में दलाल के रूप में व्यापार करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) बम्बई स्टाक एक्सचेंज ने लोक वित्त संस्थाओं, उनकी सहायक कम्पनियों तथा भारतीय स्टेट बैंक के किसी सहायक बैंक अथवा व्यापारिक बैंकिंग सेवाएं, प्रतिभूतियों की बिक्री एवं खरीद और इसी किस्म का कोई अन्य कार्य करने के लिए स्थापित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को एक्सचेंज के सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए अपने नियमों में संशोधन किया है। लेकिन, चूंकि एक्सचेंज के सामान्य निकाय ने इस प्रकार की स्वीकृति को सुविधाजनक बनाने के लिए अभी सदस्यता में वृद्धि करनी है, अतः स्टाक एक्सचेंज ने अभी तक पूर्वोक्त किसी भी संस्था को स्थान नहीं दिया है।

कर्नाटक में सिंचाई परियोजनाओं के लिए बांड जारी करना

1542. **श्री वी० कृष्ण राव :**
श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :
श्री एडुआर्डो फलेरो :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सिंचाई परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को बांड जारी करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए बंध-पत्र जारी करने के वास्ते राज्य सरकार और इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनुमति दिए जाने के लिए अनुरोध किया था।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र बंध-पत्रों की मौजूदा योजना केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तक ही सीमित है ।

व्यापार विकास प्राधिकरण में पंजीकृत निर्यातक

1543. **श्री वी० कृष्ण राव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापार विकास प्राधिकरण में पंजीकृत निर्यातकों का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या इनके प्रतिशत में धीरे-धीरे कमी आ रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिभाई पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) व्यापार विकास प्राधिकरण एक पंजीयन प्राधिकरण नहीं है अपितु यह एक सेवा संगठन है। निर्यातकों के पंजीयन प्राधिकारियों अर्थात् निर्यात संवर्धन परिषदों/वस्तु बोर्डों आदि में से किसी एक में पंजीकृत होने पर इनकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए स्वेच्छा से व्यापार, विकास प्राधिकरण में अपना नामांकन करा सकते हैं।

(ख) और (ग) व्यापार विकास प्राधिकरण की कुल नियमित सदस्यता पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1987-88 से 1989-90 के दौरान बढ़ी है। इसे संलग्न विवरण-पत्र से देखा जा सकता है।

विवरण

वर्ष	छोटे निर्यातक	योग % में	मझौले निर्यातक	योग % में	बड़े निर्यातक	योग % में	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1987-88 (31-3-1988 की स्थिति के अनुसार)	853	72.91	74	6.32	243	20.77	1170
1988-89 (31-3-1989 की स्थिति के अनुसार)	895	73.90	80	6.61	236	19.49	1211

1	2	3	4	5	6	7	8
1989-90 (31-3-1990 की स्थिति के अनुसार)	925	73.47	96	7.63	238	18.90	1259

आई० टी० सी० तथा हिन्दुस्तान लीवर द्वारा निर्यात

[हिन्दी]

1544. **श्री हर्षवर्धन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आई० टी० सी० तथा हिन्दुस्तान लीवर द्वारा किए गए कुल उत्पादन का कितने प्रतिशत निर्यात किया गया;

(ख) क्या उनके द्वारा किया गया निर्यात सरकार द्वारा निर्धारित निर्यात नीति के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई० टी० सी० तथा हिन्दुस्तान लीवर के निर्यातित कुल उत्पादन की प्रतिशतता नीचे दी गई है :

फर्म का नाम	वर्ष	सकल कारोबार रुपए	निर्यातकों का एफ०ओ०बी० मूल्य रुपए	प्रतिशतता
हिन्दुस्तान लीवर	1987-88	911,10,69,000	60,45,55,934	6.63%
	1988-89	1021,85,91,000	36,69,83,921	3.59%
	1989-90	1230,34,00,000	76,29,00,000	9.30%
आई० टी० सी०	1987-88	1190,45,00,000	17,37,00,000	1.46%
(9 महीने)	1988-89	1058,65,00,000	17,07,00,000	1.61%
	1989-90	1807,56,00,000	54,07,00,000	2.99%

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सीमाशुल्क अधिनियम

[अनुवाद]

1545. **प्रो० रूपचन्द पाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 45 के अनुसार एक 'प्राइवेट पार्टी' सामान की अभिरक्षक बन सकती है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई विस्तृत दिशानिदेश जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 45 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी व्यवस्था है कि सीमाशुल्क शुल्क क्षेत्र में उतारा गया सभी आयातित माल उस व्यक्ति की अभिरक्षा में रहेगा जिसे सीमाशुल्क समाहर्ता द्वारा नामित किया गया हो। इस धारा द्वारा किसी प्राइवेट पार्टी पर माल का अभिरक्षक बनने के लिए विशेष रूप से कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

(ख) से (घ) ऐसे माल की अभिरक्षा का कार्य पत्तन न्यासों, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, केन्द्रीय भाण्डागारण निगम जैसे सांविधिक निकायों अथवा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की एजेन्सियों को सौंपा जाता है।

जर्मन के साथ व्यापार

1546. **श्री यशवन्तराव पाटिल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 के दौरान पश्चिम जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के साथ हुए भारत के व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ख) भूतपूर्व पूर्वी जर्मनी के सम्बन्ध में रुपयों में भुगतान करने के स्थान पर विदेशी मुद्रा भुगतान करने के परिणामस्वरूप संयुक्त जर्मनी के साथ व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) संयुक्त जर्मनी के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क)

(करोड़ रुपए में)

देश का नाम	1989 (अ)	
	निर्यात	आयात
लर्मन संघीय गणराज्य	1777.80	2749.68
जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य	216.41	197.24

(ख) जर्मन के एकीकरण तथा जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य के साथ रुपया भुगतान करार समाप्त किए जाने के सम्भावित प्रभाव के मूल्यांकन से वस्त्र, चमड़ा परिधान, मूल रसायन, हस्तशिल्प तथा रत्न एवं आभूषण के निर्यातकों में वृद्धि की सम्भाव्यता का पता चलता है। कुछ क्षेत्र जिनमें कमी आने की सम्भावना है वे हैं : तेल-खाद्य, शू अपसं तथा लौह अयस्क के निर्यात।

(ग) जर्मन एकीकरण के फलस्वरूप यूरोपीय आर्थिक समुदाय (ई० ई० सी०) से वस्त्र, चमड़े

का समान तथा तम्बाकू जैसे कतिपय हितबद्ध क्षेत्रों में निर्यात कोटे/अधिकतम सीमा में वृद्धि करने हेतु सम्पर्क किया गया है। इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में अलग-अलग वृद्धि करने के लिए ई० ई० सी० ने पहले ही मन्जूरी दे दी है। संयुक्त जर्मन बाजार पर बल देते हुए व्यापार प्रदर्शनियों/मिलों में भाग लेने की व्यवस्था भी की जा रही है।

दिल्ली विमानपत्तन पर सोना जब्त किया जाना

1547. **श्री यशवंतराव पाटिल :**
श्री आर० एन० राकेश :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 दिसम्बर, 1990 के इकानामिक टाइम्स में यथा प्रकाशित समाचार के अनुसार राजस्व आसूचना निदेशालय के जासूसों ने 7 दिसबम्र, 1990 को दिल्ली विमानपत्तन पर सिंगापुर एयरलाइन्स के विमान से 68 लाख रुपए मूल्य का 20 किलोग्राम सोना जब्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। राजस्व आसूचना निदेशालय के अधिकारियों ने सिंगापुर एयरलाइन्स की फ्लाइट संख्या एस० क्यू०-024 के विमान के प्रसाधन (टाइलेट) संख्या 'एच' के आक्सीजन मास्क चैम्बर के पीछे से, जोकि इन्दिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली पर 7 दिसम्बर, 1990 को पहुंचा था, लगभग एक-एक किलोग्राम वजन के विदेशी मारका के 20 सोने के बिस्कुट पकड़े, जिनका कुल मूल्य लगभग 69 लाख रुपए आंका गया था। सात व्यक्तियों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ कानूनी व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान की गतिविधियां

1548. **श्री भजमन बेहेरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान की गतिविधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उड़ीसा के सम्बन्ध में संस्थान द्वारा क्या मंत्रणा गतिविधियां की गयी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान की स्थापना लगभग पन्द्रह वर्ष पूर्व समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत निकाय के रूप में की गयी थी। जो राजकोषीय प्रणाली पर अनुसंधान और अध्ययन कार्य करता है तथा लोक अर्थ-व्यवस्थाओं में प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करता है।

राज्य और स्थानीय सरकारें तथा केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालय संस्थान से प्रायः अध्ययन कार्यों

द्वारा लोक वित्त सम्बन्धी विषयों पर अनुसंधान कार्यों के लिए अनुरोध करती हैं और संस्थान के संकाय सदस्यों को विशेषज्ञ पैनल तैयार करने के लिए आमन्त्रित करते हैं। संस्थान के सदस्य ई० एस० सी० ए० पी० विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों एवं संगठनों को परामर्श एवं अनुसंधान सम्बन्धी सेवाएं भी देते रहते हैं।

यह संस्थान परियोजनाओं/अध्ययनों, गोष्ठियों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत अपने क्रियाकलापों का आयोजन करता रहता है। 1988-89 और 1989-90 के दौरान संस्थान ने 19 रिपोर्टें तैयार की और 55 गोष्ठियां/सम्मेलन, 7 संगोष्ठियां और 10 प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित किए।

(ख) संस्थान ने 1987-88 के दौरान उड़ीसा सरकार के अनुरोध पर "उड़ीसा में बिक्री कर प्रणाली-सुधार के निदेशन" का जांच कार्य किया और अप्रैल, 1988 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 1988-89 के दौरान, उड़ीसा सरकार के आयोजन और वित्त विभाग के अधिकारियों ने राज्य की कर योग्य क्षमता के आकलन हेतु पद्धति पर चर्चा के लिए संस्थान का दौरा किया तथा अनौपचारिक विचार-विमर्श किया।

अप्रैल, 1989 में संस्थान के एक वरिष्ठ सदस्य ने उड़ीसा सरकार के वित्त विभाग के अनुरोध पर भुवनेश्वर में एक बैठक में भाग लिया जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श के लिए आयोजित की गयी थी।

यह संस्थान राज्य सरकारों के वित्त सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान कार्य करती है, वर्ष में दो बार राज्यों के बिक्री कर अधिकारियों को प्रशिक्षण देना और समय-समय पर राज्यों के बजटों से सम्बन्धित मामलों पर गोष्ठियां और संगोष्ठियां आयोजित करती है। इन कार्यक्रमों में उड़ीसा का स्थान प्रमुख है। यह संस्थान केन्द्र सरकार के और उड़ीसा सहित राज्यों के लोक वित्त पर आंकड़ों का एक बैंक स्थापित कर रही है।

1988-89 और 1989-90 के दौरान संस्थान ने राज्यों के बिक्री कर/वाणिज्यिक करों के आयुक्तों की चार संगोष्ठियां आयोजित कीं जो आयुक्तों द्वारा उठाए गए अथवा सुझाए गए सामान्य हित के मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए की गयी थी।

संस्थान ने राज्य सरकार के समर्थन से एक राज्य वित्त एकक स्थापित किया है जिनमें से उड़ीसा एक है।

उड़ीसा में शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम

1549. **श्री भजमन बेहेरा : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम (एस० ई० पी० यू० पी०) के अन्तर्गत कितने लोगों को सहायता मन्जूर की गयी है; और

(ख) कटक जिले (उड़ीसा) में किन "शहरी क्षेत्रों" में शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार कार्यक्रम अब तक कार्यान्वित किया गया है/किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार वर्ष 1987-88 से 1989-90 के दौरान शहरी

गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत उड़ीसा में 20,826 व्यक्तियों को ऋण संवितरित किए गए।

(ख) योजना के तहत आंकड़ा सूचना प्रणाली किसी विशेष जिले के "शहरी क्षेत्रों" के बारे में सूचना नहीं देती। तथापि, योजना उन शहरों/कस्बों में लागू होती है जिनकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 10,000 या उससे अधिक है और जिन क्षेत्रों को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं किया गया था।

उड़ीसा में रायल्टी की दरें

1550. **श्री भजमन बेहेरा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से लौह अयस्क और खनिजों पर रायल्टी की दर बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो रायल्टी में संशोधन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) खनिजों (कोयला, लिग्नाइट, भराई रेत और गौण खनिजों को छोड़कर) की रायल्टी दरों में संशोधन पर विचार करने तथा सरकार को समुचित सिफारिशें देने के लिए खान विभाग द्वारा मार्च, 1989 में गठित अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। अध्ययन दल की सिफारिशें इस समय सरकार के विचाराधीन हैं।

घटिया स्टेनलेस स्टील के रसोई के बर्तन

1551. **श्री वामनराव महाडीक :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के बाजार में घटिया स्टेनलेस स्टील के रसोई के बर्तनों की भरमार हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए भारतीय मानक ब्यूरो जैसी सक्षम संस्था से निर्माताओं के लिए प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य बनाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी।

जापान के साथ व्यापार

[हिन्दी]

1552. **श्री राजवीर सिंह :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत का जापान के साथ कुल कितने प्रतिशत विदेशी व्यापार होता है;

(ख) क्या जापान के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कोई विशेष कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान उठाए गए ऐसे कदमों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) डी० जी० सी० आई० एण्ड एस० के आंकड़ों के अनुसार, 1989-90 के दौरान जापान के साथ भारत का व्यापार भारत के विश्वव्यापी व्यापार का 8.8 प्रतिशत रहा ।

(ख) जापान के साथ व्यापार बढ़ाने के उपायों में शामिल हैं : आधिकारिक एवं व्यापार स्तरों पर जापानियों के साथ नियमित रूप से परस्पर सम्पर्क, जापान में अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना, क्रेता-विक्रेता बैठकें, हमारी निर्यात क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए जापानी सहायता से कार्यक्रम आरम्भ करना आदि ।

(ग) व्यापार स्तर पर नियमित रूप से निर्यात संवर्धन क्रियाकलाप के अतिरिक्त 1989 में टोकियों में तथा 1990 में नई दिल्ली में अधिकारियों की द्विपक्षीय व्यापार वार्ताएं आयोजित की गईं। भारत-जापान व्यापार में मामूली वृद्धि हुई है और भारत के विरुद्ध प्रतिकूल व्यापार का अन्तर कम हुआ है ।

पिथौरागढ़ में मैग्नासाइड कारखाने की स्थापना

1553. **श्री राजबीर सिंह :**
श्री हरीश रावत :

क्या **इस्पात और खान मंत्री** 10 अगस्त, 1990 के अतारांकित प्रश्न संख्या 862 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक पिथौरागढ़ में एक मैग्नासाइड कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) और (ख) परियोजना की संदिग्ध वित्तीय अर्थक्षमता तथा परिवर्तित बाजार स्थिति को ध्यान में रखते हुए फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय नहीं लिया गया है ।

वाणिज्य मन्त्री की विदेश यात्रा

[अनुवाद]

1554. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए कुछ देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों का दौरा किया गया और क्या इन देशों के दौरों के दौरान कोई समझौता किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन विदेश दौरों पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से (ग) जी, हां। वाणिज्य मंत्री जी ने दिसम्बर, 1990—जनवरी, 1991 के दौरान बेल्जियम और अफगानिस्तान का दौरा किया।

(1) बेल्जियम (ब्रसेल्स) का दौरा उरुग्वे दौर की वार्ताओं पर मंत्रीस्तरीय बैठक के सम्बन्ध में थी। हालांकि, कृषि उत्पादों पर सहायताओं से सम्बन्धित मुद्दों पर प्रमुख संविदाकारी पक्षकारों में मतभेद के कारण इस बैठक में कोई समझौता नहीं हो सका। बा-रास्ता उन्होंने ट्यूनीसिया की यात्रा की तथा ट्यूनीसिया के प्राधिकारियों के साथ वार्ता की।

(2) अफगानिस्तान की यात्रा के दौरान उन्होंने अफगानिस्तान के वाणिज्य मन्त्री/उप प्रधान मन्त्री और योजना मन्त्री से व्यापार और आर्थिक सहयोग पर चर्चा की। अपनी यात्रा के दौरान वे अफगानिस्तान के प्रधान मन्त्री और राष्ट्रपति से भी मिले।

(3) इस यात्रा पर लगभग 240000 रुपए व्यय होने का अनुमान है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारतीय कम्पनियों को सहायता

1555. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का भारतीय कम्पनियों के लिए अपनी सहायता राशि में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय कम्पनियों को कितनी धनराशि की सहायता दी जाएगी;

(ग) उन भारतीय कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम सहायता देगा और यह सहायता किन-किन शर्तों पर दी जाएगी; और

(घ) इससे विदेशी मुद्रा की कमी दूर करने में कितनी सहायता मिलेगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) राजकोषीय वर्ष 1990 (1-7-1989 से 30-6-1990 तक) में अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा 10 कम्पनियों को 1471.1 लाख डालर की सहायता प्रदान की गई। ये दस कम्पनियां हैं :—

1. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०
2. महिन्द्रा यूजाइन स्टील कं० लि०
3. केल्ट्रोन टेलिफोन्स लि०
4. भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं भारतीय सूचना कं० लि०
5. इंडिया लीज डेवलपमेंट लि०
6. इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंस कं० लि०

7. कलकत्ता विद्युत आपूर्ति कं० लि०

8. टाटा इलेक्ट्रिक कम्पनीज

9. हरदिल्ला ऑक्साइड्स लि०

10. भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश नि० लि०

राजकोषीय वर्ष 1991 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत को उधार देने के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा प्रदान की गई सहायता से देश के विदेशी मुद्रा संसाधनों में वृद्धि होगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीप के गांवों को "हैंडबुड" देना

1556. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप वन विभाग के पास मकानों का निर्माण करने हेतु 15 घन मीटर हैंडबुड देने के कितने मामले डिवीजन-वार लम्बित हैं; और

(ख) यदि कोई मामले लम्बित हैं तो इसके कारण क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

भारत-अमरीकी संकर बीज का निर्यात

[हिन्दी]

1557. **डा० चिन्ता मोहन :**
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीकी संकर बीज का अमरीका, ब्रिटेन, डेनमार्क और अन्य यूरोपीय देशों को निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान, वर्षवार अलग-अलग, कुल कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के बीज का निर्यात किया गया;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के बीज का निर्यात करने का विचार है;

(घ) क्या ये बीज छोटे एवं सीमान्त किसानों के लिए उपयोगी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो देश में उनका उपयोग करने के स्थान पर इसके निर्यात की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) भारत अमरीकी संकर बीच कम्पनी मुख्यतया बागवानी से सम्बन्धित बीजों के उत्पादन और वितरण में लगी

हैं। उनके द्वारा तैयार बीज केवल संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यात किए जाते हैं। वर्ष 1987-88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान भारत-अमरीकी संकर बीज कम्पनी और उसकी सहायक फर्म, इंडो-अमेरिकन एक्सपोर्टस द्वारा निर्यात किए गए बीजों की कुल मात्रा और मूल्य के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	मात्रा (किग्रा०)	मूल्य (लाख/रु०)
1987-88	8,156	27.56
1988-89	6,492	43.35
1989-90	17,718	100.48

(ग) कम्पनी ने 1990-91 के दौरान 176.29 लाख रुपए मूल्य के 11366 किग्रा० बीजों के निर्यात का प्रस्ताव किया है।

(घ) और (ङ) निर्यात के लिए विशेष रूप से उत्पादित बीज संविदा आधार पर होते हैं और आयातक देशों के मौसम के अनुकूल होते हैं। ये मदें वर्तमान आयात-निर्यात नीति के खुला सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आती है। कम्पनी स्थानीय बाजार के लिए भी भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बीजों की विभिन्न किस्मों का उत्पादन करती है।

कोल्हापुर में मुम्बई उच्च न्यायालय की खण्डपीठ

[अनुवाद]

1558. **श्री उदयसिंहराव गायकवाड़** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र सरकार से कोल्हापुर में मुम्बई उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ स्थापित करने के बारे में कोई संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस विषय पर कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) कोल्हापुर में मुम्बई उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में तब तक कोई विनिश्चय नहीं कर सकती जब तक कि राज्य सरकार से उस बाबत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता।

अनधिकृत रूप से शिकार करने की घटनाएं

1559. **श्री उदयसिंहराव गायकवाड़** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण राज्यों और महाराष्ट्र में पिछले कुछ महीनों के दौरान अनधिकृत रूप से हाथी बाघ और तेंदुए का शिकार करने की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990 के दौरान प्रत्येक राज्य में प्रत्येक महीने में वन विभाग की पुलिस द्वारा अनधिकृत रूप से शिकार करने वाले कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(ग) 1990 के दौरान दर्ज मामलों और चालान तथा सुनवाई हेतु भेजे गए मामलों की राज्य-वार संख्या क्या है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में राज्य सरकारें अनधिकृत रूप से शिकार करने वालों कितने व्यक्तियों को दोषी सिद्ध कर पाई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क के विस्थापितों का पुनर्वास

[हिन्दी]

1560. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लु जिले ग्रेट नेशनल हिमालयन पार्क के विकास के परिणामस्वरूप विस्थापित होने वाले व्यक्तियों अथवा वनों में जिन व्यक्तियों के अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं, के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार आदि देने के लिए सभी सम्बद्ध प्राधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को सरकारी रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं और कितने व्यक्तियों को अभी उपयुक्त रोजगार दिया जाना शेष है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) हिमाचल प्रदेश के कुल्लु जिले में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क स्थापित किए जाने के कारण जिन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है अथवा जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उन लोगों को फिर से बसाने का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार का है। भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) और (ग) उक्त तरीके से विस्थापित लोगों को नौकरियां, आदि देने का कार्य राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आता है। फिर भी, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि वह प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने के प्रश्न पर विचार करे।

हिमाचल प्रदेश में मन्दिरों का सोना लौटाना

1561. **श्री महेश्वर सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुल्लू के जन-प्रतिनिधियों से कोई ऐसा अनुरोध पत्र प्राप्त हुआ है कि कुल्लू जिले ग्रामीण क्षेत्रों के मन्दिरों का सोना जो विभिन्न बैंकों तथा सरकारी कोष में नेशनल डिफेंस गोल्ड बांड स्कीम, 1980 में जमा किया गया है, वापस किया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अनुरोध पत्र कब प्राप्त हुआ था और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) माननीय संसद सदस्य से प्राप्त सुझाव के अलावा हाल ही की विगत अवधि में सरकार को इस बारे में कोई अन्य अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) माननीय संसद सदस्य को 4-12-90 को जवाब भेजा गया था ।

हिमाचल प्रदेश में अफीम की खेती

1562. **श्री महेश्वर सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में अफीम की खेती के लिए किसानों को लाइसेंस दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) चूंकि इस समय हिमाचल प्रदेश में अफीम की खेती करने की अनुमति नहीं है, इसलिए चालू वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश में किसानों को अफीम की खेती करने के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं । चूंकि हमारे पास अफीम का काफी बड़ा भण्डार जमा है, इसलिए सरकार की नीति मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में परम्परागत रूप से पोस्त की खेती करने वाले किसानों को ही लाइसेंस देने की है और लाइसेंस देने के लिए हर वर्ष निर्धारित की गई शर्तों के अनुसार ही लाइसेंसों को जारी किया जाता है ।

फलों की पैकिंग के लिए उपयोग में आने वाले कपड़े के बक्से पर लगा उत्पाद-शुल्क हटाना

1563. **श्री महेश्वर सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से वनों के संरक्षण के लिए फलों की पैकिंग के उपयोग में आने वाले कपड़े के बक्से पर लगे उत्पाद-शुल्क को हटाने के बारे में कोई अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) वनों के

संरक्षण के लिए फलों की पैकेजिंग के लिए प्रयुक्त कपड़े के बक्सों पर उत्पाद-शुल्क समाप्त करने के लिए सरकार को हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

वन्य प्राणियों का संरक्षण

[अनुवाद]

1564. **श्री कुसुम कृष्णामूर्ति** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अभी तक अनाधिकार शिकार को नहीं रोक पाई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वन्य प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने एवं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए उसका क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु कोई नीति तैयार की है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मोरपंख, साही का कांटा, मृगशृंग तथा पकड़ कर रखे गए आकर्षक पक्षियों को व्यापारिक दृष्टि से निर्यात करने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(ङ) आदिवासी-बहुल क्षेत्रों में प्राकृतिक उद्यानों तथा वन्यप्राणी अभ्यारण्यों का विकास करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) चोरी-छिपे शिकार करने को पूरी तरह रोकना सम्भव नहीं है। वन्यजीवों के वासस्थलों की बहाली और वन्यजीवों की आबादी में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. सभी चिड़ियाघरों के जैव-भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का एक तंत्र स्थापित किया गया है। इस समय देश में 69 राष्ट्रीय उद्यान और 411 वन्य-जीव अभयारण्य हैं जो 1,37,000 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में फैले हैं।

2. राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

3. भारत सरकार "वन्यजीवों के चोरी-छिपे शिकार और अवैध व्यापार का नियंत्रण" नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत राज्यों को सहायता देती रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों में चोरी-छिपे शिकाररोधी आधारभूत ढांचों को सुदृढ़ बनाने के लिए इस स्कीम के तहत सहायता के रूप में एक करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई। वर्ष 1990-91 के दौरान अब तक इस स्कीम के तहत 15.4 लाख रुपए मंजर किए गए हैं।

4. वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के तहत वन्यजीवों की दुर्लभ और संकटापन्न प्रजातियों, खासकर, भारतीय गैंडा, हाथी, कस्तूरी मृग, सांप, समूर वाले पशुओं तथा ऐसी ही अन्य प्रजातियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिन पर चोरी-

छिपे शिकार और व्यापार का गम्भीर प्रभाव पड़ता है। अन्य प्रजातियों के शिकार और व्यापार की अनुमति केवल अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस के अन्तर्गत दी जाती है।

5. भारत सरकार वन्य प्राणीजात और वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धी कन्वेंशन (साइटस) की एक पक्षकार है, जिसके तहत अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि वन्यजीवों और अवैध रूप से एकत्र किए गए उनके उत्पादों का भारत से निर्यात नहीं किया जाए।

6. भारत सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए चार क्षेत्रीय कार्यालयों सहित एक केन्द्रीय वन्यजीव निदेशालय की स्थापना की है। यह निदेशालय यह सुनिश्चित करने में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को सहायता देने के लिए उत्तरदायी है कि देश की निर्यात नीति के उपबंधों का उल्लंघन करते हुए किसी भी वन्यजीव और उसके उत्पादों का निर्यात न किया जाए।

(ग) निर्यात नीति के अन्तर्गत मोर पंखों, शाही पंखों और चीतल और सांभर के स्वतः गिरे सींगों और बन्दी अवस्था में प्रजनित विदेशी पक्षियों के नियंत्रित निर्यात की अनुमति है।

(घ) मोर पंख और साही पंख और सींग आवधिक तौर पर स्वतः गिर जाते हैं और इस प्रकार इन्हें किसी जानवर को मारे बिना आसानी से एकत्रित किया जा सकता है। बड़ी संख्या में प्रजनित विदेशी पक्षियों के व्यापार का भी वन्यजीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

(ङ) अधिकांश राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जिनमें बाघ रिजर्व भी शामिल है, आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं। जैसा कि प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर के पैरा (2) में बताया गया है कि इन सुरक्षित क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा जल संरक्षण, सर्वेक्षण और सीमांकन भवनों के निर्माण, बेतार तंत्र आदि की स्थापना जैसे आधारभूत विकास के लिए तथा आसपास के गांवों के लिए बायोगैस संयंत्रों, स्ट्रीट लाइटों, जलावन की लकड़ी उगाने और चारा रिजर्वों आदि जैसी पारिविकास गतिविधियों के लिए किया जाता है।

एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादन

1565. **श्री कुसुम कृष्णमूर्ति** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को जानकारी है कि वर्ष 1994-95 के अन्त तक विद्यमान एकीकृत इस्पात संयंत्रों का इस्पात उत्पादन स्थिर हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) देश में इस्पात की आवश्यक गुणवत्ता और मात्रा में उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए इस्पात संयंत्रों के कार्यकरण में वृद्धि करने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) एकीकृत इस्पात संयंत्रों से इस्पात की उपलब्धता को सुधारने के लिए किए गए उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं, इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन और विस्तार की परियोजना का कार्यान्वयन, विद्यमान संयंत्र और उपस्करों का अच्छा अनुरक्षण और उनके संचालन हेतु प्रौद्योगिकीय विषयों को आत्मसात करना, अनुसंधान और विकास कार्यकलाप, अच्छी कार्य-प्रणाली के गठन के लिए प्रयास और अपेक्षित गुणता के आदान की पर्याप्त मात्रा में व समय पर उपलब्धता को सुनिश्चित करना। इस बीच सरकार इस्पात की मांग व उपलब्धता के मध्य अन्तर को कम करने की दृष्टि से एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा नयी क्षमता स्थापित करने का भी विचार कर रही है।

बैंक ऋणों की वसूली

1566. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संस्थाओं, व्यक्तियों आदि को स्वीकृत किए गए ऋणों की भारी धनराशि की वसूली के बारे में अनेक मामले कई वर्षों से न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायाधिकरणों का गठन करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) बैंक संस्थाओं, व्यक्ति विशेष आदि से अपनी-अपनी बकाया ऋण राशि को, जब कभी वे अतिदेय हो जाती हैं, वसूल करने के लिए अपेक्षित कदम उठाते हैं। अलबत्ता, अतिदेय राशियों की वसूली करने के सभी सामान्य उपाय अपनाने के पश्चात् बैंक इन अतिदेय राशियों की वसूली के लिए अन्तिम उपाय के रूप में मुकदमों का सहारा लेते हैं।

(ख) इस प्रयोजन के लिए विशेष न्यायाधिकरणों को स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और बैंक तथा वित्तीय संस्थाएं कानून के वर्तमान प्रावधानों के अन्तर्गत अपनी बकाया राशियों को वसूल करते हैं।

मूल्य वृद्धि

1567. **श्री जे० चोक्का राव** :
श्री जनार्दन पुजारी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान मूल्य सूचकांक में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) इस मूल्य वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। थोक मूल्य सूचकांक में चालू वित्तीय वर्ष (15 दिसम्बर, 1990 तक) के दौरान 8.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि में 6.1 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई थी।

(ग) सरकार ने कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए एक बहु-आयामी नीति शुरू की है। इसमें, सरकारी व्यय पर नियंत्रण के जरिए कठोर राजकोषीय और मौद्रिक अनुशासन बरतना, नकदी के प्रसार को नियंत्रित करना और आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति तथा मांग का अधिक प्रभावी प्रबन्ध करना शामिल है।

आंध्र प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाएं

1568. **श्री जे० चोक्का राव** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश की आदिवासी क्षेत्रों से सम्बन्धित कुल कितनी लघु सिंचाई परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : आदिवासी क्षेत्रों से सम्बन्धित आंध्र प्रदेश की कोई लघु सिंचाई परियोजना स्वीकृति के लिए इस मन्त्रालय में लम्बित नहीं है।

जम्मू में सामाजिक वृक्षारोपण कार्यक्रम

1569. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जम्मू में सामाजिक वृक्षारोपण कार्यक्रम का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और जम्मू के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सामाजिक प्रायोजना के अन्तर्गत जम्मू क्षेत्र के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य और उपलब्धि निम्न प्रकार हैं :—

निर्धारित लक्ष्य	23,390 हैक्टेयर
उपलब्धि	31,240 हैक्टेयर

आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अभी निर्धारित किया जाना है।

उदयपुर, राजस्थान में वायु और जल प्रदूषण

[हिन्दी]

1570. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उदयपुर और उसके साथ लगने वाले क्षेत्रों में वायु एवं जल प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार का उदयपुर की झीलों में मल नालियों से निष्कासित जल से होने वाले जल प्रदूषण को राकने के लिए आर्थिक सहायता देने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) वायु और जल प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए मानक अधिसूचित किए गए हैं और निर्धारित मानकों का अनुपालन करने के बारे में इन इकाइयों के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। जिन क्षेत्रों में पर्यावरण को क्षति पहुंची है, वहां पर्यावरण की गुणवत्ता की बहाली सुनिश्चित करने के लिए भूमि-जल की भी जांच की जा रही है। वीछड़ी, उदयपुर स्थित मैसर्स सिल्वर केमिकल्स लि० और मैसर्स ज्योति केमिकल्स लि० को, जो उस क्षेत्र में प्रदूषण के प्रमुख स्रोत थे, बन्द कर दिया गया है। मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने सल्फर डाई आक्साइड के उत्सर्जन को कम-से-कम करने के लिए अपने सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र को दोहरी परिवर्तन और दोहरी समाहरण प्रणाली में बदल दिया है। इस इकाई से अपशिष्ट जल के शोधन के लिए एक पूर्ण बहिस्राव शोधन संयंत्र भी लगा दिया गया है। मैसर्स हिन्दुस्तान एग्रो-केमिकल्ज ने भी प्रदूषण नियंत्रण बोड द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण के पर्याप्त उपकरण लगा लिए हैं। उदयपुर स्थित मैसर्स पेस्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड ने भी अपने अपशिष्ट के शोधन के लिए पर्याप्त सुविधाएं संस्थापित कर ली हैं।

(ख) उदयपुर की पिचोला झील के कुछ हिस्सों से खर-पतवार को हटाने के लिए तथा पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय सरकार ने 7 लाख रुपए दिए हैं।

उदयपुर (राजस्थान) में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना

1571. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर सिटी (राजस्थान) में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ की स्थापना का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक हो जाएगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राजस्थान सरकार से इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

आदिवासियों को मालिकाना हक

1572. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने वर्ष 1978-79 में कोई ऐसा कानून बनाया था जिसके अनुसार इन लोगों को वन भूमि पर मालिकाना हक मिल गया था जिसके पास सन् 1971 से पहले ऐसी भूमि थी;

(ख) क्या उक्त कानून के अन्तर्गत कुछ व्यक्तियों ने केन्द्रीय सरकार को उक्त भूमि पर अपने मालिकाना हक के सम्बन्ध में प्रमाण सहित अपने दावे प्रस्तुत किए हैं;

(ग) यदि हां, तो इन दावों के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिए गए हैं;

(घ) क्या उस वन भूमि से आदिवासियों को हटाना लगभग असंभव सा है जोकि पिछले कई वर्षों से उनके कब्जे में हैं;

(ङ) क्या सरकार का इस समस्या को सुलझाने के लिए ठोस प्रयास करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) राजस्थान सरकार ने वन भूमि पर गैर-कानूनी कब्जे के 1-1-1971 से पहले के मामलों को विनियमित करने के लिए 22-2-1977 को एक नीति निर्णय लिया।

(ख) और (ग) इस प्रकार के 3,712 मामलों को विनियमित किया गया।

(घ) से (च) भारत सरकार ने 24-10-1980 से पूर्व के पात्र आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को विनियमित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं, यदि राज्य सरकार ने इस बारे में पहले ही निर्णय ले लिया हो।

जीवन-यापन लागत सूचकांक

[अनुवाद]

1573. **श्री माधवराव सिंधिया :**
श्री जे० चोक्का राव :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष जनवरी से प्रति माह दर्ज किए गए जीवन-यापन लागत सूचकांको का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में गत वर्ष के तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य
सूचकांक में घट-बढ़
(1982=100)

माम	1990	1989
1	2	3
जनवरी	174	165
फरवरी	175	165
मार्च	177	166

1	2	3
अप्रैल	180	167
मई	182	169
जून	185	170
जुलाई	189	172
अगस्त	190	174
सितम्बर	191	176
अक्तूबर	195	176

एशियाई देशों का साझा बाजार

1574. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई देशों का साझा बाजार बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित साझा बाजार की मुख्य रूप-रेखा और उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अप्पूघर के राष्ट्रीयकरण की मांग

[हिन्दी]

1575. **श्री बालेश्वर यादव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्पूघर के राष्ट्रीयकरण की मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) कामगारों की कोई यूनियन अखबारों आदि के जरिए अप्पूघर के राष्ट्रीयकरण की मांग करती रही है। टी० एफ० ए० आई० को किसी भी संगठन से ऐसा कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध शिकायतें

1576. **श्री रामाश्रय सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार को बिहार में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विरुद्ध कुछ शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन शिकायतों/अभ्यावेदनों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि कोई बैंक अधिकारी दोषी पाया गया है तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सरकार को समय-समय पर बिहार में स्थित सरकारी क्षेत्र के बैंकों और उनकी शाखाओं के विरुद्ध ऋणों की देरी/नामंजूरी, लेन-देन में परेशानी, दुर्व्यवहार, निधियों के प्रेषणों/अन्तरण और लिखतों की वसूली में विलम्ब, मियादी जमा रसीदों/मांग ड्राफटों के भुगतान न करना/विलम्ब से करना स्थायी अनुदेशों की अनुपालना न करना, दावों से सम्बन्धित मामलों के निपटान में देरी करने इत्यादि से सम्बद्ध शिकायतें/अभ्यावेदन प्राप्त होते रहते हैं। इन शिकायतों को सम्बद्ध बैंकों के साथ उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उठाया जाता है। शीघ्र उपचारात्मक कार्रवाई करने के विचार से बैंकों द्वारा शिकायतों की जांच की जाती है। ऐसी शिकायतों में जिनमें बैंक कर्मचारियों की ओर से किसी चूक का पता चलता है, गलती करने वाले स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है/प्रारम्भ की जाती है।

बोकारो ताप बिजलीघर से होने वाला प्रदूषण

1577. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बोकारो ताप बिजलीघर से कठारा और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में होने वाले प्रदूषण के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) जी, हां। इस क्षेत्र के निवासियों ने शिकायत की है कि चिमनियों से भारी मात्रा में राख निकलती है और उनकी सम्पत्ति पर जा गिरती है तथा इस राख से दामोदर नदी में प्रदूषण फैल रहा है।

(ग) इस एकक को निर्धारित मानकों का अनुपालन करने का निदेश दिया गया था और पावर स्टेशन "बी" द्वारा इनका अनुपालन किया जा रहा है। पावर स्टेशन "ए" में धूल एकत्रित करने की मौजूदा प्रणाली में सुधार करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई शुरू की गई है।

ध्वनि प्रदूषण

1578. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु कोई दीर्घकालीन योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ध्वनि प्रदूषण के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले किसी व्यक्ति उद्योग के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) परिवेशी ध्वनि स्तरों और वाहनों, घरेलू उपकरणों, विनिर्माण स्तर पर निर्माण उपकरणों से होने वाली ध्वनि के लिए भी मानक अधिसूचित कर दिए गए हैं। वाहनों के लिए मानकों को 1992 तक और अन्यों के लिए 1993 तक पूरा किया जाना है।

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 1990 में ध्वनि प्रदूषण के बारे में 25 शिकायतें प्राप्त हुई।

(घ) और (ङ) दोषी इकाइयों के खिलाफ वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के उपबन्धों के तहत उचित कार्रवाई की जा रही है। उद्योगों को आवश्यक ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण यन्त्र लगाने के भी निदेश दे दिए गए हैं।

दिल्ली में वायु प्रदूषण

[अनुवाद]

1579. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली व अन्य महानगरों में कुल मिलाकर वायु प्रदूषण में कुछ कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो नगरवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वायु प्रदूषण को कम करने में कौन से उपाय प्रभावी रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) दिल्ली सहित महानगरों में सल्फर डाई आक्साइड और नाइट्रोजन डाई आक्साइड के स्तर क्रमशः प्रति क्यूबिक मीटर 80 माइक्रोग्राम और प्रति क्यूबिक मीटर 100 माइक्रोग्राम निर्धारित मानक के अन्दर हैं। सभी महानगरों में आवासीय क्षेत्रों में निलम्बित धूल कणों के स्तर प्रति क्यूबिक मीटर 200 माइक्रोग्राम के अधिसूचित मानकों से अधिक हैं। दिल्ली में निलम्बित धूल कणों के परिवेशी स्तरों की वार्षिक औसत मान (मीन वैल्यू) में गिरावट आ रही है, इसका मुख्य कारण यह है कि यहां के तीनों ताप विद्युत संयंत्रों से निकलने वाला उत्सर्जन अब मानकों के अनुसार है। अन्य महानगरों में निलम्बित धूल कणों के विश्लेषण के रुख के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए संशोधित मीटर (वाहन) अधिनियम, 1988 के तहत 2-6-89 को ठोस उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं और पहली मार्च, 1990 से उनको कार्यान्वित किया जा रहा है। द्रव उत्सर्जन मानक भी अधिसूचित किए गए हैं और वे पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए अप्रैल, 1991 से तथा डीजल से चलने वाले वाहनों के लिए अप्रैल, 1992 से लागू होंगे।

(2) वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में जन-जागरूकता अभियान तथा अभियोग चलाए गए हैं।

(3) पेट्रोलियम उद्योग से अप्रैल, 1993 तक पेट्रोल में सीसे की मात्रा को कम करके 0.15 ग्राम प्रति लीटर तक लाने को कहा गया है।

(4) सरकार ने 6 दिसम्बर, 1990 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार 1 अप्रैल, 1991 के बाद विनिर्मित किए जाने वाले वाहनों के लिए प्रत्येक मोटर वाहन निर्माता अपने द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले वाहन का प्रोटोटाइप केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा परीक्षण किए जाने तथा यानीय उत्सर्जन नियमों के उपबन्धों के अनुपालन की स्थिति को प्रमाणित करने के लिए प्रस्तुत करेगा।

(5) परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक निर्धारित किए गए हैं।

(6) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए मानक निर्धारित किए गए हैं।

(7) अनजले हाइड्रो-कार्बनों के स्तरों को कम करने के लिए जलावन की लकड़ी और कोयले के विकल्प के रूप में ईंधन के लिए एल० पी० जी० की आपूर्ति को प्रोत्साहन किया जा रहा है।

दिल्ली व अन्य विश्वविद्यालयों में हिन्दी माध्यम में कानून की परीक्षा

[हिन्दी]

1580. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय तथा देश के कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में कानून की परीक्षा केवल अंग्रेजी माध्यम से ही ली जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रभाषा (हिन्दी) कानून या न्यायालय की भाषा के रूप में विकसित नहीं हो सकती है;

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है;

(ङ) क्या इन विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी हिन्दी में कानून की परीक्षा दे सकता है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) कानू की परीक्षाएं हिन्दी के माध्यम में आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी) : (क) से (छ) आवश्यक

जानकारी मानव संसाधन विकास मन्त्रालय से एकत्र की जा रही है जो विषय वस्तु से सम्बद्ध है और वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए बिहार को ऋण दिया जाना

1581. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को सड़कों और पुलों के निर्माण पर खर्च की जा रही राशि की पूर्ति करने के लिए ऋण स्वीकृत करने हेतु बिहार सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जी, हां । योजना में अनुमोदित ऋण सहायता के अनुसार तथा राज्य सरकारों द्वारा स्वीकृत स्कीमों की सीमा तक भारत सरकार अन्तर्राज्यीय तथा आर्थिक महत्व वाली सड़कों के लिए राज्यों को ऋण सहायता देती रही है । जहां तक बिहार राज्य का सम्बन्ध है, IV से VIIवीं योजना अवधि तक के दौरान 870.9 लाख रुपए की लागत की स्कीमें अनुमोदित की गयी थी । इन स्कीमों में से अब तक 767 लाख रुपए की स्कीमें स्वीकृत की जा चुकी हैं और वह राशि राज्य सरकार को दी जा चुकी है । हालांकि राज्य सरकार ने चालू वर्ष में 200 लाख रु० के लिए अनुरोध किया है, परन्तु चूंकि राज्य सरकार को अभी 103.94 लाख रु० की लागत की शेष स्कीमें स्वीकृत करनी हैं, इसलिए उन्हें अब तक कोई ऋण सहायता नहीं दी जा सकी है ।

बिहार में बैंक शाखायें खोलना

1582. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ नई शाखायें खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो ये शाखायें किन स्थानों पर खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सितम्बर, 1990 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी भारतीय वाणिज्यिक बैंकों को शाखा विस्तार नीति के बारे में अपने दृष्टिकोण सम्बन्धी मार्ग-निर्देश जारी किए थे । ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित नीति के अन्तर्गत शाखाएं खोलने के वास्ते उन्हें बैंकों से अब तक समेकित अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं । अतः यह बताना सम्भव नहीं होगा कि बिहार में किन जगहों पर नई बैंक शाखाएं खोली जानी है ।

बिहार में खनिज पर आधारित उद्योग

1583. **श्री तेज नारायण सिंह** : इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में खनिज पर आधारित उद्योगों की स्थापना के अच्छे आसार हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) बिहार में आठवीं पचवर्षीय योजना के दौरान कौन-कौन से खनिजों पर आधारित उद्योग और कहां-कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश की पर्वतमाला में पर्यावरण संरक्षण

158 '. **श्री तेज नारायण सिंह** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों को पर्वतमालाओं में पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण के बारे में कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है;

(घ) इस उद्देश्य के लिए स्वयंसेवी संगठनों को यदि कोई वित्तीय सहायता दी गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ऐसे संगठनों के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने प्राकृतिक वनों की कटाई रोकने और जहां वन-वर्धन के लिए ऐसा करना अपरिहार्य हो, वहां इसके लिए 10 हेक्टेयर से कम वन क्षेत्र में वनों की पूर्णतः कटाई करने के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं । उत्तर प्रदेश में 1000 मीटर से ऊपर पहाड़ियों में हरे वृक्षों की कटाई पहले ही बन्द कर दी गयी है । इसके अलावा, वनों के विकास के लिए अनेक स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं ।

(ग) उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 1990-91 के स्वीकृत परिव्यय 1119.60 लाख रुपए है ।

(घ) इस प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक एजेन्सियों को 56.10 लाख रुपए दे दिए गए हैं ।

(ङ) और (च) कार्य की प्रगति का मानीटरन राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के पैनल में सूचीबद्ध परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है ।

आयात और निर्यात नियन्त्रक का उप-कार्यालय

1585. **श्री हरि शंकर महाले :**
श्री काशीराम राणा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या है, जहां आयात और निर्यात नियन्त्रक का उप-कार्यालय स्थापित करने का विचार है; और

(ख) इन कार्यालयों के कब तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है और ये कब से कार्य करना आरम्भ कर देंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोतम दास पटेल) : (क) पुणे, बड़ोदा, पानीपत तथा कोयम्बटूर में नए कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, तूतीकोरिन स्थित कार्यालय को भी वहां से हटाकर मदुराई लाया जा रहा है।

(ख) कोयम्बटूर, पानीपत तथा मदुराई स्थित कार्यालयों ने पहले ही कार्य प्रारम्भ कर दिया है। पुणे तथा बड़ोदा स्थित कार्यालय जल्दी ही कार्य करना शुरू कर देंगे।

महाराष्ट्र और गुजरात से खनिजों का निर्यात

1586. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और गुजरात में गत दो वर्षों के दौरान जिन खनिजों का दोहन किया गया, उनके अलग-अलग नाम क्या हैं और वे कितने मूल्य के थे;

(ख) निर्यात किए जा रहे खनिजों के नाम क्या हैं और उन्हें किन देशों को भेजा जा रहा है; और

(ग) राज्य सरकारों को इनके निर्यात से होने वाली आय में से कितना हिस्सा प्राप्त होता है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) वर्ष 1988 और 1989 में महाराष्ट्र और गुजरात में उत्पादित खनिजों एवं उनके मूल्यों की सूची क्रमशः संलग्न विवरण-1 और विवरण-2 पर है।

(ख) उपर्युक्त विवरण-1 और विवरण 2 में उल्लिखित खनिजों में से विभिन्न देशों को निर्यात वाले खनिजों की सूची संलग्न विवरण-3 पर है।

(ग) खनिजों के निर्यात से होने वाली आय सामान्यतः निर्यात-एजेन्सी की होती है। किन्तु निकाले गए खनिजों पर महाराष्ट्र और गुजरात सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को रायल्टी और अन्य खनन राशियों के रूप में आय प्राप्त होती है।

विवरण-1

1988 व 1989 में महाराष्ट्र राज्य में खनिज उत्पादन

(मूल्य हजार रुपए में)

क्रम सं०	खनिज	इकाई	1988		1989	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	बाक्साइट	टन	535053	27087	538430	31105

1	2	3	4	5	6	7
2.	क्रोमाइट	टन	265	64	0	0
3.	कोरंडम	टन	652	10.5	218	350
4.	डायस्पोर	टन	1	1	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
5.	डोलोमाइट	टन	25866	1517	20314	1496
6.	फायर क्ले	टन	6875	320	6151	256
7.	लौह अयस्क	हजार टन	250	15674	908	50991
8.	केवलिन	टन	4662	144	3817	76
9.	कायनाइट	टन	16490	5484	20354	5933
10.	चूना पत्थर	हजार टन	4456	156700	4802	171203
11.	मैंगनीज अयस्क	टन	265532	129906	254029	135964
12.	ओकर	टन	1589	57	1619	71
13.	पायरोफिइलाइट	टन	724	136	1725	190
14.	क्वार्टज	टन	21553	563	18676	698
15.	सिल्का रेत	टन	168472	7208	194088	8692
16.	सिलिमेनाइट	टन	6493	6964	7465	9248
17.	बाल् (अन्य)	टन	780930	8704	747732	8790

(स्रोतः भारतीय खान ब्यूरो, मन्थली स्टेटिस्टिक्स, दिसम्बर, 1989 पृष्ठ 58)।

विवरण-2

वर्ष 1988 व 1989 में गुजरात राज्य में खनिज उत्पादन

(मूल्य हजार रुपए में)

क्रम सं०	खनिज	इकाई	1988		1989	
			मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
1.	एगेट	टन	812	285	774	281
2.	बाल क्ले	टन	8144	140	1694	34
3.	बाक्साइट	टन	415738	33096	498527	34044

1 2	3	4	5	6	7
4. कैलसाइट	टन	129	8	6	—
5. चाक	टन	109782	12963	120063	15247
6. क्ले (अन्य)	टन	34047	340	20183	186
7. डोलोमाइट	टन	307209	9.78	399547	10820
8. फेलस्पार	टन	2	—	0	0
9. फायर क्ले	टन	113873	1678	120607	1840
10. फ्लोराइट (ग्रेडिड)	टन	178	654	116	425
11. फ्लोराइट (सांद्र)	टन	15595	65910	22889	97586
12. ग्रेफाइट (आर० ओ० एम०)	टन	0	0	1384	180
13. जिप्सम	टन	340	45	159	21
14. केवलिन	टन	40361	5835	49846	6921
15. चूना पत्थर	"टन	5658	170961	6191	184801
16. मैंगनीज अयस्क	टन	8591	1167	5790	765
17. कैल्केरियस बालू	टन	92892	4040	106496	6845
18. ओकर	टन	499	29	541	28
19. क्वार्टज	टन	2018	48	5575	284
20. सिलिका बालू	टन	114403	2782	103501	2450
21. मोल्डिंग बालू	टन	4980	129	3937	100
22. स्टीटाइट	टन	1148	45	617	24
23. वरमीकुलाइट	टन	135	16	0	0

(स्रोत : भारतीय खान ब्यूरो, मन्थली स्टैटिस्टिक्स, दिसम्बर, 1989 पृष्ठ 53-54)।

विवरण-3

महाराष्ट्र तथा गुजरात में उत्पादित खनिजों में से हमारे देश से दूसरे देशों को निर्यात किए जाने वाले खनिजों की सूची इस प्रकार है

खनिज का नाम	निर्यात किए गए देश का नाम
1	2
I. धात्विक खनिज	
1. लौह अयस्क	जापान, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, जर्मन लोकतांत्रिक, जर्मन गणराज्य, इटली, बहरीन।

1	2
2. बाक्साइट	जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य, सऊदी अरब, रोमानिया, नाइजीरिया, कैनिया, बंगलादेश ।
II. अधात्विक खनिज	
1. क्रोमाइट	जापान, चीन गणराज्य (पूर्व फारमोसा) चीन जनवादी गणराज्य, नीदरलैंड, जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य, जर्मन संघीय गणराज्य, कोरिया गणराज्य ।
2. चॉक	बंगलादेश, नेपाल, बहरीन ।
3. क्ले (अन्य)	मलेशिया, यू० के०, श्रीलंका, मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात ।
4. कोरन्डम	बंगलादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस ।
5. डोलामाइट	बंगलादेश, यमन लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य, मारीशस ।
6. फेलस्पार	मलेशिया, बंगलादेश, जापान, सिंगापुर, चीन गणराज्य, फिलीपिंस ।
7. फायर क्ले	बंगलादेश, कीनिया ।
8. ग्रेफाइट (प्राकृतिक)	जर्मन संघीय गणराज्य, यू० के०, जापान, आस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, आस्ट्रिया, चीन गणराज्य (पूर्व फारमोसा), पाकिस्तान ।
9. जिप्सम	श्रीलंका, ओमान, बंगलादेश ।
10. केवलीन	बंगलादेश, जापान, सीरिया अरब गणराज्य ।
11. चूना पत्थर	बंगलादेश, सिंगापुर, नेपाल ।
12. मैंगनीज	जापान, रोमानिया, कोरिया गणराज्य, चेकोस्लोवाकिया ।
13. ओकर	फिलीपिंस, चीन गणराज्य, कीनिया, यू० के०, बंगलादेश, थाइलैंड, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, मिश्र, अरब गणराज्य कुवैत, आस्ट्रेलिया, इटली, ओमान, सिंगापुर, कनाडा, श्रीलंका, तनजानिया, फ्रांस ।
14. क्वार्टज	जापान, बंगलादेश ।
15. सिलिका बालू	संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान ।

1	2
16. स्टीटाइट	नीदरलैंड, कीनिया, आस्ट्रिया, बंगलादेश, आस्ट्रेलिया, सोवियत संघ, श्रीलंका, यू० के०, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मन संघीय गणराज्य, नाइजीरिया, थाईलैंड, मलेशिया, फ्रांस, नार्वे ।
17. वर्मीकुलाइट (कच्चा)	कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, चीन गणराज्य, मलेशिया, जापान, बंगलादेश ।

(स्रोत : इण्डियन मिनरल यीअर बुक, 1990) ।

बैंक आफ महाराष्ट्र के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रबन्धक

1587. **श्री हरि शंकर महाले** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंक आफ महाराष्ट्र की राज्य-वार कुल कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या इन शाखाओं में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वेतनमानों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातीयों के व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 31 दिसम्बर, 1990 की अन्त की स्थिति के अनुसार देश में बैंक आफ महाराष्ट्र की 1123 शाखाएं कार्य कर रहीं थीं जिनका राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	शाखाओं की संख्या
1	2
आन्ध्र प्रदेश	21
बिहार	1
गोवा	7
गुजरात	32
हरियाणा	5
जम्मू व कश्मीर	1
कर्नाटक	37
केरल	3
मध्य प्रदेश	114

1	2
महाराष्ट्र	846
पंजाब	5
राजस्थान	6
तमिलनाडु	11
उत्तर प्रदेश	9
पश्चिमी बंगाल	10
चण्डीगढ़	1
दिल्ली	13
पाण्डिचेरी	1
जोड़ :	1123

(ख) और (ग) बैंक आफ महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध 186 शाखा प्रबन्धक कार्य पर कर रहे हैं जिनमें 158 स्केल-I में और 28 स्केल-II में हैं।

महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में किसानों के ऋण माफ करना

1588. **श्री हरि शंकर महाते :**
श्री के० सी० त्यागी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने ऋणों को माफ करने की कार्यवाही आरम्भ की है तथा इस सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों राज्यों में, जिला-वार उन किसानों की संख्या कितनी है जिनके ऋण अब तक माफ किए गए हैं तथा कितनी धनराशि माफ की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा ये ऋण कब तक माफ किए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सरकारों ने केन्द्रीय सरकार की स्कीम के नमूने पर अपने राज्यों में सहकारी क्षेत्र में ऋण राहत उपलब्ध कराने के लिए पहले ही अपनी स्कीमों को तैयार कर लिया है तथा वे उन्हें कार्यान्वित कर रही है।

(ख) और (ग) आंकड़ा सूचना प्रणाली से ऋण राहत योजना के अन्तर्गत ऋणों को बट्टे-खाते डालने के बारे में जिला-वार सूचना प्राप्त नहीं होती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश राज्यों में स्कीमों के

कार्यान्वयन में हुई प्रगति नीचे दी गई है :—

(करोड़ रुपए)

	महाराष्ट्र जारी किए गए प्रमाण पत्रों की		उत्तर प्रदेश जारी किए गए प्रमाण पत्रों की	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
राज्य सहकारी बैंक	16,06,7 . 5	316.70	27,23,327	448.80
राज्य भूमि विकास बैंक	2,64,356	1 0.86	- 2,21,867	74.47
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	24,294	10.32	4,30,771	92.69
सरकारी क्षेत्र के बैंक	4,89,715	186.76	7,0 ',714	207.39

हवाला व्यापार

[अनुवाद]

1589. **श्री नन्द लाल मीणा :**
श्री शांताराम पोटदुखे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 दिसम्बर, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार मुम्बई में निषिद्ध वस्तुओं की बिक्री और बिक्री से प्राप्त राशि को हवाला व्यापार द्वारा विदेशी मुद्रा में विदेशों को भेजने के मामले में शामिल कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पिछले 12 महीनों के दौरान कितने घरों में छापे मारे गए तथा इसके परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने देश में हवाला व्यापार तथा तस्करी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

उद्योगपतियों और निर्यातकों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन

1590. **श्री नन्दलाल मीणा :**
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री रामेश्वर प्रसाद :
श्री अमर राय प्रधान :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगपतियों, निर्यातकों और अन्य व्यक्तियों द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के उल्लंघन करने सम्बन्धी मामलों का पता लगाने के लिए वर्ष 1989 और 1990 में अब तक कितने छापे मारे गए हैं;

(ख) दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है;

(ग) उपर्युक्त अवधि में विशेष रूप से दिसम्बर, 1990 के दौरान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों और उनसे जब्त की गयी बिना हिसाब-किताब की मुद्रा, आपत्तिजनक दस्तावेज आदि की संख्या और ब्यौरा क्या है; और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान निर्दोष ठहराए गए व्यक्तियों की संख्या और ब्यौरा क्या है और उन्हें किस आधार पर निर्दोष ठहराया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1989 और 1990 (नवम्बर, 1990 तक) के विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत मामलों के आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

	1989	1990 (नवम्बर तक)
(1) तलाशियों की संख्या	3273	1996
(2) अभिग्रहीत विदेशी मुद्रा की रकम (रु० लाखों में)	517.5	154.65
(3) अभिग्रहीत भारतीय मुद्रा की रकम (रु० लाखों में)	801.68	691.88
(4) न्यायनिर्णीत मामलों की संख्या	5166	3795
(5) अधिरोपित शास्तियों की रकम (रु० लाखों में)	1843.75	1902.28
(6) विदेशी मुद्रा की वह रकम जिसके जब्त किए जाने के आदेश जारी किए गए (रु० लाखों में)	95.86	88.44
(7) भारतीय मुद्रा की वह रकम जिसके जब्त किए जाने के आदेश जारी किए गए (रु० लाखों में)	73.27	125.65
(8) दायर किए गए अभियोजनों की संख्या	443	264
(9) अभियोजन के ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दोषसिद्ध ठहराया गया	178	184

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के न्यू मुम्बई स्थित कलाम्बली स्टाकयार्ड द्वारा लोहे और इस्पात के ठेके देने में अनियमितता बरतना

1591. **श्री वसंत साठे** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के न्यू मुम्बई स्थित कलाम्बली स्टाकयार्ड द्वारा लोहे और इस्पात के ठेके देने में अनियमितता बरतने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधिकारियों ने मार्ग-निदेशों का उल्लंघन करते हुए एक रोलिंग मिल को देश में मुम्बई, नई दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर स्थित स्टाकयार्डों में मैटिरियल हैंडलिंग का ठेका दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और इस बारे में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री अशोक कुमार सेन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। दिनांक 5-12-1990 को इंदिरा राष्ट्रीय कामगार सहकारी सोसाइटी लि० द्वारा कलम्बोली में नए स्टाकयार्ड में हैंडलिंग के कार्य जिसमें सितम्बर, 87 के कार्य प्रारम्भ है, को ठेके पर दिए जाने के विरोध में इस्पात और खान मन्त्री को एक अभ्यावेदन मिला था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारण थे :—

1. मेसर्स श्रीचन्द रोलिंग मिल को निविदा स्वीकृत करने के पूर्व सेल को बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि निविदा में कतिपय शर्तें अस्पष्ट हैं।
2. सेल द्वारा उनकी पिछली सेवाओं के लिए महत्व दिया जाना चाहिए।
3. सेल ठेका कार्यों को उन्हें देने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमन्त्री के अनुरोध को अनदेखा कर दिया गया है।

इसके पूर्व वे निविदा आमन्त्रित करने के विरोध में आवेदन दिए थे और इसकी चुनौती देते हुए बम्बई, उच्च न्यायालय में भी गए। उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका खारिज कर दी गयी। सेल द्वारा ठेके के लिए निविदा आमन्त्रित की गयी और इंदिरा राष्ट्रीय कामगार सहकारी सोसाइटी लि० की निविदा को मेसर्स श्रीचन्द रोलिंग मिल्स की निविदा की अपेक्षा बहुत उच्च निश्चित की थी। सेल द्वारा मेसर्स श्रीचन्द रोलिंग मिल्स को ठेका दे दिया गया क्योंकि उनके द्वारा बताए गए दर को "सेल" ने इंदिरा राष्ट्रीय कामगार सहकारी सोसाइटी द्वारा बताए गए दर की अपेक्षा काफी निम्न पाया है। तथापि, इंदिरा राष्ट्रीय कामगार सहकारी सोसाइटी लि० ने दिनांक 5 दिसम्बर, 1990 के अपने

अभ्यावेदन में बताया है कि उनके द्वारा बताए गए दर दो मदों को छोड़कर निम्न थे। इस विवाद की इस्पात और खान मन्त्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) "सेल" ने बताया है कि मैसर्स श्रीचन्द रोलिंग मिल को ठेका देते समय मार्गदर्शी सिद्धान्तों/उच्च न्यायालय के आदेशों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(घ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विदेशों से वाणिज्यिक ऋण

1592. **श्री वसंत साठे :**
श्री सी० एम० एस० नेगी :
श्री माणिक साल्याल :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अल्पावधि और दीर्घावधि के और अधिक वाणिज्यिक ऋण प्राप्त करने के लिए वर्षवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और वास्तव में कितना ऋण प्राप्त हुआ; और

(ख) मुख्य क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं हेतु गम्भीर संसाधन संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है तथा इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) अल्पावधिक और दीर्घावधिक वाणिज्यिक उधारों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। अल्पावधिक उधार व्यवसाय में सामान्य होते हैं और उनके आंकड़े सरकार द्वारा नहीं रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए दीर्घावधिक वाणिज्यिक उधारों के अनुमोदन निम्न प्रकार हैं :—

	(करोड़ रुपए)
1987-88	2674.48
1988-89	4314.41
1989-90	5478.61

(ख) महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन आवंटनों को योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप दिया जाता है। विकास परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा सम्बन्धी संसाधनों की उपलब्धता बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्रोतों से सहायता के साथ-साथ वाणिज्यिक उधारों से आबद्ध होती है।

स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाएं

1593. **श्री वसंत साठे :**
डा० वेंकटेश काबड़े :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र की उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जो पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी, विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र की परियोजनाओं के बारे में शीघ्र निर्णय लेने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) महाराष्ट्र से प्राप्त केवल दो सिंचाई परियोजनाओं अर्थात् वधूर और लोवर वुन्ना के मामले में पर्यावरणीय स्वीकृति दी जानी है ।

(ख) वधर सिंचाई परियोजना के बारे में प्रस्तुत पर्यावरणीय कार्य योजनाओं पर विचार किया गया है और शीघ्र ही अन्तिम निर्णय सूचित कर दिया जाएगा ।

लोवर वन्ना परियोजना के मामले में पुनर्वास, कर्माड क्षेत्र विकास तथा वनस्पति और प्राणि-जात के संरक्षण के बारे में स्पष्टीकरणों और पर्यावरणीय कार्य योजनाओं की अभी प्रतीक्षा की जा रही है । अपेक्षित आंकड़े प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही निर्णय लेना सम्भव होगा ।

बैंकों द्वारा निदेश

1594. **श्री जी० एस० बासवराज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 23 जुलाई, 1990 को सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को उनके पूंजी निवेश के सम्बन्ध में अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंकों द्वारा इन आदेशों का किस हद तक पालन किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 23 जुलाई, 1990 के परिपत्र मे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 73(3क) में विशेष रूप से उल्लिखित उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए शेयरों और ऋणपत्रों के (सरकारी निगमों) के सम्बन्ध में प्राप्त अभिदान राशियों को उपयोग में लाने के लिए कम्पनियों को अनुमति न दी जाए और यह भी कि कम्पनियों द्वारा प्राप्त की गई ब्याज देय अल्पकालिक जमाराशियों पर शेयरों, ऋणपत्रों, बांडों आदि के सरकारी निगमों के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदन राशियों को, अनुरोध पर, बैंकों को निवेश करने की अनुमति होगी । ऐसे निवेश केवल उन्हीं बैंकों में ही किए जाएंगे जो आवेदन राशि प्राप्त करते हों तथा अल्पकालिक जमा राशियों पर सम्बद्ध अवधियों के लिए ब्याज दरों पर भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार निर्धारित दरों पर ब्याज देय होगा तथा धारा 73(3क) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए जब कभी राशि निकाली जाएगी तो परिपक्वता से पूर्व वापस ली गई राशि पर दण्ड देय होगा। ये निदेश कार्यान्वयनाधीन हैं ।

इस्पात का निर्यात

1595. **श्री जी० एस० बासवराज** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात मंत्रालय भारत को इस्पात निर्यातक देश बनाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1990-91 के दौरान इस्पात के निर्यात के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए लोहा तथा इस्पात पर गठित कार्यकारी दल की रिपोर्ट में वर्ष 1994-95 तक 20 लाख मी० टन का निर्यात लक्ष्य दर्शाया गया है । विशिष्ट उत्पादों का निर्यात, उपलब्ध अतिरिक्त उत्पादन अन्तर्राष्ट्रीय बाजार स्थिति तथा अपेक्षित निर्यात प्रोत्साहनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । एकीकृत इस्पात कारखानों के प्रौद्योगिकीय उन्नयन गौण क्षेत्र में इस्पात निर्माण की अतिरिक्त क्षमता के सृजन से भारत से इस्पात निर्यात करने में सहायता मिलेगी ।

(ग) वर्ष 1990-91 में लगभग 3 लाख मी० टन इस्पात की मदों की निर्यात संभाव्यताओं का पता लगाया गया है ।

विदेशी पूंजी-निवेश को आकर्षित करने के लिए उदार योजनाएं

1596. **श्री जी० एस० बासवराज :**
श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान कितनी विदेशी पूंजी का निवेश हुआ;

(ख) क्या सरकार ने देशों की बढ़ती संख्या के साथ प्रभावी ढंग से स्पर्धा करने का निर्णय किया है तथा विदेशी पूंजी-निवेश को और अधिक आकर्षित करने के लिए उदार योजनाएं आरम्भ की हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं को कब तक आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) देश में इससे विदेशी-पूंजी के निवेश में कितना सुधार हो पाएगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों में अनुमोदित विदेशी मुद्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया हुआ है ।

(ख) से (घ) हमारी विदेशी निवेश नीति के बुनियादी सिद्धान्तों का औद्योगिक नीति संकल्प सहित विभिन्न दस्तावेजों में उल्लेख किया गया है । हमारा दृष्टिकोण चयनात्मक है । हमारी प्राथमिकताओं के अनुरूप, इस नीति के अन्तर्गत व्यापक औद्योगिक क्रियाकलापों में तकनीकी और वित्तीय सहयोग की अनुमति है । यह नीति एक मान्य नीति है और इससे वांछित क्षेत्रों में, विशेष रूप से उच्च प्रौद्योगिकी और निर्यात के क्षेत्रों में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा सकता है ।

विवरण

1988 से 1990 (नवम्बर, 1990 तक) के दौरान अनुमोदित विदेशी निवेश का देशवार ब्यौरा

(लाख रुपए में)

क्रम सं०	देश का नाम	वर्ष 1988	वर्ष 1989	वर्ष 1990
1	2	3	4	5
1.	आस्ट्रेलिया	10.01	300.00	62.80
2.	आस्ट्रिया	163.90	52.00	74.35
3.	बहामा	—	—	—
4.	बेल्जियम	—	32.52	—
5.	बेहरीन	—	—	—
6.	बरमूदा	—	—	—
7.	ब्राजील	40.00	—	7.98
8.	बुल्गारिया	—	—	—
9.	कनाडा	26.00	117.00	33.60
10.	चीन	—	20.00	—
11.	चैकोस्लोवाकिया	15.00	139.09	—
12.	डेनमार्क	176.38	980.00	272.23
13.	दुबई	—	—	—
14.	फेरिओ द्वीप	—	—	—
15.	जर्मन संघीय गणराज्य	3099.90	12032.85	891.32
16.	फिनलैंड	46.64	105.50	56.66
17.	फ्रांस	1177.67	845.69	388.00
18.	जर्मन जनवादी गणराज्य	—	—	—
19.	ग्रीस	—	8.00	—
20.	हांग-कांग	56.10	110.25	115.00
21.	हंगरी	10.40	—	—
22.	ईरान	—	—	—

1 2	3	4	5
23. आयरलैंड	10.00	—	—
24. इटली	2786.74	690.44	632.74
25. जापान	1742.58	877.93	426.15
26. कोरिया (दक्षिण)	45.00	33.75	706.24
27. कुवैत	—	285.00	—
28. लाइबेरिया	—	—	—
29. लक्समबर्ग	40.00	—	—
30. मलेशिया	—	—	12.50
31. मैक्सिको	200.00	257.25	—
32. नीदरलैंड	105.30	230.56	376.81
33. नार्वे	349.90	338.50	4.00
34. पनामा	—	—	—
35. पोलैंड	—	33.00	—
36. पुर्तगाल	—	—	—
37. सऊदी अरब	—	—	—
38. सिंगापुर	462.60	348.68	—
39. स्पेन	160.00	—	—
40. श्रीलंका	—	—	—
41. स्वीडन	84.00	416.80	33.82
42. स्विटजरलैंड	273.73	774.26	1342.60
43. तैवान	56.22	—	64.18
44. संयुक्त अरब अमीरात	—	—	50.00
45. युनाइटेड किंगडम	1390.75	3346.14	906.79
46. संयुक्त राज्य अमेरिका	9713.73	6215.59	3448.24
47. सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ	44.00	958.00	710.80
48. यूगोस्लाविया	9.00	—	—
49. अनिवासी भारतीय	1679.90	2117.76	524.88
50. थाईलैंड	—	—	16.25
जोड़ :	23975.75	31666.56	12657.74

सोवियत रूस के साथ व्यापार

1597. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने सोवियत रूस के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए कई उपाय सुझाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोतम दास पटेल) : (क) फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने सोवियत सुधारों के आर्थिक आयामों से सम्बन्धित एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसकी एक प्रति वाणिज्यिक मंत्रालय को प्राप्त हो गई है ।

(ख) रिपोर्ट में दिए गए सुझाव मुख्यतया उद्योग और व्यापार की ओर से कार्रवाई से सम्बन्धित सुझावों को नोट कर लिया गया है ।

सोवियत संघ और जर्मनी के बीच व्यापार

[हिन्दी]

1598. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सोवियत संघ और जर्मनी के साथ कितने मूल्य का व्यापार किया गया;

(ख) आयातित और निर्यातित वस्तुओं के नाम क्या हैं;

(ग) इस व्यापार में रुपया-रूबल अनुपात कितना रहा है;

(घ) क्या सोवियत संघ को रियायती दरों पर वस्तुएं निर्यात की जा रही हैं;

(ङ) क्या सरकार ने संयुक्त जर्मनी से व्यापार में वृद्धि करने हेतु नए लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोतम दास पटेल) : (क) से (च) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सोवियत संघ तथा जर्मनी के साथ हुए व्यापार आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रु० में)

देश का नाम	1987-88		1988-89		1989-90(अ०)	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
1	2	3	4	5	6	7
सोवियत संघ	1962.68	2369.00*	2609.34	1964.00*	4462.97	3031.90*

1	2	3	4	5	6	7
जर्मन संघीय गणराज्य	1059.02	2158.62	1236.31	2457.72	1777.80	2749.68
जर्मन जनवादी गणराज्य	112.00	93.27	182.89	132.91	216.41	197.24

अ : अनन्तिम। स्रोत : डी० जी० सी० आई० एण्ड एस०, कलकत्ता।

* : आयात आंकड़ों में कच्चे तेल के आंकड़े भी शामिल हैं।

(ख) इन देशों को जो माल निर्यात किया गया उसमें कृषि उत्पाद, खनिज तथा अयस्क, रसायन एवं सम्बद्ध उत्पाद, वस्त्र, इंजीनियरी माल चमड़ा तथा चमड़ा उत्पाद, आदि शामिल हैं और इन देशों से आयातित माल में मशीनरी, उपस्कर तथा इनके फालतू पुरजे, कच्चा तेल तथा पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, रसायन एवं भेषजीय उत्पाद, इस्पात उत्पाद, अलौह धातुएं, आदि शामिल हैं।

(ग) भारत-सोवियत संघ व्यापार मुख्य रूप से अपरिवर्तनीय भारतीय रुपए में होता है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

राजसी वस्तुओं पर कर में छूट

[अनुवाद]

1599. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन रियायतों के भूतपूर्व शासकों के पास समारोहों पर प्रयोग करने के लिए राजसी वस्तुएं हैं;

(ख) क्या ऐसी राजसी वस्तुओं को राज्य की सम्पत्ति समझा माना गया है, जिसका प्राधिकृत सरकारी एजेंसियां समय-समय पर निरीक्षण कर सकती हैं;

(ग) क्या ऐसी वस्तुएं राज्य की सम्पत्ति होने के कारण धन-कर और उपहार-कर अधिनियम के प्रावधानों से मुक्त हैं; और

(घ) क्या राजस्व के लाभ को सुनिश्चित करने और भूतपूर्व शासकों की राजसी/कुलागत वस्तुओं और निजी रत्नाभूषण को एक-दूसरे के मिलाने पर रोक लगाने के लिए कोई निर्देश विद्यमान हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

प्रत्याभूति के रूप में राजसी वस्तुओं का प्रयोग

1600. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान सरकार अपने रत्नों के भण्डार को ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा की प्रत्याभूति के रूप में प्रयोग करती है;

(ख) यदि हां, तो इसी आधार पर भारत में तत्कालीन रजवाड़ों की राजसी वस्तुओं, जो राज्यों की सम्पत्ति हैं, को हमारी मुद्रा की प्रत्याभूति के रूप में प्रयोग करने के बारे में विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) ईरान द्वारा जारी किए गए बैंक नोटों की राशि का 75 प्रतिशत भाग ईरान सरकार के बांडों, प्रतिभूतियों और अन्य दस्तावेजों द्वारा प्रत्याभूत किया जाना था और जो बदले में ईरान के नेशनल जूअल द्वारा प्रत्याभूत किए गए थे ।

(ख) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तमिलनाडु में तस्करी का धन्धा

1601. **श्री बी० एन० रेड्डी :**
श्री राजमोहन रेड्डी :
श्री हेमेन्द्र सिंह बनेड़ा :
श्री पी० आर० एस० वेंकटेशन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में गत एक वर्ष के दौरान तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान हथियार और नशीली दवाओं सहित पकड़ी गयी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तमिलनाडु में तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि तमिलनाडु समुद्री तट तथा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तस्करी के लिए बराबर संवेदनशील क्षेत्र बने हुए हैं । तमिलनाडु राज्य में 1993 (नवम्बर तक) के दौरान सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए शस्त्रों तथा गोला-बारूद सहित निषिद्ध माल का मूल्य और स्वापक औषध द्रव्यों की मात्रा आगे सारणी में दी गयी है :—

द्रव्य	मूल्य (करोड़ रुपयों में) (अनन्तिम)
सोना	14.77
चांदी	6.50
शस्त्र और गोला-बारूद	1.10
अन्य	27.28
*हेरोइन/ब्राऊन शूगर	57.33 किलोग्राम

*हेरोइन/ब्राऊन शूगर जैसे नशीले औषध द्रव्यों का सही-सही मूल्य नहीं आंका जा सकता है क्योंकि यह इसकी शुद्धता और इसके उद्गम के स्थान आदि पर निर्भर करता है।

(ग) सीमाशुल्क प्राधिकारी तमिलनाडु समुद्री तट सहित अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार और तमिलनाडु राज्य में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और समुद्री पत्तनों सहित समग्र देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों और समुद्री पत्तनों पर तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों के प्रति सर्तक रहते हैं। तट रक्षकों और नौ-सेना से भी सक्रिय सहायता प्राप्त की जा रही है। तस्करी की रोकथाम और इसका पता लगाने में लगी सभी सम्बन्धित एजेन्सियों के बीच घनिष्ठ ताल-मेल बनाए रखा जा रहा है।

आयकर अधिकारियों को बैंक खाते/पास बुक दिखाना

1602. **श्री राम सागर** (सैदपुर) : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारी आदि प्रत्येक आयकर दाता से उसकी पास बुक/खाते दिखाने को कहते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस सम्बन्ध में संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) श्री राम सागर, संसद सदस्य का दिनांक 20 नवम्बर, 1990 का एक पत्र केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में प्राप्त हुआ है, जिसमें अन्य बातों के अलावा यह भी पूछा गया है कि क्या आयकर प्राधिकारी लोगों से उनकी बैंक पास बुकों की मांग कर सकते हैं अथवा नहीं और क्या इस अपेक्षा से संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन होता है अथवा नहीं। उक्त उल्लंघन, यदि कोई हो, की रोकथाम के लिए किए गए उपायों के बारे में भी उस पत्र में पूछ-ताछ की गई है।

(घ) आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन आयकर प्राधिकारियों को जो शक्तियां प्राप्त

हैं, उनमें अन्य बातों के अलावा किसी भी व्यक्ति की आय के कर-निर्धारण से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की पूछताछ के बारे में सूचना मांगने की अथवा लेखा पुस्तिकाओं, जिनमें बैंक पास बुक भी शामिल हैं, को प्रस्तुत करने की मांग करने की शक्ति भी शामिल है। आयकर अधिनियम के उक्त उपबन्धों से संविधान का उल्लंघन नहीं होता है।

गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विस्तार

1603. **श्री राम सागर** (सैंदपुर) :
श्री वसंत साठे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है कि बैंक कर्मचारियों को बैंकों में इक्विटी स्वामित्व प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार का गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विस्तार पर लगे प्रतिबन्धों में पर्याप्त छूट देने का विचार है;

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की और शाखाएं खोलने सम्बन्धी कितने आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक के पास लम्बित पड़े हैं;

(घ) इन आवेदनों के लम्बित पड़े रहने की अवधि का आवेदनवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन आवेदनों को तत्काल मन्जूरी देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जहां तक निजी क्षेत्र के बैंकों का सम्बन्ध है, बैंक के कर्मचारियों पर सम्बद्ध बैंक की शेयर पूंजी की इक्विटी में अंशदान करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों का सम्बन्ध है, इन बैंकों की पूंजी निधि में कर्मचारियों द्वारा अंशदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (ङ) देश में बैंकिंग कारबार में वृद्धि को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक प्रस्तावित शाखाओं के कारबार की मात्रा तथा अर्थक्षमता के आधार पर बैंक शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान करता रहा है।

वर्ष 1985-90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने साधारणतया अग्रणी बैंक समूहों द्वारा पहचान किए गए तथा राज्य सरकारों द्वारा अन्तिम रूप दिए गए केन्द्रों की सूची के आधार पर केन्द्रों का संवितरण किया था न कि संबद्ध बैंकों से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में निजी क्षेत्र के बैंकों समेत सभी वाणिज्यिक बैंकों को भविष्य में शाखा विस्तार हेतु मार्गनिर्देश जारी किए हैं। नई नीति के तहत ग्रामीण/अर्ध शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोले जाने के लिए 31 दिसम्बर, 1990 के अन्त तक बैंकों द्वारा दिए गए प्रत्येक आवेदन के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है। इन आवेदन पत्रों पर भारतीय रिजर्व बैंक अपनी नीति के अनुसार समेकित आधार पर विचार करेगा। जहां तक शहरी और महानगरीय केन्द्रों का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक रहित/कम बैंक वाले केन्द्रों के पहचान करने के

वास्ते कार्यदल गठित किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अपने मानदण्डों के अनुसार यथा-समय नए केन्द्रों का आबंटन करेगा।

प्रत्यक्ष कर वसूली

1604. **श्री राम सागर** (सैंदपुर) : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल-अक्तूबर, 1990 के दौरान प्रत्यक्ष कर वसूली वर्ष 1989 के दौरान इसी अवधि में की गयी वसूली से कम रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) नवम्बर, 1990 से आज तक की अवधि के दौरान कितनी राशि के प्रत्यक्ष कर की वसूली की गयी है और यह वसूली गत वर्ष इसी अवधि के दौरान की गयी वसूली से कितनी कम अथवा अधिक है; और

(घ) प्रत्यक्ष कर की शीघ्र वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस वर्ष में कम वसूली होने के मुख्य कारण ये हैं—अपेक्षाकृत अधिक वापस-अदायगियों को जारी करना, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अग्रिम कर का "शून्य" भुगतान तथा देश के अनेक भागों में गड़बड़ी की स्थितियां।

(ग) नवम्बर, 1990 के माह के दौरान प्रत्यक्ष करों की शुद्ध वसूली 5:5.54 करोड़ रुपए थी, जबकि नवम्बर, 1989 के दौरान यह वसूली 325.00 करोड़ रुपए थी। दिसम्बर, 1990 के लिए आंकड़ों को अभी संकलित नहीं किया गया है।

(घ) अनेक विधायी और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं ताकि प्रत्यक्ष करों की वसूली को बढ़ाया जा सके एवं इस कार्य में तेजी लाई जा सके। स्वदेशी कम्पनियों द्वारा संदेय अधिभार की दर को 8% से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। यह भी प्रस्ताव किया गया है कि आयकर दाताओं के मामले में अधिभार की दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया जाए। इसके साथ ही साथ यह भी प्रस्ताव किया गया है कि चालू लेखा-वर्ष में मूल्यह्रास के लिए कटौती को उस मात्रा से 75 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाए, जितनी कि अन्यथा उपलब्ध होती। मुख्य आयुक्तों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे कर-निर्धारणों को शीघ्र अन्तिम रूप दें तथा अधिक मांग वाले मामलों में अपीलों का शीघ्र निपटान करें। उन्हें यह भी कहा गया है कि वे वित्त वर्ष के शेष भाग में बजट-वसूली विषयक कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

सोने का खनन

1605. **श्री प्रकाश कोका ब्रह्मभट्ट** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कम्पनियां भारत में सोने के खनन कार्य में लगी हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उन्हें किन शर्तों पर यह कार्य दिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

वाणिज्यिक बैंकों के ग्रामीण विकास अधिकारियों का पृथक संवर्ग

1606. **श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सुझाव दिया है कि वाणिज्यिक बैंकों में ग्रामीण विकास अधिकारियों का एक प्रथम संवर्ग बनाता जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी, 1990 में भारतीय बैंक संघ को बैंकों में ग्रामीण विकास अधिकारियों के एक कैडर के लिए प्रस्ताव की जांच करने को सुझाव दिया था। भारतीय बैंक संघ द्वारा गठित एक समिति ने प्रस्ताव की जांच की थी जिसने इसका समर्थन नहीं किया था और उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक को तदनुसार सूचित कर दिया है ।

सोवियत संघ को निर्यात

1607. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ को भारत द्वारा किए जा रहे निर्यात में डालर के प्रतिशत को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी कार्रवाई का भारत-सोवियत व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय बैंकों में भारी घाटा

1608. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान कुछ बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य निष्पादन का परिणाम बैंकों में काफी घाटा दर्शाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्राथमिक रूप से यह स्थिति अत्यधिक ऋण, काफी लम्बे समय से चले आ रहे ऋण, धोखाधड़ी और अन्य प्रबन्धन कदाचार के कारण है; और

(ग) क्या इनके कार्यकरण के इस स्थिति की जवाबदेही विशेषकर "रुग्ण" बैंकों के चेयरमैनों और निदेशकों पर निर्धारित करने हेतु कोई जांच की गयी थी ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 1989-90 के लिए प्रकाशित वार्षिक लेखों के अनुसार न्यू बैंक आफ इण्डिया और यूको बैंक को छोड़कर सभी राष्ट्रीय बैंकों ने कुल मिलाकर 249.60 करोड़ रुपए का लाभ दिखाया है। न्यू बैंक आफ इण्डिया तथा यूको बैंक ने क्रमश: 9.89 करोड़ रुपए तथा 54.59 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है। वर्ष 1988-89 के लिए किसी घाटे की सूचना नहीं दी गयी थी।

चूंकि बैंक ऋणदात्री संस्थाएं हैं इसलिए कुछ अग्रिमों के अवरुद्ध होने का डर बना रहता है और इस प्रकार सम्बन्धित बैंकों को हानि होती है, परन्तु यह जोखिम बैंकिंग प्रणाली में अन्तर्निहित होता है। कुछेक आंतरिक तथा बाह्य घटकों, जैसे पर्याप्त ऋण मूल्यांकन की कमी, संवितरण के बाद पर्यवेक्षण में ढीलापन, उद्योग में मन्दी का रुख, प्राकृतिक आपदायें आदि के कारण अग्रिम अवरुद्ध हो सकते हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगातार की जाती है और उनके कार्यनिष्पादन और लाभप्रदता को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं।

कर्नाटक में सोने के भण्डार

1610. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में सोने की खानों की खुदाई हेतु किसानों की भूमि का अधिग्रहण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अधिग्रहण की गयी भूमि और भूमि मालिकों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड और कोलार गोल्ड फील्ड द्वारा सोने की बिक्री

1611. **श्री एच० सी० श्रीकान्तय्या** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड और कोलार गोल्ड फील्ड को आम जनता और अपने कर्मचारियों को सोने की बिक्री करने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान बिक्री हेतु सोने की कितनी मात्रा का प्रस्ताव किया गया है;

(ग) मूल्य किस आधार पर निश्चित किया गया है; और

(घ) उक्त बिक्री से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बासवराज पाटिल) : (क) सरकार ने भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (बी० जी० एम० एल०) को अपना स्वर्ण उत्पादन एक एजेन्सी की मार्फत बेचने की अनुमति दी है। किन्तु, भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड 22 कैरट के स्वर्ण पेंडल अपने कर्मचारियों सहित आम जनता को स्वयं बेचता है।

(ख) वर्ष, 1990-91 (अप्रैल से नवम्बर, 1990 तक) 749.110 किलो ग्राम स्वर्ण बेचा गया।

(ग) स्वर्ण मूल्य बम्बई सराफा बाजार दरों पर निर्धारित किया जाता है।

(घ) वर्ष 1990-91 (अप्रैल से नवम्बर, 1990 तक) में कुल 24.31 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई।

अल्मोड़ा जिले में बैंक ऋण

[हिन्दी]

1612. **श्री हरीश रावत** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा जिले में कुछ बैंकों ने अपनी वार्षिक कार्यवाही योजना में निर्यात धनराशि से कम धनराशि के ऋण दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन बैंकों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या इन बैंकों को निर्धारित सीमा तक ऋण देने के लिए अनुदेश जारी करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार अल्मोड़ा जिले के सभी बैंकों ने जिले के लिए समग्र रूप से वार्षिक ऋण योजना 1989-90 के तहत संतोषजनक ढंग से कार्य किया है। वार्षिक ऋण योजना 1989-90 के तहत अल्मोड़ा जिले के सभी बैंकों के लक्ष्य एवं उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :—

(करोड़ रुपए में)

	लक्ष्य	उपलब्धि
1. कृषि और सम्बद्ध कार्य	3.48	2.85
2. लघु उद्योग	1.06	1.32
3. सेवाएं	3.63	4.40
कुल :	8.27	8.57

इस जिले मे कार्यरत बैंक जिला स्तरीय समन्वय फोरम में, वार्षिक ऋण योजना के तहत लक्ष्यों की उपलब्धियों की पुनरीक्षा करते हैं ।

उ० प्र० में चाय की पत्तियों का प्रसंस्करण करने वाले एककों की स्थापना

1613. **श्री हरीश रावत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय-पत्तियों के प्रसंस्करण के लिए एकक स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शांतिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में चाय-पत्तियों के प्रसंस्करण के लिए एकक स्थापित करने का फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में बैंक शाखाओं में कर्मचारियों की कमी

1614. **श्री हरीश रावत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में कार्य कर रही विभिन्न बैंक शाखाओं में कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंक और उसकी शाखाओं के नाम क्या हैं और उनमें कर्मचारियों की कमी कब से है;

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो बैंकों की इन सभी शाखाओं में कर्मचारियों की कमी को कब तक दूर कर दिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) बैंकों से की गई पूछताछ से ऐसी कोई सामान्य कमी का पता नहीं चला है ।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

राजस्थान में मरुक्षेत्र का बढ़ना

1615. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वन संरक्षण और थार-मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए कौन-कौन सी विशेष योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं पर वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है और इनमें केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि का योगदान किया है तथा इससे नयी उपलब्धियां हुई हैं; और

(ग) अरावली विकास बोर्ड योजना में अजमेर जिले को शामिल न करने के क्या कारण है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

वायु, जल और मल-प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्य योजना

[अनुवाद]

1616. **श्री एड्आर्डो फैलीरो** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही जोधपुर में पर्यावरण और स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय पर एक विचार-गोष्ठी हुई थी जिसमें प्रमुख वक्ताओं ने वायु, जल और मल-प्रदूषण से सम्बन्धित विस्तृत पुनरीक्षण तथा उक्त प्रदूषण के निवारण हेतु कार्य-नीति प्रस्तुत की थी और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट एवं संक्षिप्त कार्य योजना अपनाने तथा सम्बन्धित गैर-सरकारी संगठनों और नागरिकों का एक कार्य दल गठित करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां । पर्यावरण और स्वास्थ्य पर 17 नवम्बर, 1990 को एस० एन० मेडिकल कालेज, जोधपुर में एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी । इस संगोष्ठी का आयोजन इंडियन एसोसिएशन आफ प्रिवेन्टिव एण्ड सोशल मेडिसिन, राजस्थान चैप्टर द्वारा किया गया था ।

(ख) अधिक मात्रा में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए राज्यों के सहयोग से एक कार्ययोजना बनाई गई है । एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है जिसके अनुसार प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को 19-12-1991 तक इस सम्बन्ध में निर्धारित मानकों को पूरा करना है ।

इस क्षेत्र के लिए एक पृथक कृत्यक बल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । विभिन्न राज्यों की पर्यावरणीय सुरक्षा परिषदों में गैर-सरकारी संगठनों और नागरिकों को शामिल किया जाता है । ये परिषदें पर्यावरणीय सुरक्षा से सम्बन्धित कार्य करती हैं और पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में सलाह देती हैं ।

कुम्भ मेले से पहले गंगा नदी की सफाई करना

[हिन्दी]

1617. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गंगा नदी को कुम्भ मेले से पहले प्रदूषण-मुक्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ख) सरकार ने वर्ष 1992 में सिंहस्थ में कुम्भ मेले के अवसर पर मध्य प्रदेश में उज्जैन में क्षिप्रा नदी को प्रदूषण-मुक्त करने के लिए क्या उपाय किए हैं; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) गंगा कार्य योजना केन्द्र सरकार द्वारा गंगा नदी की सफाई करने के लिए आरम्भ की गई थी। इसके अनुसरण में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के 27 श्रेणी-I के नगरों में कार्य हाथ में लिए गए हैं। इन कार्यों से गंगा को प्रदूषण-मुक्त करने में सहायता मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार अपने राज्य में प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। केन्द्र सरकार प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों को सहायता दे रही है। क्षिप्रा नदी को प्रदूषण-मुक्त करने के लिए भारत सरकार की कोई विशेष स्कीम नहीं है।

पर्यावरण नीति

[अनुवाद]

1618. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई पर्यावरण नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) सरकार का राष्ट्रीय संरक्षण नीति के भाग के रूप में एक पर्यावरणीय नीति विवरण जारी करने का प्रस्ताव है।

यमुना सफाई योजना

'619. **श्री बनवारी लाल पुरोहित :**
श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार गंगा सफाई योजना की तरह यमुना नदी के पानी को साफ करने के लिए यमुना सफाई योजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना पर कार्य कब तक प्रारम्भ होने की संभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीममी मेनका गांधी) : (क) से (ग) गंगा नदी के अलावा दूसरी नदियों के लिए नदी कार्य योजनाएं आरम्भ करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

बंगलादेश को कोयले का निर्यात

1620. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेघालय की खनिज विकास निगम को मेघालय की निजी खानों से डालर की अदायगी के एवज में, इस वर्ष, बंगलादेश को कोयले का निर्यात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पुरातन खनन तरीकों के कारण, मेघालय के कोयला भण्डारों का खनन नहीं हो सका है; और

(घ) मेघालय में कोयला खानों के इष्टतम उपयोग के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल) : (क) और (ख) मेघालय कोयले का बंगलादेश को परिवर्धित निर्यात सुलभ बनाने के उद्देश्य से सरकार ने मेघालय कोयले का निर्यात मेघालय खनिज विकास निगम द्वारा किए जाने पर इसे एम० एम० टी० सी० के माध्यम से सरणीकरण से छूट देने का निश्चय किया है।

(ग) मेघालय कोयला जहां-तहां छोटे-छोटे क्षेत्रों में मिलता है और वहां पर कोयला खनन कार्य राज्य सरकार की जानकारी में जनजातीय लोगों द्वारा कुटीर उद्योग आधार पर किया जा रहा है। राज्य सरकार की योजना राज्य खनन निगम के माध्यम से खनन कार्य आरम्भ करने की है।

(घ) कोल इण्डिया लि० ने सिम्सन अन्वेषी खनन परियोजना का अनुमोदन कर दिया है। एक बार इस अन्वेषी खनन परियोजना के कार्यान्वित हो जाने पर तथा इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने पर, वाणिज्यिक पैमाने पर खनन कार्य किया जा सकता है और प्राप्त कोयले को प्रस्तावावित गोरो हिल्स थर्मल पावर परियोजना, मेघालय से जोड़ा जा सकता है।

———

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड परिसंघ, मुम्बई और राष्ट्रीय कृषि प्रबन्ध विस्तार केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षाएं

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैं, श्री देवी लाल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड परिसंघ, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड परिसंघ, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड परिसंघ, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1650/91]

(2) (एक) राष्ट्रीय कृषि प्रबन्ध विस्तार केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय कृषि प्रबन्ध विस्तार केन्द्र, हैदराबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1651/91]

भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली को वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1990

वाणिज्य मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1699/91]

(3) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) संशोधन नियम, 1990, जो 18 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 979(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1700/91]

निर्माताओं को उत्पाद शुल्क के प्रतिदाय के बारे में 12 अक्तूबर, 1990 का टिप्पण प्रतिदाय दावों के ब्यौरों की प्रति

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : श्री यशवन्त सिन्हा की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निर्माताओं को उत्पाद शुल्क के प्रतिदाय के बारे में तत्कालीन विधि और न्याय मंत्री श्री दिनेश गोस्वामी द्वारा दर्ज किए गए 12 अक्तूबर, 1990 के टिप्पण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1701/91]

(2) 21 मार्च से 24 अगस्त, 1990 तक एक करोड़ रुपए या अधिक की धनराशि के स्वीकृत

प्रतिदाय दावों के ब्यौरों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1702/91]

(3) 21 मार्च से 24 अगस्त, 1990 तक 50 लाख रुपए से या एक करोड़ रुपए तक की धनराशि के स्वीकृत प्रतिदाय दावों के ब्यौरों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1703/91]

खनिज गवेषणा निगम लिमिटेड, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, और भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षाएं

पेटोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : मैं, श्री अशोक कुमार सेन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) खनिज गवेषणा निगम लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) खनिज गवेषणा निगम लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1704/91]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1705/91]

(ग) (एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1706/91]

(घ) (एक) विजयनगर इस्पात लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) विजयनगर इस्पात लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1707/91]

(ङ) (एक) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड भुवनेश्वर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1708/91]

(च) (एक) स्पांज आयरन इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पांज आयरन इण्डिया लिमिटेड के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1709/91]

(छ) (एक) हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1710/91]

(ज) (एक) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1711/91]

(झ) (एक) मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1712/91]

(अ) (एक) राष्ट्रीय अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1713/91]

पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 1990, भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून और सोसाइटी फार प्रमोशन ऑफ वेस्टलैण्ड्स डिवपमेंट, नई दिल्ली के 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षाएं आदि

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अन्तर्गत पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 1990, जो 30 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 742(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1714/91]

(2) (एक) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1715/91]

(3) (एक) सोसाइटी फार प्रमोशन आफ वेस्टलैण्डस डिवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सोसाइटी फार प्रमोशन आफ वेस्टलैण्डस डिवलपमेंट, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1716/91]

(4) (एक) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1717/91]

(5) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अण्डमान और निकोबा द्वीप समूह वन तथा बागान विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1718/91]

भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1990 तथा महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा-पटल पर न रखने हुए विलम्ब केकारण दर्शाने वाला विवरण

[हिन्दी]

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जय प्रकाश) : मैं डा० संजय सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1990 जो 3 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 933(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1678/90]

(2) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा-पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1679/90]

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड, मुम्बई तथा हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण इत्यादि, इत्यादि

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री तथा जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री मनुभाई कोटाड़िया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 845(अ), जो 6 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कुर्सियोंग से गुजरने वाले तथा दार्जिलिंग में समाप्त होने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर सिलीगुड़ी से आरम्भ होने वाले राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1652/91]

(2) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड के वर्ष 1989-90 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गया। देखिए संख्या एल० टी० 1653/91]

(3) हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इन्जीनियर्स लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1654/91]

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1655/91]

(ख) (एक) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1656/91]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1989-'0 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1657/91]

(घ) (एक) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1658/91]

(5) (एक) तूनीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1659/91]

(च) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मुम्बई पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1660/91]

(7) (एक) मारमुगांव पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मारमुगांव पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1661/91]

(8) (एक) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1662/91]

(9) (एक) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1663/91]

(दो) जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) कलकत्ता पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1664/91]

(11) (एक) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मद्रास पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1665/91]

(12) (एक) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1666/91]

(13) (एक) राष्ट्रीय राजमार्ग इन्जीनियर्स प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग इन्जीनियर्स प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1667/91]

(15) (एक) सड़क परिवहन निगम, अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1668/91]

(17) (एक) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1669/91]

(18) (एक) मद्रास गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1670/01]

(19) (एक) कांडला गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कांडला गोदी श्रम बोर्ड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1671/91]

(20) महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत

निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) तूतीकोरिन पत्तन न्यास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1672/91]

(21) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के वर्ष 1988-89 की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1673/91]

(22) ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 की धारा 30 के अन्तर्गत ब्रह्मपुत्र बोर्ड (राज्यों के साथ विवादों का समाधान) नियम, 1988, जो 28 जनवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 58 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 1674/91]

(23) महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 874(अ), जो 31 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (शैक्षिक सहायता) विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा० का० नि० 902(अ), जो 12 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी (अस्थाई सेवा) संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 904(अ), जो 14 नवम्बर, 1990 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचिन पत्तन कर्मचारी (आवास आदि के निर्माण के लिए अग्रिम अनुदान) संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(चार) सा० का० नि० 905(अ), जो 14 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन कर्मचारी (अध्यापन शुल्क की प्रतिपूर्ति) संशोधन विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

(पांच) सा० का० नि० 906(अ), जो 15 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास कार्मचारी (शैक्षिक सहायता) विनियम, 1990 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी० 1675/91]

(24) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय पोत परिवहन निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1676/91]

(26) (एक) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेन्टर, विशाखापत्तनम के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल शिप डिजाइन एण्ड रिसर्च सेन्टर, विशाखापत्तनम के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1677/91]

कर्नाटक डेरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1987-88 का तथा राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैं, श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई शाह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 195 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) कर्नाटक डेरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1987-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) कर्नाटक डेरी विकास निगम, लिमिटेड बंगलौर का वर्ष 1987-88 का वार्षिक

प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1680/91]

(ख) (एक) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग) (एक) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) राजस्थान राज्य डेरी विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1681/91]

(घ) (एक) कर्नाटक डेरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण ।

(दो) कर्नाटक डेरी विकास निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1682/91]

(ङ) (एक) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1683/91]

(च) (एक) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) उड़ीसा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1684/91]

(2) उपर्युक्त संख्या (1) की मद (क), (ख) और (घ) से (च) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1680-84/91]

(3) (एक) राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1685/91]

(4) (एक) राष्ट्रीय श्रम सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय श्रम सहकारी परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1686/91]

(5) (एक) राष्ट्रीय चीनी सहकारी कारखाना परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय चीनी सहकारी कारखाना परिसंघ लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1687/91]

(6) (एक) राष्ट्रीय भारी इन्जीनियरिंग सहकारी लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय भारी इन्जीनियरिंग सहकारी लिमिटेड, पुणे के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1688/91]

(7) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी परिसंघ लिमिटेड, आनन्द के वर्ष

1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेरी परिसंघ लिमिटेड, आनन्द के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1689/91]

(8) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(9) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी सघ के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखे लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उस पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1690/91]

(10) (एक) नेशनल कोआपरेटिव टौबैको ग्रोवर्स फैडरेशन लिमिटेड, आनन्द के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव टौबैको ग्रोवर्स फैडरेशन लिमिटेड, आनन्द के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1691/91]

(11) (एक) नेशनल फैडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रैडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फैडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रैडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(तीन) नेशनल फैडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रैडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1692/91]

(12) (एक) आल इण्डिया फैडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) आल इण्डिया फैडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1693/91]

(13) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1694/91]

(15) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का०आ० 946(अ), जो 17 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 1 अक्तूबर, 1990 से 31 मार्च, 1991 (रबी मौसम 90-91) के दौरान विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वस्तु बोर्डों को उर्वरक के स्वदेशी निर्माताओं द्वारा की जाने वाली उर्वरकों की सप्लाई दर्शाने वाला आदेश अन्तर्विष्ट है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1695/91]

कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैं, श्री राम बहादुर सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1696/91]

(2) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 697/91]

वित्त अधिनियम, 1979, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962, आयकर अधिनियम, 1961, बैंकिंग कम्पनी अधिनियम, 1970 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 717(अ), जो 20 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा मार्ग में उस प्रत्येक यात्री को विदेश यात्रा कर की अदायगी से छूठ प्रदान करना है जो भारत से बाहर किसी स्थान के लिए आगे की यात्रा करने के लिए अगली उपलब्ध उड़ान द्वारा भारत छोड़ देता है बशर्ते कि भारत में ऐसे यात्री के ठहरने की अवधि 24 घण्टे से कम हो, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 718(अ), जो 20 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 13 अगस्त से 21 अगस्त, 1990 तक भारत के दौरे पर आए सोवियत संघ के उपाध्यक्ष महामहिम श्री वाई० वी० मालिशेव तथा शिष्टमण्डल के एक सदस्य को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 722(अ), जो 22 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 26 से 27 अगस्त, 1990 तक भारत के दौरे पर आए लोक गणराज्य चीन के उप विदेश मंत्री महामहिम श्री क्वी हुआईयुआन और शिष्टमण्डल के आठ सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा० का० नि० 723(अ), जो 22 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 30 अगस्त, 1990 से 1 सितम्बर, 1990 तक भारत के दौरे पर आए लोक गणराज्य चीन के उप विदेश मंत्री महामहिम श्री क्वी

हुआईयुआन और शिष्टमण्डल के आठ सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 736(अ), जो 23 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 23 से 24 अगस्त, 1990 तक भारत के दौरे पर आए फिलीपीन्स के विदेश सचिव महामहिम श्री राउल एस० मंगलापुस और शिष्ट-मण्डल के एक सदस्य को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा० का० नि० 740(अ), जो 29 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 2 से 5 सितम्बर, 1990 तक भारत के दौरे पर आए साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री जार्ज वासिलियौ को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० का० नि० 741(अ), जो 29 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 29 से 31 अगस्त, 1990 तक भारत के दौरे पर आए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति महामहिम डा० नजीबुल्लाह तथा शिष्टमण्डल के पैंतालीस सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० का० नि० 776(अ), जो 5 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 4 से 6 सितम्बर, 1990 तक भारत के दौरे पर आए कुवैत के तेल मन्त्री महामहिम श्री रसनीद सलीम-अल-अमीरी को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा० का० नि० 776(अ), जो 14 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा 18 से 22 सितम्बर, 1990 तक भारत के दौरे पर आए नार्वे की भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती ग्रो हार्लेम ब्रुंटलैंड तथा श्री ब्रुंटलैंड को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा० का० नि० 777(अ), जो 14 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 24 से 26 सितम्बर, 1990 तक भारत के दौरे पर आए सेशल्स गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री फैंक एल्बर्ट रेने और शिष्ट-मण्डल के चार सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा० का० नि० 809(अ), जो 24 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 14 सितम्बर, 1990 की अधिसूचना संख्या 34/एफ०/टी० टी०/90 में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा० का० नि० 830(अ), जो 10 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 6 से 12 अक्तूबर, 1990 तक भारत के दौरे पर आए कम्बोडिया के प्रधान मन्त्री महामहिम श्री हुन सेन और शिष्टमण्डल के पन्द्रह सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा० का० नि० 840(अ), जो 15 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 15 से 19 अक्तूबर, 1990 तक भारत के दौरे पर आए दक्षिण अफ्रीका की अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष महामहिम डा० नेल्सन मंडेला, श्रीमती मंडेला और शिष्टमण्डल के बारह सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा० का० नि० 851(अ), जो 22 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो हज यात्रा के प्रयोजनार्थ विमान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 864(अ), जो 25 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 24 से 29 अक्तूबर, 1990 तक भारत के दौरे पर आए जाम्बिया गणराज्य के वाणिज्य और उद्योग मन्त्री महामहिम श्री आर० चोंगो और शिष्टमण्डल के पांच सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा० का० नि० 873(अ), जो 30 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 30 अक्तूबर से 2 नवम्बर, 1990 तक भारत के दौरे पर आए चेक और सलोवक संघीय गणराज्य के उप प्रधान मन्त्री और विदेश मन्त्री महामहिम श्री डिस्टबियर और शिष्टमण्डल के पांच सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा० का० नि० 920(अ), जो 22 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 23 से 27 नवम्बर, 1990 तक भारत के दौरे पर आए भूटान नरेश महामहिम जिग्मे सिंगे वांगचुक और शिष्टमण्डल के बारह सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) सा० का० नि० 923(अ), जो 26 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो 24 से 26 नवम्बर, 1990 तक भारत के दौरे पर आए नेपाल के प्रधान मन्त्री महामहिम श्री कृष्ण प्रसाद भट्टाराई और शिष्टमंडल के दस सदस्यों को विदेश यात्रा कर के संदाय से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1719/91]

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 710(अ), जो 16 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 11 मई, 1990 की अधिसूचना संख्या 102/90-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० का० नि० 712(अ), जो 16 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो शुल्क की रियायती दर के लिए पात्रता अवधारित करने हेतु 25 सी० सी० से अनधिक क्षमता के इंजन वाले दुपहिया वाहनों का मूल्य 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,500 रुपए करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० का० नि० 748(अ), जो 3 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 सितम्बर, 1987 की अधिसूचना संख्या 207/87-के० उ० शु० की वैधता अवधि बिना किसी समय सीमा के बढ़ाई गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० का० नि० 749(अ), जो 3 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो टूटी हुई ऐसी टाइलों, जो स्क्रैप बन गई हैं और प्रयोग करने योग्य नहीं हैं, को मूल उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 751(अ), जो 3 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो फीचर फिल्मों के प्रिन्टों के उस भाग को जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 के अध्याय 37 के अन्तर्गत आते हैं, सम्पूर्ण शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा० का० नि० 780(अ), जो 17 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा ऐक्रिलिक फाइबर पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी के प्रति डाइमेथिल ऐसी टेमाइड पर प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/प्रतिसंतुलनकारी शुल्क को समायोजित करने की सुविधा देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० का० नि० 788(अ), जो 17 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो नेशनल इंस्टीट्यूट आफ विजुअल्ली हैंडीकैप्ड, देहरादून के मांग पत्र ब्रेल प्रेस के लिए आवश्यक मैपलीथो कागज और क्राफ्ट कागज पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा० का० नि० 789(अ), जो 17 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में

प्रकाशित हुए थे तथा जो 3 और विनिर्दिष्ट उपकरण कक्ष और संस्थान सम्मिलित करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा० का० नि० 790(अ), जो 17 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका में 'चूना पत्थर' शब्द सम्मिलित करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा० का० नि० 791(अ), जो 17 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पेंटानिज और हेप्टानसिज के निर्माण में प्रयुक्त होने पर कच्चे नेफ्था/प्राकृतिक गैसोलीन पर 60 प्रति किलोलिटर की उत्पाद शुल्क की रियायती दर प्रदान करने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा० का० नि० 794(अ), जो 18 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो किसी भी इकाई द्वारा खनिज पेट्रोलियम में प्रयुक्त एन० जी० एल० पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा० का० नि० 814(अ), जो 1 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कचरे को पुनः संसाधित करके या प्रयोग किए हुए स्नेहक तेल द्वारा निर्मित किए जाने पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के अध्याय 27 के अन्तर्गत आने वाले खनिज तेल को, उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा० का० नि० 842(अ), 16 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उप-शीर्ष सं० 2902.00 के अन्तर्गत आने वाले नैप्थलीन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से तब पूर्णतः छूट प्रदान करना है, जब इसका विनिर्माण उप-शीर्ष सं० 2702.40 के अन्तर्गत आने वाले शुल्क प्रदत्त नैप्थलीन से किया गया हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा० का० नि० 847(अ), जो 16 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पूंजीगत माल पर, जब उसका प्रदाय ऐसे विनिर्माता निर्यातक को किया जाता है जो उक्त पूंजीगत माल के आयात के लिए आयात अनुज्ञप्ति धारण करता है, उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) सा०का०नि० 881(अ), जो 1 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सोडियम हाइड्राक्साइड (कास्टिक सोडा) सज्जीदार पानी (लाई) पर मूल्यानुसार 15 प्रतिशत के वर्तमान मूल उत्पाद शुल्क को सोडियम हाइड्राक्साइड के भार के आधार पर (जिसके अन्तर्गत जलीय माध्यम का भार नहीं है) 1,300 रुपए प्रति टन में परिवर्तित किया जाना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा० का० नि० 88 (अ), जो 1 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 90/- रुपये प्रति टन की उत्पाद शुल्क की रियायती दर प्राप्त करने के लिए अनानुज्ञप्त सीमेंट यूनिटों के लिए दैनिक और वार्षिक आधार पर संस्थापित क्षमता सीमाएं और अनुज्ञप्त सीमेंट यूनिटों के लिए वार्षिक आधार पर अनुज्ञप्त क्षमता सीमाएं निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा० का० नि० 888(अ), जो 1 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पालिस्टर स्टेपिल फाइबर और उनके टोप्स पर, उनके चूड़ों सहित, 8.50 रुपये प्रति किलोग्राम उत्पाद शुल्क उस समय निर्धारित करना है जब उनका विनिर्माण आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 के अधीन जारी किए गए अग्रिम लायसेंस के अधीन आयात किए गए डाईमेथिल टैरेफथेलेट या टैरेफथेलिक अम्ल में किया गया हो तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) सा० का० नि० 913(अ), जो 16 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बाल प्वाइंट पेन, सभी प्रकार की बाल प्वाइंट पेनों के रिफिलों, बाल प्वाइंट पेनों तथा ऐसे रिफिलों के भागों पर उत्पादन शुल्क से पूर्ण छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) सा० का० नि० 914(अ), जो 1 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय किसी भी किस्म के सोने से संपरिवर्तित मूल सोने के संबंध में 175 रु० प्रति किलोग्राम की दर से मूल उत्पादन शुल्क निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) सा० का० नि० 915(अ), जो 16 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 53/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) सा० का० नि० 916(अ), जो 16 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 6 जुलाई, 1988 की अधिसूचना संख्या 228/88-सी० शु० में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) सा० का० नि० 825(अ), जो 9 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, जो संगत समय पर प्रचलित थी यह व्यवस्था करना है कि टेपों और पट्टियों पर प्रथम वर्णित अधिनियम की धारा 3 के अधीन 1 मार्च, 1987 से 31 मई, 1989 के दौरान उत्पाद शुल्क और विशेष शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया जा रहा था, उन पर उक्त शुल्क संदाय करना अपेक्षित नहीं होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेईस) सा० का० नि० 827(अ), जो 9 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रंजक मध्यवर्तियों, भैषजिक उत्पादों, वर्णकों संश्लिष्ट आर्गनिक रंजक द्रव्य चर्मकर्म कारकों पर 6 अक्तूबर, 1986 से 19 मार्च, 1990 की अवधि का उत्पाद शुल्क माफ करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा० का० नि० 859(अ), जो 24 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28 फरवरी, 1986 से 31 मई, 1988 की अवधि के दौरान संश्लिष्ट टो पर उत्पाद शुल्क दिया जाना अपेक्षित नही होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) सा० का० नि० 886(अ), जो 1 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रिफमपिसिन और आइसोनिआजि॰ रहित रिफमपिसिन के सूत्रीयकरण पर 18 जनवरी, 1989 से 15 मई, 1989 तक की अवधि के दौरान सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क की छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) सा० का० नि० 898(अ), जो 8 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डाई-एथिलीन ग्लाइकाल टेरेप्थेलेट या डाइ-ग्लाइकाल टेरेप्थेलेट पर जब उसकी एकमात्र रूप से पालिस्टर चिप्स के विनिर्माण में खपत होती हो और 28 फरवरी, 1986 से 28 फरवरी, 1989 तक की अवधि के दौरान उत्पाद शुल्क नहीं लिया जा रहा था, उत्पाद शुल्क और विशेष शुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) सा० का० नि० 899(अ), जो 8 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इस बात का प्रावधान करना है कि खनिज तेल पर, जब ऐसे खनिज तेल का उत्पादन अपशिष्ट अथवा अप्रयुक्त स्नेहक तेल के पुनः प्रसंस्करण से किया गया हो 1 अक्तूबर, 1990 से पूर्ण की अवधि के दौरान मूल उत्पाद शुल्क और विशिष्ट उत्पाद शुल्क का संदाय करना अपेक्षित रहीं होगा तथा एक व्याख्यात्क ज्ञापन।

(अट्ठाईस) सा० का० नि० 900(अ), जो 8 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इस बात का प्रावधान करना है कि पाइरेजोलोन पर जो एक मध्यवर्ती उत्पाद है जब उसकी प्रपुंज औषधि एनलजीन आई० पी० के विनिर्माण में एकमात्र रूप से खपत होती है। 28 फरवरी, 1986 से 29 फरवरी, 1988 की अवधि के दौरान उत्पाद शुल्क औ॰ विशेष उत्पाद शुल्क संदाय करना अपुक्षित नहीं होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1720/91]

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं

की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : —

(एक) सा० का० नि० 739(अ), जो 29 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो अतिरिक्त आबद्ध क्षेत्र को मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन में सम्मिलित करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा० का० नि० 894(अ) जो 6 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 9 फरवरी, 198! की अधिसूचना संख्या 13-सीमाशुल्क/81 में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा० का० नि० 895(अ) जो 6 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 30 मार्च, 19 0 की अधिसूचना संख्या 159/90-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा० का० नि० 896(अ) जो 6 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 30 मार्च, 1990 की अधिसूचना संख्या 160/90-सीमाशुल्क में कतिपय संशोधन करने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा० का० नि० 767(अ) जो 7 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो रूसी रूबल को भारतीय करन्सी में तथा भारतीय करन्सी को रूसी रूबल में परिवर्तित करने के लिए संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छः) सा० का० नि 813(अ) जो 28 सितम्बर, 199) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो रूसी रूबल को भारतीय करन्सी में और भारतीय करन्सी को रूसी रूबल में परिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा० का० नि० 939(अ) जो 10 दिसम्बर, 1990 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो डच गिल्डर को भारतीय करन्सी में और भारतीय करन्सी को डच गिल्डर में परिवर्तित करने की संशोधित विनिमय दर के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 721/91]

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आयकर (तेरहवां संशोधन) नियम, 1990, जो 23 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 648(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) आयकर (प्रमाणीकरण प्रक्रिया) (तीसरा संशोधन) नियम, 1990 जो 12 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 702(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आयकर (चौदहवां संशोधन) नियम, 1990 जो 20 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 878(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आयकर (पन्द्रहवां संशोधन) नियम, 1990 जो 21 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 879(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1722/91]

(5) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा 4 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) भारतीय बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 जो 2 दिसम्बर, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एम०आर०सी०/223/467/89 में प्रकाशित हुए थे तथा 15 सितम्बर, 1990 का एक शुद्धि पत्र।

(दो) बैंक आफ इण्डिया अधिकारी कर्मचारी (आचरण) संशोधन विनियम, 1989 जो 20 अक्तूबर, 1990, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए/3/चार/58-90 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1723/91]

(6) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उपधारा 4 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) अधिसूचना संख्या एस० बी० डी०/667 जो 24 मार्च 1990, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिकारी सेवा विनियमों में संशोधन करने के बारे में है।

(दो) अधिसूचना संख्या 21 जो 27 जनवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो समनुषंगी बैंक साधारण विनियम, 1959 के विनियम 20 तथा 61 (एक) में कतिपय संशोधन करने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1724/91]

(7) राष्ट्रीय बचत योजना (दूसरा संशोधन) नियम, 1990 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 1 की उपधारा 3 के अन्तर्गत 20 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1725/91]

(8) सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों हेतु जमा योजना की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 12 दिसम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 2/19/89 एन० एस० दो में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1726/91]

(9) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1727/91]

(ख) (एक) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुम्बई का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1728/91]

(ग) (एक) ओरियन्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) ओरियन्टल बीमा कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उनपर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1729/91]

(घ) (एक) न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1730/91]

(ङ) (एक) यूनाईटेड इण्डिया बीमा कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) यूनाईटेड इण्डिया बीमा कम्पनी लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1731/91]

(10) (एक) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 18 की उपधारा (5) और धारा 23 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा वर्ष 1989-90 का सामान्य निधि लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1732/91]

(11) (एक) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1947 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा निगम के आस्तियां और दायित्वतथा लाभ और हानि के खातों का एक विवरण।

(दो) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1733/91]

(12) (एक) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 19 की उपधारा (5) और धारा 24 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय निर्यात-आयात बैंक के वर्ष 1989-90 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात-आयात बैंक के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1734/91]

(13) (एक) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक अधिनियम, 1984 की धारा 29 की उपधारा (5) तथा धारा 34 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1735/91]

(14) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 तथा 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1736/91]

(दो) इलाहबाद बैंक के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे और उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1737/91]

(तीन) यूको बैंक के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1738/91]

(चार) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1739/91]

(पांच) न्यू बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1740/91]

(छह) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों संबंधी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1741/91]

(15) निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) मालाप्रभा ग्रामीण बैंक धारवाड़ का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1742/91]

(दो) नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैनीताल का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन,

लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1743/91]

(तीन) तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक, बेल्लारी का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1744/91]

(चार) कालाहाण्डी आंचलिक ग्रामीण बैंक, भवानीपत्तन का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1745/91]

(पांच) बैंकटेश्वर ग्रामीण बैंक, चित्तूर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1746/91]

(छह) मणीपुर ग्रामीण बैंक, इम्फाल का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1747/91]

(सात) समयुत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आजमगढ़ का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1748/91]

(आठ) पुरी ग्राम्या बैंक, पिपली का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1749/91]

(नौ) कटक ग्रामीण बैंक, कटक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1750/91]

(दस) गोमती ग्रामीण बैंक जौनपुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1751/91]

(ग्यारह) दमोह पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दमोह का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन

लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1752/91]

(बारह) बैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1753/91]

(तेरह) मालाभूम ग्रामीण बैंक, मुजफ्फरपुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1754/91]

(चौदह) तुलसी ग्रामीण बैंक, बांदा का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1755/91]

(पन्द्रह) हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बांदा का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1756/91]

(सोलह) किसान ग्रामीण बैंक, बदायूं का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1757/91]

(सत्रह) गोदावरी ग्रामीण बैंक, राजामुद्री का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1758/91]

(अठारह) नेत्रवती ग्रामीण बैंक, का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1759/91]

(उन्नीस) इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इलाहाबाद का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1760/91]

(बीस) हावड़ा ग्रामीण बैंक, हावड़ा का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1761/91]

(इक्कीस) भान्द्रा ग्रामीण बैंक, भान्द्रा का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1762/91]

(बाईस) भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भीलवाड़ा का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1763/91]

(तेईस) का बैंक नोंग्क्यडोंग री खासी जेनतिया, शिलांग का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1764/91]

(चौबीस) मारवाड़ ग्रामीण बैंक, पाली का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1765/91]

(पच्चीस) गिरिडीह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1766/91]

(छब्बीस) सरयू ग्रामीण बैंक लखीमपुर खेरी, का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1767/91]

(सत्ताईस) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1768/91]

(अट्ठाईस) नोर्थ मालाबार ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1769/91]

(उनतीस) गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गोरखपुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1770/91]

(तीस) अलवर-भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, भरतपुर का वर्ष 1989-90 का प्रति-

वेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1771/91]

(इकतीस) कल्पतरू ग्रामीण बैंक, टिकूर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1772/91]

(बत्तीस) अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सवाई माधोपुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1773/91]

(तेंतीस) बनासकांठा-मेहसाना ग्रामीण बैंक, पटना का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1774/91]

(चौंतीस) शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1775/91]

(पैंतीस) पिथौरागढ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पिथौरागढ़ का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1776/91]

(छत्तीस) जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1777/91]

(सैंतीस) मालवा ग्रामीण बैंक, बंगरूर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1778/91]

(अड़तीस) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1779/91]

(उनतालीस) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1780/91]

(चालीस) मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लहरासराय का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1781/91]

(इकतालीस) सागर ग्रामीण बैंक, कलकत्ता का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1782/91]

(बयालिस) भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक, आरा का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1783/91]

(तेंतालीस) महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नरसिंहपुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1784/91]

(चवालीस) शारदा ग्रामीण बैंक, सतना का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1785/91]

(पैंतालीस) बस्ती ग्रामीण बैंक, बस्ती का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1786/91]

(छियालीस) पलामऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डाल्टनगंज का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1787/91]

(सैंतालीस) क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक, मैनपुरी का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1788/91]

(अड़तालीस) बेगुसराय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बेगुसराय का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1789/91]

(उनचास) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जगदलपुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे

उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1790/91]

(पचास) कपूरथला फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कपूरथला का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1791/91]

(इक्यावन) जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक, जामनगर का वर्ष 1989-91 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1792/91]

(बावन) कोलार ग्रामीण बैंक का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखा-परीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1793/9]

(तिरेपन) फरीदकोट भटिंडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भटिंडा का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1794/91]

(चौवन) रेवा सिंधी ग्रामीण बैंक, रेवा का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1795/91]

(पचपन) अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, पासीघाट का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1796/91]

(छप्पन) बीजापुर ग्रामीण बैंक, बीजापुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1797/91]

(सत्तावन) देवास शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, देवास का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1798/91]

(अठावन) पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक, पटना का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1799/91]

(उनसठ) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्ग का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1800/91]

(साठ) विंध्यावासिनी ग्रामीण बैंक, मिर्जापुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1801/91]

(इकसठ) वल्लालार ग्राम्य बैंक, कुड्डालोर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1802/91]

(बासठ) नागालैंड ग्रामीण बैंक, कोहिमा का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1803/91]

(तिरेसठ) घनकलाल ग्रामीण बैंक, घनकलाल का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1804/91]

(चौसठ) अलकनन्दा ग्रामीण बैंक, पौड़ी गढ़वाल का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1805/91]

(पैंसठ) बेतरानी ग्राम्य बैंक, बारीपाडा का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1806/91]

(छियासठ) भागलपुर बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भागलपुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1807/91]

(सड़सठ) विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1808/91]

(अड़सठ) सन्थाल परगना ग्रामीण बैंक, दुंका का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1809/91]

(उनहत्तर) कावेरी ग्रामीण बैंक, मैसूर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1810/91]

(सत्तर) चैतन्य ग्रामीण बैंक, तेनाली, जिला गुंटूर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1811/91]

(इकहत्तर) रूसीकुल्या काम्य बैंक, बरहामपुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1812/91]

(बहत्तर) सरगूजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अम्बिकापुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1813/91]

(तिहत्तर) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1814/91]

(चौहत्तर) नालन्दा ग्रामीण बैंक, नालन्दा का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखा तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1815/91]

(पचहत्तर) कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक, जेपुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1816/91]

(छिहत्तर) सुबनसिरी गांवलिया बैंक, उत्तर लखीमपुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1817/91]

(सतहत्तर) थार आंचलिक ग्रामीण बैंक, जोधपुर का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1818/91]

(अठहत्तर) रतनागिरी सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रतनागिरी का वर्ष 1989-90 का प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1819/91]

(16) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारन्टी निगम, मुम्बई का वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1820/91]

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं; भारतीय व्यापार निगम लिमिटेड का 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शान्तिलाल पुरुषोतम दास पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) खनिज तथा अयस्क वर्ग-दो का निर्यात (निरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1990 जो 2 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1561 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) निर्यात निरीक्षक अभिकरण (भर्ती) (संशोधन) नियम, 1990 जो 30 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 396 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1990 जो 29 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2537 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1990 जो 20 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2714 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) बासमति चावल का निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) नियम, 1990 जो 29 सितम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2539 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) प्रशीतित मछली तथा मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1990 जो 20 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधि-सूचना संख्या का० आ० 2717 में प्रकाशित हुए थे।

*वार्षिक प्रतिवेदन 10 अगस्त, 90 को सभा पटल पर रखा गया।

(सात) डिब्बा बन्द मछली तथा मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1990 जो 20 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2718 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) का० आ० 805(अ) जो 19 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 6 की उपधारा (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार व्यापार गृहों, व्यापार गृहों और निर्यात गृहों द्वारा किए जाने वाले फुटवियर और फुटवियर कम्पोनेन्ट्स के निर्यात पर लागू नहीं होगी।

(नौ) का० आ० 763(अ) जो 6 अक्तूबर, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह निर्देशन दिया गया है कि निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 6 की उपधारा (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार व्यापार गृहों, व्यापार गृहों और निर्यात गृहों द्वारा किए जाने वाले इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात पर लागू नहीं होगी।

(दस) शुष्क मत्स्य निर्यात (निरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1990 जो 10 नवम्बर, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2836 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल० टी० 1821/91]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1822/91]

(ख) (एक) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय खनिज तथा धातु व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1823/91]

(ग) (एक) प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्यूपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्यूपमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1824/91]

(घ) (एक) भारतीय काजू निगम लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय काजू निगम लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1825/91]

(3) (एक) रत्न और जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रत्न और जवाहरात निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1826/91]

(4) (एक) भारतीय हीरा संस्थान, सूरत के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय हीरा संस्थान, सूरत के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1827/91]

(5) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुन्टूर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1828/91]

(6) (एक) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1829/91]

(7) (एक) शेलाक निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शेलाक निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) शेलाक निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1830/91]

(8) (एक) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद, कोचीन के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1831/91]

(9) बड़े उद्योगों के निर्यात निष्पादन के बारे में श्री अजीत कुमार पांजा, संसद सदस्य, द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 3823 के लिए 31 अगस्त, 1990 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1832/91]

हिन्दुस्तान आरगनिक केमिकल्स लिमिटेड का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री तथा संचार मंत्रालय में उ० मंत्री (श्री जयप्रकाश): मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पटल पर रखेंगे :—

(1) हिन्दुस्तान आरगनिक केमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) हिन्दुस्तान आरगनिक केमिकल्स लिमिटेड के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 833/91]

12.16 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

(एक) ग्यारहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी० पाटिल (लातूर) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.16½ म० प०

(दो) कार्यवाही सारांश

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

12.17 म० प०

प्राक्कलन समिति

चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल (हमीरपुर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) पर्यावरण और वन मन्त्रालय—वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का चौदहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की उससे सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(दो) वित्त मन्त्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)—औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का पन्द्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की उससे सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

12.18 म० प०

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

आठवां प्रतिवेदन

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं भारतीय खाद्य निगम—घटिया गेहूं के प्रेषण के सम्बन्ध में

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (आठवीं लोक सभा) के सत्तावनवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.19 म० प०

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का तीसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.20 म० प०

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

सातवां, आठवां, नौवां, दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सातवां, आठवां, नौवां, दसवां और ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, धनबाद से टेलीफोन पर मुझे यह दुखद समाचार मिला है और आज के समाचार-पत्रों से इसकी पुष्टि हो गई है कि धनबाद के पुलिस उप-अधीक्षक, श्री रंधीर वर्मा, जो बिहार के भारतीय पुलिस सेवा के प्रतिभावान अधिकारियों में से एक हैं, को कल दिन-दहाड़े मार दिया गया जब वह न्यायालय के पास बैंक डकैती रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से गए थे।

महोदय, जांच के बाद यह पता चला कि लुटेरों ने ए० के० 47 राइफल का उपयोग किया था और उनके नामों तथा पिछले कारनामों से साबित होता है कि वह पंजाब के एक उग्रवादी गिरोह के सदस्य थे। अतः बिहार के औद्योगिक क्षेत्र और धनबाद, जहां केन्द्र सरकार के अनेक महत्वपूर्ण उपक्रम हैं, में पंजाब के उग्रवादियों का पहुंचना गम्भीर चिंता का विषय है और इसे केवल राज्य की कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं समझना चाहिए। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को पंजाब के उग्रवादियों का इस प्रकार पूरे देश में फैलने को गम्भीरता से लेना चाहिए। इस मुकाबले में एक उग्रवादी मारा गया और दो को लोगों ने पकड़ लिया जिन्होंने ए० के० 47 राइफल चलाई लेकिन अन्ततः उन्हें पकड़ लिया गया। यह एक उत्साहजनक बात है। इससे पूरे देश के लोगों को कथित उग्रवादियों की ए० के० 47 राइफल का मुकाबला करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। श्री रंधीर वर्मा जैसे अधिकारी

को राष्ट्रीय सम्मान देना चाहिए जिन्होंने उस क्षेत्र की गरिमा बचाने के लिए अपनी जान दे दी और धनबाद के लोगों का भी सम्मान करना चाहिए जिन्होंने इन लोगों के गिरोह को उनकी ए० के० 47 राइफलों सहित पकड़ लिया। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पूरी घटना के बारे में सभा में वक्तव्य दे।

[हिन्दी]

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : मैं आपके माध्यम से सदन के सामने जाली डिग्रीज से कालेजों में दाखिले हो रहे हैं उसका सवाल उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जाली डिग्री वाले मामले से दिल्ली को मुक्त करो।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं यही कहना चाहता हूं। जाली डिग्री और सर्टिफिकेट द्वारा एडमिशन लेने के कारण दिल्ली में बहुत भयंकर स्थिति पैदा हो गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति की जाली डिग्री और उनके सर्टिफिकेट 100-100 और दो-दो सौ रुपए में बिक रहे हैं। सैकड़ों लोग जाली डिग्री लेकर कालेजों में दाखिला ले रहे हैं, इन्जीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में हिन्दुस्तान भर से लोग आकर इन प्रमाणपत्रों द्वारा दाखिला ले रहे हैं। इससे पूरे विश्वविद्यालय को तो नुकसान होता ही है, लेकिन जो जैनुइन अनुसूचित जाति और जनजाति के लड़के हैं उनको भी बहुत भारी नुकसान होता है और उनको दाखिला नहीं मिल पाता है। जबकि सवर्ण जाति के लोग इन डिग्रीज के आधार पर दाखिला पा लेते हैं। यह रैकेट पिछले कई साल से चल रहा है, लेकिन इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन नहीं होने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई बेकार हो गई है और मजाक बन गई है। यह जो रैकेट है इसको सरकार को पूरे जोर से क्रैश करना चाहिए। अभी हाल ही में सात-आठ लड़कों को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है, परन्तु पकड़ने के बाद आगे कोई कदम नहीं उठाया जाता और मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है। शर्मा, वर्मा, गोयल, मल्होत्रा, गुप्ता आदि जो जातियों के लड़के हैं वे जाली सर्टिफिकेट और डिग्री लेकर एडमिशन पा रहे हैं···

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : इसमें, प्रोफेसर और प्रिंसीपल भी शामिल हैं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : जाली डिग्री और सर्टिफिकेट वाले रैकेट के खिलाफ सरकार को सख्ती से कदम उठाना चाहिए। बहुत से लोग जाली प्रमाण-पत्र लेकर सरकारी नौकरियों में भी हैं और यहां तक कि आई० ए० एस० में भी भर्ती हो जाते हैं पुलिस सर्टिफिकेट के आधार पर। यह बीमारी सारे हिन्दुस्तान को खा रही है। इसके बारे में शिक्षा मन्त्री और गृह मन्त्री गम्भीरता से लेने के बारे में यहां आश्वासन दें।

श्री कालका दास (करोल बाग) : पिछले साल दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद श्री जगपरवेश चन्द्र को सदन में ऐसे प्रमाण-पत्र दिखाए गए और उनके नाम का भी जाली प्रमाण-पत्र दिखाया गया जोकि इन लोगों ने बनाया था। इससे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों से सम्बन्धित

शिकायतों की जांच करने के लिए महिला प्रतिनिधियों के एक शिष्ट मण्डल के साथ गत वर्ष 24 और 25 अक्तूबर को मुझे त्रिपुरा जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। वहां पर लगभग 70 पीड़ित महिलाओं का साक्षात्कार लेने से हमें यह पता चला कि न केवल बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्त्रियों पर अत्याचार हर रोज की बात थी बल्कि आदिवासी महिलाओं को अपनी घर-गृहस्थी छोड़कर जाने के लिए बाध्य किया गया था जिससे उनके जीविकोपार्जन के साधन समाप्त हो गए। जिन मामलों में दोषी व्यक्तियों का पता चल गया था उनमें भी पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है। सबसे रोमांचक बात यह है कि महिलाओं पर अत्याचार होने की यह घटनाएं अचानक ही गुण्डों द्वारा नहीं हुई हैं बल्कि यह जान-बूझकर, संगठित रूप से राजनीतिक स्तर पर की गई हैं। त्रिपुरा में आज महिलाओं पर अत्याचारों को सभी विरोधी आवाजों को दबाने के एक राजनीतिक उपाय के रूप में उपयोग किया जा रहा है। जहां राज्य तन्त्र ने स्वयं को आतंक और शोषण तन्त्र के रूप में बदल लिया है तब मैं नहीं समझती कि यह राज्य का मामला रह जाता है।

मैं त्रिपुरा सम्बन्धी दस्तावेजों से कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहती हूं :

> "हमारा, राष्ट्रीय मोर्चे के संसदीय शिष्टमण्डल के सदस्यों का गठन और सावधानी-पूर्वक विचार करने के बाद यह एकमत है कि त्रिपुरा राज्य में कानून और व्यवस्था तन्त्र पूर्णतः अस्त-व्यस्त हो गया है। जान और माल विशेष रूप से आदिवासी पुरुषों और महिलाओं के जान-माल की कोई सुरक्षा नहीं है नागरिकों को दिए गए लोकतांत्रिक जीवन के सभी मानदण्डों का उल्लंघन किया गया है।"

यह मेरे विचार नहीं हैं। यह वर्तमान वित्त मन्त्री श्री यशवन्त सिन्हा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मोर्चे के संसदीय शिष्टमण्डल के विचार हैं जो 31 जुलाई और 1 अगस्त को त्रिपुरा गया था·····

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : यह राज्य का विषय है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए। मैंने श्रीमती मालिनी चट्टाचार्य को बोलने की अनुमति दी है। मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है।

श्री हरीश रावत : कानून और व्यवस्था का विषय राज्य का विषय है। इसे यहां नहीं उठाया जाना चाहिए।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : वह आदिवासी महिलाओं पर अत्याचारों का मामला उठा रही हैं। क्या वे महिलाओं, विशेषरूप से आदिवासी महिलाओं के विरुद्ध है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि मालिनी जी को त्रिपुरा के कानून और व्यवस्था का मामला उठाने की अनुमति नहीं है लेकिन वह महिलाओं की समस्याओं का उल्लेख कर सकती हैं। यह महिलाओं से सम्बन्धित मामला है। इसीलिए मैंने उन्हें यह मामला उठाने की अनुमति दी।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : त्रिपुरा की महिलाओं की ओर से मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस मामले पर गम्भीरता से विचार करे और त्रिपुरा में महिलाओं पर अत्याचार समाप्त हों।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : महोदय, इण्डियन एक्सप्रेस में प्रकाशित आज के इस

समाचार से यह पता चलता है कि दुर्लभ किस्म के जन्तु जैसे सरीसृप और उभयचरों को मारा जा रहा है और अमरीका ले जाया जा रहा है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय वर्ष 1984 से तथाकथित भारत-संयुक्त राज्य अमरीका परियोजना के अन्तर्गत यह कार्य कर रहा है। मूलत: यह परियोजना वर्ष 1987 तक पूरी होनी थी लेकिन यह वर्ष 1993 तक बढ़ा दी गई है। पिछली केन्द्र सरकार इसका कारण अवश्य जानती होगी। इस संग्रहालय का कार्य पर्यावरणीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है और यदि समाचारपत्र में प्रकाशित यह समाचार सही है तो यह संग्रहालय हमारा वन्य जीवन नष्ट करने में अमरीका का साथ दे रहा है। अधिकतर नमूने केरल से ले जाए जा रहे हैं और केरल सरकार ने पूर्व स्वीकृति के बिना इतने बड़े पैमाने पर निर्यात के विरुद्ध विशिष्ट निर्देश दिए हुए हैं। लेकिन प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय ऐसा कर रहा है। सबसे अधिक दुखद बात यह है कि वर्ष 1986 और 1987 में भेजे गए इन नमूनों का कोई वाणिज्यिक मूल्य निर्धारित नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में तत्कालीन केन्द्रीय सरकार ने क्या किया था। मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री महोदया से तत्काल वक्तव्य चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत···

(व्यवधान)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : महोदय, मंत्री महोदया यहां हैं। वह कोई वक्तव्य क्यों नहीं दे रही हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। यह मामला मेरे ध्यान में गत वर्ष के मध्य में आया था और तब से मैं इसका ब्यौरा मांग रही हूं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देती हूं कि हम इस मामले की जांच करेंगे।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, इंडियन एयरलाइन्स को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए नई सरकार ने ए-320 एयर बसेज को चलाने का निर्णय लिया। मैं उस निर्णय के विषय में तो कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि माननीय मन्त्री जी ने जब इन्हें चलाने का निर्णय लिया तो उस समय यह भी कहा कि इस बस के विषय में जितने टैक्निकल आस्पेक्ट हैं, उनके विषय में सरकार सन्तुष्ट है और विशेष तौर पर पैसेंजर्स की सेफ्टी के विषय में उन्होंने कहा कि हम पूरे तरीके से सन्तुष्ट हैं और उस सन्तुष्टि के बाद ही इनको चलाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इस निर्णय को लेते वक्त नई सरकार को यह चाहिए था कि वह यह भी कहती कि किन कारणों से इस एयर बस को इतने दिन तक नहीं चलाया गया जिसके कारण इंडियन एयरलाइन्स को इतना भारी घाटा उठाना पड़ा है। आज स्थिति यह है कि इंडियन एयरलाइन्स अपने कर्मचारियों को तनख्वाह भी ठीक से नहीं दे पा रही है और भगवान न करे, यदि इनकी सरकार कुछ दिन और चलती रहती तो यह घाटा और बढ़ता तथा इंडियन एयरलाइन्स को बन्द करने की नौबत तक आ सकती थी। तब यह प्राइवेट हाथों में चला जाता जोकि मुझे लगता है कि एक षड्यन्त्र के तहत किया गया। **(व्यवधान)** मैं विपक्षी सदस्यों की तकलीफ को समझता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वे आपके सवाल में रुचि ले रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : अध्यक्ष जी, मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं और मुझे यह लग रहा है कि मेरी बात भी ठीक निशाने पर पहुंच रही है। इसलिए भी मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने प्रॉपरली मेरे सवाल पर रिऐक्ट किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार को चाहिए था कि वह देश को यह भी बताए कि इंडियन एयरलाइन्स को इतना बड़ा घाटा क्यों उठाना पड़ा। क्या कारण था कि उस समय की सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम दुर्घटना के बाद इस ए-320 विमान को इतने लम्बे समय के लिए खड़ा कर देंगे और उसको ऑपरेशनल सर्विसेज के लिए यूज नहीं करेंगे ? माननीय अध्यक्ष जी, आज कई प्रकार की संभावनाएं इस विषय में व्यक्त की जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि तत्कालीन सरकार ने एक विदेशी कम्पनी के दबाव में आकर, जो हिन्दुस्तान को जहाज बेचने का काम करती है, या उसके प्रलोभन में आकर, इन ए-320 विमानों को खड़ा करने का निर्णय लिया जब कि बंगलौर में दुर्घटना होने के बाद तत्कालीन मन्त्री से संवाददाताओं ने जब पूछा तो उन्होंने कहा था कि जब तक जांच का निर्णय नहीं आ जाता तब तक हम कोई ऐसा निर्णय लेने नहीं जा रहे हैं कि इन विमानों को अब न चलाया जाए। परन्तु जैसे ही वे दिल्ली पहुचे, यहां पी० एम० ओ० से, प्रधान मन्त्री कार्यालय से उन्हें कहा गया कि आप इन जहाजों पर प्रतिबन्ध लगा दीजिए, बन्द कर दीजिए और इस तरीके का बयान दीजिए। उन्हें ऐसा बयान देने के लिए मजबूर किया गया कि मैं सारे ए-320 जहाजों की सर्विसेज डिस्कन्टीन्यू कर रहा हूं। जब तक हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक हम इन जहाजों को चलाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लेंगे। इस सम्बन्ध में, यहां सदन में भी और सदन के बाहर भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। नाना प्रकार की स्टोरीज इसके बारे में प्रचलित हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप उन पर मत जाइए, आप अपनी बात को कहिए, बस।

श्री हरीश रावत : आज स्थिति यह है कि पुराने मन्त्री के सम्बन्ध में, इस विषय को लेकर, कई प्रकार की शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। सर, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री और भूतपूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर साहब, श्री आरिफ मोहम्मद खां साहब के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है और वे मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। इसलिए भी मैं इस बात से चिन्तित हूं कि उनके सम्बन्ध में जो बातें कही जा रही हैं कि उन्होंने एक विदेशी बोईंग कम्पनी के दबाव में आकर इन ए-320 जहाजों की सर्विसेज को इतने लम्बे समय तक रद्द करके, खड़ा रखने का निर्णय लिया। ये सारी चीजें ऐसी हैं, जिन्हें बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। आज कई प्रकार की शंकाएं उठ रही हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार इस विषय में श्वेत पत्र जारी करे, समस्त जानकारी सदन को दे कि आखिर किन परिस्थितियों में इन जहाजों को खड़ा रखने का निर्णय लिया गया और इस निर्णय लेने के फलस्वरूप इंडियन एयरलाइन्स को कितना नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथ-साथ यह भी बताया जाए कि ऐसी कौन सी नई परिस्थितियां पैदा हो गयीं कि जिससे उन्हें फिर यह विश्वास हो गया कि ये जहाज परिचालन के लिए उपयुक्त हैं और उन्होंने इन जहाजों को फिर से चलाने का निर्णय लिया। ये सारी बातें सदन को और सारे देश को मालूम होनी चाहिएं। मैं चाहूंगा कि नई सरकार इस विषय में शीघ्र जानकारी लेकर सदन के सम्मुख आए।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, सरकार के समक्ष और पूरे सदन के समक्ष, सदन के सभी माननीय सदस्यों से व्यक्तिगत आग्रह करके, इस बात को रखना चाहता हूं कि यह तो हम सभी जानते हैं कि यह देश वित्तीय संकट से गुजर रहा है, हम घाटे का बजट चला रहे हैं,

मितव्ययिता के लिए सरकार की ओर से कुछ निर्णय लिए गए, कुछ ऐलान होते रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में, एक बात जो बहुत अखरने वाली है, यह है कि हमारे मंत्री, हम सांसद और इसी की देखा-देखी सरकारी अधिकारी, लोक उपक्रमों के अधिकारी भी, पांच सितारा होटलों में, राजकीय खर्चे पर टिकते हैं। मैं यहां अपनी बात कहना चाहता हूं। जब कभी हमें बिलों पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं तो कलेजा कांप उठता है। आखिर हम लोग सोना-चांदी तो खाते नहीं हैं मगर हर चीज की कीमत चौगुनी लगाई जाती है। इससे पहले दो बार, मैंने यही प्रयास किया था, एक बार पांचवीं लोकसभा में और दूसरी बार सातवीं लोकसभा में, जिस समिति में मैं था, मेरे आग्रह पर यह काम बन्द कर दिया गया था, मगर अब फिर चालू हो गया है। मेरा आग्रह, आपके जरिये पूरी संसद और सभी संसद सदस्यों से है कि वे इस विषय पर मेरा समर्थन करें और सरकार से आग्रह करें कि हम लोग राजकीय खर्चे पर कभी पांच सितारा होटल में कोई नहीं ठहरेगा और कोई अधिकारी भी न ठहरे, कोई मिनिस्टर भी न ठहरे। मैं चाहता हूं कि यहां सभी पार्टियों के नेता मौजूद हैं, यदि वे ऐसा कोई निर्णय ले लेते हैं तो मैं समझता हूं कि सरकार के लिए इस काम को करने में आसानी हो जाएगी। स्वेच्छा से हम लोग करें, यही मेरा आग्रह है। इसी का एक पहलू और है। मैंने देखा है कि कई जगहों पर, जहां राजकीय क्षेत्र के होटल हैं, वहां भी हमारे मेहमानों को निजी क्षेत्र के होटलों में टिकाया जाता है। क्या उसके पीछे बात है, यह तो मैं नहीं जानता, मगर कुछ बात है जरूर। इसलिए कड़ाई से इसको लागू किया जाए कि जहां डाक बंगले हैं, जहां इंस्पैक्शन हाऊस हैं, उनको छोड़कर हम होटलों में क्यों रहें और जहां राजकीय या प्राइवेट होटल हैं, उनमें हम न टिकें जिससे पैसा बरबाद न हो। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब इस पर अपनी सहमति दें।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे (वर्धा) : अध्यक्ष महोदय, कल से हम सुन रहे हैं कि···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप इधर-उधर की क्यों बातें कर रहे हैं ?

श्री वसंत साठे : महोदय, मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता हूं आपका ध्यान अपनी ओर खींचे बगैर मैं अपनी बात कैसे कह सकता हूं ?

महोदय, कल से हम वित्त मन्त्री महोदय के इस आश्वासन को सुन रहे हैं कि जहां तक उत्पाद शुल्क के मामले में घपले की बात है, इस सम्बन्ध में व्यापक जांच करवाई जाएगी। हम संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग कर रहे हैं क्योंकि तभी इस मामले की सर्वपक्षीय जांच सम्भव है। मेरे विचार में भूतपूर्व वित्त मन्त्री सहित इस मामले से सम्बद्ध प्रत्येक व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए कोई भी व्यक्ति इस संयुक्त संसदीय समिति का विरोध करेगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, अगर सदन सहमत है, तो वर्ष 1981 से लेकर वर्ष 1990 तक के सारे मामले की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच किए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं।

श्री वसंत साठ : महोदय, जब प्रो० दण्डवते स्वयं सहमत हैं, तो सरकार को इसमें क्या आपत्ति है ? जब प्रत्येक व्यक्ति सहमत है, तो मैं यह चाहूंगा कि सरकार इस मामले की संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की घोषणा करे। इसे स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। श्री दिग्विजय सिंह यह घोषणा करें कि इस मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाएगी। अगर वे इसके लिए सहमत

नहीं होते हैं, तो हम यह समझेंगे कि सरकार कुछ छिपा रही है। हम इसका यही अर्थ लेंगे। इसे सहजता से नहीं लिया जाना चाहिए।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : महोदय, कल वित्त मन्त्री महोदय ने राज्य सभा में कहा है कि वे राज्य सभा में वक्तव्य देंगे ?

श्री वसंत साठे : हमें वक्तव्य से कोई सरोकार नहीं। मैं संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने की मांग कर रहा हूं। आप 100 वक्तव्य दे सकते हैं। हम यह चाहते हैं कि एक संयुक्त संसदीय समिति सारे मामले की जांच करे। आप इससे इन्कार क्यों कर रहे हैं ? (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, मैं आपके आदेश से टेलीविजन के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नियम 223 के अन्तर्गत रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, आप विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव न रखें, आप तो सब्मीशन करें।

श्री मदन लाल खुराना : जी, हां, अध्यक्ष महोदय, मैं सब्मीशन कर रहा हूं कि 2 तारीख को इस सदन की कार्यवाही को गलत ढंग से प्रसारित किया गया। जहां डा० स्वामी को बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई थी वहां टी० वी० ने भी उनको शैल्टर दिया और जो न्यूज के पहले हैड लाइन्स में बताया जाता है उसके अन्दर यह नहीं कहा गया कि सदन में डा० स्वामी के खिलाफ यह हुआ, बल्कि यह कहा गया कि डा० स्वामी के खिलाफ मामला स्पीकर ने खत्म कर दिया। तो मेरा कहना है कि 2 तारीख की टी० वी० की न्यूज की जो फाइल है, उसको आप मंगवाएं। उसका अवलोकन करें, तो आपको विदित होगा कि दो बार उस समाचार के अन्दर यह कहा गया, जब कि आप जानते हैं कि यह मामला खत्म नहीं हुआ है और जब आपसे यहां पर दो बार पूछा गया, तो दो बार आपने क्लेरि-फिकेशन दिया कि यह मामला विचाराधीन है। तब मामला विचाराधीन था। उसके बाद टी० वी० की हैडिंग में और फिर न्यूज में कहना कि मामला अध्यक्ष जी ने समाप्त कर दिया है, इससे टी० वी० ने सारे देश को गुमराह किया है। यह पक्षपातपूर्ण रवैया टी० वी० क्या अपनाता है यह तो बाहर उससे निपट लेंगे लेकिन मेरा निवेदन यह है कि हाउस के अन्दर जो मिसलीडिंग किया है, इसकी रिपोर्ट को क्लीयर करें। यह मेरा निवेदन है। (**व्यवधान**)

श्री प्रकाश कोको ब्रह्मभट्ट (बड़ौदा) : अध्यक्ष महोदय, यह देखिए···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको इजाजत नहीं दी है, मैंने आपको नहीं बुलाया है। इस तरह का कोई···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(**व्यवधान**)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० यदुनाथ पाण्डेय (हजारीबाग) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि रांची के प्रखंड में फुरफुरिया गांव में 33 आदिवासियों की जमीन को वहां के आर० के० मिशन के ईसाईयों, पादरियों ने गैर-कानूनी ढंग से बेदखल कर लिया है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट के तहत, धारा एक के तहत यह एक ऐसा एक्ट है कि उस आदिवासी की जमीन को वही व्यक्ति ले सकता है, सिर्फ आदिवासी ही ले सकता है और वह उसी प्रखंड का होना चाहिए। लेकिन लेने वाला व्यक्ति, कब्जा करने वाले व्यक्ति रांची के हैं। इस पर इन्क्वायरी में पाया गया कि गैर-कानूनी ढंग से 200 एकड़ जमीन, जो सरकारी जमीन भी है, पर चारदीवारी की गई है। उस चारदीवारी को तोड़ने का उपायुक्त ने आदेश दिया लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 22 दिसम्बर को माननीय गृह राज्य मन्त्री सुबोध कान्त सहाय जब रांची गए थे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ईसाई मिशनरी को संरक्षण दिया जाएगा और मौखिक रूप से उपायुक्त को उन्होंने जो आदेश निकाला था कि चारदीवारी को नहीं तोड़ा जाए और मेरा आग्रह है कि तत्काल इन्क्वायरी करके आदिवासियों को राहत दी जाए। लेकिन गृह राज्य मन्त्री श्री सुबोध कान्त सहाय के गलत प्रेशर से उपायुक्त ने कोई आदेश को इम्प्लीमैंट नहीं किया और आदेश को रोके हुए हे। मैं चाहता हूं कि इन्क्वायरी करके आदिवासियों को उनको उनकी जमीन मिलनी चाहिए और आर० सी० मिशन से सरकार को जमीन मुक्त करानी चाहिए।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की बहाली की मांग इस सदन में कई बार की गई है। कामगारों और सरकार के बीच एक समझौता हुआ था कि काम के घंटों को घटाकर दस घंटे कर दिया जाए। क्योंकि रेलवे ने उस समझौते को लागू नहीं किया, इसलिए कामगारों को हड़ताल पर जाना पड़ा। लगभग एक हजार इंजन चालक कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। उनकी नौकरी में बहाली की मांग सदन के सभी पक्षों द्वारा की गई और अन्ततः पिछली सरकार ने 22 अक्तूबर को उन सभी कर्मचारियों की बहाली के आदेश जारी किए, जिन्हें 1980 से नियम 14(2) के अन्तर्गत बर्खास्त कर दिया गया था। यह आदेश 22 अक्तूबर को जारी किया गया परन्तु, बड़े आश्चर्य की बात है कि राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में रेल उप मन्त्री ने यह कहा कि बर्खास्त किए गए रेल कर्मचारियों की बहाली के लिए पिछली सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया था। मैं आदेश से उद्धृत करना चाहूंगा :—

"(क) नियम 14(2) के अन्तर्गत हटाए गए/बर्खास्त किए गए सभी कर्मचारी बहाल किए जाएं तथा उनकी वरिष्ठता इत्यादि, को पुरःस्थापित किया जाए।

(ख) ऐसे सभी कर्मचारियों को जिन्होंने सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को पार नहीं किया है; उन्हें विकल्प दिया जाए कि वह अपने किसी आश्रित को रोजगार के लिए नाम सुझा सकें; अगर वे नौकरी पर पुनः आना नहीं चाहते हैं।

(ग) सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अपने किसी आश्रित को उचित रोजगार के लिए मनोनीत करने का अवसर दिया जाए।

(घ) मृत कर्मचारियों के आश्रितों/उत्तराधिकारों को मृत कर्मचारी के किसी आश्रित व्यक्ति को रोजगार के लिए मनोनीत करने की अनुमति दी जाए।

6. नौकरी से बर्खास्तगी/हटाए जाने की तिथि से लेकर नौकरी पर बहाली अथवा सेवानिवृत्ति

की आयु पार करने के कारण सेवानिवृत्ति की तिथि तक की अवधि को वेतनवृद्धि, पदोन्नति, सेवा-निवृत्ति के लाभों इत्यादि के लिए कार्यकाल माना जाए।

7. जिस अवधि के लिए निकाले गए/बर्खास्त कर्मचारी काम पर नहीं थे, उस अवधि के लिए उनको अदायगी के सम्बन्ध में जांच की जाए तथा प्रस्तावों को विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

6 नवम्बर को मंत्रीमण्डल ने इस आदेश का अनुमोदन कर दिया था। इस आदेश के जारी होने तथा सदन के सभी पक्षों की सर्वसम्मत मांग के बावजूद इस आदेश को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? सरकार इस आदेश को लागू नहीं कर रही है। (**व्यवधान**)। नौकरी से बर्खास्त किए गए कर्मचारियों की बहाली के लिए पिछली सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसे तुरन्त लागू किया जाना चाहिए। यह सारे सदन की मांग है। इसलिए, सरकार को इस आदेश को तुरन्त लागू करना चाहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह ऐसा मामला है जिस पर सरकार को सहमत हो जाना चाहिए। उप प्रधान मन्त्री श्री देवी लाल भी यहां उपस्थित हैं। उन्हें वक्तव्य देना चाहिए। रेल राज्य मन्त्री भी यहां उपस्थित हैं। उन्हें वक्तव्य देना चाहिए। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना : मन्त्री जी इतना ही बता दें कि आर्डर है या नहीं? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह आपकी बात सुन रहे हैं। इसमें मैं क्या करूं?

श्री मदन लाल खुराना : शाम को बताएं या कल बताएं लेकिन बताएं जरूर। एक एम० पी० आर्डर दिखा रहा है तो उन्हें कुछ तो जानकारी देनी चाहिए। पार्लियामेंटरी मिनिस्टर बैठे हुए हैं। वह कुछ तो इस बारे में बताएं। (**व्यवधान**)

आप इनसे कहलवा दीजिए। इसका मतलब यह माना जाएगा कि डेलीब्रेटली सरकार ने यह आर्डर रोके हुए हैं।

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : गा यह माना जाएगा, अध्यक्ष महोदय, कि यह सरकार इतना निष्प्रभावी है, इतनी इनफैक्टिव है।

[**अनुवाद**]

रेलवे बोर्ड का अधिकारी वर्ग इस आदेश को मानने को तैयार नहीं। (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री मदन लाल खुराना : या तो ये आर्डर को डिनाई करें कि आर्डर नहीं है और अगर आर्डर है तो उसको लागू करें। (**व्यवधान**)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : एक तरफ तो देश में तबाही मची हुई है और हमारे मन्त्री जी हंस रहे हैं। (**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, संसदीय कार्य मन्त्री सदन को आश्वासन दें कि वे रेल

मन्त्री से सम्पर्क करेंगे और आज किसी समय संसद को उनकी प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे और बताएंगे कि वे इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : महोदय उन्हें, रेल मन्त्री से बातचीत करके हमें वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहिए। **(व्यवधान)** महोदय, कृपया उन्हें कहिए कि रेल मन्त्री महोदय से बात करके हमें जानकारी दें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : डी० टी० सी० कर्मचारियों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। कैबिनेट ने उनका मामला तय किया हुआ है और यह लागू नहीं कर रहे हैं। उसको मैं मनडे को उठाऊंगा। यह तो रेलवे कर्मचारियों का है। कैबिनेट डिसीजन है और मालवीय जी उस पार्टी का उस समय हिस्सा थे। ···**(व्यवधान)**···मालवीय जी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के हिस्सेदार थे।···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : माननीय सदस्यों ने जो कहा है, उसको मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन लिया है। सम्बन्धित मन्त्री से मैं बातचीत करूंगा। **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : सुनने से नहीं होगा, इसको इम्पलीमैंट करना पड़ेगा।

श्रीमती सुभाषिनी अली (कानपुर) : बातचीत ही नहीं करेंगे, बातचीत करके जवाब देंगे। यह मजाक है क्या ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : उन्हें रेल मन्त्री से सम्पर्क करके हमें सूचित करना चाहिए। संसदीय कार्य मन्त्री भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मन्त्री महोदय ने जो कहना था; वह दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : वे यह कैसे कह सकते हैं कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, अभी तीन दिन मैं जम्मू में था। जम्मू में कश्मीर से जो विस्थापित आये हुए हैं, उन विस्थापितों की हालत इस समय बहुत खराब हो गयी है। वहां बारिश हो रही है, वहां पर बड़ा भारी शीत आया हुआ है लेकिन कपड़ों के मकान में, टैण्ट्स में लोग रह रहे हैं। एक-एक टैंट में तीन-तीन परिवार रह रहे है; सब के कम्बल भीग गए हैं। सरकार ने तो उनको ठीक से एक-एक कम्बल भी नहीं दिया है। मेरा पार्टी ने जरूर दो-दो कम्बल उनको बांटे हैं और अभी भी एक-एक कम्बल और बांट रही है। अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि टैण्ट्स में जो लोग रह रहे हैं, उनका जीवन बिल्कुल अस्तव्यस्त हो गया है, उनके कपड़े भीगे हुए हैं, वह रह नहीं पा रहे। वहां अभी तक केन्द्र सरकार का एक भी अधिकारी, प्रदेश सरकार का एक भी अधिकारी उनकी उस दुर्दशा को

देखने आज तक कभी नहीं गया । अध्यक्ष जी मेरा निवेदन है कि उनके साथ मानवता का व्यवहार नहीं हो रहा है । ऐसा लग रहा है जैसे वह कहीं विदेश से आए हुए हैं या आक्रान्ता के रूप में आए हुए हैं । उनके दुख को देखने के लिए यह सरकार आज तक वहां नहीं गई है, इससे पहले वाली सरकार का भी कोई प्रतिनिधि वहां देखने नहीं गया था । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि वहां पर तुरन्तु यहां से कोई कमेटी जाए, जो उनके सुख-दुख को देखे ।

अध्यक्ष जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है । वहां पर जो केन्द्र सरकार के कर्मचारी और प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं···

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं करें । इससे आपका कोई असर नहीं पड़ेगा ।

श्री राजवीर सिंह : उनको राहत राशि भी नहीं मिल रही है । मेरा निवेदन है कि उनको वेतन दिलाया जाए और वे पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर नौकरी करने जाने को तैयार हैं, कृपया उनको राहत दें और उनकी तनख्वाह दिलाएं ।

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, पिछले एक वर्ष से दिल्ली में न कारपोरेशन है, न मैट्रोपोलिटन काउंसिल है । दिल्ली की सारी की सारी समस्याएं वैसे ही पड़ी हुई हैं, ब्यूरोक्रेसी के रहमोकरम पर हैं···

1.00 म० प०

इसलिए दिल्ली में विकास हो रहा है, दिल्ली का विकास रुक गया है । अध्यक्ष महोदय, 8 महीने पहले दिल्ली में कुछ कालोनियां पास हुई थीं, उसमें मेरे क्षेत्र की भी पांच कालोनियां पास हुई थीं, जिसमें बलजीत नगर, बापानगर, बाबा फरीदपुर, बस्ती, अमृतकौर कालोनी आदि हैं । मैं कारपोरेशन के कमिश्नर को भी बहुत दबाव देता रहा हूं और मुख्य सचिव को भी तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को भी । लेकिन आज तक किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी । आठ महीने पहले जो बस्तियां अधिकृत हुई थीं उसका विकास अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार पर आप अपना दबाव डालकर और निर्देश देकर, इसके लिए कहें और जल्दी ही दिल्ली में चुनाव करायें ताकि दिल्ली की जनता इन अधिकारियों के रहमोकरम पर न रहे और दिल्ली के लोगों की जो मुश्किलात हैं, वे भी हल हो सकें और दिल्ली का विकास भी हो सके । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाएं । मैं सब को एक साथ तो बोलने की इजाजत नहीं दूंगा । कृपया करके आप सब लोग बैठ जायें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लोढा जी, आप बैठ जायें ।

[अनुवाद]

श्री वामनराव महाडीक (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, कोंकण तट पर मुम्बई और गोआ के बीच तथाकथित स्टीमर यातायात के सम्बन्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथा ज्वलंत प्रश्न मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं जिसे कि राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा नियन्त्रित मुगल लाईन शिपिंग ट्रांसपोर्ट को बन्द करके समाप्त कर दिया है । इसका एकमात्र

कारण यह है कि लगभग सभी 30 बन्दरगाहें गारे और पत्थरों से भरी हुई हैं क्योंकि वे नदियों के मुहानों पर स्थित हैं जोकि बाढ के समय इस गारे तथा दूसरी वस्तुओं को अपने साथ लाती हैं। उन्हें गारा साफ करने वाली मशीनों से साफ करवाया जाना चाहिए ताकि स्टीमर बन्दरगारों में प्रवेश कर सकें। यहां तक कि सरकार ने भी राज्य सरकार की स्टीमर चलाने की योजना में सहामता नहीं की। अब सद्गुरु शिपिंग कार्पोरेशन नाम की एक निजी संस्था द्वारा तीव्र गति के होवर क्राफ्ट चलाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। परन्तु, बन्दरगाहों की इस स्थिति के कारण यह योजना भी सफल नहीं हो पाई है। इसके कारण कोंकण तट से स्टीमर द्वारा यात्रा करने वाले लाखों लोग काफी परेशान हैं तथा एक तीव्र आन्दोलन मेरी पार्टी शिव सेना तथा अन्य पार्टियों द्वारा चलाया जाने वाला है। परन्तु, इससे पहले केन्द्रीय सरकार को सभी बन्दरगाहों को, गाद साफ करने वाली मशीनों के द्वारा साफ करना चाहिए तथा अविलम्ब पुराने और नए स्टीमरों को चलाने का प्रबन्ध करना चाहिए। इसके लिए तुरन्त एक समिति का गठन किया जाना चाहिए और इसमें कोंकण क्षेत्र के संसद सदस्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री बाढ बयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि प्रश्न काल के दौरान जो प्रत्योत्तर मिला है वह चौकन्ना करने वाला है। उसको पढ़ने के बाद और भी चिन्ता व्याप्त हो गई है जिसमें कहा गया है कि पंजाब के अन्दर जो दवाएं बन रही हैं उसमें वहां के मन्त्रालय ने बताया है कि पंजाब में लगभग सभी औषधियां हल्की और नकली किस्म की बन रही हैं। सारी कम्पनियों की दवाइयां पंजाब में घटिया किस्म की बिक रही हैं और नकली दवायें बिक रही हैं। इसके बावजूद केवल तीन दवाइयों की कम्पनियों पर ही जांच की गई है और अब इन नकली दवाइयों के नाम पर शराब बेची जा रही है। यह कम्पनियां गलत लेबल लगाकर इस प्रकार की औषधियां बेच रही है और ये कम्पनियां आयुर्वेद का नाम बदनाम कर रही हैं और लोगों के जीवन के साथ भी खिलवाड़ कर रही हैं। ये कम्पनियां शराब के रूप में अल्कोहल बेच रही हैं। पंजाब में ये कम्पनियां अश्वगधा का लेबल लगाकर मद्य बेच रही हैं। आप इन कम्पनियो के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

मुझे दुख है कि जो लिस्ट मिली है उसके अनुसार एक भी कम्पनी के ऊपर मुकदमा नहीं किया गया है। मेरा निवेदन है कि कृपा करके आप उन सब कम्पनियों को सजा दिलवायें और मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि स्वास्थ्य मन्त्री जी यहां पर बैठे हों तो कृपा करके वह स्पष्ट करें कि ऐसी नकली दवायें बनाने वाली कम्पनियां कब तक लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगी। मन्त्री जी स्पष्ट करें कि कब तक यह नकली दवायें बिकती रहेंगी। कृपया आप जल्दी से जल्दी इस पर उचित कार्यवाही करें। (व्यवधान)

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : अध्यक्ष महोदय, हमें बोलने का समय नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, आप आश्वासन दीजिए कि समय देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे आश्वासन को जानती हैं, मुझ से आप मिल लीजिए, अभी बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात भी सुनी जाए।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, अभी मैं नहीं सुनूंगा, आप मेरी बात मानिए बैठ जाइए। मैं देखूंगा।

(व्यवधान)

1.06 म० प०

सभा का कार्य

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि सोमवार, 7 जनवरी, 1991 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

(1) आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1990 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा तथा उसके प्रतिस्थापन में विधेयक पर विचार और पारित करना।

(3) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में भारतीय रिजर्व (बैंक) (संशोधन) विधेयक पर विचार और पारित करना।

(4) वित्त (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1990 का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्प पर चर्चा तथा कराधान विधि (संशोधन), 1990 पर विचार और पारित करना।

(5) वर्ष 1990-91 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग (सामान्य) पर चर्चा और मतदान।

(6) वर्ष 1990-91 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांग (जम्मू और कश्मीर) पर चर्चा और मतदान।

(7) निम्नलिखित विधेयकों को संयुक्त समिति को सहमति के लिए भेजने के प्रस्तावों पर विचार :—

(क) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1990

(ख) अजित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एडस) निर्वारण विधेयक, 1989

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए—

1. जयपुर दूरदर्शन केन्द्र से कार्यक्रम पूरे राजस्थान में दिखाने की व्यवस्था उपग्रह के माध्यम से शीघ्र की जाए।

2. जयपुर शहर में पंजीकृत 84 हजार गैस आवेदनकर्ताओं की मांग को देखते हुए 5000 प्रतिवर्ष गैस कनेक्शन जयपुर शहर को दिए जाने वाले कोटे को 25000 कनेक्शन कम से कम प्रतिवर्ष किया जाए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :

1. उदयपुर एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, फिर भी रेल यातायात की दृष्टि से बहुत पिछड़ा है। अतः चेतक एक्सप्रेस की गति बढ़ाई जाए एवं दिल्ली, अहमदाबाद वाया उदयपुर के लिए एक अतिरिक्त रेल चलाई जाए।

2. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर स्थित उदयपुर में विचाराधीन बाईपास हेतु राज्य सरकार ने सर्विस लाइन हेतु 96 लाख रुपया स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ कर दिया है। मेरा अनुरोध है कि केन्द्र सरकार उसके निर्माण हेतु वित्तीय साधन तुरन्त उपलब्ध कराए।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह को कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :—

1. अल्मोड़ा जनपद (उ० प्र०) के मजखाली नामक स्थान पर कलर फोटो फिल्म लैब स्थापित करने का निर्णय 1981 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री द्वारा लिया गया था। लम्बे समय के अन्तराल के बाद भी उक्त कलर फोटो फिल्म लैब को स्थापित नहीं किया गया है, जिससे वहां के लोगों में आक्रोष व्याप्त है। सरकार को चाहिए कि कलर फोटो फिल्म लैब को शीघ्र स्थापित करने का निर्देश देवे।

स० अतिन्दर पाल सिंह (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :—

1. हिमाचल और पंजाब में हजारों जूनियर इंजीनियर्स द्वारा अपनी मांग को लेकर की जा रही हड़ताल के बारे में एवं लगातार "जेल भरो आंदोलन" से सम्बन्धित मामले पर संसद को विचार करना चाहिए।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए।

बरेली (उ० प्र०) का चयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (नेशनल कैपीटल रीजन) के अन्तर्गत काउन्टर मैगनेट सिटी के रूप में विकसित करने का केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है। इस नगर के उपयुक्त सर्वांगीण विकास (ओवरब्रिज राजमार्ग को चौड़ा करने एवं बाईपास एवं अन्य विकास कार्यों) के लिए आठवीं योजना में समुचित धन का प्रावधान किया जाए।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित किया जाए :—

1. कृपया आंवला फरीदपुर एवं दातागंज में डिग्री कालेज की स्थापना पर तुरन्त चर्चा का अवसर आज ही प्रदान करें।

2. कृपया मेरे चुनाव क्षेत्र में तीन चीनी मिलें (1) आंवला (2) फरीदपुर एवं (3) बिनावर एवं दासागंज के बीच नई सड़क के निर्माण पर चर्चा किए जाने हेतु अनुमति प्रदान करें तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि चर्चा का अवसर आज ही प्रदान हो।

[अनुवाद]

श्री वामनराव महाडीक (मुम्बई दक्षिण मध्य) : मैं निवेदन करूंगा कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए।

मुम्बई में मकानों की भारी कमी और उनकी ऊंची कीमतों के कारण बड़ी संख्या में लोग पुरानी गन्दी चालों और झोंपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। सरकारी जमीन और इसकी एजेंसियों की जमीन पर लगभग 5 लाख झुग्गियां हैं और इनमें 20 लाख लोग रहते हैं। इन गन्दी बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों और नगरपालिकाओं ने 1970 से इन झोपड़ियों को सुविधाएं दी हुई हैं उसी प्रकार केन्द्र सरकार को भी पानी, शौचालय, बिजली और सीवर आदि की मूल सुविधाएं इन झोपड़ियों को उपलब्ध करानी चाहिए।

खाड़ी की स्थिति के कारण देश में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया है। हमारी सरकार ने ऊर्जा की बचत के लिए नए उपायों की घोषणा की है। फिर भी प्राकृतिक गैस जिससे खाना पकाने की गैस के लगभग 25 लाख सिलेन्डर भरे जा सकते हैं, को बम्बई हाई में जलाया जा रहा है।

मुम्बई (बम्बई) के उद्योगपतियों के उस प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए जिसमें उन्होंने गैस को पैट्रोल और डीजल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल का प्रस्ताव किया है।

इन प्रस्तावों से जहां एक ओर पैट्रोल, डीजल, लकड़ी से पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने में सहायता मिलेगी वहां देश दुर्लभ विदेशी मुद्रा भी बचा सकेगा।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : मैं निवेदन करता हूं कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

1. प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के प्रारूप विधेयक पर चर्चा।

2. आठवीं पंचवर्षीय योजना में खाद की मांग को पूरा करने के लिए खाद उद्योग को स्थापित किए जाने की आवश्यकता विशेषकर सिंदरी इकाई भारतीय खाद्य निगम, एच० एफ० सी० की इकाइयों का नवीनीकरण।

डा० वेंकटेश काबडे (नान्देड) : मैं निवेदन करूंगा कि निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

राष्ट्र में उत्पादित कुल गन्ने का चार प्रतिशत महाराष्ट्र में होता है। यह अनुरोध है कि गन्ना नीति में महाराष्ट्र के गन्ना उत्पादकों को संरक्षण देने की व्यवस्था की जाए और महाराष्ट्र में नयी चीनी मिलों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाए।

डा० किरोड़ी लाल मीणा (सवाई माधोपुर) : मैं निवेदन करूंगा कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए ।

1. (ए० आर० टी० ई० ई०) एसोसिएशन की मांग पर सूचना और प्रसारण मन्त्रालय (एम० आई० बी०) ने इंजीनियरी संवर्ग के पदों की दूरदर्शन में समान संवर्गों के पदों के साथ मूल्यांकन के लिए एन० पी० सी० को नियुक्त किया । एन० पी० सी० ने 31-10-90 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी लेकिन मन्त्रालय ने आगे चर्चा के लिए उसकी प्रति एसोसिएशन को नहीं भेजी जबकि वह 17-12-1990 से इस सम्बन्ध में आंदोलन कर रहे हैं ।

2. सभी कारकों को दृष्टिगत रखते हुए सहायक वाणिज्यिक सुपरिनटैन्डेंट कोटा और सी० एम० आई० विकास ने (2925 डाऊन/2926 अप) पश्चिम एक्सप्रेस का हिंडन पर रुकना न्यायोचित ठहराया था लेकिन, मन्त्रालय ने पश्चिम एक्सप्रेस को हिंडन पर रोकने के सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती (खजुराहो) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने, जब से लोक सभा चालू हुई थी, 1989 से, तब से लेकर नियम 377 के द्वारा, कॉलिंग अटैन्शन के द्वारा और प्रश्न काल के दौरान रेल मन्त्री महोदय से, 1977 से 1980 के बीच में ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाईन का सर्वे हो चुका था, के सम्बन्ध में बार-बार जिक्र किया । हमको लिखित पत्र के द्वारा सूचित किया गया, लोकेन्द्र सिंह जी को, राजेन्द्र अग्निहोत्री जी को, जगन्नाथ सिंह, सुखेन्द्र सिंह और मुझको भी सूचित किया गया कि वर्षा-काल के बाद ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाईन का पुनः सर्वे होगा । इतने दिन हो गए हैं, वर्षा निकल गयी, जार्ज फर्नान्डीज साहब रेल मन्त्रालय में नहीं हैं, लेकिन इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो रहा है, हमें इसकी कोई जानकारी न तो क्षेत्र में मिल रही है और न ही पत्र के द्वारा हमें कोई जानकारी मिल रही है । इसलिए हमने तय किया है कि यदि हमको आज रेल मन्त्री के द्वारा उत्तर नहीं मिला तो ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाईन को लेने के लिए हमें संघर्षरत होने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । हम उस क्षेत्र की जनता का सहयोग लेकर आंदोलन करने के लिए भी मजबूर हो सकते हैं ।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि आप रेल मन्त्री महोदय को सदन में आ कर ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाईन के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी देने के लिए कहें ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : माननीय अध्यक्ष जी, जब श्री दण्डवते जी रेल मन्त्री थे तो तब ललितपुर-सिंगरौली लाईन संशोधित हुई थी । मैं समझता हूं बनते-बनते यह स्थिति आ गयी है । यह सदन के साथ गुमराह नहीं हो रहा है । ललितपुर-टीकमगढ़ जैसे पांच-छह जनपद हैं जो उत्तर प्रदेश में सबसे गरीबी में खड़े हुए हैं । जब जार्ज फर्नान्डीज रेल मन्त्री थे तो उन्होंने पत्र के द्वारा सूचना दी थी कि 33 लाख रुपया इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है । आठ महीने हो गए हैं । अभी तक एक नए पैसे का कार्य वहां पर नहीं हुआ है । रेल मन्त्री श्री जनेश्वर मिश्र जी से भी हम मिले तब उनका उत्तर था कि जो फाईल मंगाई हुई है, वह फाईल प्राप्त नहीं हुई है । मैं आपके माध्यम से यह मांग कर रहा हूं कि इन तथ्यों को माननीय रेल मन्त्री को जानकारी दें कि वास्तविक स्थिति क्या है ।

आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। ऐसा लगता है कि रेल मन्त्रालय में धरने के लिए बैठना पड़े।

[अनुवाद]

श्री लोकेन्द्र सिंह (दमोह) : महोदय, पन्ना-टीकमगढ़-सतना के 90,000 किलोमीटर क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई रेलवे लाइन नहीं है। इस लाइन के सर्वेक्षण के लिए 33 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। लेकिन, इस ओर एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है।

इसी प्रकार इस वर्ष 1,30,000 रुपए की लागत से दमोह में उपरिपुल के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। लेकिन, आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है। इन परियोजनाओं को मूर्तरूप देने में बहुत देरी हुई है और हमें आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर) : महोदय, पिछली नवम्बर में एक तूफान आया था। इससे गंजम जिले में भयंकर तबाही हुई है लोग अभी भी खुले आसमान में रह रहे हैं। इस भयंकर तबाही से निबटने में उड़ीसा सरकार असमर्थ है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का प्रधान मन्त्री ने दौरा किया था और उन्होंने 50 करोड़ रुपए की बाढ़ सहायता राशि देने का आश्वासन दिया था। लेकिन, दुर्भाग्यवश दो दिन पहले उन्होंने वक्तव्य दिया था कि यह राशि उड़ीसा को भेज दी गई है। लेकिन, उड़ीसा सरकार को अभी तक यह धनराशि प्राप्त नहीं हुई है और लोगों की परेशानी बढ़ रही है। चूंकि यह कभी-कभार होने वाली घटना है अतः, इस मसले पर मैं विशेष चर्चा की मांग करता हूं। मैं चाहता हूं कि उप प्रधान मन्त्री जो कि बाढ़ सहायता के प्रभारी हैं, इस सम्बन्ध में यहां एक वक्तव्य दें...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, जब से वर्तमान सरकार अस्तित्व में आई है तब से व्यवस्था तहस-नहस हो गई है। सारी रेलें लेट चल रही हैं। हम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और हम भी समय पर अपने गंतव्य नहीं पहुंच पाते। परसों यहां जब मैं आ रहा था तो चार घण्टे देर से पहुंचा और सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सका। वर्तमान सरकार के अस्तित्व में आने से रेलों का स्तर बहुत गिर गया है और घटिया हो गया है। सरकारी और गैर-सरकारी लोग अपने कार्यालयों में समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप रेल मन्त्री जी को निर्देश दें कि ट्रेंस को समय पर वे चलायें और लेट होने से रोकें। उनके स्तर में जो गिरावट आई है उसमें सुधार लाएं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मन्नू थापा (सिक्किम) : महोदय, आज के हिन्दुस्तान टाइम्स में "मोर फोर्सेस डिपलाइड

इन दार्जिलिंग हिल्स" शीर्षक से समाचार छपा है। *सिक्किम एक स्थलरुद्ध राज्य है और सुरक्षा की* दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील राज्य है। नागरिकों, सेना और अर्ध-सैनिक बलों तथा सभी आवश्यक वस्तुओं को सिक्किम जाने वाली एकमात्र सड़क से ही जाना होता है और वह है सिलीगुड़ी से गंगतोक जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नम्बर 31क। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में 5 से 11 जनवरी, 1991 के दौरान प्रस्तावित आंदोलन से इस सड़क से किए जाने वाले उपरोक्त कार्यों तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के कार्य और समूचा सिक्किम प्रभावित होता है। सिक्किम राजनैतिक ब्लैकमेल का भी शिकार रहा है। अतः, गृह मन्त्रालय और केन्द्र सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार के राजनैतिक बन्दों के दौरान भी राष्ट्रीय राजमार्ग-31 खुला रहे और सिक्किम राज्य को हानि न उठानी पड़े।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

स० अतिन्दर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में पहले से ही देश की 70 प्रतिशत बी० एस० एफ० तथा 55 प्रतिशत सी० आर० पी० एफ०, 60 हजार पंजाब पुलिस के जवानों के अतिरिक्त तैनात हैं। अब भारत सरकार ने पंजाब में फौज की भी डिवीजन नागरिकों पर कार्यवाही के लिए भेज दी है। यह देश के लिए अत्यन्त घातक होगा, क्योंकि पंजाब के प्रत्येक चार सिख नौजवानों के पीछे इस समय एक सिपाही तैनात है। इससे अधिक और फोर्स तैनात करने का अर्थ पंजाब में यह लिया जाएगा कि पंजाब पर भारत सरकार की ओर से हमलावर नीति अख्तियार की गई है और पंजाब के नागरिकों को देश का नागरिक नहीं माना जा रहा। अतः मैं इस सम्बन्ध में इस सदन के माध्यम से जो सिविल नागरिकों के ऊपर भारतीय फौज की कार्यवाहियां की जा रही हैं उस परिस्थिति को देखते हुए यह घोषणा करवाना चाहता हूं कि सरकार आज ही यह घोषित करे कि पंजाब में सिविल नागरिकों के ऊपर फोर्स कोई भी कार्यवाही नहीं करेगी और तुरन्त अपनी बैरकों में वापस आ जाएगी।

अतः इस हेतु भारत सरकार को एक स्पष्टीकरण देकर पंजाब के नागरिकों का भरोसा जीतना चाहिए।

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे पूर्वांचल में गोरखपुर और देवरिया बिहार का जो इलाका है जो जंगल पार्टी के नाम से प्रसिद्ध था वहां 7 तारीख को माननीय जार्ज साहब ने छितौनी बगहा पुल का शिलान्यास किया था और इस सरकार ने अभी 30-11-90 को एक आदेश जारी कर दिया है जिसके तहत छितौनी बगहा रेल पुल का निर्माण कार्य रुक गया। पिछली सरकार के मन्त्री ने दस करोड़ रुपया वहां के लिए दिया था जिसमें सात करोड़ की स्वीकृति दी और दस करोड़ के बाद रोक दिया।

दूसरा, गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर का कारखाना था जिससे पूर्वांचल में विशेष तौर से यूरिया उपलब्ध होता था, वह कारखाना भी बन्द कर दिया गया है। वहां पर हजारों मजदूर आज बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं। मेरे ही संसदीय क्षेत्र में घाघरा नदी पर पक्का पुल बनाये जाने के लिए माननीय मुख्यमन्त्री श्री मुलायम सिंह यादव ने पूरा बजट देने के लिए कहा था लेकिन केन्द्रीय सरकार ने अपना बजट नहीं दिया जिसके कारण घाघरा पर पक्के पुल का कार्य रुक गया है। छितौनी-बगहा पुल को बनाए जाने के लिए पूर्व रेल मन्त्री श्री जार्ज फर्नान्डीज ने मुख्यमन्त्री श्री मुलायम सिंह यादव की मौजूदगी में सात करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की थी, वह कार्य भी बन्द है। मैं आपके माध्यम से

सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि बदले की भावना से प्रेरित न होकर जनहित की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को बिहार से जोड़ने वाले इस रेल पुल का निर्माण कार्य तत्काल शुरू किया जाए। इस रेल पुल का शिलान्यास 1972 में स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया था जनता दल की सरकार ने जिस काम को पूरा नहीं किया, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि कम से कम वर्तमान सरकार इस भेद को खत्म करके जो बजट रखा गया है, उसे तत्काल देकर इस काम को चालू कराया जाए।

श्री युवराज (कटिहार) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्व सरकार ने यह एलान किया था कि दस हजार तक के किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे लेकिन बीच में यह तय किया गया कि अप्रैल, 1986 के बाद 2 अक्तूबर, 1989 तक जो कर्ज किसानों के पास है, उस अवधि में अगर कोई नेचुरल कलेमेटीज आयी है, कोई प्राकृतिक विपदा आयी है, तो फसल की बरबादी के चलते उसकी किश्त माफ कर दी जाएगी लेकिन 2 अक्तूबर, 1989 तक किसानों पर जो कर्ज है, वह बकाया राईट ऑफ नहीं करके वसूली की जा रही है। अब यह 6 करोड़ किसानों के पास कर्ज बाकी है और इनमें चार करोड़ ऐसे लोग हैं जो बिलो पावर्टी लाईन हैं और उनके पास आई० आर० डी० पी० का लोन आता है। कहा यह जाता है कि किसानों के लिए कर्ज की माफी का सवाल है लेकिन किसानों से भी जो ज्यादा कमजोर लोग हैं, रिक्शा या तांगा चलाने के लिए जिनको लोन दिया गया है, उन तमाम लोगों से लोन की वसूली की प्रक्रिया चल रही है। उन्हें लाल कार्ड बांटे गए हैं। इसलिए मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने जो गलती की है, वह यह सरकार न करे और 2 अक्तूबर, 1989 तक के कर्ज माफ करके उनसे कोई लगान की वसूली की जरूरत नहीं है। एक फसल बरबाद हो, दूसरी फसल बरबाद हो जिस कमिटमेंट को आपने मतदाताओं के लिए किया कि हम 2 अक्तूबर, 1989 तक दस हजार तक के कर्ज की माफी करेंगे तो मेरा निवेदन है कि अपने वायदे को यह सरकार पूरा करे और यह वसूली की जो कार्रवाई चल रही है, उसे विदड्रा करे और आई० आर० डी० पी० में किसानों को जो लोन दिया गया है और जो उसमें गरीबी की रेखा के नीचे हैं, यह तुरन्त राईट आफ कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : राजवीर सिंह जी, आप बैठ जाएं, आप फिर खड़े हो गए हैं।

प्रो० प्रेम कुमार धूमाल (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय पोस्टल एम्प्लाईज यूनियन के कर्मचारी 2 जनवरी से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि उनके वेतनमानों में सुधार किया जाए। मैं आपके माध्यम से उप मन्त्री के ध्यान में दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार जब संचार माध्यमों के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और सरकार ने ध्यान नहीं दिया था जिसके कारण देश भर के सारे संचार माध्यमों से लोगों को सुविधा नहीं मिलने से गड़बड़ हुई थी लेकिन बाद में सरकार ने उन लोगों की मांग मान ली और 100 रुपए सहायता दे दी। अब पोस्टल एम्प्लाईज भी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और 100 रुपए की सहायता की मांग की जा रही है।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस तरह संचार साधनों के एम्प्लाईज को सहायता दी गयी है तो डाक एम्प्लाईज भी उससे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उनकी उचित मांग है और इसको भी तुरन्त मान लिया जाए और उनकी अन्य मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, उज्जैन में टेलीफोन की हालत इतनी खराब हो गयी है कि लोग परेशान हैं। वहां का ऐक्सचेंज भी पुराना हो गया है और जब तक वहां

नया डिजिटल ऐक्सचेंज नहीं आता, ई-10 बी प्रणाली स्थापित नहीं की जाती है, तब तक वहां टेलीफोन सुधरने वाले नहीं हैं। अभी बड़ी संख्या में टेलीफोन की प्रतीक्षा करने वालों की सूची है। श्रीमन्, वर्ष 1992 में कुम्भ पर्व भी आ रहा है। वहां व्यवस्था को सुधारने के लिए भी अच्छा टेलीफोन ऐक्सचेंज चाहिए। मेरा आपसे निवेदन है कि यह टेलीफोन ऐक्सचेंज ठीक प्रकार से सुधारें।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, मेरा अनुरोध है कि प्राकृतिक रबर का निम्नतम मूल्य निर्धारित किया जाए। पिछली सरकार ने एक आश्वासन दिया था कि वे कीमतों की घोषणा करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस सरकार के आने के बाद से हम अभ्यावेदन दे रहे हैं। माननीय वाणिज्य मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें कि प्राकृतिक रबड़ का निम्नतम मूल्य कब तक निर्धारित किया जा सकता है। वाणिज्य मन्त्री को एक वक्तव्य देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यूनियन की तरफ से सैकड़ों विद्यार्थी बोट क्लब पर धरने पर बैठे हुए हैं और वह मांग कर रहे हैं कि पिछले दंगों में, खास-कर अलीगढ़ के दंगों में तथा आमतौर पर उत्तर प्रदेश के दंगों में जो पी० ए० सी० का कम्यूनल रोल रहा है उसके चलते उनकी मांग है कि पी० ए० सी० को डिस्बैण्ड किया जाए और उनकी यह मांग है कि एण्टी रॉयट पुलिस फोर्स जल्दी से जल्दी गठित की जाए। दूसरी उनकी मांग है कि अलीगढ़ प्रशासन का जो कम्यूनल रोल रहा है, उसके चलते वहां सुरक्षा व्यवस्था सुचारु नहीं हो सकती। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, वे लगातार प्रधान मन्त्री से मिलने का समय मांग रहे हैं। प्रधान मन्त्री से मिलने का समय नहीं मिला अतः उन्होंने अपना ज्ञापन आपको देने का निर्णय किया है। हम आपके माध्यम से इस सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ऐण्टी रॉयट पुलिस फोर्स का गठन किया जाए और पी० ए० सी० को अलीगढ़ से हटाया जाए।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : इस बात को सभी मानते हैं कि जितनी मेहनत किसान करते हैं उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है। आंध्र प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में किसानों से धान खरीदते वक्त चावल मिल मालिक सरकार द्वारा घोषित निम्नतम समर्थन मूल्य भी नहीं देते हैं। जब निम्नतम समर्थन मूल्य 225 रुपए प्रति क्विंटल है तो वे केवल 180 रुपए या 190 रुपए देते हैं। इस तरह किसानों को काफी परेशानी और घाटा होता है। मैं माननीय उप प्रधान मन्त्री और कृषि मन्त्री तथा माननीय खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री से भी अनुरोध करूंगा कि वे भारतीय खाद्य निगम पर जोर डालें कि वह ज्यादा केन्द्र खोलें और किसानों को निम्नतम समर्थन मूल्य प्रदान करें।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्यप्रकाश मालवीय) : मैंने सभी बातों को नोट कर लिया है।

[अनुवाद]

1.34 म० प०

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक*

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : मैं, श्री यशवन्त सिन्हा की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दिग्विजय सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

1.34 म० प०

भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश के द्वारा तत्काल विधान बनाने के कारण दर्शाने वाला विवरण

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : मैं, श्री यशवन्त सिन्हा की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1990 के द्वारा तत्काल विधान बनाने के कारण दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1698/91]

1.35 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.35 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.38 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.38 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

---

*दिनांक 4-1-91 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-2, खण्ड-2, में प्रकाशित।

लोक दायित्व बीमा विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्य लेंगे। श्रीमती मेनका गांधी।

पर्यावरण और वन मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

> "कि किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई के समय किसी दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त राहत देने के प्रयोजन के लिए लोक दायित्व बीमा और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं तो कहूंगी कि ऐसा करने से इस विधेयक द्वारा परिसंकटमय उद्योगों में या ऐसे कार्यों में दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त राहत देने की मांग पूरा करने की बात की गई है। परिसंकटमय उद्योगों या ऐसे कार्यों जिनमें हमारी कई जरूरी वस्तुओं का उत्पादन होता है जो हमारे विकास के लिए आवश्यक हैं में हाल ही में काफी वृद्धि हुई है। फिर भी इनसे न केवल कामगारों की दुर्घटना का जोखिम बढ़ता है बल्कि जो लोग दुर्घटना स्थल के दायरे में होते हैं उनकी दुर्घटना का भी जोखिम रहता है। अक्सर जो लोग इस बात से प्रभावित होते हैं वे समाज के बहुत गरीब और कमजोर तबके के होते हैं जोकि अपने इस नुकसान का मुआवजा भी प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। जो कामगार इन परिसंकटमय उद्योगों में दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं उनको कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत सुरक्षा प्रदान की जाती है लेकिन आम जनता को ऐसी कोई राहत नहीं मिलती है सिवाय लम्बी कानूनी प्रक्रिया के पश्चात् मिलने वाली राहत के।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स श्रीराम फूड एण्ड फर्टिलाइजर्स के मामले में निर्णय दिया कि परिसंकटमय उद्योगों का यह पूरा उत्तरदायित्व है कि यदि उनके उद्योगों में किसी को कोई नुकसान होता है तो उन्हें उसे मुआवजा देना होगा। ऐसे मामलों में राहत देने की जिम्मेदारी इसमें उनका कोई दोष नहीं सिद्धान्त पर आधारित है। राहत के दावेदार को इस बात की वकालत करने की जरूरत नहीं है और नहीं यह सिद्ध करने की जरूरत है कि जो दुर्घटना घटी, चोट पहुंची या नुकसान हुआ उसके बारे में जो कुछ दावा किया गया वह किसी व्यक्ति की गलती, लापरवाही या भूल-चूक से हुआ है। खैर यह हमारा आम अनुभव रहा है कि औद्योगिक इकाईयों कभी-कभार ही दुर्घटना के शिकार लोगों को तुरन्त मुआवजा देने की तत्परता दिखाती हैं अतः एक ही उपाय रह जाता है कि वे कानून की सहायता लें। राहत के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश देने पर भी ऐसे उद्योग और जहां ये दुर्घटनायें होती हैं उनकी आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं होती है और वे अक्सर ऐसी अप्रत्याशित जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाते हैं। इन प्रतिष्ठानों में बड़ी दुर्घटना की जिम्मेदारी के मामले में दिवाला निकलने का भी खतरा रहता है। यही बात विशेषरूप से लघु उद्योगों के बारे में सच है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक योजना पर विचार किया जिसके तहत ऐसा हर एक उद्योग या कार्य जिसमें परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई की जाती है वहां ऐसे लोगों के लिए जिन्हें चोट आये, सम्पति को नुकसान पहुंचे या मृत्यु हो जाये उनके कानूनी हकदारों को तुरन्त एक निर्धारित राहत प्रदान करने के लिए उनका बीमा कराने को बाध्य होंगी। हमने इस मुद्दे पर कई तरह से विचार किया है और इन मामलों से सम्बन्धित विभिन्न लोगों से परामर्श किया है। इसमें श्रम,

औद्योगिक विकास, आर्थिक कार्य, रसायन और पेट्रोरसायन, जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन, भारतीय रसायन निर्माता संघ और फैडरेशन आफ इण्डियन चेम्बरर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री शामिल हैं इस प्रकार यह विधेयक व्यापक परामर्श के पश्चात तैयार किया गया है।

इस बात की भी जांच की गई कि क्या पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के उपबन्धों के अन्तर्गत नियम बनाकर ऐसा उपाय किया जा सकता है। हमें कानून और न्याय मंत्रालय ने सलाह दी थी कि इस प्रस्ताव से सम्बन्धित सभी पहलुओं के शामिल करने के लिए एक अलग कानून की आवश्यकता पड़ेगी चूंकि इस प्रस्ताव का उद्देश्य दुर्घटना के शिकार लोगों को राहत दिलाना है। जहां तक जानकारी है किसी भी देश में इस तरह का कार्य पहली बार शुरू किया गया है जिसका विशिष्ट उद्देश्य औद्योगिक दुर्घटनाओं में प्रभावित लोगों को तुरन्त राहत पहुंचाने का है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई के समय किसी दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को तुरन्त राहत देने के प्रयोजन के लिए लोक दायित्व बीमा और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

कुछ सदस्यों ने संशोधन के सुझाव दिये हैं। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री किरोड़ी लाल मीणा—उपस्थित नहीं। प्रो० रासासिंह रावत—उपस्थित नहीं। श्री गुलाब चन्द कटारिया—उपस्थित नहीं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 5 अप्रैल, 1991 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाए।" (3)

श्री थानसिंह जाटव (बयाना) : मैंने भी अपना संशोधन प्रस्तुत किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : ये संशोधन विधेयक पर विचार करने के लिए हैं। जब हम विभिन्न खण्डों पर विचार करेंगे तभी हम आपके संशोधन पर विचार करेंगे।

श्री के० एस० राव बोलें।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : विशेषकर अत्यन्त गरीब लोग जो जोखिम भरे कारखानों और अभियानों में कार्य करते हैं या उनके पास रहते हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक को प्रस्तुत करने के साथ मुझे इस बात के लिए भी खुशी हो रही है कि मंत्री महोदया ने विभिन्न लोगों की शक्तियों, उनके अधिकार क्षेत्र व उत्तरदायित्व सौंपने एवं विभिन्न पहलुओं के लिए समय सीमा निर्धारित करने के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया है।

इस विधेयक के बारे में तीन-चार वर्ष पहले सोचा गया था और विगत वर्ष तक यह मंत्रिमंडल

की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ा था। मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने इस विधेयक को सत्र के दौरान प्रस्तुत किया है। मुझे खुशी है कि वे इसे आज ही पारित करवाने का भी प्रयास कर रही हैं। यदि उन्हें उचित लगे तो कुछ सुधार करने के सुझाव के अतिरिक्त मैं इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा करने के लिए अधिक समय नहीं लूंगा।

यह सभी को मालूम है कि चार-पांच वर्ष पूर्व घटित भोपाल कार्बाइड दुर्घटना में प्रभावित लोगों को कई वर्षों तक सहायता के रूप में एक रुपया भी नहीं मिला है। इसका स्पष्ट कारण न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब और अनिर्णय की स्थिति या विभिन्न अधिकारियों को स्पष्ट अधिकार नहीं दिया जाना है। मैं श्रमिकों और उनकी सम्पत्ति तथा सार्वजनिक सम्पत्ति के अलावा विधेयक के उन पहलुओं को दुहराना नहीं चाहता जिनके लिए पहले से इस सम्बन्ध में कानून उपलब्ध हैं।

मैं नहीं जानता कि ऐसे उद्योगों में प्रभावित लोगों की संख्या का अनुमान विगत कुछ वर्षों में रासायनिक उद्योगों में वृद्धि की दृष्टि से होने वाले बीमा कम्पनियों पर आर्थिक प्रभाव का अनुमान लगाया गया है या नहीं। मैं समझता हूं कि उनका वार्षिक उत्पादन 20,000 करोड़ रुपये हैं जोकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का दस प्रतिशत है।

मुझे यह जानकर भी खुशी है कि उन्होंने देश में विद्यमान 8,500 रासायनिक उद्योगों में से 245 उद्योगों का पता लगाया है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या साधारण बीमा निगम के तहत इसकी सुरक्षा के लिए पहले से योजनाएं चालू कर रखी है और यदि हां तो विभिन्न संगठनों द्वारा कितनी किश्त दी जाती है। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसमें कुल लगी हुई पूंजी का आकलन करना होगा और यदि अधिनियम पारित होने के बाद बीमा कंपनियां अपनी योजनाएं तत्काल लागू नहीं करती तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदया ने बीमा कंपनियों ने इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श कर लिया होगा यद्यपि उन्होंने उसका उल्लेख यहां नहीं किया है।

श्रीमती मेनका गांधी : मैंने उसका यहां उल्लेख कर दिया है।

श्री के० एस० राव : यदि इसका यहां उल्लेख कर दिया गया है तो और भी बेहतर है। चिकित्सा व्यय की प्रति पूर्ति के लिये 12,500 रुपये उपलब्ध करने होंगे। मेरा विचार यह है कि साधारण बीमा के तहत पहले से ही चिकित्सा परिचर्या बीमा योजना है इसलिए बजाय इसे 12,500 रुपये देने के, यदि चिकित्सा बीमा को ही कुछ धन उपलब्ध करा दिया जाए तो यह इन लोगों के चिकित्सा प्रति पूर्ति का पूरा व्यय स्वयं वहन कर सकती है इन दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री से इस पर विचार करने का निवेदन करता हूं।

जहां तक निजी सम्पति की हानि का प्रश्न है यह कहा गया है कि इसकी सीमा मात्र 6,000 रुपये तक होगी जोकि बहुत ही कम है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि क्या इस राशि को अधिक नहीं तो थोड़ा बढ़ाया जा सकता है।

विधेयक में उन श्रमिकों का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है जो अनाधिकृत एककों में ठेके पर कार्य करते हैं जिनकी एक बड़ी संख्या इस देश में है। इस विधेयक में केवल उन श्रमिकों के लिए प्रावधान है जो इस देश में कानूनी तौर पर कार्य करते हैं। लेकिन दीवाली के लिए पटाखों के निर्माण

के लिए बहुत सारे उद्योग देश में चलते रहते हैं और हम सभी जानते हैं उनमें बहुत से लोग कार्य करते हैं जिन्हें बहुत ही कम पारिश्रमिक दिया जाता है और केवल इसके उत्पादन और देखभाल के दौरान या इस जैसे अन्य कार्यों के दौरान दुर्घटनाओं में लोग मरते हैं अथवा घायल होते हैं। मैं माननीय मन्त्री से यह चाहता हूं कि जहां ये पटाखे बड़ी मात्रा में बनते हैं विशेष शिवकाशी में, उन पर ध्यान दें।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उनमें से अनेक को नैमित्तिक मजदूर समझा जाता है।

श्री के० एस० राव : हां, उन्हें नैमित्तिक मजदूर माना जाता है।

श्रीमती मेनका गांधी : उन्हें श्रमिक प्रतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

श्री के० एस० राव : मैं जानता हूं। मैं केवल नैमित्तिक मजदूरों के बारे में बात कर रहा हूं न कि उनके बारे में जो श्रमिक प्रतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत शामिल हैं। इस विषय पर पूर्व में लाए गये विधेयकों में श्रमिकों को श्रमिक प्रतिपूर्ति अधिनियम के तहत शामिल कर लिया गया है। लेकिन वे श्रमिक जो श्रमिक प्रतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं उनका यहां उल्लेख नहीं किया गया है।

अब मैं इसके कुछ खंडों का उल्लेख करना चाहता हूं। खंड 2(ङ) में समाहर्ता की परिभाषा में कहा गया है कि उसे क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में निर्णय लेना है और देना है। लेकिन समाहर्ता के लिए यह सम्भव नहीं होगा कि वह अकेले ही सभी मामलों की समीक्षा करके और क्षतिपूर्ति की मात्रा को निश्चित करे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर अभी चर्चा करना चाहते हैं?

श्री के० एस० राव : मैं केवल इसका उल्लेख कर रहा हूं। मेरे विचार में समाहर्ता के अलावा यदि उसके एक प्रतिनिधि को वही शक्ति दे दी जाए तो अधिनियम का उद्देश्य बेहतर ढंग से पूरा होगा।

उसी तरह, खंड 4(1) के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि नीतियों का निर्धारण अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के अन्दर उन उद्योगों को करना होगा। जब आज हम इस अधिनियम को पारित कर रहे हैं तो उन लोगों का क्या होगा जिन्हें तत्काल लाभ मिलना चाहिए। यदि नीति निर्धारण के लिए एक वर्ष का समय दिया जाएगा तो इसका तात्पर्य यह है कि अगले वर्ष के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा। इसकी पूरी सम्भावना है सभी उद्योग इसका लाभ लेंगे। इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह इसके बारे में विचार करें कि क्या इस एक वर्ष में एक या दो महीने की कमी की जा सकती है। यह बात प्रत्येक उद्योग को बताई जाए।

इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि जब कभी भी कोई दुर्घटना हो तो कलक्टर को उसका व्यापक प्रचार करना चाहिए। परन्तु पूरे देश में और अपने क्षेत्र में घटने वाली दुर्घटनाओं की संख्या को देखते हुए कलक्टर द्वारा अपने आप कार्यवाही करना सम्भव नहीं है और यह व्यावहारिक भी नहीं है। इसलिए मेरे विचार से इसका प्रचार रेडियो, टेलीविजन तथा समाचार-पत्रों द्वारा किया जा सकता है तथा कलक्टर भी इसका प्रचार कर सकता है। परन्तु यह प्रचार पहले से अथवा नियमित रूप से किया जाना चाहिए। इसलिए मेरे विचार से यह कार्य अधिक सम्भव है बजाए इसके कि कलक्टर से इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए कहा जाए।

मैं उनकी इस सावधानी के लिए प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने कुछ बातों के लिए समय सीमा सुनिश्चित कर दी है परन्तु अवार्ड देने की समय सीमा के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

श्रीमती मेनका गांधी : इसका उल्लेख किया गया है।

श्री के० एस० राव : अवार्ड का उल्लेख नहीं किया गया है अवार्ड देने के बाद सम्बन्धित लोगों को सूचना देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है तथा इसके बारे में कार्यवाही करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। यह अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि इस पहलू पर भी विचार किया जाए ताकि समाज के गरीब वर्गों के लोग सरकार, मन्त्री महोदय तथा हम सबके नेक इरादे समझ सकें।

जहां तक दण्ड का सम्बन्ध है, इसका खंड 14 और 15 में उल्लेख किया गया है। खंड 4(1) और 4(2) का उल्लंघन करने पर एक वर्ष से लेकर डेढ़ वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा और बीमा नीति के नवीकरण का उल्लंघन करने पर डेढ़ वर्ष का कारावास अथवा 1 लाख रुपये का जुर्माना देने की व्यवस्था की गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राव क्या आप समझते हैं कि आप खंडों पर संशोधनों की पूर्व सूचना दिए बिना संशोधनों का सुझाव दे रहे हैं ?

श्री के० एस० राव : मैं कोई संशोधन नहीं कर रहा हूं बल्कि अपनी बातें कह रहा हूं। मेरी सभी बातें बड़ी प्रासंगिक हैं।

महोदय, एक बार आपने हमसे केवल विधेयक और विषय के बारे में बोलने के लिए कहा था। आज आप हम सामान्य मामले पर बोलने के लिए कह रहे हैं। मैं अधिनियम अथवा विधेयक के बारे में, जो उन्होंने प्रस्तुत किया है, प्रासंगिक बात कह रहा हूं। मेरा सुझाव है कि इसमें कुछ सुधार किए जा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी सहायता करना चाहता था। कृपया अपनी बात जारी रखिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्होंने इसका अच्छा अध्ययन किया है। उन्हें बोलने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इन बातों का उल्लेख खंडों पर चर्चा के समय कर सकते हैं सामान्य चर्चा के समय नहीं, क्योंकि खंडों में उल्लिखित बातों पर मतभेद है।

श्री के० एस० राव : मैं यह बताना चाहता हूं कि इस डेढ़ वर्ष के कारावास को छः वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी किया जा सकता है यह बड़ी गम्भीर बात है इसका उस स्तर के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा अनुचित लाभ उठाया जाएगा। इसलिए इतना अधिक दण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। सख्त दण्ड दिया जा सकता परन्तु इसे कम किया जाना चाहिए। इस पहलू पर विचार किया जाए।

जहां तक परामर्शदात्री समिति का सम्बन्ध है, इसमें अधिकारियों, बीमा-कर्ताओं और कंपनियों के अतिरिक्त किसी को सम्मिलित नहीं किया गया है। मेरे विचार से समाज सेवी संगठनों अथवा जन-प्रतिधियों को, जो समाज के गरीब वर्गों के प्रति वचनबद्ध होते हैं और उनकी वचनबद्धता को प्रत्येक व्यक्ति जानता है, भी इस समिति में शामिल किया जा सकता है।

मन्त्री महोदय और उपाध्यक्ष महोदय दोनों चाहते हैं कि मैं अपनी बात जल्दी से समाप्त कर दूं...

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राव, मैं आपके भाषण में बाधा नहीं डालना चाहता हूं। मैं आपकी सहायता करना चाहता हूं। आपके, अपने और सभा के हित में मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम संख्या 75 का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें कहा गया है :

"नियम 74 में निर्दिष्ट किसी प्रस्ताव के किए जाने पर विधेयक के सिद्धान्त और उसके उपबन्धों पर सामान्य रूप से चर्चा की जा सकेगी किन्तु विधेयक के ब्यौरे पर उससे अग्रेतर चर्चा नहीं होगी जितनी कि उसके सिद्धान्तों की व्याख्या के लिए आवश्यक हो।"

श्री के० एस० राव : मैं प्रावधानों की चर्चा कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री के० एस० राव : उनके कार्य करने के तरीके को देखते हुए मेरा सुझाव है कि यही तरीका लाखों एकड़ बजर भूमि के बारे में अपनाया जाए जो बेकार पड़ी है, उन क्षेत्रों के लोगों को इस भूमि के कम से कम तीन बार पट्टे दिए जाएं जहां यह वन लगाने के नाम पर पड़ी हुई है परन्तु वहां वन लगाने की बात तो दूर रही झाड़ियां भी नहीं हैं।

इन शब्दों के साथ ही मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक के पारित होने से उन अभागे लोगों में विश्वास पैदा होगा जो वर्षों से बिना किसी दोष के अनेक दुर्घटनाओं के शिकार होते रहे हैं। इससे उन्हें न्यायालयों में अविलम्ब वह राहत मिलेगी जिसका उन्हें आश्वासन दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोक दायित्व बीमा विधेयक का सामाजिक न्याय की ओर बढ़ते हुए कदमों में एक प्रगतिशील सराहनीय कदम के रूप में मैं स्वागत करता हूं।

मैं बधाई देना चाहता हूं कि इस विधेयक के द्वारा समाज में उन वर्गों को या उन व्यक्तियों को, जिनको साधारणतया वंचित रखा गया था, एक्सीडैण्ट के होने पर सहायता मिल सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी सैद्धान्तिक बात मैं रखना चाहूंगा, माननीय संसद के सामने। वह यह है कि हमारे राष्ट्र में कम्पेंसेशन या मुआवजा मानव जीवन के बारे में क्या दिया जाय, इसके बारे में बहुत बड़ी विषमता है। विडम्बना यह है कि एक साधारण कार्यरत कृषक, मजदूर यदि एक्सीडैण्ट के द्वारा मारा जाय तो वर्कमैन कम्पेंसेशन एक्ट में या अन्य एक्ट में उसे बहुत कम रकम दी जाती है। यदि वही व्यक्ति अकारण रेल के एक्सीडैण्ट में फर्स्ट क्लास या ए० सी० में बैठा हुआ मारा जाय तो उसे दो लाख रुपए, वही व्यक्ति जो केवल मौज सैर के लिए हवाई जहाज में जा रहा है, यदि हवाई जहाज के एक्सीडेण्ट में मारा जाय तो उसको पांच लाख रुपए, लेकिन राष्ट्र की सेवा करता हुआ, समाज के क्रियात्मक, रचनात्मक, सृजनात्मक कोई कार्य करता हुआ यदि मारा जाय तो उसको पांच हजार, सात हजार रुपया मिले। इसमें यहां पर जिस प्रकार से प्रावधान किया गया है, वह प्रावधान भी मेरे इस मापदण्ड से बहुत कम है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम बात करते हैं प्रगतिशीलता की, समाजवाद

की, समानता की, एकता की और हमारा संविधान भी कहता है परन्तु दुर्भाग्य यह है कि सब कानून बनाते समय हम इस बात को भूल जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विवाद करके इस स्तर पर पहुंचे कि मानव जीवन की कीमत कितनी होनी चाहिए, फिर चाहे वह वर्कमैन कम्पेंसेशन एक्ट के नीचे रेल के इंजन के अन्दर काम करता हुआ मारा जाय या फैक्टरी में मारा जाए या एक्सीडेण्ट के द्वारा मारा जाय। कम से कम मानव जीवन का मूल्य उससे कम नहीं होना चाहिए। मेरा अपना यह कहना है कि नो फाल्ट जो कम्पेंसेशन इसमें निर्धारित किया गया है, वह कम से कम दो लाख रुपए होना चाहिए, जबकि हम पांच लाख रुपये हवाई जहाज दुर्घटना में देते हैं। यह बात बहुत अच्छी है कि इसके अतिरिक्त भी व्यक्ति जाकर कोर्ट से कम्पेंसेशन का क्लेम और अधिक कर सकता है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर दुर्भाग्य से राष्ट्र में अनपढ़ लोग, अशिक्षित लोग, निर्धन लोग, कानून को न जानने वाले लोगों की संख्या अधिक है इसलिए प्रार्थना-पत्र देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जहां तक सोशल सिक्योरिटी का प्रश्न है, जहां तक सामाजिक न्याय, सामाजिक सिक्योरिटी का प्रश्न है, स्वयं जिलाधीश को सोमोटो, अपनी ओर से कम्पेंसेशन की कार्यवाही करके कम्पेंसेशन देना चाहिए। उदाहरण मैं देना चाहूंगा, भोपाल में जहरीली गैस के कारण लाखों व्यक्ति मारे गये, कई घायल हो गये, कई भविष्य के लिए बेकार हो गये तो हमें कानून बनाना पड़ा, उसके लिए अलग से क्योंकि हमारे पास में उपलब्ध कानून पर्याप्त नहीं था। ऐसे व्यक्ति थे जो जानते भी नहीं थे कि हमें कुछ मुआवजा भी मिल सकता है, उनको भी उसमें मुआवजा दिया गया तो इसमें यह जो प्रावधान किया गया है कि वह प्रार्थना-पत्र दे, प्रार्थना-पत्र इतनी मियाद में दे और इस प्रकार से दे, यह सारी तकनीकी बातें सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के विरुद्ध हैं। अतः जब हमारा शासन, हमारी कार्यप्रणाली व हमारा संविधान भारत के गरीब से गरीब वर्ग के लिए समाजवाद के अनुकूल उसे राहत देना चाहता है तो मैं चाहूंगा कि यह एप्लीकेशन की आवश्यकता और मियाद की आवश्यकता समाप्त कर दी जाय।

3.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जिलाधीश हर जिले का सबसे अधिक व्यस्त व्यक्ति होता है। एक जिले के जिलाधीश के पास में हमारे आज के कानूनों के अनुसार कम से कम दो सौ, चार सौ एक्टों के नीचे, प्रावधानों के नीचे अधिकार होते हैं और ये लॉ एण्ड आर्डर के अतिरिक्त होते हैं। इसलिए जिलाधीश के ऊपर यह अधिकार और डालना ठीक नहीं है। हमारे यहां पर सारे देश के अन्दर, कानून की पालना के अन्दर, न्यायालय और बिजनेस के अन्दर यह सब हो रहा है, इससे और अधिक होगा। अतः जिलाधीश के स्थान पर कोई कम्पीटेंट अथोरिटी को रखा जाए जो ऐसे मामले को तय करे। यदि ऐसा होगा तो न्याय सस्ता, सुलभ और शीघ्र मिल सकेगा और कम्पनसेशन भी शीघ्र मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसमें यह भी कहना चाहूंगा कि ये प्रावधान नहीं किया गया कि वह ओनर या मालिक कितने-कितने रुपए की इंश्योरेंस करवाएगा, इसका कैसे पता लगेगा ? उदाहरण के तौर पर भोपाल में जहरीली गैस की दुर्घटना हुई, इस जहरीली गैस की दुर्घटना से आसपास के लाखों व्यक्ति हताहत हुए। अब भोपाल गैस की कम्पनी का मालिक और ओनर जो एजारड्स काम कर रहा है, ससपेंस का काम कर रहा है। यदि उसके बीमा करने की कोई सीमा या रकम नहीं है कि वह कितना

बीमा करवाएगा—लाख रुपए, दस लाख रुपए या बीस लाख रुपए, उसकी इण्डस्ट्री या उसकी आवश्यकताओं के अनुसार आसपास के इलाकों के अन्दर कितना अधिक उससे एनडेन्जर होगा, तो वह बीमा पांच सौ या पांच हजार की भी करवा सकता है। जब कम्पेनसेशन देने का प्रश्न आएगा, यदि एक लाख व्यक्ति उसमें आहत हुए तो किस प्रकार से इंश्योरेंस उनको मिलेगा। इसमें यह एक विषमता है और इस एनोमली की ओर, मैं समझता हूं कि सरकार की ओर से ध्यान दिया जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

डा० बंगाली सिंह (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी ने ये विधेयक ला करके इस देश के गरीब मजदूरों के लिए जो सुविधा देने का प्रावधान किया है, यह उन्होंने बहुत अच्छी बात की है। इसके साथ ही मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं जैसे कि खेत और खलिहान में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं वे खेत में हल चलाते-चलाते मर जाते हैं और उस खलिहान में काम करते-करते अपनी जिन्दगी बिता देते हैं। इस तरह से ये सारे मजदूर खत्म हो जाते हैं और इनकी संख्या कम हो जाती है। इस तरह से खेत और खलिहान में काम करते-करते बहुत सारे मजदूर मर जाते हैं, इसके लिए भी आप कोई प्रावधान करें।

हमने देखा है कि आचार, मुरब्बे की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, ऐसी बहुत सी फैक्ट्रियां हैं जिनमें गैस पैदा होती है और आये दिन इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मेरे हाथरस में भी आचार, मुरब्बे की बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। यहां पर अक्सर हर साल 10-20 आदमी मारे जाते हैं इसलिए उनको भी इसमें जोड़ा जाए तथा किसानों को भी इसमें जोड़ा जाए। मकान बनाते हुए कभी दीवार गिर जाती है, कभी नींव खोदते समय खिसक जाती है, कभी काम करते-करते मकान ही गिर जाता है। इनको भी इसमें जोड़ने का कष्ट करें।

मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा मन्त्री जी से अनुरोध हो कि इस विधेयक में यह मेरे जो सुझाव हैं, कृपया इनको भी इसमें जोड़ दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री राधिका रंजन प्रमाणिक (मथुरापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक दायित्व बीमा विधेयक, 1991 के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। इस विधेयक को बड़े विलम्ब से लाया गया है। इस विधेयक को बहुत पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए था यदि पहले नहीं तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। परन्तु यह अच्छी बात है कि इस विधेयक को कभी नहीं के बजाए विलम्ब से लाया गया है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक का प्रारूप बनाते समय तथा इस पर बोलते समय प्रत्येक को भोपाल गैस त्रासदी को सभी आयामों से पूरी तरह समझना चाहिए क्योंकि इस विधेयक का प्रारूप बनाते समय इस त्रासदी से शिक्षा ली जानी चाहिए।

जैसाकि आप जानते हैं कि 1984 में इस त्रासदी से 5 लाख से अधिक निर्दोष व्यक्ति घायल हुए थे और 3000 से अधिक लोगों की मौत हो गयी थी और लम्बी कानूनी प्रक्रिया के बाद 3,250 मिलियन डालर के नुकसान की मांग की गयी परन्तु न्यायालय के बाहर 470 मिलियन डालर पर समझौता हो गया जिसको न्यायालय में कनूनी समझौता बताया गया। इस प्रकार यह बड़ा कष्टप्रद

समझौता है जो कांग्रेस (आई) के शासन काल में हुआ था और इसका यह चुनावी वर्ष था। इसलिए प्रत्येक का यह अनुमान है कि हजारों निर्दोष भारतीयों की कीमत पर अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कम्पनी यूनियन कारबाईड के लाभ के लिए इतनी कम कीमत में समझौता किस प्रकार हो गया। इसलिए इस विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय और इस पर बोलते समय इस बात को याद रखा जाए। यद्यपि मैं इस देश के पर्यावरण को सुरक्षित रखने के बारे में मन्त्री महोदया की रुचि को पूरी तरह समझता हूं और उनके नेक इरादों की प्रशंसा करता हूं परन्तु साथ ही मेरा उनसे अनुरोध है और उनको यह बताना चाहता हूं कि यदि वह इस सभा को यह आश्वासन देने की अपनी जिम्मेदारी समझती हैं कि घातक प्रौद्योगिकी के युग में वह विदेशी सहयोगी कम्पनियों को नियंत्रित करने, उनकी निगरानी करने और उनका संचालन करने के लिए व्यवस्था करेगी क्योंकि जैसाकि आप जानती हैं कि यू० सी० सी० और यू० सी० आई० एल० अमेरिका की यू० सी० सी० कम्पनी की सहायक कम्पनियां हैं जोकि एक ही प्रकार के उत्पादन के लिए दोहरे मानदण्ड अपनाए हुए हैं, तो भोपाल के 3000 से अधिक लोगों का मामला व्यर्थ नहीं जाएगा। यह सच है कि उनके उपकरणों और नियंत्रण प्रणाली में अन्तर था क्योंकि वे ऐसा भारत में अधिक लाभ कमाने के लिए करती हैं विकसित देशों के लिए वे एक विशेष मानदण्ड निर्धारित करती हैं और अन्य देशों के लिए भिन्न मानदण्ड अपनाती हैं जैसाकि यू० सी० आई० एल० के बारे में भोपाल में देखा गया है। भोपाल में चार महीनों तक 3000 कि० ग्रा० मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रखी रहे तो वह क्षेत्र प्रदूषण मुक्त कैसे रह सकता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि आप अधिक विस्तार में जाएं। आप विधेयक के सामान्य सिद्धान्तों के बारे में बोलिए।

(व्यवधान)

श्री राधिका रंजन प्रमाणिक : मैं ऐसा केवल इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि इसके पीछे कुछ कानून है। (व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इसलिए न्यायसंगत है क्योंकि यह कानून के अनुसार ठीक है। अन्य सभी देशों में यह आप सबसे अधिक महत्वपूर्ण है परन्तु भारत में हमने देखा है कि कानून अदालत से भी ऊपर है। (व्यवधान) अतः बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने यहां पर विभिन्न मानदण्ड बना रखे हैं। अतएव अब आप कानून का एक बहुत अच्छा रूप देखेंगे। परन्तु इसे लागू कैसे किया जाए ? इसे लागू करने के लिए कोई प्राधिकरण भी होना चाहिए। परन्तु कानून उन निर्धनों को लाभ दे सकता है जिनके लिए यह विधेयक लाया गया है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह अत्यन्त उत्साहित है तथा मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि वह देश के पर्यावरण में रुचि ले रही है। परन्तु मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा तथा उन्हें बताना चाहूंगा कि यह विधेयक का उद्देश्य अच्छा है परन्तु इसका कार्यान्वयन कराने वाला तंत्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि विशेषकर ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस खतरनाक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते समय सरकार के निर्देशों, नियमों, आदेशों का भी पालन करें। अन्यथा कानून तो रहेगा परन्तु इसका उन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा जिनके लिए इस विधेयक को पारित किया जा रहा है।

यह मेरा प्रथम भाषण है। आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। सभा में यह मेरा प्रथम भाषण है। अतः मैं सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे धैर्यपूर्वक सुना।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं, चूंकि ये जन कल्याण से सम्बन्धित विधेयक लायी हैं। आज तक पर्यावरण में कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी जिसमें मजदूरों को मुआवजा मिले। मान्यवर, ये जो बिल लायी हैं उसके तहत इन्सान में भी भेदभाव आया है। जैसे अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे कि अगर एक इन्सान की मौत होती है उसको 5 लाख या 10 लाख या 8 लाख रुपए मुआवजा दिया जाता है और यदि एक मजदूर की फैक्टरी में मौत होती है तो उसको 10 हजार या 5 हजार रुपया मुआवजा दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें और सुधार करके जो सक्षम हो सकता है उस तरह से हम मुआवजा देने का प्रावधान करें।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, पर्यावरण के अभाव में आज हम लोगों की गंगा नदी भी मैली हो गयी है, फैक्टरी की वजह से प्रदूषित हो गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि गंगा प्रदूषण साफ करने के लिए आप बहुत सारी योजनाएं लाए हैं। जहां भी इसका काम चलाया गया है, जितनी सक्षमता से होना चाहिए, उतनी सक्षमता से नहीं हो पाया। इससे मनुष्य और जानवर सारे प्रभावित होते हैं। इसलिए आप इस पर विशेष ध्यान देकर इसे सुधारने का काम करें।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में बंजर भूमि की कमी नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पर्यावरण के बारे में विस्तार से बात मत कीजिए। विधेयक से सम्बन्धित बातों का ही उल्लेख कीजिए।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : बंजर जमीन की वजह से इन्सान का जो नुकसान होता है उसे नहीं रोका जा सकता। मेरा कहना है कि आप कानून बना रहे हैं, उसको ढंग से आप लागू करें इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा कि इस देश में बंजर जमीन की कमी नहीं है। आज वृक्षारोपण करके हम प्रदूषण को दूर कर सकते हैं, लेकिन फैक्टरियों के माध्यम से जो प्रदूषण फैलता है उसको दूर करने की व्यवस्था भी आपको करनी चाहिए। आपको कोई कानून बनाना चाहिए कि फैक्टरी मालिक इतना वृक्षारोपण करे ताकि आवागमन की सुविधा हो सके। मैं जानता हूं मन्त्री महोदय बहुत चिन्तित हैं, आपके पूर्व मन्त्री से भी इसी विषय पर हमारा झगड़ा होता रहता था, लेकिन आपने यह पहला बिल लाकर एक क्रान्ति का काम किया है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। माननीय मन्त्री महोदय ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं यह आग्रह अवश्य करूंगा कि इसमें जो कुछ कमजोरियां हों उनको भी मिटाने की कोशिश करें।

मान्यवर, अगर हवाई जहाज से कोई एक्सीडैंट हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको हमारी सरकार पांच लाख मुआवजा देती है, ट्रेन से एक्सीडैंट हो जाता है तो एक लाख मुआवजा दिया जाता है, लेकिन फैक्टरियों में, कारखानों में एक्सीडैंट में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे

12 हजार, 25 हजार और कहीं-कहीं पर तो केवल 5 हजार मुआवजा दिया जाता है। तो मुआवजे की राशि में भारी अन्तर है। सबकी जान की कीमत बराबर है इसलिए मुआवजे की राशि में अन्तर नहीं होना चाहिए, इसमें समानता रहनी चाहिए। अगर जिन्दगी के दामों में फर्क है तो इसका मतलब इस देश में जो अमीरी गरीबी का फर्क है वह आदमी की जिन्दगी में भी दिखायी पड़ता है। मान्यवर, इस फर्क को मिटाया जाना चाहिए। दूसरे, इसमें भ्रष्टाचार और बेईमानी न आ सके इस पर भी अंकुश लगाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे जो जिला मजिस्ट्रेट हैं, उनके अधीन जो लिक अफसर होते हैं, उनके द्वारा इतनी गलत रिपोर्ट आ जाती है कि सही मायनों में जो पात्र होते हैं, जो दुर्घटना से ग्रस्त हो जाते हैं। उसके लाभ से उनका परिवार वंचित हो जाता है। कभी-कभी दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं कि अगर सड़क पर ट्रक जा रहा है तो उससे वे बच निकलते हैं। न तो मिल मालिक और न तो ट्रक वाला फंसता है, सिर्फ मजदूरों की जिन्दगी बेकार चली जाती है। सरकारी, गैर-सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में भी लागू किया जाना चाहिए। खेत-खलिहान मजदूरों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। जो भ्रष्टाचार की आशंका है और जो कमजोरियां हैं, उससे बचते हुए सबकी जान की जो क्षति होती है तो उनके परिवार को क्षति का लाभ पहुंचाने के लिए समानता लायी जानी चाहिए। जो लोग हवाई जहाज में जाते हैं तो उनकी जान की कीमत ज्यादा है। अगर कारखाने में मजदूर मशीन का चक्का हिलाता है तो उसकी जान की कीमत कम हो जाती है। हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी खेत-खलिहान के मजदूरों के हिमायती हैं, उसकी कीमत पांच हजार रुपए लगायी जाती है। इस फर्क को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक स्वागत योग्य है तथा जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने स्पष्ट किया है कि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जो कि औद्योगिक दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को राहत प्रदान करता है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूं।

यह एक कल्याणकारी उपाय है जिसके अन्तर्गत कोई जोखिमपूर्ण कार्य करते हुए दुर्घटना हो जाने पर उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को तुरन्त राहत प्रदान की जाती है।

यह भी अच्छा है कि इस विधेयक में नैसर्गिक दुर्घटना तथा मानव गलती से हुई दुर्घटना दोनों को शामिल किया गया है। इस विधेयक का अन्य अच्छा पहलू यह है कि यह "अतिव्याप्ति" दोष से मुक्त है जिसके परिणामस्वरूप मुआवजा राशि हर उस व्यक्ति को दी जाती है तथा बिना इस बात पर अधिक विचार किए हुए कि किसकी गलती से यह दुर्घटना घटी है तथा प्राकृतिक रूप से घटने वाली घटनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है।

खैर, मैं सरकार का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस विधेयक का उद्देश्य यही है कि नैसर्गिक दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को अविलम्ब मुआवजा दिया जाए। इसका उद्देश्य क्षतिपूर्ति करने का नहीं है। इसका उद्देश्य तुरन्त मुआवजा प्रदान करना है। हम वह सब समझते हैं। परन्तु विधेयक के प्रावधानों में किसी समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है जिसके अन्दर कलक्टर को किसी आवेदन-पत्र पर अन्तिम निर्णय देना है। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि खण्ड 7 में यह प्रावधान है कि आवेदन-पत्र पर यथाशीघ्र निर्णय किया जाना चाहिए। परन्तु इसी के साथ-साथ इस खण्ड में अधिकतम समय-सीमा का भी प्रावधान किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत आवेदन-पत्र को

निपटाया जाना चाहिए। इस बारे में मैं कुछ संशोधन देना चाहता हूं जिसे मैं उचित अवसर पर प्रस्तुत करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है कि सार्वजनिक सम्पत्ति अथवा प्राकृतिक संसाधनों को हुए नुकसान को इस विधेयक में शामिल किया गया है अथवा नहीं। संभवतः विधेयक का यह उद्देश्य न हो। परन्तु यदि इस विधेयक में प्राकृतिक संसाधनों अथवा सार्वजनिक सम्पत्ति को होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में भी स्पष्ट प्रावधान दिए गए होते तो यह बेहतर होता। इसी के साथ-साथ खतरनाक फैक्टरियों से फैलने वाले प्रदूषण के परिणामस्वरूप आम जनता को जो नुकसान होता है उसका उल्लेख भी किया जाना चाहिए। मुझे सन्देह है कि क्या इस विधेयक में इस पहलू को शामिल किया गया है अथवा नहीं। अन्यथा विशेष रूप से माननीय मन्त्री जी को इस पहलू विशेष की तरफ और अधिक ध्यान देना चाहिए जिन्होंने ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया है जोकि विश्व भर में इस प्रकार का प्रथम विधेयक है।

इस सम्पूर्ण योजना का कार्यान्वयन एक महत्वपूर्ण बात पर निर्भर करेगा तथा वह पहलू है कि मुआवजा-राशि पर्याप्त होनी चाहिए। खतरनाक कम्पनियों को निहित जोखिम का आकलन करना चाहिए। परन्तु वे इस सबकी गणना कैसे करेंगे? इसके लिए कौन से मार्गनिर्देश होंगे? विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत इस विधेयक के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों द्वारा की गई नुकसान की गणना में तथा सम्बन्धित औद्योगिक कम्पनियों द्वारा की गई नुकसान की गणना में अन्तर होने पर स्थिति क्या होगी? निश्चित रूप से ऐसे किन्हीं भी मार्गनिर्देशों का प्रावधान नहीं किया गया है जिसके अन्तर्गत यह बताया गया हो कि नुकसान की गणना कैसे की जाए। नुकसान की गणना के आधार पर कोष में पर्याप्त मुआवजा राशि भी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि आम जनता को कोई नुकसान होने पर उन्हें तुरन्त राहत राशि प्रदान की जा सके। मैंने यह देखा है कि कानून में भी किन्हीं ऐसे मार्गनिर्देशों अथवा ऐसे तन्त्र का उल्लेख नहीं किया गया है जो इस नुकसान की गणना के प्रश्न पर विचार करेगा।

मेरे विचार से विभाग तथा सम्बन्धित उद्योग में परस्पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने पर कोई तंत्र अथवा कोई पैनल अथवा कुछ विशेषज्ञ होने चाहिए जिनके पास इस मामले को भेजा जा सके।

तथापि, मुझे इस विधेयक में एक महत्वपूर्ण दोष यह दिखाई पड़ रहा है कि इसमें प्रदूषण से होने वाले नुकसान की गणना के सम्बन्ध में कोई मार्गनिर्देश नहीं दिया गया है। इसी दोष के कारण न केवल औद्योगिक इकाइयों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी इससे कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी यदि मुआवजा-राशि भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है।

मैं अपनी अन्तिम बात एक और कहना चाहता हूं : राहत-राशि बहुत कम दी जाती है उसके प्रति भी मैं अपना असंतोष व्यक्त करता हूं।

यहां तक कि चिकित्सा सम्बन्धी व्यय को भी 12,500 रु० तक सीमित किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि इस मामले में चिकित्सा सम्बन्धी व्यय को राहत के रूप में दिया जाए। अन्यथा इस विधेयक का राहत प्रदान करने वाला उद्देश्य समाप्त हो जाएगा।

इसी प्रकार से माननीय सदस्य श्री राय द्वारा पहले ही निजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में चर्चा की

गई है। 6000 रु० मुआवजे के रूप में दिए जाएगे। मेरे विचार से बहुत कम राशि प्रदान करके यह मुआवजा राशि प्रदान करने के विचार का ही उपहास होगा।

मैं समझता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य न्यूनतम राहत प्रदान करना है न कि सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति करना जिसके लिए अन्य किसी भी कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत भी दावा किया जा सकता है। परन्तु इसी के साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि औद्योगिक दुर्घटनाओं के मामले में राहत राशि में ही उचित चिकित्सा सम्बन्धी व्यय को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। निम्न राहत राशि प्रदान करने के मामले में माननीय सदस्यों ने पहले ही अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं, मैं भी उनसे सहमत हूं तथा मैं उन्हें दोहराना आवश्यक नहीं समझता।

[हिन्दी]

श्री मोरेश्वर सावे (औरंगाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमती मेनका गांधी ने जो पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस बिल, 1990 नामक विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है, वह काफी प्रशंसनीय है। जो कामगार, कर्मचारी और आसपास के लोग कोई दुर्घटना से आहत होते हैं, घायल होते हैं, उनको तुरन्त कुछ रिलीफ देने के उद्देश्य से बने हुए इस विधेयक को, मैं हार्दिक समर्थन देता हूं। किन्तु सभापति महोदय कौन सी बात "अव्याप्ति" या "अतिव्याप्ति" इन दोषों से मुक्त होनी चाहिए, इसका उल्लेख भी होना चाहिए। इस विधेयक में "अव्याप्ति" का दोष हो सकता है, कुछ लूपहोल्स (यानी "पलायन दृष्टि") धूर्त, मतलबी कारखानेदार ढूंढ सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस विधेयक में जरा से मॉडिफिकेशन की जरूरत है और वह यह है कि सिर्फ "एक्सीडेण्ट" शब्द काफी नहीं है। "एक्सीडेण्ट या इंसीडेण्ट या आकरेंस", ऐसे शब्दों की व्याख्या की यहां नितांत आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसे हाल ही में, महाराष्ट्र में नागोठणा स्थिति आई० पी० सी० एल०, गैस क्रकर कारखाने में भयावह विस्फोट हुआ और 30 व्यक्ति जिन्दा जल गए, मर गए—यह है एक्सीडेण्ट। लेकिन, कुछ मास पूर्व ठाणे-बेलापुर पट्टी में स्टेण्डर्ड अल्कली फैक्ट्री में, जो क्लोरीन गैस का लीकेज हुआ, उससे कोई मरा नहीं, लेकिन उससे बहुत से व्यक्ति घायल हुए, बीमार हुए और उनकी श्वसन क्रिया पर खतरनाक असर हुआ—यह है "इंसीडेण्ट" का उदाहरण।

मेरी प्रार्थना है कि इन तीनों शब्दों का समावेश इस विधेयक को मजबूत बनाएगा। कोई भी कारखानेदार फिर स्वार्थसाधक शब्द ढूंढकर, छल कर के इसे प्रभावहीन नहीं कर सकेगा। यह विधेयक शीघ्रातिशीघ्र बनाना चाहिए। इसके बारे में "अशुभस्य कालहरणम्" की चालबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए यह कामगार हितकारी विधेयक कोई भी कमेटी बनाकर उसको सौंपने की कोई आवश्यकता दिखायी नहीं देती है। इतना कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक अपने आप में ही एक उत्कृष्ट विधेयक है। इसकी लम्बे समय से प्रतीक्षा थी, क्योंकि हाल ही में कई बड़ी औद्योगिक-दुर्घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिनमें अनेक लोग मारे गए और भय का वातावरण बना। इनमें सबसे बड़ी और भीषण दुर्घटना भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी जाती है। इस त्रासदी में हमने देखा कि केवल सैकड़ों अथवा हजारों नहीं, अपितु लाखों लोगों को बहुत ही कम मदद मिल पाई। इस दुर्घटना मे भारी संख्या में लोग अपंग हुए; बहुत मौतें हुईं, और सबसे दुःखद बात यह है कि इस दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों

की ओर से सरकार को अदालत में इस मामले पर निर्णय लिए जाने हेतु कानून बनाने और उसे लागू करने में वर्षों लग गए। आज भी, यह मामला पुनः खुले रूप में उच्चतम न्यायालय में लम्बित पड़ा है।

यह स्पष्ट है कि लोक दायित्व बीमा विधेयक का न केवल हम स्वागत करते हैं, अपितु हमें इस कानून की बहुत आवश्यकता भी थी। मैं माननीय मन्त्री को इसे प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। किन्तु इसके साथ ही, मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान दें।

3.29 म० प०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

सभापति महोदय : श्री कुमारमंगलम, आप अगली बार, इस सम्बन्ध में फिर बोल सकते हैं। अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेते हैं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 4 जनवरी, 1991 को सभा में प्रस्तुत किए गए ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 4 जनवरी, 1991 को सभा में प्रस्तुत किए गए ग्यारहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.31 म० प०

किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उपायों के बारे में संकल्प

सभापति महोदय : अब हम 17 अगस्त, 1990 को श्री दिलीप सिंह भूरिया द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभापति महोदय, मेरे विचार में श्री भूरिया के इस प्रस्ताव पर पहले ही दो घण्टे से अधिक समय तक चर्चा हो चुकी है और कुछ समय और भी दिया जा चुका है। मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि इस चर्चा को आज ही समाप्त कर देना चाहिए, ताकि अगले प्रस्ताव को पेश करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए ताकि कहीं यह पेश होने से ही न रह जाए। मैंने श्री

भूरिया से बात की है और वह सहयोग देने के लिए तैयार हैं और फिर अभी मन्त्री जी को भी इस चर्चा का जवाब देना है। मुझे उम्मीद है, आप इसमें सहयोग देंगे।

सभापति महोदय : ठीक है। यदि हर व्यक्ति सहमत है, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अब मैं श्री सरजू प्रसाद सरोज से अपना भाषण जारी रखने का अनुरोध करता हूं। अच्छा, वह उपस्थित नहीं हैं, तो मैं अब प्रो० रंगा को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, इस प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर मिलने के कारण मैं प्रसन्न हूं। इस प्रस्ताव के अनुसार : "इस सभा की राय यह है कि देश में किसानों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से सरकार को बुआई-मौसम से कम से कम तीन महीने पूर्व विभिन्न फसलों के मूल्यों की घोषणा करनी चाहिए, उचित मूल्य पर कृषि आदान और उपकरण उपलब्ध कराने चाहिए तथा किसानों की समस्त उपज खरीद ली जानी चाहिए।" महोदय, इसे किसान के सामान्य गैर-तकनीकी तरीके से लागू किया गया है। यह सामान्य तौर पर हमारे किसानों की जरूरतों को दर्शाता है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मेरे माननीय मित्र श्री देवी लाल विशेष रूप से इस मन्त्रालय के प्रभारी हैं, उप-प्रधान मन्त्री के रूप में उन पर भारी राजनीतिक और अन्य जिम्मेदारियां होने के बावजूद उन्होंने यह मन्त्रालय चुना है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि उनके उप प्रधान मन्त्री बनाने तथा इतना ऊंचे स्तर प्राप्त कर लेने के बावजूद उन्होंने कृषि मन्त्रालय चुना। उनका यह अति महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और मैं उन्हें इस पर बधाई देता हूं। मैं उन्हें उस दूसरे अवसर के लिए भी बधाई देता हूं जो उन्हें कृषि मन्त्री और उप प्रधान मन्त्री के रूप में पूरे देश के किसानों की सेवा करने के लिए मिला है। बहुत ही कम किसानों को अपनी फसलों के लाभकारी मूल्यों के साथ-साथ न्यूनतम मूल्यों का फायदा मिलता है। कई फसलों के मामले में न केवल लाभकारी मूल्यों को निर्धारित करने अपितु इसे लागू करने के लिए भी पहले ही कई प्रशासनिक कदम उठाए जा चुके हैं। मैं प्रसन्न हूं कि कई बहुत महत्वपूर्ण धान्य और अनाज जैसे चावल, गेहूं, तम्बाकू, गन्ना, जूट, कपास और जहां तक कि आलू और प्याज के बारे में भी यही स्थिति है। किन्तु वास्तव में होता यह है कि किसानों को उपयुक्त समय पर लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाते हैं, जबकि उन्हें पहले से निर्धारित किया जा चुका होता है, क्योंकि वहां वसूली अधिकारी नहीं होते हैं।

पिछले वर्ष ऐसा कपास के मामले में हुआ था। ऐसा कई अन्य फसलों के मामले में भी होता है। सौभाग्यवश चावल और गेहूं के बारे में अब ऐसा नहीं होता है। जूट के सम्बन्ध में इसकी सही स्थिति के बारे में मुझे मालूम नहीं है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बुआई-मौसम से पहले ही, जब किसान अपनी असली फसल की कोई योजना बनाएं, उससे पहले ही इन मूल्यों को सांकेतिक रूप में निर्धारित कर दिया जाना चाहिए। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह निर्धारण अन्तिम हो, क्योंकि बीज की बुआई के समय और उत्पाद के वास्तविक विपणन के बीच एक लम्बा अन्तराल होता है और इस अवधि के दौरान न केवल इन उत्पादों के मूल्यों सम्बन्धी अपितु मजूरी, उर्वरकों के मूल्यों और उनकी आपूर्ति इत्यादि सम्बन्धी भी कई उतार-चढ़ाव आते हैं। इसलिए, पहला निर्धारण केवल सांकेतिक होना चाहिए; यह अन्तिम नहीं होना चाहिए।

फसल के उगाने इसके तैयार होने और इसके मंडी में आने की अवधि के दौरान वास्तव में जो कुछ घटित होता है, उसको देखते हुए बाद में ही अन्तिम निर्धारण किया जाना चाहिए। इन सभी स्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि कृषि मूल्यों के निर्धारण और उनको लागू करने के लिए स्थायी तंत्र होना चाहिए। किन्तु यहां वह स्थायी तंत्र नहीं है।

यह सत्य है कि पिछले वर्ष लाभकारी मूल्यों की व्यवस्था हो गई थी, किन्तु यह उस तंत्र के कारण नहीं था, जो हमारे पास था, अपितु यह प्रभारी मन्त्री श्री देवी लाल जी के प्रयत्नों के कारण हुआ था। फसलों का उचित मूल्य दिया जाना चाहिए और यह अवश्य ही लाभकारी होना चाहिए और कृषि मूल्य आयोग द्वारा प्रस्तावित मूल्यों से अधिक होना चाहिए। तीन वर्ष की विशेष अवधि के लिए एक स्थायी संस्था के रूप में कृषि मूल्य आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसका निर्णय अन्तिम नहीं होना चाहिए; यह सांकेतिक होना चाहिए, यह सलाहकारी होना चाहिए और इसके द्वारा जो भी सुझाव दिए जाएं, वे परम नहीं होने चाहिए अपितु केवल सांकेतिक होने चाहिए और सही मूल्यों का निर्धारण कृषि मन्त्रालय के प्रभारी मन्त्री द्वारा किया जाना चाहिए जो किसानों की आवश्यकताओं के और बाजार की स्थिति की जरूरतों के अनुरूप हों।

अब देखें, क्या यह मन्त्री अन्य कई मन्त्रियों के समान केवल एक सामान्य मन्त्री ही होगा अथवा वित्त मन्त्री की तरह महत्वपूर्ण होगा, जिसका नम्बर केवल प्रधान मन्त्री के बाद आता है?

मेरा सुझाव यह है कि कृषि मंत्री का स्थान प्रधानमंत्री के बाद दूसरा होना चाहिए और उनके राजनैतिक व आर्थिक आधार वित्त मंत्री के समान होने चाहिए। अन्यथा वित्त मंत्री कहते हैं कि अमुक मुश्किलों के कारण यह मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता, कृषकों के लिए मूल्य लागू नहीं किया जा सकता और एक निम्न मूल्य जो शायद कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाव दिया गया हो, वह लागू करना होगा।

अगली बात यह है कि यदि एक बार मूल्य निर्धारित हो जाए तो उसे लागू करना ही पड़ता है। उन्हें कैसे लागू करना है और किस चरण में? इसके लिए एक तंत्र होना चाहिए। इसे क्रय-विक्रय के लिए तैयार रहना चाहिए, यह सही है कि तम्बाकू, कपास और कई अन्य फसलों के लिए खुले बाजार हैं और नियंत्रित बाजार हैं। किन्तु, नियंत्रित बाजारों में भी खरीददारों में कोई मुकाबला नहीं हैं और खरीददार ज्यादा बड़े हैं, किसान बहुत अधिक हैं, बहुत छोटे हैं और बहुत ही गरीब हैं। इसलिए, कुछ विपणन संस्था उन्हें माल गोदाम आदि की सुविधा दे रही हैं। इसलिए, एक स्थायी शासन तंत्र द्वारा कृषकों की सहायता की जानी चाहिए, ताकि जब भी क्षतिपूर्ति मूल्य बाजार के प्रतियोगी मूल्य से नीचे गिर जाए तो वे कृषि वस्तुएं खरीद सकें। जब भी व्यापारियों और खरीददारों का गठजोड़ अत्यन्त सुदृढ़ हो जाता है तो किसान इसकी शिकायत करते हैं। इसलिए स्थायी शासन तंत्र की व्यवस्था करनी ही होगी। यह भी किसी मौसम में किसी फसल के लिए दिया जाता है। किन्तु सभी फसलों में यह नहीं होता। इसलिए एक स्थायी शासन तंत्र होना चाहिए जो बाजार में आए और किसान जो भी उत्पाद देना चाहे वे ले लें। जब उन्हें लगे कि तथाकथित प्रतियोगी मूल्य बहुत ही कम है, अलाभकारी है और अनुत्पादक है, तो उन्हें निर्णय लेना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र पर इसका दायित्व है। वे हमारे किसानों की मुश्किलें जानते हैं। वास्तव में, पिछले दिनों उन्होंने एक अनोखा कदम उठाया। सामान्यतः, किसी ने इसका समर्थन न किया होता, किन्तु उतावले पन में, अपनी कृषकोन्मुख शैली में उन्होंने हरियाणा के मुख्य मंत्री के तौर पर निर्णय लिया। बाद में, सौभाग्य से, वे यहां उप प्रधानमंत्री बन गए। कुछ भी हो, वे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अपनी बात मनवाने में सफल हो गए और उन्होने जो मूल्य निर्धारित किया वह लाभकारी था। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने यह निर्णय लिया कि छोटे किसानों के बकाया कर्ज माफ कर दिए जाएं। ये छोटे किसान कौन हैं? इसका निर्णय करना होगा और कैसे भी इसका निर्णय किया गया। हजारों करोड़ों मूल्य के

बकाया कर्ज माफ कर दिए गए। सामान्यतः इस संबंध में यहां प्रधानमंत्री और राज्यों में मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं। बैंक अधिकारियों, सहकारी सस्थाओं, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों से विचार-विमर्श के बाद ही यह किया जाना चाहिए था। यह एक राजनैतिक निर्णय था। मैं यह नहीं कहता कि यह अधिकतम संभव बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय था, किन्तु निश्चय ही यह किसानों के लिए एक अत्यन्त लाभप्रद निर्णय सिद्ध हुआ। कई किसान अपने बकाया ऋणों से मुक्त होकर नया आर्थिक जीवन शुरू कर सके। किसानों के लिए ऐसे ही एक दृढ़ नेतृत्व की जरूरत है।

जब श्री देवीलाल ने यह निर्णय लिया तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। काफी समय तक मैं शंकाग्रस्त रहा कि कहीं यह अलाभप्रद सिद्ध न हो, किन्तु यह सार्थक सिद्ध हुआ। इसे बैंकों द्वारा विफल किया जा सकता था, उनके द्वारा कुछ हद तक इसे विफल किया जा सकता था, फिर भी, अन्ततः यह लागू हो गया। केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अब भविष्य में भी इसी प्रकार मजबूती से राजनैतिक निर्णय लेना है ताकि इस प्रस्ताव में जो लाभ दिए गए हैं, जो सुरक्षा दी गई है वह हमारे किसानों को प्राप्त हो। यदि कोई इस पर विस्तारपूर्वक विचार करे तो गलती मिलना संभव है। मुझे उसकी चिंता नहीं है। किन्तु आवश्यकता इस बात की है कि फसल बोने के लिए खाद दी जाए, बीज दिए जाए और खरीद के लिए कर्ज दिया जाए इन सब कार्यों के लिए विशेष उपाय करने होंगे। आज तक, न तो सहकारी बैंकों ने न ही अनुसूचित बैंकों ने और न सरकार ने अपनी तकावी कर्ज योजना के द्वारा उन्हें यह सुविधाएं देने के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किया। उन पर कड़ाई करने की आवश्यकता है। मैं उनके लिए आधी शताब्दी से ज्यादा समय से अनुरोध कर रहा हूं। किन्तु आखिरकार एक शुरूआत की गई। सूर्य का उदय हो गया है। यहां एक ऐसा व्यक्ति है जो नीचे से ऊपर उठा, और आकर उसने कहा, कि हमारे किसानों को ये सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। मैं अपने माननीय मित्र श्री दिलीप सिंह भूरिया, जो एक मंत्री नही हैं अपितु संसद सदस्य है, को इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का अवसर मिलने पर बधाई देता हूं। उन्होंने सदन के सामने यह प्रस्ताव रखा है। मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र, मंत्री जी, निश्चय ही इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने में मुझसे सहमत होने को तैयार होंगे और तकनीकी रूप से यह भी देखेंगे कि ये सभी समस्याएं और संबंधित समस्याओं पर एक सहानुभूतिपूर्ण ढंग से और गंभीरता से विचार होगा और इस सदन में इस प्रस्ताव के रूप में रखी गई इन इच्छाओं, आवश्यकताओं और इन सुझावों को प्रभाव में लाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय सभापति जी, किसान जो कि सारे देश का प्रतिनिधित्व करता है, अपने देश के बारे में हम कहते हैं कि यह कृषि प्रधान देश है, कृषि को यहां प्रधानता है, कृषि का महत्व है, अर्थात् किसान का भी महत्व है, किसान के महत्व को सिद्धांततः स्वीकार किया गया है, किन्तु सिद्धांत में और व्यवहार मे कितना अन्तर है, यह हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है।

हिन्दुस्तान की आजादी के पहले हिन्दुस्तान में किसानों की समस्याओं के बारे में, ब्रिटिश सरकार ने तत्कालीन समय में रायल कमीशन नियुक्त किया था, रायल कमीशन आन एग्रीकल्चर। किसानों के हालात के बारे में, ग्रामीण परिवेश में सुधार लाने के लिए यह कमीशन था, जिसके परिणाम कोई बहुत ज्यादा नहीं निकले, लेकिन जो कुछ इसका परिणाम आया वह "इम्पीरियल कौंसिल आफ एग्रीकल्चर" स्थापित हुआ जो आज हमारी इंडियन कौंसिल आफ एग्रीकल्चर है।

सभापति महोदय, किसान की स्थिति में कोई बहुत ज्यादा बदलाव आया हो, ऐसी गौरवपूर्ण घोषणा करने की स्थिति में आज हम नहीं हैं। इस संकल्प में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, वे तो काफी सीमित हैं और वे यह हैं कि किसानों को फसलों का उचित मूल्य मिल सके। किसानों के हितों के लिए पर्याप्त उपाय किए जाएं, किसानों के हितों की रक्षा हो, जो कुछ किसान मेहनत करता है, उसका पूरा फल उसको मिलना चाहिए, यह भावना इस संकल्प के पीछे है, किंतु आज हम देखते हैं कि किसान जो पैदा करता है, पैदा करने के लिए उसको अच्छा परिवेष, अच्छी कंडीशंस मिलती होंगी, ऐसा मैं नहीं मानता। किसान किस तरह से पैदा करता है, कितनी मेहनत करता है, उसका उसको ठीक प्रकार से मूल्य मिल सके, ऐसी स्थिति देश में नहीं है। इसलिए इस संकल्प में कहा गया है कि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य देने के लिए फसल बोने से पहले सरकार समर्थन मूल्य घोषित कर दे, किसानों को इसकी जानकारी मिल जाए। लेकिन सरकार तो सरकार है, सरकार बरखुरदार है, बहुत समझदार है और किसान के होशियार न होने के कारण, बिखरा हुआ होने के कारण हम देखते हैं कि वह अपनी बात कह पाने में असमर्थ है। बाकी क्षेत्रों में संगठन बने हुए हैं, लेकिन किसानों का कोई मजबूत संगठन नहीं है और हिन्दुस्तान की आबादी के 80 प्रतिशत किसानों को उनके हक नहीं मिल पा रहे हैं। किसान जितनी मेहनत करता है, उसका पूरा मुआवजा उसको नहीं मिल पाता, मेहनत का पूरा फल उनको नहीं मिल पाता। इस तरह से उसके साथ अन्याय किया जा रहा है। किसान की मेहनत का जो परिणाम आना चाहिए, वह नही आ पाता, यह हमारे लिए बहुत दुखद स्थिति है, इस दुखद स्थिति में आजादी के बाद क्या कुछ बदलाव आया है। मानवता की पीर वही, तकदीर वही है केवल बंदी जीवन के बंधन बदले हैं, कारागार वही है। किसानों की हालत में बदलाव लाने के लिए उनके सामाजिक, आर्थिक परिवेश में बदलाव आना चाहिए, वह नहीं आया है। किसानों की स्थिति में हिन्दुस्तान की आजादी के 40 साल के बाद भी हमको आज यहां पर यह विचार करना पड़ रहा है, इसी से स्थिति का पता चलता है। किसान को उसकी मेहनत का मुआवजा नहीं मिल रहा है। अन्य श्रम संगठनों के पास शक्ति है, उनके फोरम बने हुए हैं, लेकिन किसान लाचार है। किसान गांवों में जिस स्थिति में रहता है उस स्थिति को समझने का अवसर किसी के पास नहीं है। किन परिस्थितियों में किसान खेती करता है, उसकी खेती को पानी नहीं मिलता और पानी कहीं कुदरती आ जाए, जैसा कि अभी हुआ है, ऊपर वाला मेहरबान हुआ है, लेकिन नीचे वाला मेहरबान नहीं है। सरकार के पास समय नहीं है, देवीलाल जी के आने से कुछ आशा जगी है, परन्तु आज की स्थिति क्या है। बिजली नहीं है, डीजल नहीं है, किसान के कुएं में पानी है, लेकिन उस पानी को निकालकर खेत में पहुंचाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। गांवों में बिजली रात को मिलती है, सारे देश की यही हालत है। जब सब सो जाते हैं, कड़ाके की ठंड होती है, शहरों की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन गांवों में जहां किसान दिन भर परिश्रम करता है, वहां रात को बिजली दी जाती है। खेत में सिंचाई करने के लिए जब वह खेत में जाता है, ऐसे ठण्डे मौसम में जब फसल को पानी पहुंचाने के लिए नालियां बनाता है, ठण्डे पानी में खड़ा रहता है जो ठण्डक है उसका अहसास करिए। कौन डालता है ? जिसने हाथ डाला होगा वह जानता होगा कि ठण्ड का क्या अहसास है। रात में भी एक बार कभी ठण्डे मौसम में जब टैम्प्रेचर 4 डिग्री से नीचे चला गया हो, जीरो डिग्री तक चला गया हो और रात में उठना पड़े और पानी में हाथ डालना पड़े तो पता चलता है कि ठण्ड क्या चीज होती है। ठण्ड का अहसास हम यहां नहीं कर सकते। किसान दिन-रात मेहनत करता है, रात में जाकर खेत में क्यारियां बदलने के लिए पानी में हाथ डालता है तो पता चलता है कि ऐसे में बिजली चली गई। ऐसी हालत में बिजली चली जाती है जब बिजली की जरूरत है। वह खेत में गया हुआ है उसको बिजली मिलनी चाहिए। बिजली मिलने

से पानी खेत में पहुंचने वाला है, किन्तु बिजली नहीं है। डीजल की लम्बी-लम्बी कतारें हो रही हैं। पानी जब सींचेगा नहीं तो खेत में कैसे आएगा। इसलिए मेरा कहना है उसके साथ इस विसंगति और अन्याय करने का जो सिलसिला जारी है उस पर रोक लगनी चाहिए। किसानों को उनकी फसलों का वाजिब मूल्य मिलना चाहिए। लोक मान्य तिलक ने कहा था "स्वतन्त्रता यदि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है।" स्वाधीनता और स्वतन्त्रता यदि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है तो जिस समाज के कारण देश के अन्दर आजादी आयी है, हमने संविधान में कहा है कि "हम भारत के लोग सम्पूर्ण, भारत को प्रभुत्व सम्पन्न, पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए संकल्पबद्ध हैं।" राजनीतिक न्याय के बारे में तो जो कुछ हालात हैं, हम देख रहे हैं, किन्तु आर्थिक परिवर्तन जब तक नहीं होता, सामाजिक परिवेश में तो परिवर्तन नहीं आएगा, ऐसा मैं मानता हूं।

आज गांव की हालत इस प्रकार की हो रही है कि गांव में जिस प्रकार से किसान रह रहे हैं, वह कोई अच्छी स्थिति नहीं है। गांव में शिक्षा, चिकित्सा की तथा कोई और सुविधा उनको नहीं है। उसका गांव शहरों में स्थित मंडियों से इतनी दूर है कि वह सामान्य मौसम में भी अपना माल लेकर जो कुछ उसने खेत में पैदा किया, उसको लेकर मण्डियों तक आसानी से नहीं ला सकता। मेरी अपनी कांस्टीच्यूएंसी में भी ऐसी नदियों को पार करना पड़ता है। नदियों को पार करने के लिए किसान के पास साधन नहीं हैं। बैलगाड़ी चलती नहीं है। आज लोग कहते हैं कि हम राकेट-युग में आ गए हैं, हमने दुनियां में बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन गांव में आज भी बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी के अन्दर कुछ सुधार नहीं हुआ है। बैल है, पीछे गाड़ी है, कुछ अगाड़ी है कुछ पछाड़ी है। अगर चलती नहीं है तो कैसे उसको चलाना चाहिए, पानी की नदी आ गयी है तो कैसे उसे पार करना चाहिए, उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। उसकी हालत बिल्कुल बेबस है। इस बेबस हालत में परिवर्तन करने के लिए सरकार के संकल्प की आवश्यकता है। ऐसे हालात बने हुए हैं कि किसान जब फसल लेकर मण्डी में जाता है तो मण्डी में जब नीलामी होती है तो वहां पर खरीददार आकर माल देखता है, आधा माल बिखेर देता है। वह कहता है कि कचरा है। वह बिकता नहीं है, उस माल को खरीदने वाली सरकार भी नहीं है। सरकार समर्थन मूल्य जारी करती है, घोषणा भी करती है, किन्तु समर्थन मूल्य घोषित करने के बाद भी उसके माल की बिक्री नहीं होती। जो पैसा उसको मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए वह तो नहीं मिलेगा। होता यह है कि ओने-पौने भाव में, कम कीमत में, गुजारा करने के लिए, सुबह से शाम हो गयी है, किसान को माल बेचना है, वह रात कहां और कैसे गुजारेगा, जब शाम पड़ जाती है तो जो कुछ और जितना उसको मिलता है वह उतने में बेचकर घर जाता है। लेकिन वह घर पहुंच नहीं पाता, साहूकार का कर्जा उसे चुकाना होता है। बच्चा बीमार हुआ होगा, कोई परेशानी हुई होगी, कर्जा लिया होगा, तो पैसा रास्ते में ही पूरे का पूरा खत्म हो जाता है। किसान की हालत इस प्रकार से सुधर नहीं रही है। ये सारी परिस्थितियां हैं। माननीय सभापति महोदय, किसानों की स्थिति कितनी दयनीय है, कितनी उसकी परेशानियां हैं, सरकार यदि सारी की सारी ताकत लगाकर सोचे तो निश्चित रूप से उसमें सार्थकता आ सकती है, उसमें से कुछ न कुछ अवश्य निकल सकता है। ठण्ड के मौसम में वह कैसे अपना खेत सींचता है, यह बात मैंने कही, किन्तु हल कैसे जोतता है इसके बारे में आपको अन्दाजा नहीं है। खेतों में हल जोतता है, सूरज जब तपता है तो पसीना खेतों में मोती बन कर झर-झर करके टपकता है और उस मौती के गिरने के कारण जो अन्न पैदा होता है उससे सारी दुनियां चलती है। जब सारी दुनियां चलती है तो उसके प्रति हमारी भी जवाबदेही है, हमारा भी उत्तरदायित्व है। उसकी रक्षा करने का, उसको सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। हिन्दुस्तान की आबादी का 80 प्रतिशत किसान आज अपने हकों से वंचित है, उसको उसका हक नहीं

मिल रहा है, इसलिए इन सारी की सारी बातों को संकल्प के रूप में लाने का प्रयास किया गया है। दाम जो मिलते हैं, उसके बारे में हमने बता दिया है। दामों पर विचार करने के लिए पिछली बार माननीय उप-प्रधान मंत्री चौधरी देवी लाल जी ने बताया था कि हम उसके बारे में विचार कर रहे हैं, उसमें उसका आना-जाना, माल ले जाना सारा हो रहा है।

4.00 म० प०

उसकी कोई गारन्टी नहीं है। सरकारी तौर पर खरीद नहीं होती है। समर्थन मूल्य आपने घोषित किया है कि इतना समर्थन देने वाले हैं, जिससे उससे ज्यादा बाजार में उसको मिल सके। उसको आधार मिल सके जिसको आपने बोला है और जिसको आप ही खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। उस आधार का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि कोई खरीददार मंडी के अन्दर उसका माल नहीं खरीद सके उस दाम पर जो समर्थन मूल्य बोला हुआ है, तुरन्त उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था नहीं बनायेंगे तब तक किसानों का हित नहीं हो सकता। उसके हित की रक्षा तथा अन्याय से मुक्त कराने के लिए और जो मुसीबतें है उस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं किसानों की ओर से कहना चाहता हूं कि :

उठो कि अब नयी आंधियां चलाओ
अरमानों के मचलते तूफान उठाओ,
क्रांति की चिंगारी अब शोले बनेंगे
जो रोकेंगे रास्ता वे नहीं बचेंगे।

श्री एम० एस० पाल (नैनीताल) : माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले में श्री दिलीप सिंह भूरिया जी का शुक्रिया अदा करता हूं और उन्होंने जो विधेयक प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं। किसानों की हामी भरने वाले उप-प्रधान मंत्री श्री देवी लाल जी का यह विभाग है। हम सबसे पूरे देश के किसानों की उम्मीदें हैं। हम यह आशा करते हैं कि वे इस विधेयक से हटकर उचित मूल्य दिलाने के लिए एक विधेयक लायेंगे। बहुत से बोर्ड बने हुए हैं लेकिन किसानों का आज तक इस देश में कोई बोर्ड नहीं बना। मूल्य निर्धारित करने के लिए और उचित मूल्य दिलाने के दिए एक एग्रीकल्चर बोर्ड बनना चाहिए, एक कमीशन बनना चाहिए जिससे किसानों के हितों की रक्षा हो सके और समय पर उसको घोषित कर सकें। उसमें समस्त लोगों का प्रतिनिधित्व हो। उपभोक्ताओ का और जो प्रोड्यूस करता है तो उनका भी उसमें उचित प्रतिनिधित्व हो। किसानों को आज देश के अन्दर उचित बीज नहीं मिल पाता। किसानों को पी० सी० सी० की मीटिंग हुआ करती हैं उसमें किसान होते हैं तो पता चलता है कि समय पर अच्छा और ठीक बीज नहीं मिल पाता। पूरे देश के अन्दर पानी की कमी भी किसानों को रहती है। इस पर भी ध्यान रखना होगा और खाद भी उन्हें दिलायी जानी चाहिए। बहुत से कारखाने देश के अन्दर बंद हो रहे हैं। अगर खाद मिलती है तो उचित मूल्यों पर नहीं मिल पाती और समय पर नहीं मिल पाती। उसकी वजह से भी किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खाद की कीमतें और उनके साधनों की कीमतें बढ़ रही हैं, उसका भी मूल्य निर्धारित करने में ध्यान रखना चाहिए। पहले भी आपने सदन में कहा था कि महिलाएं घर से लेकर बच्चों की देखभाल और खेत में खाना लाने तक का काम करती हैं और बहुत मेहनत लगती है। मैं चाहूंगा कि जब किसानों के उत्पाद मूल्य निर्धारित किया जाये तो इन पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाये, इस श्रम को भी जोड़कर मूल्य निर्धारित किए जायें। विशेष रूप से मैं यहां सरकार का ध्यान पहाड़ी इलाकों में पैदा होने वाले फलों

की ओर दिलाना चाहता हूं। सभी पहाड़ी इलाकों में फोरैस्ट फार्मिंग होती है, जैसे सेव, खुमानी या दूसरे फल-फ्रूट्स पैदा होते हैं, इनकी खेती ही ज्यादा होती है। वहां मैदानी क्षेत्रों की तुलना में दूसरी तरह की समस्याएं उठती हैं। मैं चाहूंगा कि इस तथ्य को भी मूल्य निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहले सेव का समर्थन मूल्य 275 रुपये क्विंटल था, दो रुपये और 75 पैसे प्रति किलो था, अब उसे घटाकर एक रुपया 33 पैसे कर दिया गया है। समर्थन मूल्य कम कर देने से सेव उत्पादकों पर काफी प्रभाव पड़ा है, हिमाचल प्रदेश में इसको लेकर काफी परेशानी हो रही है। विभिन्न मदों के मूल्य निर्धारित करते समय राज्य सरकारों ने भी इन चीजों का ध्यान नहीं रखा। उत्तर प्रदेश में भी इस कारण पहाड़ी इलाकों में लोग चिन्तित हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार किसानों की तकलीफों को ध्यान में रखते हुए पग उठाये। एक समस्या हमारे यहां मार्केटिंग की है जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। किसान के उत्पाद की उचित मार्केटिंग न होने के कारण, बिचौलिए उसका लाभ उठा रहे हैं। हैं। मुझे आशा है कि सरकार इससे अवगत है और बिचौलियों को दूर करने के उद्देश्य से शीघ्र ही एक नया विधेयक सदन में लायेगी। एक समस्या हमारे यहां स्टोरेज की व्यवस्था न होने के कारण भी पैदा हो रही है। कोल्ड स्टोरेज मैदानी क्षेत्रों में तो बन जाते हैं परन्तु हमारे उत्तराखण्ड और कुमाऊं जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सेव या दूसरे फलों को रखने की कोई सुविधा नहीं है। यदि किसानों के द्वारा उत्पादित फलों को कुछ समय तक स्टोर करके रख लिया जाए तो भी उसे उचित मूल्य दिलाने में सहायता की जा सकती है। किसी भी पैदावार या फल का किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। मैं आपके माध्यम से उप-प्रधानमंत्री, चौधरी देवी लाल जी का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाते हुए आशा करता हूं कि हमारे उत्तराखण्ड और कुमाऊं क्षेत्र में शीघ्र ही स्टोरेज की व्यवस्था करा दी जाएगी, जिससे कि किसान अपने फ्रूट्स आदि को वहां स्टोर करके रख सके और समय आने पर उसे बेचकर उचित मूल्य प्राप्त कर सके।

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : जनाब चेयरमैन साहब, भूरिया जी सदन में जो रिजोल्यूशन लेकर आए हैं, वह वास्तव में किसानों की हालत को बेहतर बनाने के लिए और उनके इण्टरैस्ट को वाच करने के लिए है और मैं उसकी ताईद में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब भी कोई ऐसा मामला या विषय सदन में आता है तो हमेशा किसान को इस देश की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है लेकिन अगर असलियत देखी जाए तो सबसे कमजोर वर्ग यदि हिन्दुस्तान भर में कोई है इक्तसादी तौर पर, तो वह किसान ही है। इसलिए मैं समझता हूं कि इस वक्त जबकि चौधरी देवी लाल जी कृषि मंत्री होने के साथ-साथ उप-प्रधानमंत्री भी हैं, वे काफी बुजुर्ग हैं, तजुर्बेकार हैं और उनकी पौलिसी हमेशा से इस देश के गरीब किसान को ऊपर उठाने की रही है, वे किसानों के बड़े हमदर्द हैं और दिल से, ईमानदारी से किसानों की मदद करना चाहते हैं, मुझे आशा है कि उनकी रहनुमाई में सरकार कुछ ऐसे कदमात उठायेगी जिससे कि इस देश के किसानों की हालत और बेहतर बन सके और उनकी इक्तसादी हालत आगे बढ़े। जनाबे-वाला, अगर किसान की इक्तसादी हालत बेहतर होगी तो उससे हमारे यहां रोजना जो झगड़े दिखाई देते हैं, कहीं रिजर्वेशन को लेकर, कहीं दूसरे तरीके के, उसमें भी फर्क पड़ेगा। यदि किसान के पास पैसा होगा तो वह अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला सकेगा, अच्छे कालेजों में भेज सकेगा, अच्छे कन्वैन्ट स्कूलों में पढ़ा सकेगा और शहरों में रहने वाले, कन्वैन्ट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के बराबर उसके बच्चे भी आ सकेंगे। मैं समझता हूं कि इस देश के किसानों की हालत बेहतर बनाने के लिए, सबसे पहले यह आवश्यक है कि उसे अपनी फसल उगाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, जो उसकी बेसिक नैसैस्मिटीज हैं, वे सस्ते दामों पर या मुफ्त उसे मिलनी चाहिए। किसानों को खाद की जरूरत है। पहले सबसिडी बहुत ज्यादा मिलती थी, बाद में कम कर

दी गयी। मैं यह चाहूंगा कि सरकार खाद में सबसिडी ज्यादा दे, ताकि वे फसल ज्यादा उगा सकें। उससे देश का, देश के लोगों का और किसानों का भी फायदा है। हमारे यहां बीज की जरूरत है। एक तो बीज सस्ते दाम पर मिलने चाहिए और जो छोटा किसान है, उसको यह मुफ्त मिलना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम पर मिलना चाहिए। कीड़े मारने की दवायी आजकल मिलती ही नहीं है। जब जरूरत हो, तो नहीं मिलती है, तो फिर इसका क्या फायदा है? उसके लिए भी मैं चाहूंगा कि यह सस्ते दामों पर मिले या फिर सरकार को चाहिए कि वह खुद इन दवाइयों को फ्री दे ताकि फसल कीड़ों से बचाई जा सके और ज्यादा उगाई जा सके।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी और अहम बात सिंचाई की सुविधा देने की है। इर्रीगेशन सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की है। मैंने पिछली दफा भी अपने रिजोल्यूशन पर बोलते हुए कहा था कि इर्रीगेशन को अगर सरकार यूनियन लिस्ट में ले, सेण्ट्रल सब्जैक्ट बनाए, तो सारी स्टेट्स में जहां-जहां सिंचायी की सुविधा की कमी है, जहां पानी का झगड़ा है, जैसे हरियाणा का, पंजाब का और कर्नाटक आदि का, वह सब समाप्त हो जाएगा। जम्मू-कश्मीर और खासकर मेरी कांस्टीट्यूएंसी जम्मू में पुंछ और राजौरी में जो टेल एंड हैं, बार्डर पर जो लैंड हैं, वहां पर पानी पहुंचता ही नहीं है और उसकी वजह से नतीजा यह हो रहा है कि कुछ किसान जिनको पानी मिल जाता है, यानी वर्षा हो जाती है, वे तो फसल उगा लेते हैं और कुछ, जब पानी नहीं बरसता है तो नहीं उगा पाते हैं। इसलिए इसकी ओर खास तवज्जुह देनी चाहिए। मेरा निवेदन कि जो छोटी-छोटी नदियां और नाले हैं, उनमें पम्प सैट्स लगाकर लिफ्ट इर्रीगेशन करनी चाहिए ताकि उनको पानी मिल सके और फसल ज्यादा उग सके।

जनाबेवाला, सारे देश में जो लैंड रिफार्म की पॉलिसी है उसको पूरी तरह से इम्पलीमेण्ट करना चाहिए। जम्मू-कश्मीर में सबसे पहले 1947 के बाद लैंड रिफार्म हुए और मुआवजे के किसानों को जमीनें दी गयीं, लेकिन अब भी देश के सारे हिस्सों में यह नियम सख्ती से लागू नहीं हो पाया है। इस सम्बन्ध में बड़े-बड़े कानून तो बनाये गए, लेकिन इम्पलीमेंट नहीं हो रहे हैं। किसी के पास 200 एकड़ और किसी के पास 400 एकड़ भूमि है और किसी-किसी के पास केवल एक और दो एकड़ जमीन है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो बिना जमीन के किसान हैं और जो खेतिहर मजदूर हैं उनको भी जमीन मिलनी चाहिए ताकि वे भी अपना गुजारा कर सकें।

जनाबेवाला, जम्मू-कश्मीर में जैसा कि आप जानते हैं टूरिस्ट प्लेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन पिछली सरकार ने, श्री बी० पी० सिंह की सरकार ने जो नीति बनायी, उसकी वजह से, वहां टूरिस्ट, तो क्या वहां के जो रहने वाले हैं, वे भी वहां नहीं रह पा रहे हैं। वहां इस किस्म के हालात पैदा हो गये हैं कि वहां के रहने वाले भी वहां से छोड़कर आ रहे हैं। लोग वहां पर बेकार हो गये हैं, उजड़ गये हैं। आमदनी के जरीये बिलकुल नहीं रहे हैं। इसलिए मैं चौधरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि जो हमारे कण्डी और पहाड़ी इलाकाजात हैं वहां पर लोगों को इमदाद देनी चाहिए ताकि वे फलदार वृक्ष लगा सकें और जो छोटे-छोटे लोकल प्रोड्यूस हैं, जो वहां हो सकते हैं, उनको उगाने के लिए उनको इमदाद देनी चाहिए, इन्सेंटिव देना चाहिए, ताकि वे उन्हें वहां उगाकर अपना गुजारा कर सकें।

जनाबेवाला, इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो यहां आई है वह इंश्योरेंस की है। इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि यह स्कीम जहां-जहां लागू की है। वहां ब्लॉक को बेस बनाया गया

है। लेकिन ब्लॉक के बेस बनाने से इनडिबीजुअल को फायदा नहीं होता है। मैं चाहूंगा कि हर किसान के क्राप्स का इंश्योरेंस होना चाहिए ताकि जब भी कोई नुकसान ज्यादा बारिश होने से, फ्लड होने से हो तो उसको व्यक्तिगत तौर पर फायदा मिले। गांव में खास तौर से डीजल वगैर की सहूलियत होनी चाहिए और मैं जम्मू-कश्मीर के बारे में कहूंगा कि वहां किसानों को यह इजाजत होनी चाहिए कि वहां पर जो बासमती का फाइन राइस है वह दूसरी जगह पर ले जाकर बेच सकें ताकि उसकी हालत बेहतर हो सके। इतना कह कर मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले अपने योग्य साथी श्री दिलीप सिंह भूरिया को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश के किसानों की बात को उन्होंने इस सदन में रखा है। आज हम इस सदन में उतने ही लोग बैठे हैं जो बोलने वाले हैं बाकी नहीं हैं, इसका मुझे जरूर कष्ट है और यह कष्टकारक है। अभी मुझे चौधरी साहब की बात याद आती है कि वे रैफरैंस देते हैं कि इस सदन में 75 किसानों के प्रतिनिधि हैं। जरा गौर से देखिए इस सदन में जब किसानों की बात हो रही है, किसान की सबसे महत्वपूर्ण बात, उसकी मौत और जिन्दगी का सवाल आज इस प्रस्ताव में है, तो सदन में तथाकथित वे असली किसान नहीं हैं। आप जो गिनती कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं। गाँव में पैदा होने से कोई किसान नहीं हो जाता। गांव में हर तरह के लोग होते हैं। अगर वे 375 लोग जो सदन में आए हैं वास्तव में किसान होते तो आज सदन छोड़कर बाहर नहीं जाते। सभापति महोदय, मैं सर 1952 से राजनीति में हूं। 40 साल के अरसे के दौरान और कांग्रेस के शासन में मैंने किसानों के बारे में ऐसे हालात देखे हैं। चालीस साल के अरसे में क्या उपलब्धियां जनता दल ने की मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मंडल आयोग, राम जनन्मभूमि का मसला क्या कहता है लेकिन जनता दल की सरकार में और विशेष तौर से चौधरी देवी लाल ने पहली बार देश में 11 महीने में इस देश के किसानों को अच्छे भाव दिलाए हैं। इस प्रस्ताव में तीन बातें हैं। पहली बार किसान को लाभकारी मूल्य मिले हैं। मैं किसान हूं, मैं कपास पैदा करता हूं, मेरे यहां पर धान पैदा होता है, चावल, ईख पैदा होती है, इतने मूल्य आज तक किसान को कभी भी नहीं मिले। किसान को जनता दल का और चौधरी देवी लाल का अहसानमन्द होना चाहिए। मैं सिर्फ किसान को ही नहीं कह रहा हूं, जब किसान की परचेजिंग पावर ज्यादा हुई तो उसको अपनी फसल का ज्यादा पैसा मिला, धान का भाव खूब मिला और जब किसान को अच्छा दाम मिलेगा, शहर में उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, व्यापारियों का ज्यादा टर्नओवर होगा, ज्यादा टर्नओवर पर खरीददारी होगी और उतना ही नफा होगा। मार किसको पड़ी है, मार पड़ी है कर्मचारियों पर, जिसकी आय सीमित है, मार पड़ी है मजदूर पर। बाकी इस देश के अन्दर किसान जिसके पास जमीन थी और उसमें पैदावार अच्छी हुई तो उसके उसको अच्छे मूल्य मिले और व्यापारी ने भी उससे अच्छा मुनाफा कमाया। यही बिडम्बना रही है इस देस में। इस देश के किसान को हम अन्नदाता कहते हैं। इस देश में दो तरह के वर्ग हैं—एक वर्ग जो कि कमेरा है जो काम करके खाता है, आज उसकी जिन्दगी नरक की जिन्दगी है। गांव में न सड़क है, न बिजली है, खम्भा तो पहुंच गया है मगर उस पर बिजली का लट्टू नहीं लगा। इन सेठों के शमशानों में मर्करी लाइटें लगी हुई हैं मगर गांव में बिजली तो पहुंच गई है लेकिन लाइट नसीब नहीं हुई।

सभापति महोदय, मैं राजस्थान के उस इलाके से आता हूं जहां बाड़ ही बाड़ है, जहां कटीली बाड़ है, जहां रेतीले रास्ते हैं, न सड़क है न पक्के रास्ते हैं, जब मैं उनकी तुलना यहां से करता हूं तो बहुत अफसोस होता है। मैं दिल्ली में जब इन रबड़ जैसी सड़कों पर चलता हूं, यहां की मर्करी लाइटें

देखता हूं और दूसरी तरफ किसान की हालत देखता हूं तो ऐसा मालूम होता है कि किसान को बेवकूफ बनाया जा रहा है। किसान को अन्नदाता कहकर एक ढोंग रचा जा रहा है।

किसान को सबसे बड़ी भूख जमीन की होती है। जितनी ज्यादा उसके पास जमीन होगी उतनी उसकी हैसियत बढ़ेगी। गरीब से गरीब आदमी के बड़े अरमान होते हैं और वह भी चाहता है कि उसके पास जमीन हो, खेत हो, उसकी पत्नी खेत में जाये और उसके जानवर खेत में जायें, उसमें वह कुछ पैदा करें। गांव के अन्दर आज जमीन कमाऊ आदमी के पास नहीं है। यह देखकर बड़ी हैरानगी होती है कि राजस्थान के अन्दर 12-12 हजार एकड़ जमीन राजाओं के पास है। बिड़ला जो कि खेती नहीं करता है, उसने कारखाने के नाम से हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है, उसकी जमीन न तो सीलिंग में आती है और न ही वहां कारखाना बनता है। कांग्रेस ने पिछले 40 सालों में सबसे बड़ा गुनाह यह किया कि जमीन लेकर उस पर पांच सितारा होटल बना दिए। आखिर वह चाहती क्या थी, समझ में नहीं आया। वह किसानों को पानी नहीं देना चाहती थी, उनको जमीन नहीं देना चाहती थी, उसको कारखाना नहीं देना चाहती थी और न ही उसको मजदूरी देना चाहती थी, इसकी वजह से किसानों का ठीक तरह से विकास नहीं हो पाया। किसान को जब खेती करने के लिए जमीन मिल जाती है तो वह पानी की तलाश करता है और पानी मिलने के बाद वह अपने मन की फसल पैदा करता है।

मैंने पिछले 40 साल की जिन्दगी में यह देखा है कि चाहे ज्यादा फसल पैदा करो, चाहे कम करो किसान के उतना ही पैसा मिलता है। पिछले साल कपास की बम्पर क्राप हुई और 130 लाख गांठें पैदा हुई लेकिन इस साल दस लाख गांठें कम हुई क्योंकि कीड़ों ने उन पर हमला कर दिया लेकिन किसान को उतना ही पैसा मिला जितना कि पहले मिला था। दुनिया में सब जगह बोनस मिलता है। अधिक पैदावार कारखानों में करो तो कारखाने के मालिक मजदूरों को बोनस देते हैं या ज्यादा पैदावार करो तो इनाम दिया जाता है और यहां तक कि पदक तक दिया जाता है मगर किसान ज्यादा पैदा कर दें तो उनको जुर्माना देना पड़ता है। उसकी पैदा की गई चीज सस्ते में खरीदी जाती है। मैं चौधरी साहब से 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि केवल बातें करने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है, यह सरकार कब तक रहेगी कुछ पता नहीं है इस सरकार का। यह कब तक आपके ऊपर मेहरबान है, कब तक नहीं हैं, पता नहीं इसलिए मेहरबानी करके एक बात तो यह होनी चाहिए कि कमेरा वर्ग तो भूखा रहे, नर्क की जिन्दगी जिये और इस देश का लुटेरा वर्ग स्वर्ग की जिन्दगी जिए, इसको आप मिटा दो। इसको मिटाने के लिए जितना भी, जो भी किसान पैदा करता है, उसमें आप तमाम फसलों के दाम तय कर दीजिए और उसको सरकार खरीदे। गोदाम यहां शहरों में नहीं बनाकर गांवों में बनायें। जो भी किसान सरकार को सरप्लस देना चाहे, सरकार उसे गांवों के गोदाम में ढेर कर दे, चाहे वह गेहूं पैदा करे, चाहे वह चना पैदा करे, आप भाव तय कर दीजिए, सरकार उसकी तमाम पैदावार खरीदे, यह लुटेरे अपने आप खत्म हो जायेंगे। वरना क्या होता है, पिछले साल हमने सरसों पैदा की, किसान की सरसों 500 रुपये, 600 रुपये क्विंटल बिकी लेकिन अब भाव क्या है अब 1200 रुपया क्विंटल सरसों का भाव है। जिस आदमी ने पैदा की नहीं, जिस आदमी ने कभी सरसों देखी नहीं, बैठे-बैठे कह दिया, हैलो, इतनी गाड़ियां सरसों खरीद लो, सरसों खरीद ली, आर्डर दे दिया, सेठ ने कोठों में कैद कर ली, अब उसके पड़ी-पड़ी के भाव बढ़ रहे हैं। किसान ने बच्चे की तरह 6 महीने उसको पाला, उसके लिए सर्दी बर्दाश्त की, गर्मी बर्दाश्त की, उसको 600 रुपये क्विंटल मिले और वह सेठ जो लुटेरा है, इस देश का, उसको भी अपने कोठे में बन्द करके रखने पर 600 रुपये क्विंटल मिलता है तो इस लूट को

रोकना पड़ेगा, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप किसान की बात कहते जाओ और इन लुटेरों को पकड़ो नहीं तो उसका मतलब क्या हुआ ?

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : चौधरी देवी लाल जी का आपके ऊपर असर हो गया इसलिए आप बधाई के पात्र हैं।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : मेरे ऊपर तो बहुत पहले से असर था, आप पर हो गया, शुक्र करो। मगर आप कब तक साथ रहोगे, मेरे ऊपर तो बहुत अर्से से असर है मगर भरोसा तुम्हारा नहीं है कि कब तक तुम साथ चलोगे।

एक तो मैंने यह सुझाव दिया कि तमाम चीजों का तय कर दो कि सरकार खरीदेगी। आप परवाह मत कीजिए, चाहे कितना ही घाटा रहे, कितना ही कुछ हो, यह भाव नहीं बढ़ेंगे। आज 50 रुपये तेल का भाव होने का क्या कारण है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये सेठ तमाम गालियां देते हैं, साथ में आपको और हमको मरोड़ते हैं और साथ में स्वर्ग की सी जिन्दगी जीते हैं और हमारा किसान नर्क की जिन्दगी जीता है। एक तो आप भाव तय करके तमाम चीजें खुद खरीदो, हर साल खरीदोगे, इन दलालों को बीच में नहीं आने दोगे, सरकार बिचौलियों को बीच में नहीं आने देगी, अगर बिचौलिए बीच में नहीं आयेंगे तो देश का किसान जो खरीदकर खाता है, जो कन्ज्यूमर है, वह भी खुशहाल हो जाएगा और जो पैदा करता है, वह भी खुशहाल हो जाएगा इसलिए इन लुटेरों को बीच में से हटा दो।

मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान में ग्वार और मोठ होती है, अब तक उसकी सपोर्ट प्राइस तय नहीं की है। बाकी सब चीजों की सपोर्ट प्राइस आपने तय कर दी मगर ग्वार और मोठ की सपोर्ट प्राइस आपने तय नहीं की, मेहरबानी करके इसको भी तय कीजिए।

मैं खाद और पेस्टीसाइड्स के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। अभी आप हमारे यहां चले जाइये, मैं छोटे शहरों की बात कर रहा हूं, दिल्ली तो मैंने सारी घूमकर देखी नहीं, मगर हमारे छोटे शहरों में दो तरह की दुकानें मिलेंगी। एक तो डाक्टर की दुकान हर कोने पर मिल जायेगी और दूसरी पेस्टीसाइड्स की। दो चीजों की दुकानें इतनी हैं कि शहर के हर कोने पर आपको मिलेंगी, एक तो डाक्टर की दुकान और एक पेस्टीसाइड्स की। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि खाद और पेस्टीसाइड्स की दुकानें सरकार चलाए। एक तो मिलावट से जो फसलें तबाह होती हैं, खराब होती हैं, मिलावट होती है, यह बीमारी रुक जाएगी और दूसरे हमारे बच्चों को इससे एम्पलायमैंट मिलेगा। आप इसमें किसी बात की परवाह मत कीजिए, आप तो एक फैसला कर लीजिए कि खाद और पेस्टीसाइड्स की दुकान हिन्दुस्तान के किसी भी शहर में हो, वह सरकारी होगी, इन लुटेरों के पास नहीं होगी। आप यह तय कर दीजिए तो आपको पता लगेगा कि किसान क्या कहेगा, क्योंकि न तो उसमें मिलावट होगी, वरन क्या करते हैं कि चूना डालकर तो खाद बना देते हैं, जिप्सम डालकर कुछ बना देते हैं यह सारे के सारे लुटेरे इसलिए मेहरबानी करके एक काम कर जाओ चौधरी छोटू राम की तरह कि कोई भी ब्याज या सूदखोरी में किसी की जमीन नहीं जाएगी, यह एक ही कानून बना था तो आप तय कर दीजिए। जनता दल ने क्या कुछ किया, क्या नहीं करेगा, मैं उस सारे मामले में नहीं जाना चाहता, मैं तो आपको एक बात कहना चाहता हूं कि खाद और पेस्टीसाइड्स किसानों को सरकारी दुकानों पर मिलना चाहिए। इसके साथ ही साथ यह तय कर दीजिए कि देश के अन्दर कोई कानून

बनाइये, जो किसान से चीज खरीदे उसका 10 फीसदी मुनाफा होगा। आप मुनाफा तय कर दीजिए। आज मुनाफा नहीं है, बाजार भाव है, बाजार भाव में अगर सेठ ने पांच रुपए में खरीदा तो बेचेगा 10 रुपए में, उसको कोई नहीं रोकता। इसलिए मुनाफा तय कीजिए। अगर ये 10 फीसदी भी तय कर दें तो यह बिजनेसमैन जितनी बार टर्नओवर करेगा उतना ही मुनाफा दुगुना हो जाएगा। इसलिए इस बात की इजाजत मत दीजिए।

आखिर में मैं कहता हूं कि उन तमाम किसानों के जो उपकरण हैं, ट्रैक्टर और दूसरे जितने भी उपकरण हैं, उनके लिए आप तय कर दीजिए कि जो भी उपकरण बनेंगे उन पर कोई टैस किसान के लिए नहीं लगेगा। आज एक तरफ देश इक्कीसवीं सदी में जा रहा है और दूसरी तरफ आप गांव की इंटीरियर में चले जायें, वही गारा, बैल और वही हल हैं। अभी देवीलाल जी चीन होकर आए हैं। (व्यवधान) मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि आपने घोषणा की थी कि हम छोटे ट्रैक्टर बनायेंगे, वास्तव में आपको सोचना पड़ेगा कि गांव के अन्दर छोटे-छोटे किसान हैं वह बैल, ऊंट और गारा नहीं रख सकते। इसलिए गांव-गांव में वर्कशॉप होने चाहिएं, जिस तरह से चीन के अन्दर हैं। मैंने भी चीन के अन्दर देखा, जब मुझे 1986 में जाने का मौका मिला था और मैं वहां के गांव में गया, वहां पर बैल, ऊंट नहीं हैं, कुछ घोड़े चलते हैं या गाड़ियों में जुतते हैं। उन्होंने तमाम वर्कशॉप खोल दिए। सस्ते किराए पर 10 रुपये, 20 रुपये प्रति घंटा 23 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से, आप तय कर दीजिए ताकि गांव के अन्दर छोटे किसान को बैल की जरूरत न पड़े और न ही ऊंट की जरूरत पड़े। आज आप यू० पी० में देखिए उनकी होल्डिंग दो-एक एकड़ है, ऐसे में न तो आदमी खुद काश्त कर सकता है इसलिए उसको बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

इसलिए मेरा आपसे एक ही सुझाव है कि गांव में वर्कशॉप खोलिए, सरकार की तरफ से वर्कशॉप हो जहां पर दो-दो, तीन-तीन, चार-चार ट्रैक्टर हों वह सस्ते किराये पर छोटे किसानों को मिलें, बड़े किसानों को नहीं। छोटे किसानों को मिलें जिनके पास पांच या दस एकड़ से ज्यादा जमीन न हो। उन तमाम किसानों को ये फेसिलटीज दीजिए ताकि वे अच्छी खेती कर सकें। मैं इन सुझावों के साथ उम्मीद करूंगा कि एक-दो लोग, जिनके पास आज भी 15-15, 20-20 हजार एकड़ जमीन है उनके पास आप छापा मारिए ताकि किसानों के पास जमीन आ सके। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : आप ऐसे बड़े-बड़े लोगों के नाम बताईये ताकि उनके यहां छापे मारे जा सकें।

श्री शेाभत सिंह मक्कासर : राजस्थान के राजाओं के पास अभी भी 10-12 हजार एकड़ जमीन है, यहां पर आफिसर बैठे हुए हैं, ये लोग वहां जाकर छापे मारें। (व्यवधान) मेरे पास राजा नहीं है और मैं किसान का बेटा हूं तो यह मेरा कसूर नहीं है कि मैं यहां पैदा हुआ हूं। (व्यवधान) अरे, भैरों सिंह जी की सरकार है, सीलिंग लागू करो। मैं आपको इनवाइट करता हूं आपकी पार्टी का मुख्य मंत्री आए और यहां सीलिंग लागू करे।

मेरे ऊपर सीलिंग लागू करिए, मैंने अपने आप सीलिंग में जमीन दी है, मैं ही ऐसा व्यक्ति हूं जिसने सीलिंग में अपनी जमीन सरेंडर की, अपील नहीं की। मैं नकली घोषणाएं करके, रैस्ट हाउसों में बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं। तमाम लोग रैस्ट हाउसों में बैठे हुए थे और गरीब कारसेवकों को मरवा दिया, मैं इस तरह की राजनीति नहीं खेलता। (व्यवधान)

श्री हेत राम (सिरसा) : सभापति महोदय, हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट के अन्दर यह जो रेजोल्यूशन आया है, किसानों की बात को कहने के लिए जो रेजोल्यूशन आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। आज किसानों के मसीहा के रूप में, किसानों की समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी चौधरी देवी लाल जी ने अपने हाथ में ली है। एक साल के अन्दर इन्होंने जो किसानों के लिए काम किए हैं, किसानों को सुविधाएं प्रदान की हैं, उससे किसानों की आशाएं और बढ़ी हैं। किसान सदियों से प्रताड़ित रहा है, किसानों को हमेशा लालीपाप देकर बहलाया गया और उसकी समस्याओं को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। आज किसान बैंक से कर्जा लेकर बीज लेता है, ठण्ड में ठिठुरते हुए वह पानी लगाता है, पानी लगाते-लगाते उसके जवान बच्चे को सांप काट सकता है या कोई जानवर खा सकता है, इन सब मुसीबतों को झेलते हुए किसान अपनी फसल पैदा करता है, लेकिन अगर कुदरत उस पर मेहरबान नहीं है तो ठण्डी हवाएं चलने से उसके पास 20 परसेंट रह जाता है, गढ़े पड़ जाएं तो उसके पास एक परसेंट भी नहीं आ पाता। इस तरह से किसानों के कर्जे माफ करवा कर चौधरी साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। हरियाणा में चौधरी साहब ने घोषणा की और यह कर्जे माफ करके हम किसान को कोई दान नहीं दे रहे हैं। आज किसान की हालत यह थी कि कुदरत के साथ वह लड़ता रहा, उसकी फसलें तबाह होती रहीं तो वह अगर कर्जे देता रहे तो बच्चे कहां से पालेगा, उस कर्जे से निजात दिलाने का काम पहली बार चौधरी देवीलाल जी ने किया, ताकि उसको नवजीवन मिल सके और वह नए सिरे से अपना जीवन शुरू कर सके।

सभापति महोदय, दूसरी बात मैं महंगाई के बारे में बताना चाहता हूं। 1977 में आयशर ट्रेक्टर 28000 का मिलता था और नरमा फसल भी 1000 रुपए प्रति क्विंटल बिकती थी। लेकिन आज वह आयशर ट्रैक्टर 1 लाख 20 हजार का हो गया है और नरमा फसल का दाम वही 1000 रुपए प्रति क्विंटल है। यानी पहले किसान को एक ट्रेक्टर खरीदने के लिए 28 क्विंटल फसल बेचनी होती थी और आज उसको 120 क्विंटल फसल बेचनी होती है। इसके अलावा फसल उगाने के लिए खाद, बीज, दवाइयां, बिजली सब कुछ महंगा हो गया है। आज वह ट्रेक्टर उसको कम से कम 200 क्विंटल फसल के बराबर जाकर पड़ता है। किसान के पास कुछ नहीं बचता। आज छोटे किसान का क्या हाल है। अगर उसके पास 10 एकड़ जमीन है तो वह कर्जे से लिए गए ट्रेक्टर से 2-3 महीने काम लेता है, इसके बाद 6 महीने में 15000 रुपए उसकी आय होती है और ब्याज मिलाकर 6 महीने में 17000 बैंक की किश्त पड़ती है। इस तरह से किसान को एक जकड़न में बांध दिया गया है। हिन्दुस्तान के अन्दर चीन से ज्यादा सरसब्ज जमीन है, लेकिन उत्पादन कम होता है। उसका कारण है कि किसान हिम्मत नहीं कर पाता ज्यादा पैदा करने की। वह सोचता है कि अगर ज्यादा पैदावार करूंगा तो मेरा नुकसान होगा। उसकी वही स्थिति है, वही सांप, बिच्छू, गोहरे हैं, जिनसे उसको लड़ना है। वही ठण्डी रातें हैं, न घर है, न बच्चों की पढ़ाई है, न उनके स्वास्थ्य का कोई इन्तजाम है, बीमारी में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है और इसके अलावा जो बिचौलिया है, वह लगातार किसान को लूटने का काम कर रहा है। बिचौलिया यहां तक बेशर्म हो गया है कि दवाओं में मिलावट करके उनको अनइफेक्टिव कर देता है, जिन दवाओं को किसान गूढ़ी कमाई से खरीदता है। वह सोचता है कि कीड़े-मकौड़ों से बच जाएगा, लेकिन दवाइयां बेकार होती हैं, उनमें मिलावट होती है, उसकी खड़ी फसल खराब हो जाती है। किसान सोचता है मैंने रसायनिक दवाइयां यूज की हैं, लेकिन उनमें मिलावट होती है, फसल तबाह हो जाती है। उसको बचाने वाला भगवान के सिवाए कोई नहीं है। चौधरी देवी लाल जी आज तक किसानों के लिए संघर्ष करते रहे हैं, जवानी से लेकर आज तक छोटे किसान की लड़ाई लड़ते रहे हैं, उन्होंने किसानों को अगाह किया है, उनकी जितनी ताकत थी वह उन्होंने लगायी है।

किसान की हालत सुधरने के बाद न हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा रहेगा, न रिजर्वेशन का झगड़ा रहेगा। अगर उनके बच्चे अच्छी जिन्दगी गांव में बिता सकते हैं तो गांव और शहर का झगड़ा भी नहीं रहेगा। झगड़ा यही है कि जितना बीच में गैप पड़ जाता है वह रिजर्वेशन से दूर नहीं हो सकता। यह गैप किसानों की हालत अच्छी करने से दूर होगा। पंजाब में हालत अच्छी हुई है, क्योंकि मजदूरी अच्छी है, हरियाणा में हालात अच्छे हुए हैं, क्योंकि मजदूरी अच्छी है, राजस्थान जहां पर पैदावार नहीं है, वहां पर किसान भी मर रहा है और किसान के साथ-साथ मजदूर भी मर रहे हैं। इसलिए उनके हालात अच्छे करना बहुत जरूरी है। उसके बाद देश की समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। मैं यह कहूंगा कि हिन्दुस्तान के किसान को जो कुछ चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए उसके भाव जीन्स के भाव के हिसाब से तय किए जाएं। अगर 10 क्विंटल नरमे में आज एक ट्रैक्टर आता है तो 10 साल के बाद भी 10 क्विंटल नरमे में ट्रैक्टर आना चाहिए। ट्रैक्टर का भाव, नरमे का भाव और जीन्स का भाव आपस में नहीं टकराने चाहिएं। ऐसा न हो कि ट्रैक्टर का भाव दस गुणा बढ़ जाए और नरमे का भाव 5 गुणा ही बढ़े। मैं यह कहना चाहता हूं कि भाव इस तरह से बढ़ें जिससे किसान अच्छी जिन्दगी जी सके और इतनी हिम्मत कर सके जितनी चीन के किसान ने हिम्मत की है। साऊदी अरब में गेहूं नाम की चीज नहीं थी, लेकिन थोड़े ही समय में उसने इम्पोर्ट को एक्सपोर्ट में बदल दिया। इसलिए हिन्दुस्तान की जो आज फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन खराब होती जा रही है, उसको पूरा करने के लिए, सुधारने के लिए हिन्दुस्तान का किसान ही कुछ कर सकता है। वह ही ऊपर उठा सकता है और अपनी फसल को बाहर बेचकर हिन्दुस्तान को इस हालात से निकाल सकता है। हम नहीं सोच सकते कि पूंजीपति हिन्दुस्तान को इस हालात से निकाल सकता है। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : सभापति महोदय, मैं श्री दिलीप सिंह भूरिया द्वारा प्राप्त संकल्प का स्वागत करता हूं। चर्चा के दौरान एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि राजाओं को प्रिवीपर्स देकर कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप किया। लेकिन वे यह भूल गए कि एक राजा को ही उन्होंने अपना नेता चुना है। उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए। निस्संदेह चीन ने कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। इसमें केवल श्रम की ही भूमिका नहीं है बल्कि और भी कई बातें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। पिछले सत्र में हमने गोवध विधेयक पर चर्चा की थी। इस पर भाजपा का क्या दृष्टिकोण था। वे चाहते थे कि विधेयक पारित हो जाए। इस सदन में एक वर्ग ऐसा था जिसने इसका विरोध किया था। बैलों का प्रयोग न करने के परिणामस्वरूप वे गोमांस का प्रयोग करते हैं। चीन में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत के पास जो भी उपजाऊ या अनुपजाऊ भूमि थी, उसका हमने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया था और हमने उस भूभाग को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसानों में बांट दिया। इसके विपरीत जब चीन को डा० सानयात सेन के नेतृत्व में स्वतंत्रता मिली तो अधिकांश कब्रिस्तानों को खेती करने योग्य भूमि में शामिल कर लिया गया। यह भूमि बहुत ही उपजाऊ थी। मैं समझता हूं कि श्री चटर्जी हमसे सहमत होंगे। उन भू-भागों को चालीस वर्ष पहले खेती करने योग्य भूमि में शामिल किया गया था। इन बातों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

मैं इस संकल्प पर केवल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे यह लगता है कि किसानों को वह सब नहीं मिल रहा जो उन्हें मिलना चाहिए। मेरे विद्वान मित्र ने किसानों को लाभांश दिए जाने की बात कही है। शायद उन्हें नहीं पता है कि महाराष्ट्र सरकार यह कर रही है। इस वर्ष उन्होंने 300 रुपए का लाभांश दिया है। पिछली बार 200 रुपए दिए गए थे।

मैं सदन का ध्यान एक मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जहां भी रक्षित सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है वहां लोगों ने अच्छी प्रगति की है। जो लोग अपने खेतों की सिंचाई करते हैं वे अधिक उर्वरक और कीटनाशी दवाओं का उपयोग करते हैं। वे राजसहायता का अधिक उपयोग करते हैं। जिनके पास सिंचित भूमि नहीं है, जो बारानी कृषक हैं वे उर्वरकों, रासायनों का कम उपयोग करते हैं। उनकी उपज कम होती है। इस पहलू को भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। कृषि उत्पाद के लिए पूरे देश में मूल्य निर्धारित किया हुआ है। मैंने एक गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत किया है। मैंने कई बार यह प्रश्न उठाया है कि क्या सिंचित और बारानी कृषकों के उत्पादों का मूल्य एक समान निर्धारित किया जाएगा। मैं बारानी कृषकों के उत्पादों के मूल्यों के बारे में जानना चाहता हूं कि सिंचित भूमि के कृषकों से बारानी कृषकों को अधिक मूल्य दिए जाएं क्योंकि वहां उपयोग में आने वाले कुल आदान और वहां के उत्पादन में काफी अन्तर है। इसलिए हमें घाटा हो रहा और उन लोगों को नहीं होता जिनके पास सिंचित भूमि है। इस पहलू पर सरकार को और मैं आशा करता हूं देवी लाल जी अवश्य ध्यान देना चाहिए। उन्हें केवल हरियाणा और पंजाब, जहां 75% सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए।

जहां तक कृषि मूल्यों का सम्बन्ध है, इसकी घोषणा तीन महीने पहले कर देनी चाहिए ताकि किसान यह निर्णय कर सकें कि उन्हें किस फसल की खेती करनी है। मैं यह चाहता हूं कि किसानों के लिए ऐसा उपाय किया जाना चाहिए जिससे कि वे सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों को बढ़ाने के लिए सरकार से सम्पर्क कर सकें।

4.47 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आज किसानों के पास एकमात्र उपाय **रास्ता रोको** ही रह गया है, जिसे श्री शरद जोशी ने चलाने के लिए अपनाया है। अभी महाराष्ट्र को इस आंदोलन का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। किसानों को ऐसे आंदोलनों में भाग नहीं लेना चाहिए। मेरा यह सुझाव है कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि लोग सरकार से सम्पर्क कर उसे यह बता सकें कि जो मूल्य निर्धारित किया गया है वह उनके खर्च और किए गए श्रम के अनुकूल नहीं है। उन्हें इसका बेहतर पारिश्रमिक प्राप्त होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि कृषि मंत्रालय इस पर विचार करेगा और कोई ऐसी व्यवस्था करेगा कि किसान अपने मामलों को उनके सामने प्रस्तुत कर सकें और कुछ अधिक लाभ तथा पारिश्रमिक प्राप्त कर सकें और उन्हें **रास्ता रोको** आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाना पड़े।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जब भी हम गांवों की समस्या पर चर्चा करते हैं तो या तो हम इसमें रुचि नहीं लेते या फिर अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं। हम पंचायत राज विधेयक का उदाहरण लेते हैं इसका क्या परिणाम हुआ ? वे लोग जो गांवों को सहायता देने का विरोध करते हैं वे ही आज सत्ता में हैं। मण्डल आयोग का क्या परिणाम हुआ ? हमने यह देख ही लिया है। जब भी हम कृषकों की समस्या या गांव की समस्या पर चर्चा करते हैं तो सदन में सदस्यों की उपस्थिति बहुत कम होती है। सरकार यदि पांच या दस रुपए मूल्य में वृद्धि कर देती है तो वह यह समझती है कि उसने बहुत बड़ा काम किया है। मैं ऐसा नहीं मानता। मारुति और अन्य कारों के मूल्यों की तरफ ध्यान दीजिए। पिछले चार-पांच महीनों में इनके मूल्यों में 15,000 रुपए से लेकर

25,000 रुपए तक की वृद्धि हुई है। निस्संदेह सरकार ने कृषि उत्पादों के मूल्य बढ़ा दिए हैं परन्तु मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संकल्प के लिए निर्धारित समय समाप्त हो गया है, ऐसे अन्य सदस्यों की भी सूची है, जो बोलना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : उपाध्यक्ष जी, यह किसानों के हित में बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है, अतः इसका समय कम से कम 6.00 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : महत्वपूर्ण संकल्प है, तभी तो सारी की सारी बैंचेज खाली हैं। देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण संकल्प है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री चित्त बसु (बारासाट) : अगला संकल्प बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। उसे छोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास बहुत लम्बी सूची है। सदस्यों की यह बहुत लम्बी सूची है।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : इस संकल्प के लिए समय तो बढ़ाइए, मगर इससे बाद आने वाले संकल्प को कम से कम पेश अवश्य करा दीजिए, यही मैं कहना चाहता हूं। इतना समय बढ़ाइए ताकि अगला संकल्प भी आज ही पेश हो सके। वह भी महत्वपूर्ण है। यदि संभव हो तो कुछ देर ज्यादा हम लोग बैठ सकते हैं, मगर इसके बाद वाले संकल्प को आज जरूर पेश करा दीजिए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस पर पौने छः बजे तक चर्चा करें। मन्त्री महोदय के जवाब सहित यह चर्चा पौने छः तक समाप्त हो जानी चाहिए। कृपया इतने ही समय में चर्चा पूरी की जाए।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा : दो-दो मिनट करके सभी को टाइम दे दीजिए। (**व्यवधान**)

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल (राजगढ़) : मेरा निवेदन है कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे देश के किसानों से सम्बन्धित मामला है, यदि आप इसके लिए कम समय एलॉट करेंगे तो सारी बातें हम लोग कह नहीं पाएंगे, जो हम कहना चाहते हैं। इसलिए इस संकल्प के लिए ज्यादा समय बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : उपाध्यक्ष जी, आपने पहले जो टाइम बढ़ाया है, जिसकी घोषणा कर दी है, उससे कम समय इस संकल्प को नहीं दिया जाना चाहिए। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जब हम इस पर चर्चा करेंगे तब इसका निर्णय कर लेंगे।

श्री उत्तम राठौड़ : मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि पूरे देश में कृषि उत्पादों का मूल्य एक समान नहीं होना चाहिए। बल्कि उन्हें अलग-अलग क्षेत्रों में कृषि सम्बन्धी जलवायु के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। हमारे यहां ऐसे 33 क्षेत्र हैं। किसी विशेष वस्तु का मूल्य उसी हिसाब से निर्धारित किया जाना चाहिए। इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसके अन्तर्गत लोग सम्बन्धित स्थान में जाकर यह मालूम कर सकें कि जो मूल्य निर्धारित किए जा रहे हैं वे उचित हैं अथवा अनुचित।

इन सुझावों के साथ मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि चावल के मूल्य अलग से निर्धारित किए जाएं, मैं श्री दिलीप सिंह भूरिया को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विशेष संकल्प को प्रस्तुत किया है।

[हिन्दी]

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : माननीय उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं श्री दिलीप सिंह भूरिया को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के किसानों के हित में इस संकल्प को सदन में प्रस्तुत किया है। इस संकल्प को पेश करते समय उन्होंने जो बातें कही हैं, उनमें दो-तीन बिन्दु बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात उन्होंने कही है कि किसानों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से कम से कम तीन महीने पूर्व विभिन्न फसलों के मूल्यों को घोषित कर दिया जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात उन्होने कही है कि कृषि आदान और उपकरण उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराए जाएं और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा है कि किसानों की समस्त उपज सरकार को खरीदनी चाहिए। उपाध्यक्ष जी, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि देश का किसान आज सबसे अधिक गरीब है। दुर्भाग्य से हिन्दुस्तान की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में निवास करती है और वही आबादी सबसे ज्यादा गरीब है, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करती है। आजादी मिलने के 42 वर्ष बाद भी, हमारे गांवों का जितना विकास होना चाहिए था, किसानों की जितनी प्रगति होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई है। माननीय कृषि मन्त्री जी के प्रान्त में कुछ स्थिति बदली हो, पंजाब में कुछ स्थिति बदली हो, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में हम देखेंगे, तो पता चलेगा कि किसान की माली हालत पहले से ज्यादा कमजोर हुई है। कुछ जिन्सों के भाव बढ़ जाने से किसान की हालत सुधर गयी है या टी० वी० रेडियो अथवा किसी के घर कोई और उपभोग का सामान आ गया है, उससे ऐसा मानना कि किसान की हालत सुधर गयी है, यह गलत होगा। जिस प्रकार से मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है, कृषि उत्पादन के भाव उसके हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं जिसका नतीजा आज यह हो रहा है कि किसान आज कर्जदार होता जा रहा है। उस पर कर्जा बढ़ता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि जो किसान के खेत में पैदा होने वाली चीज है, उसके मूल्य आज की बढ़ती हुई महंगाई को देखकर मिलने चाहिए। इस वर्ष सोयाबीन जब किसान के खेत से निकलकर खलिहान में आया और वहां से जब बाजार में आया तो उसके दाम गिर गए और जब उसकी चीज समाप्त हो गयी, तो उसी चीज के दाम बाजार में बढ़ गए। यही हाल किसान द्वारा पैदा की जाने वाली सभी चीजों का हो रहा है। खेत में पैदा हुए माल के भाव में और कारखाने में पैदा हुए माल के भाव में इतना ज्यादा अन्तर न आए, जिसके कारण किसान का शोषण हो और यही महत्वपूर्ण बात है जिस पर सरकार को विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि किसान का शोषण किस प्रकार रोका जाए।

माननीय उप प्रधान मन्त्री महोदय आप कृषकों की बहुत चिन्ता करते हैं, लेकिन पिछले साल-डेढ़ साल में आपने कर्जे माफी की बात कही, पिछले 3 वर्षों से लगातार सूखा होने के कारण उसकी हालत बद-से-बदतर होती जा रही है। अगर सरकार उसका सारा कर्जा माफ कर दे, तो किसान की माली हालत में बड़ा अन्तर आ सकता था, वह काम केन्द्र सरकार नहीं कर पायी। माननीय उप प्रधान मन्त्री जी मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आपको किसान की हालत सुधारनी है, तो उसकी पैदावार का भाव 3 महीने पहले तय होना चाहिए, यह प्रस्ताव बिलकुल ठीक है, ताकि वह तय कर सके कि उसको अपने खेत में कौन सी चीज बोनी है। एक और बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और वह यह है कि छोटे किसान को उसके माल का समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पाता है क्योंकि जब उसके खेत से माल खलिहान में आता है और वहां से बाजार में जाता है, तब तक सरकारी एजेंसियां भी अपनी खरीदी केन्द्र वहां नहीं खोल पाती हैं और जब तक वे अपनी केन्द्र खोलती हैं, तब तक छोटा किसान अपने सामान को वहां के व्यापारियों के हाथों सस्ते भाव में बेच चुका होता है। इन सरकारी खरीद केन्द्रों का लाभ भी किसानों को ही मिल पाता है, जो अपने माल को दो-चार-छः महीने तक रख सकते हैं। कुछ महीने रखने के बाद वे अपने माल को मण्डी में भेजते हैं, तो उसको वे एजेंसियां खरीदती हैं। इस प्रकार छोटे किसान को अधिकतर अपने उत्पादन का लाभ नहीं मिल पाता है, लाभकर मूल्य भी बड़े किसानों को ही मिलता है। इसलिए मैं माननीय कृषि मन्त्री महोदय और सरकार से इस संकल्प के माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार अपनी नीति में मौलिक परिवर्तन करे जिससे किसान को सभी प्रकार से लाभ हो सके और उसकी उन्नति हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और आखिर में कहना चाहता हूं कि किसान के जो उपकरण उसको मिलते हैं, चाहे उनमें ट्रैक्टर हो, खाद हो, दवाई हो, बिजली या पानी हो, ये सब भी उसको सस्ती दर पर उपलब्ध होने चाहिए। आज डीजल के दाम बहुत बढ़े हैं। इसके कारण भी किसान पर असर हुआ है। बिजली की हालत बहुत खराब है। कई प्रान्तों में सिंचाई के समय बिजली जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। जैसा माननीय सदस्य जटिया जी ने कहा—अगर मिलती भी है, तो बीच-बीच में मिलती है और रात को किसान खेत में जाता है और बिजली गायब हो जाती है।

5.00 म० प०

इस साल डीजल की हालत तो यह थी कि बुवाई के समय डीजल उपलब्ध नहीं हुआ, सरकार ने कटौती कर दी, इसलिए बुवाई पर असर हुआ है। इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब किसान को खेती पर सिंचाई के लिए डीजल, बिजली की जरूरत होती है तब किसी भी हालत में उसकी कटौती न हो। इस साल पानी भी अच्छा गया, काफी लोगों ने बोया भी लेकिन अच्छी खाद, बीज नहीं मिले। मुझे मालूम है, कई प्रान्तों में सरकारी एजेंसियों पर बीज उपलब्ध नहीं था, खाद मद्रास से नहीं पहुंची, कारखाने वाले कहते थे कि हमारे पास खाद नहीं है। या तो उन्होंने ब्लैक में बेची या पता नहीं क्या हुआ लेकिन खाद और बीज उतने नहीं पहुंचे जितना चाहिए था। उसका परिणाम यह हुआ कि कृषि जमीन का एक बड़ा हिस्सा बिना बोए रह गया। यह सब किसान के घाटे की चीजें हैं, इससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हुई है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं वह समय-समय पर ऐसी सुनिश्चित नीति बनाएं जिससे किसानों को मौसम के समय में लाभ मिल सके और उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री के० मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री भूरिया जी के संकल्प के लिए उनको हार्दिक बधाई देता हूं। वास्तव में आज 42 साल देश को आजाद हुए हो गए हैं मगर जब हम गांव के किसान से जुड़े हुए मजदूर की बात करते हैं तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है और यह हमारे लिए अफसोस की बात है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले बयालीस सालों में विकास हुआ है मगर शहर और गांव दोनों के विकास को अनुपातिक दृष्टि से देखें तो विकास की गति गांवों में बहुत धीमी रही है। इसके साथ-साथ किसान आर्थिक दृष्टि से गिर गया है। उसका कारण है कि किसान की जो पैदावार है, किसान जो पैदा करता है उसका उचित मूल्य उसे नहीं मिल पाया है। औद्योगिक विकास हुआ है मगर औद्योगिक विकास में उद्योगपतियों ने बैठकर जो दाम तय किया है उसको सरकार ने भी बाध्य होकर मान लिया और उन्होंने अपनी बाध्यता दिखाते हुए उन रेटों को मनमाने ढंग से बढ़ाया है। मुझे ध्यान है सन् 60-62 में जो रेड लेबर के थे या बिजली की दरें थीं वह बहुत कम थीं। खाद, ट्रैक्टर जो भी किसान के उपयोग में आने वाली चीजें थीं वह बहुत कम थीं। साथ-साथ बाजार के रेट भी कम थे मगर पिछले दशक में जो रेट उद्योगपतियों ने बढ़ाए हैं उससे किसान को भारी नुकसान हुआ है और किसान निरन्तर कर्ज में डूबता जा रहा है। इसका कारण है कि शहरों में उद्योगपतियों द्वारा 200-300 प्रतिशत रेट बढ़ाए गए। उसी संदर्भ में, सन् 62 में लेबर, किसान की मजदूरी तो एक-डेढ़ रुपया होती थी, आज प्रतिदिन का पचास रुपया तक मुहैया किया जाता है। लगान, बिजली की दर, खाद, बीज, ट्रैक्टर और औजार, साथ-साथ बैंक का ब्याज और मजदूरी सभी बढ़ा है मगर किसान को पैदावार का जो दाम मिलना चाहिए वह उसको उस अनुपात में नहीं मिल पाया है। इसलिए किसान की हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती गई है। इसके साथ-साथ कुछ प्रान्तों में जिनमें विकास हुआ, उप प्रधान मन्त्री भी यहां उपस्थित हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश मेरी कांस्टीटूऐंसी मथुरा है वह लगा हुआ इलाका है, बंसी लाल जी जब रेल मन्त्री थे, मुझे ध्यान है वे मथुरा गए थे, मैंने उनसे कहा कि क्योंकि हमारा इलाका आपसे लगा हुआ है इसलिए इसका विकास हुआ है और इसलिए हमको ईर्ष्या और पश्चाताप होता है। वे चौंके कि क्या बात है, हमने विकास करके आपको क्या नुकसान किया है? हमने कहा कि हमारे यहां के रिश्ते सबसे ज्यादा हरियाणा में होते हैं। ऐसे में हमारे यहां के लड़कों से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा जिससे वहां के लड़के कुंवारे रह जाएंगे। मन्त्री जी यहां बैठ हुए हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस बार का वह जो बजट लाएं उसमें किसानों के विकास से सम्बन्धित ऐसी योजनाएं लाएं जिससे देहातों का भी विकास हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी फूड प्रोसेसिंग से सम्बन्धित मन्त्रालय की मीटिंग थी। उसमें मैं वहां मौजूद था। मल्टीनेशनल कम्पनी पेप्सी-कोला को यहां लगाने का माननीय सदस्यों ने भारी विरोध किया था। मगर उसके पीछे एक मकसद था कि देहात में जाकर उसकी शाखाएं फैलाएंगे जिससे उद्योग लगें, वहां भी फूड प्रोसेसिंग हो—चाहे ग्रेन प्रोसेसिंग हो, चाहे वेजिटेबल प्रोसेसिंग हो लेकिन उनकी छोटी इण्डस्ट्री देहात में प्राथमिकता के आधार पर लगाई जाएगी मगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ। उद्योग मन्त्रालय भी देहात की तरफ ध्यान नहीं देता। जितने भी उद्योग लगते हैं वह शहरों में ही लगते हैं। उद्योगों के बारे में मैं माननीय उप प्रधान मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वह ऐसा कुछ करें जिससे उद्योग देहातों में लगे जिससे उनका विकास हो, वहां के किसानों का विकास हो, वहां के मजदूरों का विकास हो। जो पैदावार वहां होती है, उसकी इण्डस्ट्री वहां लगेगी तो वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और पैदावार को भी लाभ होगा। हमारे मथुरा में शूगर फैक्ट्री लगी। गन्ना जहां बिल्कुल नहीं होता था आज वहां गन्ना इतना ज्यादा पैदा होने लगा जिसकी वजह से उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए बाध्य होना पड़ा।

आगरा अपर केनाल जो यमुना में पानी लेकर आती है अंग्रेजी हुकूमत से चली आ रही है। गंगा नहर भी हमारे यहां पर अंग्रेजी हुकूमत से चली आ रही है। आज उस पर प्रतिबन्ध लगाए गए और कहा गया कि पानी की कमी के कारण और किसानों का इलाका बढ़ने के कारण हम अधिक पानी नहीं दे सकते मगर सरकार अधिक साधन मुहैया नहीं करा पायी। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि नदियों को रोकने का प्रावधान किया जाए। डैम बनाए जाएं जिसके माध्यम से आबपाशी के नहरी साधन सारे देश में बढ़ें विशेषकर उन इलाकों में जहां खारा पानी है, जहां बिजली के साधन नहीं हैं। बिजली के साधन बढ़ाए जाएं जिससे ट्यूब-वैल लगें। आबपाशी के साधन बढ़ने से किसानों को दो फसलें लेने का मौका मिलेगा।

42 साल की आजादी के बाद भी स्वतन्त्र भारत में किसान जोकि हमारे विकास की रीढ़ की हड्डी है वह भगवान के आसरे खेती करता है। अगर वर्षा अच्छी होती है तो फसल भी उसकी अच्छी होती है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ओलावृष्टि से किसानों की फसल को नुकसान होने पर इंश्योरेंस पालिसी को लागू करने का सरकार ने प्रावधान किया था लेकिन उसकी सुविधा अभी तक किसान को मुहैया नहीं हुई है। प्राकृतिक आपदाओं से किसान की फसलों को बहुत नुकसान होता है। मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन जगहों में, ओलावृष्टि से, अधिक वर्षा से या खलिहान जलने से फसलों को नुकसान हो उसका सारा खर्चा वहन केन्द्र सरकार और प्रान्तीय सरकार करें।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की क्षति होने पर किसान को उसका मुआवजा मिलना चाहिए।

सरकार ने 10 हजार तक के ऋण माफ करने की जो घोषणा की थी वे कर्जे आज तक माफ नहीं हुए हैं। विशेष कर उत्तर प्रदेश में सख्त आदेश हैं कि कर्जों की वसूली की जाए। एक तरफ तो सरकार का वायदा है, किसान यह देख रहा है कि 10 हजार तक के हमारे कर्जे माफ होंगे और दूसरी तरफ हथकड़ियां लेकर पुलिस और अमीन उनके चक्कर लगाते रहते हैं, यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसमें मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह गुजारिश करूंगा कि वित्त मन्त्रालय से तुरन्त इस सम्बन्ध में बात करें और इस पर तमाम कार्यवाही की जाए जिससे कि अगर कर्जे माफ करने की बात सरकार सोच रही है तो कर्जे माफ होने चाहिए। चुनाव को हम करीब एक साल पूर्ण करने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

मैं इन शब्दों के साथ आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय उप प्रधान मन्त्री जी।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मान्यवर, हम कितनी ही देर से बैठे हुए हैं और अपना नाम भी हमने आपको दे रखा है। **(व्यवधान)**

उप प्रधान मंत्री तथा कृषि मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री देवी लाल) : इस प्रस्ताव को हमें अहमियत देनी चाहिए इसलिए इतने लोग जो बोलना चाह रहे हैं, इनको बोलने देना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा : उपाध्यक्ष महोदय, बोलने वाले बहुत हैं, मैंने भी अपना नाम दे रखा है लेकिन अगला प्रस्ताव जरूर रखिए, हमारे मित्र और कोई बोलें उस पर हमें एतराज नहीं है।···**(व्यवधान)**··· आप लोगों का रुख भी तो उस पर मालूम होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनसे चर्चा नहीं करें।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन यादव : मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरे प्रस्ताव के बारे में अपना मत दें। यह प्रस्ताव आज जरूर पेश हो।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव को चार घण्टे का टाइम दिया गया था। इस पर पहले सत्र में भी डिस्कशन शुरू हुआ था, डिस्कशन आज भी शुरू हुआ है, आज भी इसको एक घण्टा बढ़ाकर दिया है, इस पर 5 घण्टे चर्चा हो गई है और मेरे ख्याल से हम प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस के दिन ज्यादा टाइम नहीं बैठते हैं इसलिए अगर इस चर्चा के ऊपर आप उप प्रधान मन्त्री जी का बयान सुनना चाहेंगे तो यह अभी शुरू होना चाहिए नहीं तो फिर इस पर उनका बयान भी नहीं होगा और वह अगले सत्र में होगा। न तो आप उनका बयान सुन सकेंगे और न आपकी बात आ पाएगी। अगर आप लोगों की बात एक ही है, वह कहनी है तो उप प्रधान मन्त्री जी को जो कहना है उनके कहने की भी अहमियत रहेगी अगर आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं आप सबको टाइम दे दूंगा। हम टाइम नहीं बढ़ा सकते हैं। यह ऐसी बात नहीं है, अगर आप रैजोल्यूशन पढ़ें तो इसमें तीन चीजों में एक तो तीन महीने पहले प्राइस तय कर दें और दूसरा यह है कि इनपुट्स कीमतों पर दे दें और तीसरी बात इम्पलीमेंट्स दे दें। अगर आप सारा एग्रीकल्चर इसके नीचे कवर करना चाहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अगर आप उप प्रधान मन्त्री जी की बात नहीं सुनना चाहते हैं तो और बात है, मैं आपको टाइम दे दूंगा मगर मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने जो कुछ बताया है, उसके बाद गवर्नमेंट का इस पर क्या रवैया है, वह सुनना आप सब के लिए ज्यादा अहमियत रखेगा।

श्री देवी लाल : मेरे ख्याल से विचार तो सब के आ गए, हर पार्टी के बोलने वालों ने अपने विचार दे दिए। इसमें एक ही चीज है कि तीन महीने पहले कीमत फिक्स करनी चाहिए, इसका मैं उत्तर देना चाहता हूं, इसमें किसी को एतराज तो नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस की ओर से 8 लोग बोल चुके हैं, बी० जे० पी० की ओर से 4 लोग बोल चुके हैं, जनता पार्टी की ओर से 4 बोल चुके हैं और जनता दल की ओर से 4 बोल चुके हैं, सब लोगों को टाइम दे दिया गया है।

[अनुवाद]

मेरे विचार से आप इस कठिनाई को समझते होंगे। यदि आप सरकार के विचार को सुनना नहीं चाहते हैं तो वह दूसरी बात है।

[हिन्दी]

आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके मन में इसके सम्बन्ध में जो खयालात हैं, वह बहुत अहमियत रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं मगर इसके साथ-साथ गवर्नमेंट का क्या रुख है, वह भी समझना चाहिए नहीं तो पोजीशन ऐसी है कि आप सुन नहीं सकेंगे और वह अच्छी चीज नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर दूसरा टाइम नहीं मिल सकेगा । आज का दिन है, फिर इस सत्र में टाइम नहीं मिल सकेगा तो मेरे ख्याल से आप मुझे इजाजत दीजिए ।

अगर किसी भी तरीके से हम इसको बढ़ा कर दे सकते, तो हमें इसे बढ़ाने में खुशी होती । लेकिन पोजीशन ऐसी है कि 6 बजे से ज्यादा इसको बढ़ा नहीं सकते हैं और दूसरी बात यह है कि इसके बाद इस सत्र में शुक्रवार आने वाला नहीं है और फिर ये आगे चला जाएगा । उसके बाद फिर गवर्नमेंट का उसके ऊपर क्या स्टेंड होगा, मालूम नहीं । देखिए, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, वरना हम जरूर कर देते ।

(व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय हाऊस में कोरम नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कोरम की बेल बजाई जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोरम हो गया । अब देवीलाल जी आप बोलिए ।

श्री देवी लाल : मैं सबसे पहले श्री दिलीप सिंह भूरिया जी को मुबारकवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसकी आज के वक्त में बहुत जरूरत है और उसके साथ-साथ प्रो० रंगा साहब, सत्य नारायण जी और मक्कासर साहब को मुबारकवाद देता हूं । उनको मुबारकवाद देने के साथ-साथ मैं उन लोगों को भी नहीं भूल सकता हूं जिनकी गैर-हाजिरी भी मुबारकबाद के बराबर है । स्पीकर साहब, वे किसानों के बड़े हमदर्द बनते हैं लेकिन इस समय सारे बैंच खाली पड़े हैं । इस समय न ही अजित सिंह दिखाई दे रहे हैं और न ही वी० पी० सिंह दिखाई दे रहे हैं, न ही दूसरे सदस्य दिखाई दे रहे हैं जो किसानों के बहुत बड़े हमदर्द बनते हैं । रेजोल्यूशन का मतलब यह है कि भाव मुकर्रर किया जाये, तीन महीने पहले । मैं बुवाई से पहले भाव मुकर्रर करने के हक में नहीं हूं बल्कि मैं चाहता हूं कि दो दफा भाव मुकर्रर हों, बुवाई से पहले भी मुकर्रर हों और कटाई से पहले भी मुकर्रर हों ताकि किसान यह सोच सके कि किस फसल का क्या भाव है और उसको कितना मिलेगा । उसके मुताबिक किसान अपनी फसल बो सके ।

इसके साथ-साथ मैं यह भी बता दूं कि आज से 9-10 साल पहले इस भाव के सम्बन्ध में हमने सत्याग्रह किया था । पंजाब से सरदार प्रकाश सिंह बादल, कर्नल प्रताप सिंह गिल, जो लेफ्टीनेण्ट गवर्नर थे, गोवा दमन दीव के । हम जेल में गये थे सिर्फ एक रुपये के भाव के लिए और वह एक रुपया भाव नहीं बढ़ा था, गंदम का । अब जो गंदम और दूसरी फसलों का भाव रखा है उसे मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाह रहा हूं कि गंदम का भाव सन् 1988-89 में 183 रुपए था और आज भाव है 280 रुपए ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : शक्कर का भाव उस वक्त क्या था और आज क्या है ?

श्री देवी लाल : अमृतसर में इस वक्त भाव है 280 रुपए, जयपुर में 380 रुपए और हापुड़ में है 315 रुपए प्रति क्विंटल और उस समय था 183 रुपए प्रति क्विंटल । जौ का भाव उस समय 145 रुपए था, अलवर में 335 रुपए, जयपुर में 350 रुपए और बेल्लूर घाट बंगाल में 257 रुपए प्रति क्विंटल है । इसी तरह से धान का भाव बढ़ा है । कपास का भाव 500 रुपए था जो अब 955

रुपए है, इसका मतलब 455 रुपए भाव बढ़ा है। मूंगफली का भाव 430 रुपए प्रति क्विंटल था जो अब 928 रुपए प्रति क्विंटल है। इस तरह से मेरे पास अलग-अलग राज्यों के आंकड़े हैं। सरसों का भाव 468 रुपए था जो अब 915 रुपए है। इसी तरह से मोगा में भाव 580 रुपए था अब 930 रुपए है, सारी मंडियों के अलग-अलग भाव हैं। इस तरह से जहां तक भावों का ताल्लुक है, हम भाव बढ़ाना चाहते हैं और भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्याएं अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग तरह की हैं, मैं महसूस करता हूं, सभी माननीय सदस्यों ने बताया है। मुझे पता है कि कितने ठण्डे पानी में बैठकर पानी लगाया जाता है, कितनी कड़कती गर्मी में फसल काटी जाती है, यह किसान ही है जिसकी पैदावार आम मंडी में नीलाम होती है, बाकी किसी उत्पादक का उत्पादन इस तरह से नीलाम नहीं होता, वह अपने उत्पादन की कीमत स्वयं तय करता है। मैंने फसल की कीमत मुकर्रर करने के लिए, उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन निकालने के लिए एक कमेटी मुकर्रर की है, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। उस कमेटी ने जो मेथाडालाजी अख्तियार की है, उसमें मजदूर की मजदूरी, किसान की मेहनत, रोटी पहुंचाने वाली की मजदूरी, बच्चे जो काम करते हैं, उसको भी ध्यान में रखा गया है और बुजुर्ग आदमी जो घर का मैनेजमेंट करता है, उसकी मेनेजीरियल कास्ट भी इसमें शामिल की गई है, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर एक तरीका अख्तियार किया गया है। कोई भी गवर्नमेंट आए, भाव इसी मेथाडालाजी को सामने रखकर तय करने होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, भाव तो मुकर्रर कर दिए, लेकिन हम पैदावार बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी का इन्तजाम किया जाए। एक नई टेक्नालाजी आई है, जिसको ड्रिपिंग सिस्टम कहते हैं, मेरी कोठी पर उसका तजुरबा हो रहा है, परसों के बाद आप आकर देख सकते हैं कि किस तरीके से थोड़े पानी से सवाई, ड्यौढ़ी फसल हो सकती है।

इसी तरह से वन महोत्सव के बारे में अर्ज करना चाहता हूं, वन-महोत्सव पर 450 करोड़ रुपए साल के खर्च होते हैं, लेकिन एक नया तजुरबा करने जा रहे हैं। हरियाणा में यह तजुरबा किया जा चुका है। ऐसी फसलें जो कैस क्राप्स हैं, ज्यादा फायदा पहुंचा सकती हैं, वे हैं फ्रूट्स। मैंने अपनी कोठी में सब तरह की नरसरी लगाई हुई है। पहले 7 रुपए फी नरसरी दिया करते थे, अब सरकार मुफ्त देती है, 5 रुपए संभालने के लिए देती है और एक साल के बाद यदि सरवाइव है तो 10 रुपए सबसिडी देती है, ताकि हर जगह फल-फ्रूट हो सके। इसके साथ-साथ किसान की हालत सुधारने के लिए डेरी फार्म जरूरी हैं। अगर डेरी फार्म को प्रोत्साहन दें तो किसान का खर्च डेरी फार्म से निकल सकता है और अनाज से होने वाली आमदनी को वह दूसरे कामों में लगा सकता है। लेकिन बड़ी मुश्किल है कि डेरी फार्म के दूध का भाव बढ़ता है तो मिडिलमैन शोर मचाते हैं कि महंगाई हो गई, कपड़े का थोड़ा सा भाव बढ़ता है तो शोर मचता है कि महंगाई बढ़ गई। कपास का भाव बढ़ेगा तो कपड़े का भाव तो महंगा होगा ही। गरीब किसानों को तो कपड़े की जरूरत होती नहीं है। उसके पास एक कमीज कुर्ता होता है, शादी-ब्याह में जाकर वापिस घड़े में रख देता है। उसके पास सूटकेस नहीं होता। अगर तकलीफ होगी तो उनको और मुझे होगी। मेरी 17 पौशाकें हैंगर में टंगी हुई पड़ी हैं, इनकी 20-30 पड़ी होंगी इनको क्या फर्क पड़ता है। इसी तरह से तेल की महंगाई कम होगी जब सरसों का भाव कम होगा। 80 फीसदी तो आप उठाना चाह रहे हो, दूसरे महंगाई का रोना रो रहे हो। अगर चीनी की महंगायी होगी हो स्वाभाविक है वह महंगी होगी वर्ना दो रुपए क्विंटल के हिसाब से आग लगानी पड़ेगी, जैसे पिछली गवर्नमेंट के वक्त में हुआ था। अगर गन्ने का भाव बढ़ाते हैं तो महंगाई आएगी। हर चीज, जो खेत में पैदा होती है, रॉ-मैटीरियल होता है, उससे चलती है। किसान

की जेब में पैसा होगा, उसकी परचेजिंग पावर होगी तो सारी चीजें अपने आप सस्ती होंगी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि बहुत से हमदर्द ऐसे हैं जो कोरम पूरा करने के लिए सिटिंग ब्रेक करना चाह रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि कोरम पूरा करने वाली जो ताकत है वह व्यापारियों की है। मेरे सामने से सज्जन बोल रहे थे। मैं आपको राजस्थान की मिसाल देता हूं वहां रूलिंग पार्टी के अन्दर व्यापारी मैम्बर हैं। तीन दूसरे व्यापारी हैं जो पंजाब से आए हुए हैं, दो व्यापारी सिंध से आए हैं, दो जाट हैं, तीन गुज्जर हैं और आठ राजपूत हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं मक्कासर साहब से कि भैरो सिंह 13 आदमियों से चलेगा या 35 के भरोसे। वे तो 35 हैं आपके तो 13 ही हैं। जब तक आप अपने आपको नहीं बदलेंगे सही मायनों में किसान की उन्नति नहीं हो सकती।

श्री हरीश रावत : समधी-समधी की बात है।

श्री देवी लाल : आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश में होगी। तो इस देश का किसान खुशहाल नहीं हो सकता। यह व्यापारियों की सरकार है। इस सरकार ने इस राज को, जो किसानों का राज है, जो भाव मुकर्रर करता है, जो बिजली-पानी का प्रबन्ध करता है, जो 10 हजार तक के कर्जे माफ कर रहा है, कर भी दिए हैं, 100 रुपए महीना वृद्धावस्था पेन्शन हरियाणा में दी जा रही है, हम कोशिश कर रहे हैं सारे हिन्दुस्तान में हो। आप कुछ न कर सके तो लोगों का धार्मिक भावनाओं को भड़का कर राम जन्म भूमि की चर्चा कर देते हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि राम जन्म भूमि होती तो भले-मानसो 250 साल अंग्रेज राज कर गए, उस वक्त याद आनी चाहिए थी। राम जन्म भूमि होती।

(व्यवधान)

श्री महेश्वर सिंह (मण्डी) : आप विषय पर बात करें, यह विषय नहीं है। **(व्यवधान)**

प्रो० रासा सिंह रावत : आज बिजली, पानी और भावों के बारे में बात करें। **(व्यवधान)**

श्री देवी लाल : मैं वही कह रहा हूं। स्पीकर साहब, मैं किसानों की समस्या का कोई समाधान निकालने का रास्ता बता रहा हूं। वह रास्ता एक ही है···

श्री महेश्वर सिंह : यदि राम जन्म भूमि पर चर्चा करनी है तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। **(व्यवधान)**

श्री देवी लाल : मैं राम जन्म भूमि पर चर्चा नहीं कर रहा। **(व्यवधान)**

श्री के० मानवेन्द्र सिंह : आप धर्म के नाम पर देश की कुर्सी हथियाना चाह रहे हो।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए, मानवेन्द्र जी, आप अपने ही सदस्यों के बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। आप इस प्रकार नहीं कहेंगे।

(व्यवधान)

श्री देवी लाल : मैं राम जन्म भूमि का जिक्र नहीं कर रहा। मैं किसानों की समस्याओं का हल कैसे हो सकता है, वह बता रहा हूं। किसानों की समस्या का हल तभी हो सकता है जब किसान के रिप्रीजेंटेटिव इस हाल में आएं, किसानों के रिप्रीजेंटेटिव विधान-सभाओं में जाएं, किसानों के

रिप्रीजेंटेटिवस सर्विसिज में आएं, मैं यह बता रहा हूं। वह तभी होगा जब किसान के प्रतिनिधि होंगे। मैं कह रहा था कि जो राम जन्म भूमि का सवाल उठा रहे हैं वे किसानों को बरगलाना चाह रहे हैं। किसानों के लिए कुछ कर नहीं सकते, किसानों के लिए कुछ करें तो खुद मर जाएं। ये सारे व्यापारी हैं। और इनके पास कुछ है नहीं, ये राम जन्म भूमि करके राज जन्म भूमि बनाना चाह रहे हैं। 253, 319 और 375 का जिक्र किया गया है लेकिन अभी 319 है उसमें रुकावट आप लोगों की तरफ से आ रही है। बहुत से लोग किसानों के पक्ष में बोल रहे हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रस्ताव को पास कराना है तो अभी जरूरी नहीं है। हम इससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इसको ऐसा करना चाह रहे हैं जिससे इनकी तलमलाहट खत्म हो जायेगी। मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस प्रस्ताव को वापिस ले ले नहीं तो इनसे और लड़ाई करनी पड़ेगी। किसानों का प्रतिनिधि भी लोक सभा में होना चाहिए जबकि व्यापारियों को अपना व्यापर करना चाहिए। किसानों की समस्या का समाधान करना है और उसको सर्दी गर्मी से बचाना चाह रहे हैं और उसे खुशहाल करना चाह रहे हैं तो उसका इलाज एक और है जैसी कीमता कम करने के किए एक कमेटी मुकर्रर की है। किसानों की समस्याओं के लिए जो एडवाइजरी कमेटी है वह प्लानिंग कमीशन को एडवाइज करती है। इसी तरह के कारखाने में जो तैयार होता है उसकी कीमतों के निर्धारण के लिए कमेटी मुकर्रर हो। अभी हेत राम जी ने कहा था कि अब 128 क्विंटल अनाज के बदले में ट्रैक्टर आता है जबकि पहले 120 क्विंटल में आया करता था इसलिए इसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जब कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई का नाम लिया जाता है। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को वापिस ले लें हम इससे बहुत आगे जाना चाह रहे हैं और सलाह करके हम बहुत जल्दी कार्यवाही करना चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो पठारी क्षेत्र बुन्देलखंड है वहां किसानों के पास ढाई या चार एकड़ जमीन है। खेती बोने वाले जो साधन हैं वह उनको उपलब्ध नहीं हो पाते। किसान गरीब है इसलिए खेती को बोया नहीं जाता और पैदावार नहीं होती। क्या कृषि विभाग द्वारा उसकी खेती को बोया जाए। पैदावार के आखिर में उससे कह देना चाहिए और पैदावार के बारे में उससे बात कर ली जाए। क्या आप इसके लिए व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं ?

श्री देवी लाल : आपकी लड़ाई के डर के बारे मैं बैठ गया था और कहीं मेरा गला न बैठ जाए। जो दर्द है वाकई ठीक है। हमने यह फैसला कर लिया है कि 12 हार्स पावर का छोटा ट्रैक्टर है वह चार एकड़ से कम वाले को कर्जे पर मिलता था अब चार एकड़ वाले को ट्रैक्टर लेने में सुविधा होगी। लोन मिलेगा और इण्टरेस्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कुछ करेंगे उसको अमल करते जायेंगे।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, उप प्रधान मंत्री जी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता है। फ्रूट पर हमारी इकॉनॉमी, आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। हमें पिछली सरकार जो थी···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप केवल प्रश्न पूछें।

श्री के० डी० सुल्तानपुरी : पिछली सरकार ने हमें सेब का रेट 2.75 रु० दिया था और इस सरकार ने 1.30 रु० हमें दिए हैं। इसको दूर करने के लिए उप प्रधान मंत्री जी हमें बताएंगे कि क्या हल है ?

श्री देवी लाल : मैं हिमाचल के सेब की बाबत ही नहीं बल्कि नागपुर के संतरे का भी जिक्र करना चाहूंगा। हमारी इस गवर्नमेंट ने मार्केट इंटरवेंशन करके संतरा तीन रुपए किलो के हिसाब से ऐलान कर दिया लेकिन उसमें एक बात है कि उसमें 50 परसेंट तो स्टेट सरकार खरीदे और 50 परसेंट नेफेड खरीदेगा। और जगह तो खरीद रहे हैं। हिमाचल वालों से कहो, नागपुर वाले नागपुर में कहो, वह लेते नहीं। इसमें हमारा कसूर नहीं है। अपनी-अपनी सरकारों को कहिए। हम आधा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से देने को तैयार हैं। सारे हिन्दुस्तान में यह तीन रुपए किलो के हिसाब से दिए जाएं। **व्यवधान)**

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं खासकर जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और अभी माननीय मंत्री जी ने भी उत्तर दिया, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार मानता हूं और कहना चाहता हूं कि ये चर्चा हमारे देश के किसानों के लिए काफी अच्छी चर्चा रही। आखिर में चौधरी साहब ने कहा कि हम किसानों के लिए एक नीति बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आने वाले सत्र में या इस सत्र में क्या वह कानून किसानों के विकास के बारे में, किसानों की भलाई के बारे में लाएंगे ? भारत एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है और उपाध्यक्ष महोदय, खेती को इस देश में उत्तम माना गया है। व्यापार को मध्यम माना है और आखिर में नौकरी को माना है। परन्तु आज सबसे अच्छा नौकरी को मानते हैं और उसके बाद व्यापार और लास्ट में खेती हो गई है। उसमें सबसे बुरी हालत इस देश के किसानों की है। मैं चौधरी साहब से यही कहना चाहता हूं कि आप किसान के बारे में ध्यान दें। (**व्यवधान**) उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश में और प्रजातंत्र में भी अनेकों सरकारें आती हैं, आने वाले आते हैं और जाने वाले जाते रहते हैं। किसानों के बारे में एक स्पष्ट नीति बन जाए जैसे जापान में और बहुत से दूसरे देशों में—फिलिपीन्स में भी है। यह जो आज हमारे देश में डिस्पैरिटी है, असमानता है, इस असमानता को कैसे खत्म किया जाए इसके बारे में शासन की ओर से स्पष्ट नीति होनी चाहिए। अगर यह नीति नहीं बनती है तो आज हमारे देश के किसानों को हम सब मिलकर कहते है कि यह अन्नदाता है, यह कमाने वाला है, मगर खाए कुछ नहीं ! उसको भगवान बनाए रखे। मैं चौधरी साहब से कहूंगा कि इन लोगों से कहा कि तुम भी थोड़ा दिन जाकर खेती करो तो पता चलेगा कि गर्मी, सर्दी, धूप, बरसात क्या होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए यह रेग्यूलेशन लाया कि आज देश में किसानों का आक्रोश है, उनमें गुस्सा है वह जानते हैं कि सारी चीजें पैदा करने के बाद सिर्फ वही लंगोट, वही गर्मी, वही सर्दी, वही बरसात उनके पल्ले पड़ती है। उसका गुस्सा, उसका आक्रोश, हमारे देश के प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। आज हम उस ज्वालामुखी के ऊपर बैठे हुए हैं। इसलिए हमारा दायित्व है कि आज हम किसानों के हित में कुछ अच्छे कानून बनायें, अच्छी नीति बनायें। यदि हम ऐसा करेंगे तो हमारा आने वाला समय, हमारा भविष्य अच्छा होगा।

श्री देवी लाल : हमारे पैर दबाना आपका काम है।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : वह सही है चौधरी साहब, मगर आने वाला समय, आने वाला भविष्य हमें माफ नहीं करेगा अगर हमने किसानों के हित में कदम नहीं उठाए। फिर लोग कहेंगे कि ये संसद में बैठे हुए थे, इन्होंने किसानों के हित में कोई नीति नहीं बनायी बल्कि सरकार में बैठकर ये लोग खुद ही माला-माल होते गए। हम तो आज भी वहीं के वहीं बठे हैं। इन लोगों की अट्टालिकाएं दिल्ली के पास हैं, इन्होंने बड़ी-बड़ी जमीनें ले ली हैं जबकि हमारे पास झोंपड़ी बनाने के लिए भी जमीन नहीं है। इस देश का किसान देख रहा है कि हम संसद में बैठे क्या कर रहे हैं। कल वह कहेगा कि यह मेरी

जमीन थी आज उस पर इन लोगों का अधिकार है और मेरी हालत वैसी की वैसी ही है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कहीं आग लग जाती है, लोगों का आक्रोश बढ़ जाता है तो उसे कोई रोक नहीं पाएगा और उसी आक्रोश को दबाने के लिए यह रिजौल्यूशन मैं संसद में लाया हूं। वैसे चौधरी साहब मैं मानता हूं कि आपने इस देश के किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। जैसे आज आपने कुछ आंकड़े पढ़कर सुनाए कि इतने-इतने भाव बढ़ गए, कपास का भाव आपने बढ़ाया, जबकि पिछले साल कपास का मूल्य बहुत कम था, लेकिन आपको यह भी देखना चाहिए कि कपड़े का मूल्य क्या है, किसानों को कपड़ा किस दर से मिलता है। कपड़े के दाम कितने बढ़ गए हैं और क्या कपड़ा उसे उचित दर से मिल रहा है या नहीं। मेरे संकल्प का उद्देश्य बिचौलियों को खत्म करना है, शोषण करने वालों को बीच से निकालना है, सूदखोरों को हटाना है। यदि हम इन बुराइयों को दूर नहीं कर सके तो फिर कौन करेगा। आप ऐसी व्यवस्था कीजिए कि शोषणकर्ताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जा सकें। आप खुद इस बात को मानते हैं। जहां तक तिलहन का सवाल है, आज तेल 600 रुपए प्रति दिन की दर से मिलता है, जबकि पहले लोगों ने 500 रुपए की दर से खरीद कर भर लिया और अब वे उसे 600 रुपए की दर से बेच रहे हैं, 30-35-40 रुपए प्रति किलों के हिसाब से बेच रहे हैं। हमारी आंखों के सामने बेचा जा रहा है। इससे आम जनता और गरीब बेहद परेशान है। जगह-जगह डीजल के लिए गांवों में लाइनें लगी हुई हैं, मैं यहां उसकी चर्चा करना नहीं चाहता। आप देखें कि किसान के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, पढ़ाई के मामले में उनकी क्या स्थिति है, ढोरों, घर, परिवार की क्या स्थिति है। एक तरफ शहरों में 5 सितारा होटलों में शादियां होती हैं, उनकी शानो-शौकत देखने वाली होती है, दूसरी तरफ एक किसान की शादी होती है, वह गरीब कैसे इन्तजाम कर पाता है। मैं इस रिजौल्यूशन को इसीलिए लाया था कि कि अगर माननीय चौधरी साहब एग्री हों तो यह रिजौल्यूशन पास कर लें। यह संकल्प इस देश के किसानों के हित में होगा, उनके विकास की दिशा में रास्ता दिखाएगा कि हमने किसानों के लिए कुछ किया। वैसे चौधरी साहब प्रोग्रेसिव आदमी हैं, किसानों के नेता कहे जाते हैं। इस सदन में हम लोगों की संख्या 319 बताई गई है। यदि इतने लोग इस सदन में आ जायें तो वास्तव में हम पण्डित जवाहर लाल नेहरू और पूज्य महात्मा गांधी के सपनों को साकार कर पायेंगे। (**व्यवधान**)

हां, मैं ले रहा हूं और खत्म कर रहा हूं। हमने इस देश में समाजवादी व्यवस्था का संकल्प लिया है जिसमें सबको घर मिले, सबको रोटी मिले। इस दिशा में अगर किसी ने ईमानदारी से काम किया है तो वह इस देश का किसान ही है। न वह किसी रविवार को जानता, न किसी शनिवार को जानता, न कोई सण्डे मण्डे जानता, न कोई दिन देखता, न कोई घड़ी देखता, बस मेहनत करता जाता है। उसने वास्तव में ईमानदारी से कमाया है। न वह आपसे बोनस मांगता है, न कोई छुट्टी या दूसरी सुविधा मांगता है। मैं इस हाउस के जरिए उन करोड़ों किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के लोगों की जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा करके दिखा दिया। जब हम 36 करोड़ थे तो कटोरा लेकर दूसरे देशों से अनाज की भीख मांगते रहते थे। आज हमारी स्थिति यह है कि किसान के बलबूते पर हमने इतना अनाज पैदा किया है कि न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करते हैं बल्कि दूसरे देशों को भी भेजने में समर्थ हो गए हैं। इसका श्रेय किसानों को ही जाता है। उसने दिन रात मेहनत और पसीना बहाकर काम किया। दूसरे किसी ने उसके बराबर मेहनत नहीं की। मैं आज उन किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उपाध्यक्ष जी, आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे संकल्प पर इतनी चर्चा सदन में करायी। यदि चौधरी साहब एग्री हों तो इस संकल्प को हाउस में स्वीकार कर लें,

यही मेरा आपसे निवेदन है। इन शब्दों के साथ, जिन लोगों ने इस बहस में भाग लिया, उन्हें मैं फिर धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री देवी लाल : आप इसे वापस ले लो।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आश्वासन चाहता हूं कि क्या अगले सैशन में आप इसी तरह का एक बिल लायेंगे।

श्री देवी लाल : अगले सैशन में किसान नीति आ रही है, जिसमें ये सारे बिन्दू सब मसले हल हो जायेंगे।

श्री दिलीप सिंह भुरिया : चूंकि माननीय उप प्रधान मन्त्री जी ने आश्वासन दिया है, इसलिए मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री दिलीप सिंह भूरिया को अपना संकल्प वापस लेने के लिए इस सभा की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया

5.45 म० प०

धार्मिक महत्व के स्थानों के बारे में संकल्प

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव···

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत होने जा रहा है, लेकिन कोरम नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले कोरम को मेनटेन किया जाए, उसके बाद प्रस्ताव प्रस्तुत हो।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। कोरम की घंटी बजाइए।

[अनुवाद]

घंटी बज रही है। अब कोरम पूरा है। श्री मित्र सेन यादव संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री मित्र सेन यादव : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह 15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार धार्मिक महत्व के स्थानों की प्रास्थिति तथा उन पर हक की संरक्षा के लिए उपयुक्त विधान लाए।"

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस पर अगर बोलना चाहते हैं, तो बोल भी लीजिए ।

श्री मित्रसेन यादव : मान्यवर, आप इस प्रस्ताव के महत्व को समझते होंगे और मेरा ख्याल है कि हमारे माननीय सदस्य भी इस प्रस्ताव के महत्व को समझते होंगे । जब किसी चीज की आवश्यकता होती है, तभी उसका जन्म होता है । आज हमारे देश को, हमारे समाज को और हमारी व्यवस्था को उसकी आवश्यकता है, इसलिए यह प्रस्ताव यहां पर लाया गया है । आज हमारे देश के धार्मिक पूजा स्थलों के बारे में जिस परह का विवाद खड़ा करके, देश की एकता और अखण्डता को तोड़ने की कोशिश हो रही है, ऐसे समय पर इस प्रकार के कानून और प्रस्ताव की आवश्यकता परमावश्यक हो गयी है । इसके कारण हम भारत जैसे धर्मनिर्पेक्ष देश में, जहां विभिन्न धर्म, संस्कृति एवं भाषा के लोग एक साथ रहते हैं, वहां उनमें आपसी सौहार्द एवं सद्भाव हमेशा के लिए बनाए रखा जा सके, साम्प्रदायिकता समाप्त की जा सके, उनमें सहिष्णुता एवं सामजस्य पैदा किया जा सके और देश की एकता अक्षुण्य रहे, इस प्रस्ताव को लाने का उद्देश्य और मकसद मेरे ख्याल से इतना बढ़कर दूसरा नहीं हो सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में जो परिस्थिति पैदा हुई है, उसमें पुराने और नए, यानी वर्तमान प्रधान मन्त्री ने बार-बार यह कहा है कि हम हिन्दुस्तान के विभिन्न धर्मों के पूजा स्थलों और इबादतगाहों में कानून बनाकर सन् 1947 या 26 जनवरी, 1949 की स्थिति बहाल करेंगे जिससे ये विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं । मैं तो चाहता था कि यह प्राईवेट रैजोलूशन के रूप में न आए, कोई दूसरा सदस्य न ले आए, अच्छा होता सरकार इसको अपनी तरफ से ले आती तो मैं उसका स्वागत करता और हम विपक्ष के लोग उसका समर्थन करते । यदि यह बात नहीं हो सकी है तो मैं इस प्रस्ताव के जरिए हाउस में यह अनुरोध करूंगा कि इस सदन में विद्वान् सदस्य हैं, हमारे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी हैं, हमारे समाजसेवी हैं, कवि और साहित्यकार, वैज्ञानिक तमाम लोग इस सदन में भरपूर हैं जो हमारी इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अपना अमूल्य सुझाव देंगे । इसलिए मैंने इस प्रस्ताव को आपकी अनुमति से सदन में प्रस्तुत किया है । पिछली बार भी मैं इसको लाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे दुख है कि ऐसे ही पिछली बार भी माननीय सदस्यों ने कोरम का सवाल उठाकर मेरे इस प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं होने दिया था जो देश के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव है । जो देशभक्त बनते हैं वही ऐसे महत्वपूर्ण कानून का विरोध करते हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि उनकी देशभक्ति कहां है । ऐसे प्रस्ताव के जरिए जिससे देश की एकता, मानवता को बचाया जा सके, ऐसे प्रस्ताव का विरोध करने वाले तमाम लोग हैं, वे कहां छिपे हुए हैं जिससे हिन्दुस्तान की आज यह हालत हुई है । इसको मैं बहुत आदर के साथ प्रस्तुत करते हुए अपने माननीय सदस्यों के विचार सुनने की कोशिश करूंगा और चाहता हूं कि सब लोग इसमें भाग लें । मैं अपने और तथ्यों को रखने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि मैं दूसरों को बोलने का मौका देना चाहता हूं । मैं इतना कहकर कि इस मौके पर, जिस समय इस प्रस्ताव की आवश्यकता है, हमारा देश और समाज तमाम लोग इसको चाहते हैं, ऐसा कोई कानून बनाया जाए कि तमाम धर्मों के मानने वाले हिन्दुस्तान के पूजास्थल सुरक्षित हो जाएं, दूसरे धर्मों के पूजा अवसरों पर किसी किस्म का कब्जा न करें, उसके नाम पर राजनीति, झगड़ा न करें, उसके नाम पर देश में खून-खराबा न करें । हम समझते हैं कि 44 साल की आजादी में हिन्दुस्तान में बड़ी लड़ाइयों में इतना खून-खराबा नहीं हुआ, धन और अर्थ का नुकसान नहीं हुआ जितना हमारे इस साम्प्रदायिक विषमता की

वजह से हुआ है। यह साम्प्रदायिक तनाव की वजह से हुआ है। आज हमारा देश इसकी आग में जल रहा है, आज आवश्यकता है कि हमारे पूजास्थलों को कानून बनाकर सुरक्षित कर दिया जाए जिससे हम इस झगड़े में भविष्य में न पड़ें। इस मकसद से मैंने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है। मैं चाहता हूं कि इसमें सभी लोग हिस्सा लें और इसका समर्थन करें। आप दूसरे सदस्यों को बोलने का मौका दें, धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह 15 अगस्त, 1947 की स्थिति के अनुसार धार्मिक महत्व के स्थानों की प्रास्थिति तथा उन पर हक की संरक्षा के लिए उपयुक्त विधान लाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश रावत बोलेंगे।

श्री शिकिहो सेमा (नागालैंड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। इस सभा में भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। परन्तु इस समय केवल दो सदस्य ही उपस्थित हैं। एक सदस्य अभी हाल ही में आए हैं तथा दूसरा सदस्य बाहर जाने की सोच रहा है। वे विपक्षी दल के रूप में अपना कर्त्तव्य पालन करने में असफल रहे हैं। विपक्ष के बिना हमारा लोकतन्त्र तथा संसद कैसे कार्य करेगी? यह बेहतर ही है कि उन्होंने लोकतन्त्र के हित में विपक्ष का दर्जा छोड़ा नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपकी पार्टी की भी यही स्थिति है जो हमारी है। आज भी अपनी संख्या को हाउस में गिन लें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री हरीश रावत को बोलने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने मित्र श्री मित्रसेन यादव जी को इस संकल्प को इस सदन के सम्मुख लाने के लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं। सवाल इस संकल्प की भाषा और इसमें उल्लेख की गई परिस्थितियों का नहीं है, इसके पीछे जो भावना छिपी हुई है कि किसी भी तरह से हमारे देश के अन्दर साम्प्रदायिक सौहार्द, भाईचारा और प्रेम का वातावरण बने। हम जिस रूप में 15 अगस्त, 1947 को आजाद हुए हैं उसी रूप में, उसी स्वरूप के साथ, उसी संवैधानिक मान्यताओं के साथ हमारा देश और हमारे देश की सरकार काम करती रहे। इस उद्देश्य को लेकर इस संकल्प को यहां पर लाया गया है। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि इस संकल्प से किसी को भयभीत होने की या डरने की क्या आवश्यकता है। केवल वह लोग इस संकल्प पर बहस से जी चुराएंगे या कतराएंगे या भागने की कोशिश करेंगे जिन लोगों के मन में कोई मैल होगा जो हमारी उन परम्पराओं को, आस्थाओं को, मान्यताओं को मानने वाले नहीं होंगे जिन परम्पराओं और मान्यताओं पर भारतीय

लोकतन्त्र की नींव रखी गई है, जिस पर हमारी धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी गई है, जिन वचनों के साथ जिस संकल्प के साथ हमारा यह राष्ट्र भारत खड़ा है। मुझे अफसोस हुआ यह देख करके जब।

दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा एक बार नहीं तीन बार इस बात की कोशिश की कि किसी भी प्रकार से यह संकल्प सदन के सम्मुख नहीं आ सके और उस पर बहस न हो सके। आखिर ऐसा क्यों ? क्यों ऐसा प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। जो काम वह आज कर रहे हैं और जो कुछ सदन के बाहर कर रहे हैं, जिस प्रकार से उनका पूरा प्रचार-तन्त्र कार्य कर रहा है अगर उसको वह सही समझते हैं तो भागने की जरूरत नहीं है, वह दृढ़ता के साथ अपनी बात कह दें और यदि उनको यह लगता है कि कोई हमारे ऊपर आक्षेप लगा सकता है तो उनका जवाब देने के लिए साहस होना चाहिए था लेकिन उनके मन में चोर है, उनके मन में भय है क्योंकि वह जानते हैं कि जो कुछ वह कह रहे हैं जिस संविधान की शपथ खाकर उनकी पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिली हुई है, उसके विपरीत वह काम कर रहे हैं, आचरण कर रहे हैं और उसके विपरीत लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं व लोगों की भावनाओं को उभारने का काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है वह सब के लिए चिन्ता का विषय है। सवाल इस बात का नहीं है कि सत्ता में दिल्ली में कौन है, लखनऊ में कौन है, सवाल हमारे भारतीय गणतन्त्र का है, हमारे लोकतन्त्र का है, हमारी धर्मनिरपेक्षता का है, हमारी मान्यताओं का है और हमारी आस्थाओं का है लेकिन हमारी मान्यताओं और आस्थाओं के ऊपर उत्तर प्रदेश के अन्दर कदम-कदम पर चोट पहुंचायी जा रही है।

अभी किसानों की बातें हो रही थीं, कि क्या किसान करेगा, क्या मजदूर करेगा, क्या उद्यमी करेगा ? आज उत्तर प्रदेश के 50 शहरों के अन्दर कर्फ्यू लगा हुआ है। आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश किसी न किसी रूप में कर्फ्यू की चपेट में है। चाहे सत्ता में कोई भी रहता यही स्थिति होती इसलिए कि एक राजनीतिक दल और उसको सपोर्ट देने वाले कई धार्मिक संगठन इस बात के लिए तुले पड़े हैं कि उन्हें किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अन्दर अशांति पैदा करनी है, धार्मिक उन्माद का वातावरण पैदा करना है। वह समझते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में उन्हें सफलता मिलती है तो इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के चारों तरफ पड़ेगा और धीरे-धीरे सारे देश को साम्प्रदायिक आग में हम झोंक देंगे। जिस उद्देश्य को 1947 में वह पूरा नहीं कर पाए शायद उनका मकसद अब पूरा होगा ऐसा सोचते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि···(**व्यवधान**)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 1947 में पैदा नहीं हुआ था···(**व्यवधान**)

श्री हरीश रावत : मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। उनकी जैसी धारणा और विचार रखने वालों की बात कर रहा हूं। यदि हम अपने पैदाइश की बात करें तो हमें गर्व है। हमने ऐसे भारत के अन्दर जन्म लिया है जिस भारत में धार्मिक भाईचारे की भावना को रखने के लिए एक नहीं कई लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया। (**व्यवधान**) और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस पार्टी से सम्बन्धित हूं, जिस पार्टी से सम्बन्धित नेता महात्मा गांधी ने, जिसे आप राष्ट्रपिता कहते हैं, देश के अन्दर भाईचारे को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया···

श्री शोपत सिंह मक्कासर (बीकानेर) : इनको इस बात का गर्व है कि इन्होंने अयोध्या के अन्दर कई लोगों को मरवाया, वहां ले जाकर।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : महात्मा गांधी कांग्रेस के चवन्निया मैम्बर भी नहीं थे ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस बात का पता तो देश के अन्दर जनता से लगेगा जब आपके ख्वाब तीन महीने में ही धराशायी होते दिखेंगे कि क्या होता है ।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : मैं उसी राजस्थान में आपकी जमानत जब्त कराकर आया हूं ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब की बार वहां पर तीन महीने बाद फिर मिलेंगे तब आपको पता लग जाएगा, आप वहां आ तो जाइए ।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : राम की पूंछ पकड़कर तैरना चाहते हो और हमसे बात करते हो । तुम्हारा 1984 में भी नाम मिट गया था जब तुमने नारा लगाया था "देश का नेता कैसा हो, अटल बिहारी जैसा हो" । तुमको पता नहीं लगता, हवा में रहते हो ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपको चुनौती देता हूं, वहां आकर फिर चुनाव लड़ लो, आज ही यहां से त्याग-पत्र दे दो ।

श्री शोपत सिंह मक्कासर : हां, मैं तैयार हूं । बीकानेर में मैं चुनौती देता हूं, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं और ये भी दें, आ जाओ । आपको गलतफहमी हो गई है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मक्कासर जी, आपकी बात तो सारा सदन सुनने के लिए तैयार है, आप उन्हीं को क्यों सुना रहे हैं । आपको वक्त दिया जाएगा, आप उस वक्त बोलिएगा ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : रावत जी, आप अपनी बात अगली बार कह सकते हैं ।

सभा सोमवार 7 जनवरी, 1991 को ग्यारह बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है ।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 7 जनवरी, 1991/17 पौष, 1912 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : दी इण्डियन प्रैस, देहली ।